

युग निर्माण के आदर्श और सिद्धान्त

(द्वितीय भाग)



युग निर्माण योजना, मथुरा

: BOOK MADE AVAILABLE FOR DIGITIZATION BY :

SHRI SHIVCHARAN PATEL
SHANTIKUNJ, HARIDWAR, INDIA

: OUR MAIN CENTERS :

Shantikunj, Haridwar,
Uttaranchal, India – 249411
Phone no : 91-1334- 260602,
Website : www.awgp.org
E-mail : shantikunj@awgp.org

Gayatri Tapobhumi,
Mathura, U.P., India – 281003
Phone no : 91-0565-2530128,
Website : www.awgp.org
E-mail : yugnirman@awgp.org

: BOOK DIGITIZED BY :

Vicharkranti Pustakalay, Thana-Faliya, Dindoligam, Surat-394210, Gujarat, India
E-mail: vicharkranti.awgp@gmail.com | Website : www.vicharkrantibooks.org

॥ सत्यं शिवं सुन्दरम् ॥

युग निर्माण योजना के आदर्श और सिद्धान्त (द्वितीय भाग)

www.awgp.org
www.vicharkrantibooks.org

लेखक

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक

युग निर्माण योजना, मथुरा

प्रथमवार]
८०००

१९७०

[मूल्य
२)

मुद्रक—पुष्पराज प्रिंटिंग प्रेस, मथुरा।

विषय-सूची

क्रम	विषय	पृष्ठ	क्रम	विषय
१.	देश भक्ता नव-निर्माण के कार्य में जुट जावें	६	२८.	बाल-विवाह एक अति घातक कुप्रथा
२.	नागरिक कर्तव्य पालें और समाज में स्वस्थ परम्परा डालें	११	२९.	खर्चीली शादियाँ हमें बेईमान और दरिद्र बनाती
३.	व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है	१३	३०.	बेटे वाले व्यर्थ ही घाटा और बदनामी न उठा
४.	प्रोढ़ों को साक्षर बनाया जाना—युग की अनुपेक्षणीय मांग	१५	३१.	उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या और उसके नये हल
५.	व्यायाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा—समाज की एक महती आवश्यकता	१७	३२.	विधुर और विधवाएँ समान न्याय के अधिकारों
६.	अध्यापक अपने महान् पद, गौरव और उत्तरदायित्व को धारण करें	१९	३३.	मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद असुर से जूझें
७.	छात्र अपने १६ वर्ष का निर्माण आप करें	२१	३४.	बिना खर्च के विवाहों का प्रचण्ड आन्दोलन चल पड़े
८.	नवयुवक सज्जनता और शालीनता सीखें	२३	३५.	आतनायो उद्दंडता का डटकर मुकाबला किया जाय
९.	उदार सहकारिता से हमारी उलझनें सुलझेंगी	२५	३६.	धर्म तंत्र को प्रगतिशील बनने दिया जाय
१०.	प्रगति के लिये श्रम-सम्मान एवं गृह-उद्योगों की आवश्यकता	२७	३७.	साधु ब्राह्मण समाज अपना कर्तव्य और दायित्व समझे
११.	अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करें ?	२९	३८.	मन्दिर, आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियाँ जगाने में लगे
१२.	शाक हमारी खाद्य समस्या का हल करेंगे	३१	३९.	त्यौहार और संस्कार प्रेरणाप्रद पद्धति से मनाये जायें
१३.	बृक्षारोपण और संवर्धन—एक अति आवश्यक कार्य	३३	४०.	जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाये जायें
१४.	तुलसी हमारे घर घर में शोभायमान रहे	३५	४१.	गायत्री और यज्ञ—भारतीय धर्म-संस्कृति के माता-पिता
१५.	गौ संरक्षण हमारी एक महती आवश्यकता	३७	४२.	गायत्री यज्ञ—आन्दोलन—एक महान् रचनात्मक अभियान
१६.	अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाय	३९	४३.	शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा
१७.	वाटरों की सतकंता पर प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है	४१	४४.	यज्ञोपवीत धारण—नीति और कर्तव्य अपनाने का प्रतबंध
१८.	प्रबुद्ध नारी—महिला जागरण की कमान सँभालें ?	४३	४५.	ज्ञान यज्ञ का प्रकाश घर-घर पहुँचाया जाय
१९.	नारो उत्कर्ष के लिये कुछ विशेष प्रयत्न जिये जायें	४५	४६.	ज्ञान यज्ञ नव निर्माण का महान्तम अभियान
२०.	ऊँच-नीच की मान्यता अन्याय मूलक है	४७	४७.	व्यक्ति और समाज का समग्र निर्माण कर सकने वाली शिक्षा पद्धति
२१.	अश्लीलता की बाढ़—हमें पतित बना रही है	४९	४८.	कला लोक रंजन की नहीं, भावनाओं का परिष्कार भी करें
२२.	भिक्षा—वृत्ति का व्यवसाय न रहने दें	५१	४९.	रचनात्मक कार्यक्रमों से ही देश समर्थ बनेगा
२३.	मृतक भाज भाँ अविवेकपूर्ण न हों	५३	५०.	अनीति असुरता के विरुद्ध प्रबुद्ध संघर्ष किया जायेगा
२४.	भूत-पलात और उद्भिज देवी-देवताओं का जंजाल	५५		
२५.	पशुवलि भारतीय धर्म पर एक कलंक	५७		
२६.	प्राणियों के प्रति निर्मम और निष्ठुर न बनें	५९		
२७.	विवाहों के आदर्श ऊँचे रखे जायें	६१		

पूर्व निवेदन

व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल की भारतीय गरिमा ऋषियों द्वारा संचालित गुरुकुल पद्धति के कारण ही ऊँची उठ सकी थी। पिछले दिनों भी जिन देशों ने अपना बना बुरा निर्माण किया है, उसमें शिक्षा को ही प्रधान साधन बनाया है। जर्मनी, इटली का नाजोवाद, रूस और चीन का साम्प्रवाद, जापान का उद्योगवाद, यूगोस्लाविया, स्वित्जरलैण्ड, क्यूबा आदि ने अपना विशेष निर्माण इसी शताब्दी में किया है। यह सब वहाँ की शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने से ही संभव हुआ। व्यक्ति का बौद्धिक और चारित्रिक निर्माण बहुत करके उपनब्ध शिक्षा-प्रणाली पर निर्भर रहता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जैसे व्यक्ति होंगे वैसे ही समाज बनेगा। किसी देश का उत्थान या पतन इस बात पर निर्भर रहता है कि उसके नागरिक किस स्तर के हैं और यह स्तर बहुत करके वहाँ की शिक्षा-पद्धति पर निर्भर रहता है।

अपने देश की शिक्षा पद्धति कुछ अजीब है। यहाँ नौकरी भर कर मकान में समर्थ बाबू लोग ढाले जाते हैं। हर साल निकलने वाले इन लाखों छात्रों को नौकरी कहाँ मिले। वे बेकार घूमते हैं और लम्बी चौड़ी जो महत्वाकांक्षाएँ संजाकर रखी गई थीं, उनकी पूर्ति न होने पर संतुलन खा बैठते हैं और झूह-तरह के उम्रव करते हैं। अपना शिक्षित वर्ग, अशिक्षितों की अपेक्षा देश के लिये अधिक सिर दर्द बनता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा दोष शिक्षा पद्धति का है, जिसमें चरित्र गठन, भावनात्मक उत्कर्ष, विवेक का तीखापन तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दृष्टि से केवल खोखलापन ही दीखता है।

सरकार का काम है कि वह राष्ट्र की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन करे। पर इन दिनों जा स्थिति है उसे देखते हुये निकट भविष्य में ऐसी आशा कम ही की जा सकती है। फिर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा जाय ? और जा कुछ चल रहा है उसे ही चलते रहने दिया जाय ? ऐसा उचित न होगा। हमें जनता के स्तर पर जन-सहयोग से ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिये जो उपयुक्त प्रयोजन को पूरा करने में कुछ महत्त्वपूर्ण योगदान कर सके। युग निर्माण याजना ने यही कदम उठाया है।

गायत्री तपोभूमि मथुरा में अवस्थित युग निर्माण योजना के अन्तर्गत पिछले कई वर्ष से एक युग-निर्माण विद्यालय चल रहा है। इसका प्रधान विषय जीवन जीने की कला, चरित्र गठन, मनोबल, विवेक-जागरण, समाज निर्माण जैसे तथ्यों का सांगोपांग शिक्षण और अभ्यास कराना है। साथ ही गृह उद्योगों का एक शिक्षण भी जुड़ा रखा गया है, जिसमें कोई सुशिक्षित व्यक्ति अपने निर्वाह के उपयुक्त समुचित आजीविका उपार्जन कर सके। मजदूरों को कड़ा परिश्रम करके थोड़े पैसे कमाकर भी काम चलाने को आदत रहती है, पर जिनका रहन-सहन सभ्य-समाज उपयुक्त बन गया। उन प्रशिक्षितों से न तो उनका-सा कठिन शारीरिक श्रम हो पाता है और न कम पैसों में गुजर होती है। बेकारी का हल सावजनिक रीति से जापान ने निकाला है। वहाँ घर-घर में कुटीर-उद्योगों की विद्युत-संचालित छोटी मशीनें लगी हैं। अब बिजली बहुत सस्ती है, उसकी उपलब्धि सुलभ हो चली है। उसका उपयोग करके शारीरिक श्रम बचाया जा सकता है और उत्पादन भी अधिक होता है।

युग-निर्माण विद्यालय में ऐसे ही उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बिजली की विभिन्न मशीनों की मरम्मत, रेडियो, ट्रांजिस्टरों का निर्माण एलेक्ट्रोप्लेटिंग, चश्मों के नम्बरों वाले काँच बनाना, खराद, प्लास्टिक के फाउन्टेन पेन व दूसरी चीजें बनाना माजे-बनियान, साबुन, बानिशा, पेण्ट, रंग, स्याहियों, सुगन्ध-तेल आदि रासायनिक पदार्थ बनाना। विभिन्न प्रकार के खिलौने, प्रेम व्यवसाय के अन्तर्गत कम्पोज, छपाई, बाइंडिंग, रबड़ की मुहरें, व्यवस्था आदि प्रशिक्षणों का क्रम बहुत दिन से चल रहा था। इस वर्ष से हैण्ड पम्पों का वॉरिंग तथा फिटिंग, प्लैंग राखाना का निर्माण, मधु-मक्ख-पालन विस्कुट, डबल गटो आदि बनाना, शक-वाटिका, गोबर-गैम, पेट्रोल से कपड़े धाना, सिलाई, रेशमी तथा सूती बुनाई, बिजली से सूत कातना, निवाड़,

दरी आदि कितने ही नये उद्योग बढ़ाये जा रहे हैं। इस प्रकार जहाँ जैसी परिस्थिति हो वहाँ उसी आधार पर ऐसे उद्योग सीखे, सिखाये और चलाये जा सकते हैं। यह शिक्षितों को स्वावलम्बन देने की दिशा में एक अति महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मुख्य विषय वही है, जिसके आधार पर जीवन जीने की कला, व्यक्तित्व का विकास, प्रतिभा, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, चरित्र गठन, मनोबल, देशभक्ति, लोक मंगल के लिये उमंग आदि सद्गुणों को सुविकसित किया जा सकता है।

मथुरा के युग निर्माण विद्यालय में यह प्रयोग गत चार वर्ष से चल रहा था। हर वर्ष प्रायः ६० छात्र लेने भरके ही यहाँ साधन थे, सो उतनी ही भर्ती होती रही और एक वर्षीय पाठ्यक्रम चला कर उपर्युक्त प्रयोग चलाया जाता रहा। जो उत्साह वर्धक परिणाम इस प्रशिक्षण से निकले उनसे इस बात के लिये प्रेरणा दी कि इस शिक्षा-प्रणाली को अधिक परिष्कृत और व्यवस्थित ढंग से चलाया जाय, तथा इसे मथुरा के छोटे विद्यालय तक सीमित न रखकर देश व्यापी बनाया जाय।

विचार यह किया गया है कि व्यक्ति निर्माण तथा समाज-निर्माण के लिये आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक प्रशिक्षण व्यवस्था की जाय जो प्रस्तुत समस्याओं का समाधान कर सकने में समर्थ हो। आज का व्यक्तित्व अगणित कुत्साओं और कुष्ठाओं से घिरा हुआ हैय से हेयतर स्तर तक गिरता चला जा रहा है। लोगों की शिक्षा और सम्पदा बढ़ रही है पर वे व्यक्तित्व की दृष्टि से उलटे अधः पतित होते चले जा रहे हैं। समाज में सहयोग नहीं शापण पनप रहा है। दिन-दिन अनतिकता अवांछनीयता, उच्छृंखलता, अदूरदर्शिता एवं असामाजिकता की विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और भीतर ही भीतर अपनी संघ-शक्ति खोखली होती चली जा रही है। न इस सामाजिक स्थिति में व्यक्ति को उत्साह मिल रहा है और न व्यक्ति मिल-जुल कर समाज का स्तर उठा रहे हैं। विनाश और विघटन बढ़ रहा है और भविष्य का क्षितिज अंधकार से घिरता चला जाता है। इसको रोकने के लिये ऐसी तीव्र विचार-पद्धति का विकास आवश्यक है जो जन-मानस को झकजोर कर रखदे और विनाश की आंर बढ़ते कदमों को रोक कर उन्हें निर्माण की दशा में अग्रसर करे।

ऐसा शिक्षण शिक्षण-संस्थाओं में भी चलना चाहिये। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये। पर वर्तमान स्थिति में सरकार जिस दल-दल में फंसी है उससे उबरना ही उसे कठिन पड़ रहा है। ऐसे मौलिक सूझ-बूझ के साहस भरे कदम उठाने की फिलहाल तो उससे आशा नहीं करनी चाहिये। यह कार्य जन स्तर पर आरंभ किया जाय तो भी उसमें कुछ न कुछ प्रगति हो सकती है। आरम्भ यदि सही दिशा में किया जाय और उसका स्वरूप छोटा हो तो भी अपनी उपयोगिता के कारण उसके आगे बढ़ने की बहुत सम्भावना रहेगी। युग-निर्माण-योजना ने ऐसा ही साहस किया है।

ज्ञान-यज्ञ के अभियान के अन्तर्गत देश भर में ऐसी रात्रि पाठशालायें चलाई जा रही हैं जिनमें व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण की समस्त समस्याओं पर प्रकाश डाला जाय। इसके लिए आरम्भिक पाठ्य-पुस्तकों के रूप में यह “युग निर्माण योजना के आदर्श और सिद्धान्त” पुस्तक दो भागों में छापी गई है। इसमें प्रस्तुत विषय के छोटे-मोटे १०० पाठ हैं। यों इन पाठों को विज्ञप्तियों के रूप में अलग से भी छपा, बाँटा और पढ़ाया, सुनाया जाता है, पर यहाँ तो उनका उपयोग एक समग्र शिक्षण के रूप में किया जा रहा है।

लोग दिन भर अपना काम करते हैं। विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ते हैं। वयस्क व्यवसाय, नौकरी, कृषि आदि में लगे रहते हैं। महिलाओं को भी बहुत काम रहता है। इसलिये सबको सुविधा का समय रात्रि का ही हो सकता है। दिन छिपने के बाद और सोने से पूर्व जो भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुविधाजनक समय हो, निकालना चाहिये। न्यूनतम एक घंटा और अधिकतम दो ढाई घंटा इसके लिये लगाना चाहिये। महिलाओं के लिये तीसरे पहर का समय सुविधा का रहता है। दोपहर तक वे पहला भोजन बनाने आदि गृह कार्यों से निवृत्त हो जाती हैं और सायंकाल दिन छिपे के आस-पास कार्य होता है। उनके पास तीसरे पहर का, प्रायः २ से ५ तक का समय बचता है। इसमें से उनके लिये उनकी स्थानीय सुविधा को देखते हुये समय निर्धारित करना चाहिये।

सबसे पहला काम इस शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता जन-साधारण को समझाने की है। विकृत विचार धारा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई विभीषकाओं का चित्रण यदि उनके सामने स्पष्ट किया जा सके और यह बताया जा सके कि विचार पद्धति के परिष्कार द्वारा उत्पन्न होने वाली सत्प्रवृत्तियों का लाभ व्यक्ति और समाज को कितनी सुख-शान्ति प्रदान कर सकता है—तो लोग निश्चित रूप से इस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करना स्वीकार करेंगे। कठिनाई केवल एक ही है कि अपने देश में लोग सम्पदा का महत्त्व समझ पाये हैं और सुविधाओं तथा उपभोगों को ही सुख-साधन मानते हैं, अतः उन्हें ही महत्त्व देते हैं और प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अभी अपने देशवासियों को यह विदित नहीं हो सका कि मनुष्य की मूल-शक्ति उसकी विचारणा ही है। उसी पर हमारी भौतिक एवं आत्मिक—वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक सुख-शान्ति एवं प्रगति का आधार है। यह तथ्य समझ में आया होता तो निश्चय ही विचार निर्माण की दिशा में कहीं कुछ प्रयत्न हो रहे होते। यह क्षेत्र सूना पड़ा होने से यही प्रतीत होता है कि हम सब मानवीय समर्थता और प्रगति के मूल आधार से अपरिचित हैं। कुछ इस प्रकार का कार्य हो भी रहा है तो वह इतना उलटा और अवांछनीय है कि उससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक है। लेखनी और वाणी की शक्ति आज जिन विचारों का सृजन करने में लगी है उन्हें रचनात्मक नहीं ध्वंसात्मक ही कह सकते हैं। आवश्यकता सृजनात्मक, परिष्कृत विचारों की थी, सो उस क्षेत्र में सन्नाटा पड़ा है।

अपना प्रशिक्षण यहीं से आरम्भ होगा। जन सम्पर्क के लिये घर-घर जाकर मिलने से लेकर गाँठी, सम्मेलन, भाषण, प्रचार आदि के जा भी तरीके काम में लाये जाने सम्भव हैं, उन्हें अपना कर लोगों को परिष्कृत विचार-धारा का महत्त्व और लाभ समझाना पड़ेगा। यह बतलाना पड़ेगा कि अपनी पाठशालाएँ इसी प्रयोजन को पूरा कर शिक्षार्थी की तथा समस्त समाज की कितनी बड़ी सेवा कर सकती है। यह सब जितनी अच्छी तरह, जितने व्यापक क्षेत्र में, जितनी गहराई तक समझाया जा सकेगा, उतने ही अधिक शिक्षार्थी मिलने लगेंगे।

अपने प्रशिक्षण में शिक्षित-अशिक्षित दोनों का समान महत्त्व है। क्योंकि विवेकशीलता एवं दूरदर्शिता के क्षेत्र में दोनों ही समान रूप से पिछड़े हुये हैं। अशिक्षितों का पिछड़ापन किसी कोण में है और शिक्षितों का किसी कोण में—यह हाँ सकता है, पर सब मिलाकर दोनों का पिछड़ापन लगभग समान बजन का बैठेगा। इसलिये अपने विद्यालयों में दोनों का ही प्रवेश समान रूप से हो सकता है। नर-नारी का भी अन्तर नहीं किया जाना चाहिये। १३-१४ वर्ष से अधिक आयु के बालक, जो विचार-विद्या में—व्यक्ति और समाज का संदर्भ समझ सकने में समर्थ होंगये हैं, प्रसन्नता पूर्वक इस शिक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षित पाठ्य-पुस्तकें पढ़कर अपनी जानकारी अधिक सरलता पूर्वक बढ़ा सकते हैं, जबकि अशिक्षितों को इसे सुनकर समझना पड़ेगा। इतनी कठिनाई के अतिरिक्त और कोई विशेष अन्तर पड़ने वाला नहीं है। जिसकी समझ ही काम न करे, उसकी बात दूसरी है, अन्यथा यह शिक्षण हर वयस्क के लिए ग्राह्य एवं उपयोगी हो सकता है।

इस नव निर्माण शिक्षा-प्रणाली को दो सत्रों में बाँटा गया है। एक को पूर्वाध और दूसरे को उत्तरार्ध कह सकते हैं। उत्तरार्ध को पाठ्य पुस्तक यह है जिसकी पक्तियाँ पढ़ी जा रही हैं। “युग-निर्माण के आदर्श और सिद्धान्त”—इस पुस्तक के दो भाग हैं। एक में व्यक्ति तथा परिवार निर्माण तथा दूसरे में समाज निर्माण का प्रसंग रखा गया है। दोनों में ५०-५० पाठ हैं। एक दिन में एक पाठ पढ़ाया जाना चाहिये। इस प्रकार १०० पाठ पढ़ाने के लिये १०० दिन चाहिये। रविवार को तथा त्यौहारों को छुट्टियाँ रखी जायें तो महीने में अधिक से अधिक २५ दिन पाठशाला चल सकती है। इस प्रकार इस शिक्षण में कम से कम ४ महीने लग जायेंगे। दो महीने परीक्षा की तैयारी, पढ़े को दोहराना, परीक्षा के दिन, प्रमाण-पत्र वितरण समारोह, आरम्भ में दाखिल, शिक्षण का प्रयोजन समझने में लग सकते हैं। ये पाठ जिन पुस्तकों से लिये गये हैं उन्हें भी पढ़ना आवश्यक है ताकि सक्षिप्त जानकारी को अधिक विस्तृत बनाया जा सके। इस प्रकार पूरे छः महीने हो जाते हैं और शिक्षा का पूर्वाध पूरा हो जाता है।

छः महीने का ही प्रशिक्षण उत्तरार्ध का होगा। उसमें शिक्षार्थी को अध्यापक के रूप में परिणित किया जायगा, ताकि वह समयानुसार ऐसी ही पाठशाला स्वयं भी चला सके। सार्वजनिक न सही, अपने घर परिवार में तो इस प्रकार का प्रशिक्षण हर कोई अति आवश्यक अनुभव करेगा। अपने परिवार वालों की विचारणा

का परिष्कार किया जा सका तो यह निज का बहुत बड़ा लाभ है और कुटुम्बियों की बहुत बड़ी सेवा है। इतनी छोटी पाठशाला तो यह पूर्वार्ध वाले शिक्षार्थी भी आजोवन अपने घर-परिवार में चला सकते हैं और अपने परिवार की सच्ची समृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वैसे हर कोई अपने समीपवर्ती क्षेत्र में, गली मुहल्ले में ऐसी रात्रि पाठशाला बड़ी आसानी से चलाता रह सकता है। दो घंटे का यह सेवा कार्य उसके स्वयं के आत्म-संतोष के लिये एक बहुत बड़ा माध्यम बना रह सकता है और इस शिक्षण के सम्पर्क में आये हुये तथा उनसे सम्बन्ध रखने वाले सभी लोग भावनात्मक समृद्धि उपलब्ध करके जो लाभ उठावेंगे उस महान पुण्य फल का भागी बनता रह सकता है। यह दो घंटे जो विचार परिष्कार की पाठशाला में लगाये जायेंगे, बारीकी से देखने पर किसी भी योग-साधना या परमार्थ-प्रयोजन से कम बजन के नहीं बैठेंगे। इस प्रकार की सेवा-साधना को यदि ईश्वर-भक्ति का सर्वोत्तम प्रकार कहा जाय तो उसमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं होगी। भावात्मक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति ही देवता कहा जाता है। अन्तःकरण में उच्च भावनाओं का हिलोरे लेने लगना, ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रकाश समझा जाना चाहिये। भीतर यदि आदर्शवादिता, उत्कृष्टता उमंगती है तो उसे ईश्वर की अनुकम्पा का मूर्तिमान वरदान अथवा परमात्मा का साक्षात्कार ही माना जाना चाहिये। मनुष्य में भगवान का अवतरण करने के लिये नारद ऋषि ने प्रयत्न किये थे—पतिनपावनी गंगा का अवतरण करने के लिये भागीरथ ने तप-साधना की थी। यह पुराने युग की बात है। आज अज्ञानान्धकार में भटकती—पग-पग पर ठोकर खाती मानव-जाति का उद्धार करने के लिये ज्ञान-गंगा लाने का जो कोई भी प्रयत्न करेगा वह नारद, भागीरथ न सही, उनके पद-चिन्हों पर चलने वाला अवश्य कहा जायगा। इस दृष्टि से यह नव निर्माण की रात्रि पाठशालाएँ, देखने भर में ही छोटी हैं, वस्तुतः वे बारूद की फैक्टरी हैं, जो अपने आग्नेय साधनों से भारी विस्फोट करके, जो कुछ सामने है, उसका नक्शा ही बदल सकती हैं।

प्रथम छँ: महीने में सीखी हुई शिक्षा को अग्रगामी बनाने के लिये किस प्रकार नई रात्रि पाठशाला चलाने का—अथवा अन्य अर्थात् रचनात्मक कार्य प्रारम्भ करने एवं गतिशील रखने का प्रयोजन कैसे पूरा किया जाय—यह सारा शिक्षण अगली छमाही में—शिक्षा के उत्तरार्ध में सम्पन्न होगा। उसमें भी इसी प्रकार दूसरी पुस्तक दो खंडों में होगी और उसे भी १०० दिनों में पूरा करने और शेष दिनों को उसकी परिपुष्टि में लगाने का क्रम चलेगा। और पूर्वार्ध को भाँति ही तैयारी, स्वाध्याय, प्रश्नोत्तर, व्यावहारिक शिक्षण आदि में बाकी समय लगाने पर उसमें भी पूरे छँ: महीने लग जायेंगे। दोनों को मिलाकर एक वर्ष का पाठ्य-क्रम पूरा करके यह शिक्षण अपने छात्रों को इस योग्य बना देगा कि वे अपने व्यक्तित्व को सुविकसित, परिवार को सुसंस्कृत एवं समाज को सुसम्पन्न बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पादित कर सकें।

शिक्षक छात्रों को नियत समय पर आने का आह्वान करेंगे और ठीक समय पर उसे बन्द कर देंगे। इससे समय का मूल्य समझने और उसका सदुपयोग करने की सीख मिलेगी। स्थान की स्वच्छता पर बहुत ध्यान रखा जाय—उपकरणों की—सामान की सफाई पर भी। पाठशाला किसी सार्वजनिक स्थान—मंदिर, धर्मशाला आदि में चलाई जा सकती है। अथवा किसी सज्जन का घर, कमरा दो घंटे के लिए ऐसे उपयोग के लिए माँगा जा सकता है। स्थान सबकी सुविधा का तथा हवादार, अच्छे वातावरण का हो, इसका ध्यान रखा जाय। वैसे पेड़ों के नीचे अथवा खुले आकाश के नीचे भी वे आसानी से चल सकती हैं।

शिक्षण आरम्भ करते हुए सद्वृद्धि की देवी गायत्री का सामूहिक पाठ करना अच्छा रहेगा और यज्ञ का प्रतिनिधित्व करने के लिये धूप बत्ती जला लेनी चाहिये। भारतीय धर्म, संस्कृति का इतना प्रतीक अपने विद्यालयों के आरम्भ में रखा जा सके तो यह उत्तम परम्परा रहेगी।

अध्यापक स्वयं एक अध्याय—एक पाठ पढ़कर सुनाये। छात्र उसे ध्यान पूर्वक सुनें। शिक्षित छात्र उस पाठ को पहले से अपनी पाठ्य-पुस्तक में पढ़ कर ला सकते हैं। अशिक्षितों को सुविधा हो तो वे भी पहले ही किसी से उस पाठ को सुन सकते हैं। अन्यथा उस समय भी ध्यानपूर्वक सुनने से समझना ही सकता है।

विषय को ठीक तरह समझा गया या नहीं, इसके लिये प्रश्नांतर को प्रणाली बहुत ही उत्तम है। इससे यह पता चल जाता है कि किसकी समझ में कितनी गहराई तक बात उतर गई। किसी ने गलत समझा हागा तो भी प्रश्नांतर से स्थिति स्पष्ट हो जायगी। अध्यापक प्रश्न करे—छात्र उत्तर दे। एक ही प्रश्न को सबसे भी

पूछा जा सकता है और उनके उत्तर सुने जा सकते हैं। हर पाठ के पीछे १० प्रश्न अध्यापक को सुविधा के लिये अलग शिक्षण-पुस्तक में अंकित कर दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त उसी पाठ के सम्बन्ध में अन्य अनेकों प्रश्न उठाये जा सकते हैं। यह सब अध्यापक को सूझ-बूझ और छात्रों की मनोदशा पर निर्भर है।

यह प्रश्नोत्तर प्रणाली की शिक्षण-पद्धति सुकरात, अरस्तू और अफलातून ने अपने-अपने समय में बहुत ही उत्साहपूर्वक चलाई थी और प्रायः सभी शिक्षण संस्थाओं ने उसका स्वागत किया था। उपनिषदों और पुराण पढ़ने से प्रतीत होता है कि भारत में सदा से शिक्षण की प्रश्नोत्तर-पद्धति को पूरा-पूरा महत्व दिया जाता था। लम्बी-चौड़ी पुस्तकों में व्यक्त किया गया, गद्य के बोझ की तरह अनावश्यक ज्ञान छात्रों के मस्तिष्क में भरने से वे उसे पचा नहीं पाते। परीक्षा में पास हो सकने जिनने नम्बरो का जहाँ-तहाँ से कुछ पढ़कर प्रायः सभी छात्र अपनी गाड़ी धकेलते और अपनी चतुराई का परिचय देते पाये जाते हैं। किसी तरह पास भर ही जाते हैं, पर उनके पल्ले न कुछ के बराबर पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि किसी महत्त्वपूर्ण प्रसंग को संक्षिप्त में पढ़ा जाय किन्तु उसका विस्तृत मनन, चिन्तन, विचार-विश्लेषण करके तथ्य को भली प्रकार हृदयंगम किया जाय। अपनी शिक्षण पद्धति इसी शैली पर निर्धारित है। पाठ दो-दो पृष्ठ के छोटे-छोटे दिये गये हैं, पर वे सभी बहुत महत्त्वपूर्ण तथा सार गर्भित हैं। प्रश्नोत्तर के आधार पर इन्हें बहुत मथा और बढ़ाया जा सकता है, और उसे तब तक चर्चा का विषय रखा जा सकता है जब तक कि प्रसंग ठीक तरह समझ में न आ जाय।

इस सदर्भ में अध्यापक छोटे-छोटे कथा-प्रसंग, संस्मरण, चुटकुले, इतिहास उपाख्यान भी सुनते रहें तो शिक्षण मनोरंजक भी हो जायगा और ठीक तरह गले भी उतर जायगा। इस प्रयोजन के लिये अध्यापकों का मार्गदर्शन करने और शिक्षण-विधि सिखाने के लिए जो पुस्तक अलग से छापी गई है, उसमें प्रायः हर पाठ से सम्बन्धित कई-नई कथा-प्रसंगों का उल्लेख कर दिया गया है। प्रश्नोत्तरों की भाँति कथा प्रसंगों द्वारा तथ्य समझाने की शैली भी बड़ी प्रभावशाली है। द्वितीयदेश, पंचतंत्र जैसे अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ इसी प्रयोजन के लिये लिखे गये हैं। ईसप की नीति कथायें उसी प्रकार की हैं। शेख सादी ने गुलिस्ता-बोस्ता में यही प्रयास किया है। अपने १८ महापुराण और १८ उपपुराणों में—संस्कृत साहित्य के प्रायः तीन चौथाई ग्रन्थों में—लोक-शिक्षण उपाख्यान शैली को ही आश्रय दिया गया है इस शैली की सहायता लेकर हम अपनी शिक्षण पद्धति को बाल-वृद्ध, नर-नारी, शिक्षित-अशिक्षित सभी के लिये उपयोगी बना सकते हैं। समाचार, घटनाएँ, उदाहरण आदि भी विषय की प्रामाणिकता के लिये कहे जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर में कुछ समस्याएँ घटनाओं के साथ उपस्थित करके छात्रों से उनके हल पूछे जा सकते हैं। जैसे अनमेल वृद्ध विवाह अमुक परिस्थिति में हो रहा हो तो किसे क्या करके उसका प्रतिरोध करना ठीक रहेगा आदि। अध्यापक को सूझ-बूझ, दूरदर्शिता, मौलिकता पर ही बहुत कुछ छोड़ा गया है। प्रश्न एवं कथा प्रसंगों के कुछ उदाहरण अन्य पुस्तकायें लिखकर थोड़ा-सा अंगुलि निर्देशमात्र किया गया है। दैनिक शिक्षण समाप्त करते हुए शान्तिपाठ—शुभ कामना संकल्प “सर्वे भवन्तु सुखिनः” पढ़ना उत्तम रहेगा।

रविवार और त्यौहार छोड़ कर शेष दिन यह शिक्षण चलता रहे। पाठशाला में एक पुस्तकालय भी रहे, जिसमें से सहायक पुस्तकें घर ले जाकर छात्र अपने प्रशिक्षण को और भी अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करते रह सकें। यह पाठ वस्तुतः अपनी २५-२५ पैसे वाली ट्रेन्टमाला की पुस्तिकाओं के सारांश अथवा एक अंश है। पुरी बात समझने के लिए उस पुरी पुस्तक को पढ़ लिया जाना चाहिये। कौन-सा पाठ किस पुस्तक का अंश है; यह उल्लेख हर पाठ के अन्त में किया गया है। यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि छात्र उन मूल पुस्तकों को भी पढ़ें। जो खरीद सकें वे खरीद लिया करें अन्यथा पाठशाला के पुस्तकालय द्वारा उनकी आवश्यकता पूरी की जाय। पाठ वाली पुस्तक तो हर छात्र को अपनी ही रखनी चाहिये, ताकि समय-समय पर उसे स्वयं दुहराने तथा अपने घर परिवार में पढ़ाने-सुनाने के लिये भी उसे प्रयुक्त किया जाता रहे।

रविवार का छात्रों की विचार-गोष्ठा, भाषण-प्रतियोगिता की जाय, जिससे वे उस सप्ताह में पढ़े हुये अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। बोलना, भाषण करना भी सीखें। विद्वानों के प्रवचन, विशेष चर्चा के लिये भी वह दिन उत्तम रहेगा। नियमित छात्रों के अलावा अन्य लोग भी उस आयोजन से लाभ लेने के लिये बुलाये जायें। इस प्रकार साप्ताहिक सत्रों की एक अच्छी शृंखला भी उस शिक्षण के साथ जुड़ जायगी। पर्व, त्यौहार

मनाने की अपनी एक विशेष प्रेरणा-पद्धति है। अपने दस पर्व ऐसे हैं, जिन्हें ठीक तरह मनाया जा सके तो व्यक्ति और समाज के निर्माण की प्रेरणा एवं दिशा निरन्तर मिलती रह सकती है। सर्व साधारण को बड़ी संख्या में जनता को बुलाकर अतिरिक्त समारोह के साथ पर्व त्यौहारों के मनाने का सिलसिला यदि चलता रहे तो अपना विद्यालय केवल विद्या की वृद्धि ही न करेगा प्रकारान्तर से जनता का शिक्षण भी करता रहेगा।

साधारणतया १ जनवरी से शिक्षण आरम्भ करके ३१ मई के पश्चात् उसकी तीन दिन की परीक्षा १, २, ३ जून को रखी जाय। प्रश्न-पत्र किन्हीं विश्वस्त व्यक्ति से बनवायें। छात्र उत्तर लिखें। उत्तर देने का समय तीन घंटा पर्याप्त है। कापी जाँचने और नम्बर देने में पाठशालाएँ एक दूसरे से सहयोग करें और सहयोग लें। पाठशालाओं के प्रधानाध्यापक या विश्वस्त विद्वानों को प्रश्न-पत्र बनाने और जाँचने को नियुक्त किया जा सकता है। उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रमाण-पत्र मधुरा से भेजे जायेंगे, जिन्हें जून के अन्त तक किसी तारीख को उपाधि वितरण समारोह करके किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा छात्रों को दिलाया जाना चाहिये।

अगला उत्तरार्ध-सत्र इसी प्रकार १ जुलाई से आरम्भ हो। अक्टूबर तक पढ़ाई समाप्त करली जाय। नवम्बर तैयारी, पढ़े को समझने के लिये, एवं व्यावहारिक शिक्षण के लिये रहे। १, २, ३ दिसम्बर को परीक्षाएँ हों। उसी मास के अन्त में फिर उपाधि वितरण उत्सव किया जाय। इस प्रकार छै-छै महीने के दो सत्र हर वर्ष पूरे होते रहें।


कहा जा चुका है कि पूर्वार्ध में "युग निर्माण योजना के आदर्श और सिद्धान्त" पुस्तक के दोनों खण्डों में प्रस्तुत १०० पाठ आरम्भिक छात्रों के लिये होंगे और अगले छै मास की पढ़ाई अध्यापन की दृष्टि से है, जिसमें ऐसी पाठशालाएँ घर में तथा समाज में चलाने की शिक्षा दी जाय। इसकी भी दो पुस्तकें होंगी। जिन छात्रों ने पूर्वार्ध उत्तीर्ण कर लिया है वे उत्तरार्ध में सम्मिलित हो सकेंगे। इस प्रकार एक ही जत्था एक वर्ष में शिक्षण के दो भाग पूरे करेगा। इसे यों भी कह सकते हैं कि पूरी शिक्षा एक वर्ष में सम्पन्न होगी।

जहाँ अध्यापकों और छात्रों को प्रतिभा हो, वहाँ दोनों स्तर की शिक्षा दो क्लासों में अलग-अलग भी चल सकती है। पर जुलाई से उत्तरार्ध की शिक्षा आरम्भ होनी है। पर यदि मुविधा है तो दूसरा क्लास उसी के साथ-साथ पूर्वार्ध का भी चल सकता है। और दो वर्ग अपनी-अपनी पढ़ाई साथ-साथ जारी रख सकते हैं। इस तरह एक वर्ष में दो जत्थों की पढ़ाई भी साथ-साथ चलती और पूरी हो सकती है। १ जुलाई से शिक्षण प्राप्त कर सकने वाले नये छात्रों को जनवरी के लिये इन्तजार न करना पड़ेगा। और हर छै छै महीने बाद नये-नये छात्र प्रशिक्षण में सम्मिलित होने का आभ उठाते रह सकते हैं। इसके लिये अलग अध्यापकों और अलग कमरों की जरूरत पड़ेगी। जहाँ ऐसा सम्भव हो वहाँ उपरोक्त दुहरी व्यवस्था भली प्रकार चल सकती है।

शाखाओं को सुयोग्य, सेवाभावी अध्यापक स्वयं ढूँढ़ने पड़ेगे। उन्हें वैतनिक रखना कठिन पड़ेगा। काम अवैतनिकों से ही चलेगा। अपने परिवार में ऐसे सुयोग्य एवं सुशिक्षित सेवाभावी व्यक्ति कम नहीं हैं। उनसे अनुरोध किया जाय और कार्य की महत्ता बताई जाय तो हर शाखा को अपने लोगों में से ही अध्यापन की सेवा के लिये दो घंटा नियमित रूप से देने वाले मिल सकते हैं। एक दो उनके सहायक भी होने चाहिये जो छुट्टी आदि के अवसरों पर शिक्षण रुकने न दें और सामान्य समय में भी प्रधानाध्यापक की सहायता करते रहें। यह पाठशालायें कितनी महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगी इसे समय ही बतायेगा।

देशभक्त नव-निर्माण के कार्य में जुट जाँय

क्र० ५१



अपना समाज पिछले दो हजार वर्ष से अवसादग्रस्त चला आ रहा है। आन्तरिक दोष-दुर्गुण जैसे-जैसे बढ़ते चले गये वैसे वैसे परिस्थितियाँ भी उलझती चली गईं और पग पग पर कठिनाइयाँ बढ़ीं। व्यक्तियों के दोष-दुर्गुणों के कारण समाज कमजोर हो जाता है और कमजोर समाज का शोषण करने के लिये कोई न कोई आक्रमणकारी कहीं न कहीं से आ ही कूदता है। अपना भी यही हुआ। गिरे में लात जमाने के लिये विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे और अपने-अपने ढङ्ग से रोमांचकारी शोषण करते रहे। इस पराधीनता ने उन दोष-दुर्गुणों को और भी बढ़ाया जिनके कारण अनेक प्रकार की दुर्बलताएँ और विपत्तियाँ पहले से ही उत्पन्न हो रही थीं। अभी स्वाधीनता मिली है पर हमारे जातीय दोष दुर्गुण जहाँ के तहाँ हैं। फलस्वरूप संसार के स्वतन्त्र राष्ट्र जिस प्रकार उन्नति कर रहे हैं उनकी तुलना में हमारा पिछड़ापन नगण्य ही सुधरा है।

सरकार अपराधियों को दण्ड दे और आर्थिक प्रगति के थोड़े साधन जुटा सकती है। व्यक्तिगत मूढ़ता एवं दुष्टता को, सामाजिक भ्रष्टता एवं अस्त-व्यस्तता को मिटाना उसके बलबूते की बात नहीं। अधिनायकवाद की बात दूसरी है। प्रजातन्त्र में यह बात नहीं। प्रजातन्त्र में व्यक्ति अथवा समाज सुधार का कार्य लोकसेवियों पर निर्भर रहता है। उन्हीं की सत्ता, व्यक्ति या समाज का स्तर उँचा उठा सकने में समर्थ हो सकती है। प्राचीन काल में देश का गौरव उच्च शिखर पर पहुंचाये रखने का सारा श्रेय यहाँ के लोकसेवियों को है। वे अपना सारा समय दो कार्यों में खर्च करते थे। १—अपना व्यक्तित्व उच्चकोटि का विनिर्मित करना, ताकि जनता पर उसका उचित प्रभाव पड़ सके। २—निरन्तर अथक परिश्रम तथा अनवरत उत्साह के साथ जन-मानस में उत्कृष्टता भरने के लिये संलग्न रहना। साधु-ब्राह्मण और वानप्रस्थों की यही परम्परा एवं कर्म पद्धति थी। उनकी संख्या जितनी बढ़ती थी उसी अनुपात से राष्ट्रीय जीवन की हर दिशा में समृद्धि का अभिवर्धन होता चलता था। यही रहस्य था अपने गौरव-मय इतिहास का। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वे तीनों ही संस्थाएँ आज नष्ट हो गईं। ब्राह्मण, साधु और वानप्रस्थ तीनों ही दिखाई नहीं पड़ते। उनकी तस्वीरें और प्रतिमाएँ बड़ी संख्या में धूमती-फिरती नजर आती हैं पर उनका लक्ष्य, आदर्श और कर्तृत्व सर्वथा 'अपरीत' हो गया, ऐसी दशा में उनकी उपयोगिता भी नष्ट हो गई।

दुर्भाग्य का रोना रोने से काम न चलेगा। अभाव की पूर्ति दूसरी तरह करनी होगी। हम गृहस्थ लोग ही थोड़ा-थोड़ा समय निकाल कर लोक-मंगल की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करना अपना धर्म कर्तव्य समझें और उसके लिए निरन्तर कुछ न कुछ योगदान देने के लिये तत्परता प्रकट करने लगे तो उस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, जिस पर प्रगति का सारा आधार अवलम्बित है। यदि हमारे मन में राष्ट्रीय प्रगति और सामाजिक उन्नति के लिये व्यक्तिगत लाभों जैसी दिलचस्पी पैदा हो जाय तो हम व्यस्त दिखाई देने वाले लोग भी थोड़ा-थोड़ा योगदान देकर ऐसे सामूहिक अभियान चला सकते हैं जिनसे वर्तमान दुर्दशा का कायाकल्प होने में देर न लगे। आवश्यकता ऐसे लोगों की है कि जिनके अन्तःकरण में देशभक्ति, समाज-सेवा परमार्थ एवं लोक मंगल के लिये कुछ करने की उमंग भरी भावनाएँ लहरा रही हों। ऐसे ही नर रत्न अपना जीवन घन्य करते हैं अपने समय की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ सम्पादित करते हैं।

यों राजनीतिक पार्टियों के पास अभी भी बहुत कार्यकर्ता हैं पर वे राजनीति को ही सब कुछ मान बैठे हैं। सत्ता-संघर्ष में, यश, पद पाने में ही उनकी प्रधान अभिरुचि है। कूटनीति में जिम तरह की तिकड़में भिड़ानी

एव विडम्बनायें जुटानी पड़ती हैं। उन मबके अभ्यस्त हानेसे वे व्यक्तिगत आत्म-बलभी खो बैठते हैं और ऐसे रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि भी नहीं रहती है। उनका दर्दा भी सन्त-महन्तों की तरह अपनी पूजा, महिमा और गद्दी बनाने की दशा में ही लुढ़कने लगता है। जो जिम ढाँचे में ढल गया उसके लिये बदलना मुश्किल पड़ता है। इस लिये राजनीतिक क्षेत्र में लगे हुए लोगों से भी उनकी मनोभूमि को देखते हुए आशा करनी कठिन है कि देश की प्रगति के लिये नितान्त आवश्यक जन-मानस का परिष्कार—रचनात्मक अभिवर्धन—व्यक्ति और समाज की दिशाएँ मोड़ने का अभियान उनके द्वारा सम्भव हो सकेगा। यह नया कार्य एक नये वर्ग को करना चाहिए। धार्मिकता के सहारे भावनात्मक नव-निर्माण की दशा में जो जुट सकें—साधु ब्राह्मण की परम्परा को गृहस्थ रहकर भी निवाह सकें—ऐसे व्यक्तियों की आज नितान्त आवश्यकता है। इम आवश्यकता की पूर्ति के लिये सबसे पहले हमें आगे आना चाहिये ताकि दूसरों को भी उसी मार्ग पर अनुगमन करने की प्रेरणा मिल सके।

भावनात्मक नव-निर्माण की आवश्यकता का महत्व समझने वाले और उसके लिए कुछ त्याग-बलिदान करने की हिम्मत करने वाले लोगों का एक वर्ग हर जगह ढूँढा जाना चाहिये। उसे संगठित किया जाना चाहिये। क्योंकि एकांकी प्रयत्नों का परिणाम बहुत बड़ा नहीं होता। सम्मिलित शक्ति द्वारा किये गये संगठित प्रयत्नों का चमत्कार सदा से होता रहा है। उसी की आवश्यकता आज भी है। लोक-मंगल के लिये किये गये सामूहिक सत्प्रयत्न यदि सज्जनों द्वारा आरम्भ किये जाँय तो उनसे जन-मानस के परिष्कार में—भावनात्मक नव-निर्माण में—भारी महायना मिले और प्रगति के पथ का सबसे बड़ा अवरोध सहज ही दूर हो जाय।

कितने ही काम हैं जो ऐसे सत्प्रयत्नों द्वारा सम्पन्न किये जा सकते हैं। (१) प्रेरक विचारधारा प्रस्तुत करने वाले ज्ञान-मन्दिरों की—प्रेरक पुस्तकालयों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण इस दिशा में सबसे पहला काम है। यदि व्यवस्थित रूप से वह प्रक्रिया पूरी की जा सके तो विचार-क्रांति का महायज्ञ बड़ी सफलता पूर्वक सम्पन्न होगा और उससे प्रबुद्ध पीढ़ी विनिर्मित होते हुये और उसके कर्तृत्व से वर्तमान दुर्दशा समाप्त होते हुये हम अपनी आँखों देखेंगे। (२) अशिक्षा दूर करने—८० प्रतिशत अशिक्षित लोगों को साक्षर बनाने का काम बहुत ही महत्व-पूर्ण है। इसके लिये सरकारी, गैर सरकारी प्रयत्नों से विभिन्न स्तर के शिक्षण प्रयत्नों की वृद्धि होनी चाहिए। प्रौढ़-पाठशालाओं और रात्रि-पाठशालाओं की इस सन्दर्भ में महती आवश्यकता है। (३) व्यायामशालाएँ, खेलकूद, शस्त्र संचालन और शरीर बल प्रदर्शन की प्रतियोगिताएँ। (४) देहाती क्षेत्रों में स्वच्छता आंदोलन। नये ढङ्ग के टट्टी-घर पेशाव घर, सोखता, नाली, कूड़े के लिये गड्ढे, गोबर न जलाने, मिल-जुलकर गाँव की सफाई करने जैसी प्रवृत्तियाँ पैदा करके ग्रामीण जीवन में व्याप्त गन्दगी को दूर करने का अभियान। (५) खर्चीली विवाह-शादियों के स्थान पर बिना खर्च के आदर्श विवाहों का प्रचलन। मृत्यु-भोज, भूत-पलीत, भिक्षावृत्ता, पर्दा, ऊँच-नीच, बाल विवाह जैसी अगणित सामाजिक कुर्गीतियों को हटाने के लिये विभिन्न स्तरों के प्रचार, विरोध एवं प्रतिरोधात्मक आंदोलन का सृजन एवं नेतृत्व। (६) भावनात्मक नव निर्माण के लिये, साहित्य, संगीत कला, अभिनय, चित्र-प्रदर्शनी, प्रवचन, सम्मेलन आदि के समस्त प्रचार साधनों का प्रारम्भ एवं अभिवर्धन। (७) शाक, फल, फूल, वृक्ष आदि उगाने, अन्न बचाने, झूठन न छोड़ने, दावतों पर नियंत्रण, सुधरे ढङ्ग की कृषि, पकाने तथा खाने सम्बन्धी जानकारी, कम ईंधन से जलने वाले चूल्हे आदि के द्वारा खाद्य समस्याओं का समाधान। (८) धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के लिये व्यापक एवं प्रखर प्रशिक्षण व्यवस्था। व्यक्तिगत जीवन में सत्प्रवृत्तियों के समावेश को प्रोत्साहन, सत्कार्यों का अभिनन्दन। (९) जीव दया, पशु-पक्षियों के साथ सद्व्यवहार। (१०) गृह-उद्योगों का व्यापक प्रचलन। फैशन, फिजूलखर्च एवं अपव्यय को निरुत्साहित करना।

इन दशसूत्री कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में हमें अपनी परिस्थिति एवं सुविधा के अनुरूप योजनाएँ बनाकर कार्य संलग्न होना चाहिये। इस दिशा में किये गये प्रयत्न ही राष्ट्रीय प्रगति के आधार बनेंगे।

‘युग निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण’ पुस्तिका से

नागरिक कर्तव्य पालें और समाज में स्वस्थ परम्परा डालें ।

क्र० ५२

समाज में स्वस्थ परम्पराएँ कायम बनी रहें उसी से अपनी और सबकी सुविधा बनी रहेगी । यह ध्यान में रखते हुए हममें से प्रत्येक को अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करने में भावनापूर्वक दत्तचित्त होना चाहिये । समाज सबका है । सब लोग थोड़ा-थोड़ा बिगाड़ करें तो सब मिलकर बिगाड़ की मात्रा बहुत बड़ी हो जायेगी । किन्तु यदि थोड़े-थोड़े प्रयत्न सुधार के लिए चल पड़ें तो उम सुधार से सब मिलाकर सुधार भी बहुत हो सकता है । उचित यही है कि हम सब मिलकर अपने समाज को सुधारने, सचालित करने और स्वस्थ परम्पराएँ प्रचलित करने का प्रयत्न करें और सभ्य, सुविकसित लोगों की तरह भौतिक एवं आत्मिक प्रगति का सुख संतोष प्राप्त कर सकें ।

दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा और स्वतन्त्रता को स्वेच्छापूर्वक सीमित करना, सभ्य देश के सभ्य नागरिक का कर्तव्य है । स्वच्छता को ही लीजिए, कहीं भी नाक, थूक माफ करना, पान तमाखू की पीक डाल देना, अपने लिए कुछ दूर जाने का कष्ट भले हो बचावे पर दूसरों को घृणा असुविधा पैदा होगी और यदि अपने को कोई रोग है तो उसका आक्रमण उस गन्दगी में आने-जाने वाले पर होगा । यदि भले ही कोई रोकें नहीं पर हमारा नागरिक कर्तव्य है कि दूसरों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वयं उस गन्दगी को डालने के योग्य उपयुक्त स्थान तक जाकर उसे माफ करें । बीड़ी-सिगरेट हम पीते हैं तो ध्यान रखें कि अपने अस्वच्छ धुआं छोड़ने से पाम में बैठे हुए दूसरे लोगों की तबियत खराब तो नहीं होती, स्वयं हां पता लगायें कि किसी को असुविधा तो नहीं होती । यदि हमारी उस क्रिया से दूसरों को तकलीफ होती है तो सभ्यता का तकाजा यही है कि कहीं अन्यत्र जाकर बीड़ी पियें और धुआं छोड़ें ।

घरों की गन्दगी लोग अक्सर गली या सड़क पर डाल देते हैं, उसमें रास्ता निकलने वालों को असुविधा होती है और मार्बजनिक स्थानों की स्वच्छता अस्व-व्यस्त होती है । उचित यही है कि घरों में कूड़ेदान रखें और जब सफाई कर्मचारी आवें तब उसे उठवा दें । छोटे बच्चों को अपने घरों में ही टट्टी कराने का प्रबन्ध करना चाहिए । यह अनुचित है कि गली की नाली के ऊपर उन्हें बिठावें और गन्दगी, बदबू तथा अशोभनीय अस्वच्छता से उसे गली में रहने वाले तथा निकलने वालों को कष्ट पहुँचावें । छत की ऊपरी मंजिल से फूटा घड़ा फेंक देने से एक बार उस रास्ते से निकलने वाले बच्चे का सिर फूट गया और उसकी मृत्यु हो गई । मार्बजनिक स्थानों की स्वच्छता और व्यवस्था ही नष्ट करना यह बताता है कि इन घिनौने व्यक्तियों को मनुष्यता के आरम्भिक कर्तव्य—नागरिकता—तक का ज्ञान नहीं है ।

मुसाफिरखाने, धर्मशाला, पार्क, नदी किनारे, सिनेमाघर आदि सबके काम में आने वाले स्थानों में लोग जहाँ-तहाँ रद्दी कागज, दोने, पत्ते, सिगरेट के खोंखे, मूँगफली के छिलके आदि पटकते रहते हैं और देखते-देखते स्थान गन्दगी से भर जाते हैं । रेल गाड़ियों के डिब्बों में जहाँ हर आदमी को घिचापिच बँठना पड़ता है ऐसी गन्दगी बहुत ही खबरती है । संडासों में मलमूत्र का विसर्जन गलत स्थान पर करने से वहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दूसरों को उसका उपयोग करना कठिन पड़ता है । जब कि कितने ही मुसाफिर खड़े चल रहे हैं तब कुछ लोग बिस्तर बिछाये टाँग लम्बी किये लेटे रहते हैं और उठाने पर झगड़ते हैं । इन लोगों को मनुष्यता की आरम्भिक शिक्षा सीखनी ही चाहिये कि सार्वजनिक उपयोग के स्थान या वस्तुओं का उनना ही उपयोग करें जितना कि अपना हक है । थर्ड क्लास के डिब्बे बँठने भर के लिए हैं ! खाली हो तो कोई लेट भी सकता है । पर जब कि अनेकों मुसाफिर खड़े या लटकते चल रहे हैं और चन्द लोग लेटने का ऐसा आनन्द उठावें जिसे प्राप्त करने का उन्हें हक नहीं है तो फिर उसे डीठता या पशुता ही कहा जायेगा ।

प्रसिद्ध भारत भक्त अंग्रेज सी. ऐफ. एन्ड्रूज ने अपना जीवन हमारे देश की सेवा के लिए समर्पित किया उनके बयोवृद्ध पिता का पैर सड़क पर पड़े हुए केले के छिलके पर से फिमला—वे नाली में गिरे—पैर टूटा—अस्पताल में पड़े रहे जहाँ उनकी मृत्यु का जिम्मेदार वह व्यक्ति था जिसने केले खाने की धुन में छिलका कहाँ फेंकना चाहिये इसका

ध्यान नहीं रखा। ऐसे ही लापरवाही से उन्हें सड़क पर फंक्ता चला गया। यदि उसने केले खाते या छीलते हुए यह सोचा होता कि इस प्रकार सड़क पर छिलका फेंकने से दूसरों का पैर फिसल सकता है और उसे घातक चोट लग सकती है तो जरूर उसे छिलका फेंकने के लिए धैर्यपूर्वक उसके लिए उचित स्थान तलाश करने की बात याद रहती। पर जहाँ दूसरों की सुविधा की बात कभी ध्यान में ही आती न हो वहाँ ऐसा विचार करने का कष्ट कौन उठाये? नारंगी आदि के छिलके लोग यों ही फेंकते रहते हैं और आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

कितने ही लोग गाय पालते हैं और दूध दुह कर उन्हें आवारा यह समझ कर छोड़ देते हैं किसी की चीजें खाकर अपना पेट भर लायेगी और हमें दूध देगी। गो माता के प्रति प्रचलित श्रद्धा के आधार पर कोई उसे मारेगा नहीं और अपना काम बन जायगा। इस तरह वह गाय लोगों की वस्तुएँ खाकर, बखेर कर दूसरों का रोज नुकसान करती और पिटती कुटती रहती हैं। इस तरह दूसरों को कष्ट देना तथा स्वयं लाभ उठाने को क्या कहा जाय? स्वयं कीर्तन करने का मन है तो अपने घर में पूजा के उपयुक्त मंद स्वर में प्रसन्नता पूर्वक करें। पर लाउडस्पीकर लगाकर रातभर धमाल मचाने और पड़ोस के बीमारों, परीक्षार्थियों तथा अन्य लोगों की नीद नष्ट करने वाली ईश्वर भक्ति से भी पहिले हमें अपनी नागरिक मर्यादाओं और जिम्मेदारियों को समझना चाहिये। जिसका अर्थ है कि दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वेच्छा को स्वेच्छापूर्वक सीमाबद्ध करना।

वचन का पालन और ईमानदारी का व्यवहार मनुष्य का प्राथमिक एवं नैतिक कर्तव्य है। जिस समय पर जिससे मिलने का कोई वस्तु देने या काम पूरा कर देने का वचन दिया है। उस वचन को ठीक समय पर पूरा करने का ध्यान रखना चाहिये ताकि दूसरों को असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि हम दर्जी या मोची हैं तो उचित है कि वायदे के समय पर उसे देने का शक्ति भर प्रयत्न करें। बार-बार तकाजे करने और निराश वापिस लौटने में जो समय खर्च होता है और असुविधा होती है उसे देखते हुए ऐसे दर्जी/धोबी अपनी प्राप्त मजूरी से ग्राहक को चौगुना-दसगुना नुकसान कर देते हैं। भाषण करना है तो हमें ठीक समय पर पहुँचना और नियमित समय में ही पूरा करना चाहिये। समय का ध्यान न रखना सुनने वालों के साथ सरासर बेइन्साफी है। दावत जिस समय की रखी है। उसी समय आरम्भ कर देनी चाहिये। मेहमानों को घण्टों प्रतीक्षा में बिठाये रहना—एक प्रकार से उनका समय बर्बाद करना है। जिसे घन की बर्बादी के समान ही हानिकारक समझा जाना चाहिये।

वस्तु का मूल्य और स्वरूप जो बताया गया है वही वस्तुतः होना चाहिये, असली में नकली की मिलावट कर देना, दामों में घिसा पिटी करके कमीवेशी करना व्यापार करने वालों के लिए सर्वथा अशोभनीय है। नागरिक कर्तव्य की अवहेलना है। दाम अधिक बताया पीछे फिर घिस घिस कर कमी करना, अपनी विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता पर कलङ्क लगाना है। असली और नकली अलग-अलग बेची जायें और उनके दाम वैसे ही मंहंगे, सस्ते स्पष्ट किये जाँय तो व्यापारी की साख बढ़ेगी और ग्राहकों का समय बचेगा तथा संतोष होगा। एक दुकानदार असली लालमिर्च बेचते थे और उचित दाम बताते थे जो बाजार के हिसाब से कुछ मंहंगे पड़ते थे। ग्राहक जब पूछते तो पिसा हुआ गेरू सामने रखकर वे पूछते आप जितना कहें उतना गेरू मिर्चों में मिला दूँ। उतने ही दाम सस्ते हो जायेंगे। दूसरी दुकान पर बिकने वाली लाल मिर्चों का नमूना मँगाकर वे पानी में धोलते और नीचे जब गेरू बैठ जाता तब कहते यह मिलावट ही सस्तेपन का कारण है। ग्राहक वस्तु स्थिति समझ जाता और फिर सदा उसी दुकान से मंहंगे दाम के शुद्ध मसाले खरीदता। ईमानदारी घाटे का सौदा नहीं है। वह प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की परीक्षा भर चाहती है। इस कसौटी पर सही होना हर व्यवसायी का नागरिक कर्तव्य है। यह कर्तव्य पालन व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ाता है और व्यवसाय भी।

दूसरों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा को सीमाबद्ध रखना, शिष्टता और सभ्यता भरा मधुर व्यवहार करना और भीठे वचन बोलना, वचन का पालन करना, प्रामाणिकता और विश्वस्तता की रीति-नीति अपनाना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभाना नागरिक कर्तव्यों का शुभारम्भ है। इतना तो हममें से प्रत्येक को सीखना और करना ही चाहिये, अपने आचरणों से समाज में स्वस्थ परम्पराओं का प्रचलन करके हम वह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे सभ्य समाज में शिष्ट नागरिकों की तरह हम ठीक जी सकें और दूसरों को जीने दे सकें।

‘व्यक्तिवाद नहीं’ समूहवाद’ पुस्तिका से

व्यक्तिगत स्वार्थ भी सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है।

क्र० ५३



मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसकी प्रक्रियाका इतिहास यही प्रतिपादित करता है। पारस्परिक सहकारिता और उदारता के भावनात्मक सद्गुणों ने वह स्थिति पैदा की जिसके अनुसार लोग एक दूसरे को अपना बौद्धिक और क्रियात्मक सहयोग दे सकें और इस विनिमय ने ज्ञान, अनुभव, साधन, उत्पादन, चिन्तन एवं विकास के अनेक द्वार खोले। इसी सड़क पर चलता हुआ दुर्बल मानव प्राणी वर्तमान स्थिति तक पहुँच सकने में समर्थ हुआ है। यदि वह एकाकी, अपने आप तक सीमित, स्वार्थी सहयोग में रुचि न लेने वाला और अनुदार रहा होता तो प्रकृति के झंझाबातोंमें संभव है उसका अस्तित्व ही—अनेक प्रागैतिहासिक प्राणियों की तरह लुप्त हो गया होता। ऐसा न होता तो भी सहयोग साधना के बिना उसका वर्तमान विकसित स्थिति तक पहुँच सकना असंभव था। बुद्धि की महत्ता बहुत मानी जाती है और श्रेय भी उसी को दिया जाता है पर तथ्य यह है कि बुद्धि का विकास भी सामाजिक और परस्पर सहयोग की मूल मानवीय प्रवृत्ति द्वारा ही संभव हुआ। इस प्रवृत्ति को चाहे तो मानव धर्म का मूल आधार भी कह सकते हैं।

आज मनुष्य की आत्मनिर्भरता का अधिकांश भाग समाज के स्वरूप, स्तर और सगठन पर निर्भर है। वह ढाँचा जहाँ जितना मजबूत सुव्यवस्थित और सुसंज्जत है, वहाँ व्यक्ति को विकसित होने की सुविधा उतनी ही अधिक मिल सकती और उतना ही आनन्द, उत्साह का वातावरण बन जाता है। जहाँ यह व्यवस्था जितनी घटिया और विसंगतियों में भरी है वहाँ उतनी ही असुविधायें और पीड़ाएँ नागरिकों को सहनी पड़ती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक दर्शन शास्त्र—समाज शास्त्र—मनःशास्त्र एक ही प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं का जितना ध्यान रखता है और प्रयत्न करता है उससे कम नहीं अधिक ही समाज की सुव्यवस्था और उज्ज्वल परम्परा बनाये रखने में भी सचेष्ट रहना चाहिए। इसी मनोवृत्ति को देशभक्ति, नागरिकता, कर्तव्यनिष्ठा, लोकसेवा परायणता, सज्जनता आदि नाम से पुकारते हैं।

किसी जमाने में व्यक्ति वन्य पशुओं की तरह एकाकी और आत्मनिर्भर रहा हो पर आज तो उसकी स्थिरता, सुविधा, व्यस्तता, प्रगति और प्रसन्नता सब कुछ समाज व्यवस्था पर निर्भर हो गई है। अन्न दूसरे उगाते हैं तब अपने को रोटी मिलती है। चौका में काम आने वाले बर्तन आदि उपकरण दूसरों ने बनाये हैं। वस्त्र, साबुन, जूते, कंधा, तेल जो उपलब्ध हैं, अन्यत्र बने हैं। इन्हें हम तक पहुँचाने में जिन यन्त्रों, वाहनों और साधनों का प्रयोग हुआ है वे दूसरे के बनाये हैं। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के लिए हमें पूर्णतया दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि यह सुविधायें न मिल सकें तो तथा कथित एकाकी और अतिसीमित जीवन जी सकने की इन दिनों कल्पना कर सकना भी कठिन है।

डाकखाना, तार, रेल, मोटर, जहाज, रेडियो, सड़क, पुल, स्कूल, प्रेस, पुस्तकें, अस्पताल, कारखाने, बिजली आदि साधनों के बिना हम किस स्थिति में पहुँच जायेंगे इसकी कल्पना करने पर पता चलता है कि उनके बिना हम क्या रह जायेंगे। सरकारी स्तर पर पुलिस, कचहरी, जेल, फाँसी, सेना कानून, नियन्त्रण, निरीक्षण, शिक्षा व्यवस्था आदि के जो कार्य चलते हैं, यदि वे न रहें तो सुरक्षा और व्यवस्था का सारा ढाँचा ही लड़खड़ा जाय और सर्वत्र अनिश्चितता, आशंका और अशान्ति की काली घटायें ही छाई दीखें। कवि, कलाकार, गायक, साहित्यकार, चित्रकार सन्त, सुधारक, लोकसेवी प्रतिभायें यदि अपने अनुदान देना बन्द कर दें तो सर्वत्र नीरसता और कर्कशता ही दीखे। गम्भीरता से विचार करें तो प्रतीत होगा कि अपना और अपने परिवार का वर्तमान तथा भविष्य बहुत कुछ समाज की स्थिति पर निर्भर करता है। चोर, गुण्डे, दुष्ट, दुराचारियों का बाहुल्य ही चले और हम उनके दायरे में घिरे रहें तो व्यक्तिगत रूप से सज्जन और धार्मिक होते हुए भी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और आये दिन

अवांछनीय एवं आक्रमणात्मक दुष्टता का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में अपनी सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था और भविष्य की आशा सब कुछ धूमिल तमसावृत बन जायगी।

यह भली प्रकार समझ लिया जाना चाहिए कि समाज की स्थिति अच्छी रहना व्यक्ति की प्रगति और शान्ति की गारंटी है। यदि वह बिगड़ती है तो भी कोडं चैन से न बैठ सकेगा। अपने देश में इन दिनों बड़ी हुई अशिक्षा, मूढ़ता, अनैतिकता, और असामाजिकता ने प्रगति का पथ कितना अवरुद्ध कर रखा है तथा पग-पग पर कितने कंठक बखेर रखे हैं, उसका प्रभाव हम अपने वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन पर पड़ता हुआ प्रत्यक्ष देखते हैं। मिलावट भरे और नकली खाद्य पदार्थ ही विवश होकर खरीदने पड़ते हैं और उनके कारण स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। नकली दवा-दारू और ओछे चिकित्सकों ने हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, कुसंस्कारी बच्चों के साथ मिलने-जुलने पर अपने बालक वैसे ही आवारा हो गए। पक्षापाती और अनाचारी अफसरों के नीचे रहने से प्रगति के द्वार बन्द हो गये। गन्दे माहित्य, चित्र, फिल्म और गायनों ने घर की नई पीढ़ी को कुमार्गगामी कर दिया। चोरो ने श्रम संचित पूंजी चुरा कर दीन दरिद्र बना दिया, गुण्डा तत्वों ने हमारी नींद हराम कर दी। रिश्वतखोरों के कारण हमारा उचित काम ही न सका जबकि दूसरों ने उसी आधार पर अपने अनुचित कार्य आनन-फानन में करा लिए।

यह एक झंकाई है जो बनाती है कि सामाजिक अस्त-व्यस्तता की परिस्थिति में व्यक्ति की प्रगति, शान्ति और सुरक्षा असंभव है। इसलिए व्यक्तिगत सुख सुविधाएँ बढ़ाने की तरह ही हमें सामाजिक सुव्यवस्था की बात परमार्थ देशभक्ति के आधार पर ही नहीं व्यक्तिगत सुविधा की दृष्टि से भी मोचनी चाहिए। सीमा पर सेना नियुक्त कर के ही हम अपने नगर में शत्रु देशों के आक्रमण से बचे हुए हैं अन्यथा यदि अलग-अलग लोग अपनी २ सुरक्षा का प्रबंध करते तो आक्रमणकारी सामंत युग की तरह कल्लेआम करने, सारे शहर को लूट करने और समर्थ नर-नारियों को गुलाम बनाकर घसीट ले जाने के कुकृत्य आज भी कर रहे होते। सेना की नियुक्ति हर सीमा पर करके हमने अपने घर, नगरों की सुरक्षा का ही प्रबंध किया है। इसी तरह हम समाज निर्माण और समाज सुधार के कामों में दिलचस्पी लेते और योगदान देते हैं तो न केवल अपनी वरन् अपने स्वजन संबन्धियों की सुख-सुविधा भी बढ़ाते हैं। स्वार्थ और परमार्थ का सुन्दर समन्वय इसी में है कि व्यक्ति अपनी ही नहीं सारे समाज की प्रगति एवम् व्यवस्था पर पूरा-पूरा ध्यान दें।

सुविकसित समाजों में व्यक्ति की सुरक्षा और प्रगति सुनिश्चित रहती है। बुढ़ापे के लिए वृद्ध-गृह, अशक्तों को पेंशन, रोगियों को चिकित्सा, बालकों को शिक्षा का अच्छे से अच्छा प्रयत्न सामाजिक स्तर पर बड़ी खूबसूरती के साथ हो सकता है। प्रगतिशील देशों में वैसा ही भी रहा है। बुढ़ापे या अशक्तता के लिए अपनी चिन्ता करते रहने में उतना सार नहीं है जितना इस बात में है कि समाज को सुविकसित करके इस योग्य बना दिया जाय कि हमारी और हमारे तरह के दूसरे लोगों की सुनिश्चितता का भार उठा सकने योग्य समाज की स्थिति को बना दिया जाय। बच्चों के लिए धन छोड़ जाने पर भी कोई निश्चिन्तता नहीं, पर यदि समाज हर व्यक्ति को उचित काम देने में मगर्थ हो जाता है तो बच्चों के लिए उत्तराधिकार में धन न छोड़ जाने पर भी यह निश्चिन्तता बनी रहेगी कि उन्हें रोटी कमाने और सुख से रहने के साधन मिल जायेंगे।

व्यक्तिगत स्वार्थपरता जिसमें मनुष्य अपने और अपने बच्चों के लाभ भर की बात सोचता है वस्तुतः एक मानसिक ओछापन और बौद्धिक सङ्कीर्णता भर है। हमें ध्यान रखना होगा कि मनुष्य तेजी से कठोर सामाजिकता के बन्धनों में आवद्ध होता चला जा रहा है। विज्ञान ने सारी दुनियां को एक कर दिया है और दूरी को समीपता में बदल दिया। ऐसी दशा में सारा मानव समाज एक कुटुम्ब की तरह बन चला है। कुटुम्ब में एक आदमी मिठाई खाये और दूसरे भूखों मरें तो मिठाई खाने वाले को सङ्कट में फंसना पड़ेगा। इसी प्रकार समाज का पिछड़ापन रहते-व्यक्तिगत उन्नति, समृद्धि और शौक मौज के स्वप्न देखना सर्वथा अदूरदर्शिता है। हममें से प्रत्येक को समय, श्रम, मन और धन समाज को समुन्नत बनाने में व्यक्तिगत स्वार्थों की सुरक्षा की दृष्टि से भी लगाना चाहिए। क्योंकि सुव्यवस्थित समाज रचना पर ही व्यक्तिगत सुविधाओं की स्थिरता पूर्णतया निर्भर रहती है।

—‘व्यक्तिवाद नहीं समूहवाद’ पुस्तिका से।

प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जाना—युग की अनुपेक्षणीय मांग

क्र० ५४

शिक्षा रहित व्यक्ति एक प्रकार से अन्धा है। जीवनोपयोगी जानकारीयाँ आँख-कान के द्वारा ही प्राप्त नहीं हो जाती वरन् उनका वास्तविक आधार तो साहित्य है। जिसके आधार पर, बिना दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षण दिए, अपने आप व्यक्ति लोक परलोक की—देश विदेश की—अगणित सद्प्रवृत्तियों की उपलब्धि एवं दुष्प्रवृत्तियों की विर्भाषिका से परिचित हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प, त्रिकित्सा, अर्थ, शासन, धर्म, अध्यात्म आदि न जाने कितनी ज्ञान धारायें हमें साहित्य के द्वारा मिलती हैं और उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर न जाने कितनी प्रतिभायें और क्षमताएँ विकसित होती हैं। कहना न होगा कि यह मत्साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो सकने वाला ज्ञान केवल उन्हें ही प्राप्त हो सकता है जो शिक्षित हैं। अशिक्षित बेचारा तो उतना ही जान सकता है जितना उसने आँखों से देखा और कान से सुना है। इस आधार पर ज्ञान प्राप्त कर सकने की मर्यादा और संभावना बहुत ही स्वल्प है। अतएव अशिक्षित व्यक्तियों को ज्ञान परिधि बहुत ही छोटी रहने से उनके मानसिक विकास की व्यवस्था भी नगण्य जितनी ही बन पाती है। यही कारण है कि अशिक्षितों को अर्धअन्ध—अर्धविकसित या अर्ध मनुष्य कहते हैं। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रगति शिक्षित होते हुए भी न कर सके यह हो सकता है पर जिस किसी ने कुछ कहने लायक भौतिक या आत्मिक उन्नति की है वह बिना शिक्षा का सहारा लिए वैसा कर सका है ऐसा नहीं देखा गया। शिक्षा निस्सन्देह मनुष्य की एक महती आवश्यकता है और उसे पूरा किया ही जाना चाहिए।

अशिक्षा एक अभिशाप है जिसे दूर किए बिना कोई समाज प्रगति के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी प्रगति की कामना करने के साथ सर्वप्रथम साक्षरता की समस्या को हाथ में लेना चाहिए। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारत में लगभग ८० प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं। यदि सरकारी प्रयत्न इस दिशा में गहरे और गम्भीर होते तो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद विगत २३ वर्षों में यह समस्या बहुत ही सरलता से हल हो गई होती। पर दोष अपने दुर्भाग्य का ही है जिसने हमें क्यूबा सरीखी चेतना नहीं दी। 'क्यूबा' अमेरिका महाद्वीप में एक छोटा देश है। वहां भी दस वर्ष पूर्व निरक्षरता की ऐसी ही समस्या थी। सरकार ने ग्रेजुएटों को उपाधि पत्र देने से पूर्व यह प्रतिबन्ध लगाया कि उन्हें ५ निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने की अपनी समाज सेवा का परिचय देना चाहिए। इसी प्रकार सरकारी नौकरों पर उन्नति के पद पाने की योग्यता सिद्ध करने के लिए अपनी लोक सेवा प्रवृत्ति का परिचय ४ निरक्षरों को साक्षर बना देने का नियम बना दिया। फलस्वरूप मुशिक्षित और सरकारी वर्ग के लोग निरक्षरता निवारण के प्रयत्नों में जुट गए और देखते-देखते साक्षरता की समस्या हल हो गई। अपने देश में ऐसा कभी कुछ हो सकेगा इसकी अभी तो प्रतीक्षा ही की जा सकती है।

जो सरकारी प्रयत्न शिक्षा प्रसार के चल रहे हैं वह बहुत ही अपर्याप्त हैं। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से स्कूलों की अभिवृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। फलस्वरूप शिक्षा प्रसार में बढ़ाई जाने वाली धन राशि में हर वर्ष वृद्धि होते चलने पर भी निरक्षरता का प्रतिशत बहुत ही धीमी गति से सुधर रहा है। यह प्रगति चींटी की चाल जैसी है और उसके ऊपर निर्भर रहा गया तो साक्षरता प्रसार की समस्या, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए नितान्त आवश्यक है, बहुत लम्बी—अप्रत्याशित अवधि में कहीं जाकर पूरी हो सकेगी।

[१५

इस को हमें गैर सरकारी स्तर पर संभालना होगा और जन सहयोग से लोक सेवा की प्रवृत्तियों को जगाकर देशभक्त और उदार मनोवृत्ति के सज्जनों का सहयोग लेकर पूरा करना होगा। बच्चों की समस्या और व्यवस्था तो सरकारी स्कूल भी हाथ में ले सकते हैं, पर वयस्कों की तीन चौथाई जनता ऐसी है जिसकी निरक्षरता असह्य है। जिस पीढ़ी के हाथ में वर्तमान की बागडोर है वह वयस्क होते हुए भी अशिक्षित है। भारत ८० प्रतिशत गाँवों में बिखरा पड़ा है। वहाँ शिक्षा के न तो साधन हैं और न उत्साह। कुछ दिन से जहाँ तहाँ स्कूल खुले हैं और उनमें सिर्फ थोड़े बहुत लड़के पढ़ने जाने लगे हैं वे भी सवर्णों के। छोटी जातियों में लड़को को पढ़ाने के लिए भी उत्साह नहीं। लड़कियाँ शहरों में तो पढ़ती हैं पर गाँवोंमें इसे आवश्यक नहीं माना जाता है। महिलाओं में से तो सौ पीछे दो चार भी पढ़ी लिखी न मिलेंगी। सवर्णों में आधे, असवर्णों में ६६ प्रतिशत अशिक्षित हैं। स्त्रियाँ तो सवर्णों की भी इन देहाती क्षेत्रों में अपढ़ ही मिलेंगी। यह इन्तजार नहीं किया जा सकता कि अगली पीढ़ी जब शिक्षित होकर आवे तब राष्ट्रीय प्रगति की बागडोर हाथ में संभाले। दुनियाँ इतनी तेजी से बढ़ और बदल रही है कि जो लोग आज सामने हैं उन्हीं को सुयोग्य और समर्थ बनाये बिना काम चलने वाला नहीं है। निरक्षरता निवारण की समस्या आगे के लिए नहीं टाली जा सकती, वह आज ही हाथ में लेनी होगी और सरकार का मुँह ताके बिना उसे जन सहयोग के स्तर पर हल करना होगा।

उपाय एक ही है कि हर शिक्षित व्यक्ति अपने ऊपर यह 'ज्ञान-ऋण' समझे कि उसे साक्षरता प्रसार के लिए कुछ न कुछ योगदान देना है। प्रौढ़ पाठशालाओं की स्थापना और उनका संचालन हर शिक्षित का इन दिनों एक धर्म कर्तव्य बन जाना चाहिए। थोड़े से उत्साही शिक्षित लोग ऐसी छोटी रात्रि पाठशालाएँ गली-गली मुहल्ले-मुहल्ले चला सकते हैं जिनमें निरक्षर वयस्कों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। महिलाओं के लिए रात्रि का नहीं तीसरे पहर का समय सुविधाजनक रहता है। दो-दो तीन-तीन घंटे की भी यह पाठशालायें चलती रहें तो एक वर्ष में ये किसी भी व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा की जितनी योग्यता कराके उसे साक्षरों की पंक्ति में बिठा सकती हैं।

शिक्षा की उपयोगिता, आवश्यकता, महत्ता से अभी अपने देशवासी बुरी तरह अनभिज्ञ हैं। इस लिए इस संदर्भमें यह काम भी साथही हाथमें लेना होगा कि जनसाधारण को अशिक्षा के बुरे परिणाम बताए जाँय। इसके लिए घर-घर जाकर जनसम्पर्क गोष्ठियाँ, पंचायतें, चित्रप्रदर्शनियाँ, गीत, सम्मेलन, नाटक, अभिनय आदि जो भी प्रचार माध्यम सम्भव हो उन्हें काम में लाया जाना चाहिए। शिक्षितों में पुस्तक पर्व आदि के माध्यम से भी कुछ प्रचार किया जा सकता है। पर अशिक्षितों में तो दृश्य और श्रव्य कार्य-क्रमों के माध्यम से ही कुछ प्रभाव पड़ सकता है। यदि शिक्षा का महत्व समझाने वाली टोलियाँ निकल पड़ें तो निस्संदेह साक्षरता की रुचि जगाई जा सकती है और यदि गाँव-गाँव, गली-गली, मुहल्ले-मुहल्ले, प्रौढ़ पाठशालाओं का रात्रि तथा तीसरे पहर का क्रम बनाया जा सके तो यह उत्साह एक से दूसरे में छूत की तरह लगेगा। और उस उमङ्ग भरे प्रवाह में देश के माथे पर से निरक्षरता का कलङ्क सुगमता पूर्वक धोया जा सकेगा।

आवश्यकता है विचारशील लोगों का ध्यान इस छोटे किन्तु महान रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित होने की। विद्यादान के इस पुनीत यज्ञ में हर व्यक्ति अपने ढंग से समय, श्रम या मनोयोग देकर सहयोग करने लगे तो जनस्तर पर भी चन्द दिनों में हमारा देश साक्षरता का लाभ प्राप्त कर तेजी के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है।

—'निरक्षरता का कलंक धो दिया जावे' पुस्तिका से।

व्यायाम एवम् स्वास्थ्य शिक्षा--समाज को एक महती आवश्यकता

क्र० ५५

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, स्वच्छता, स्नान, निद्रा आदि की तरह श्रम की भी अनिवार्य आवश्यकता है। शरीर के कलपुर्जों को ठीक तरह गतिशील एवं परिपुष्ट रखने के लिए हर प्राणी को समुचित श्रम करना पड़ता है। आहार की खोज में पशु पक्षी लम्बी यात्रायें करके और शरीर को श्रम से थकाकर स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाये रहते हैं। मनुष्यने सबसे आरामतलबी की आदत अपनाई तबसे उसे अल्पायु और अस्वस्थता का अभिशाप भुगतने के लिए विवश होना पड़ा।

अभी भी जो प्रकृति पुत्र कृषक मजदूर अवथा वन जातियों के रूप में कठोर श्रम के अभ्यस्त हैं, वे रूखा सूखा खाकर, अभाव ग्रस्त जीवन जीते हुये भी अपेक्षाकृत अधिक दीर्घजीवी और निरोगी पाये जाते हैं। श्रम की उपेक्षा और आरामतलबी की आदत यदि आज की तरह ही अपने स्वभाव का अङ्ग बनी रही तो देश की अर्थ-व्यवस्था, समृद्धि और प्रगति पर असर पड़ेगा ही—स्वास्थ्य की समस्या भी दिन-दिन अधिक विकट होती चली जायगी। अमीर लोग फॅशनेबुल बावू और कोमलाङ्गी महिलायें आरामतलबी का जितना आनन्द लेना चाहेंगे उससे हजार गुना अधिक दुःख अस्वस्थता जन्य अन्य संकटों के साथ भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य को जितनी जल्दी जितनी गहराई तक जन-मानस में उतार दिया जाय उतनी ही भलाई है।

कठोर श्रम की उपयोगिता एवम् आवश्यकता से हर मनुष्य को परिचित होना चाहिए। सम्पदायें और विभूतियाँ कठोर श्रम से ही उपलब्ध होती हैं। हरामखोरी पर दरिद्रता की लानत ही बरसती है। इतना ही नहीं जो काम से जी चुरायेगा, हरामीपन अपनायेगा उसे प्रकृति का कोप एवं पग-पग पर दुर्बलता और बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य से सर्व साधारण को अवगत कराने के लिए हमें श्रम की महत्ता प्रतिपादित कराने वाला आन्दोलन चलाना चाहिए। श्रम की प्रतिष्ठा के गीत गाये जाने चाहिए और पुरुषार्थी श्रमिकों का अभिनन्दन करना चाहिये। उन नौकरी पसन्द शिक्षितों की भर्त्सना करनी चाहिए जो श्रम से जी चुराकर देहातों को छोड़ शहरों के गन्दे वातावरण में भागते और सफेद पोश बावू का खोखला और गन्दा जीवन जीने को पसन्द करते देखे जाते हैं।

श्रम की प्रतिष्ठा अपने देश की समृद्धि और स्वस्थता की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसी विचार ने श्रमिकों को अछूत बनाकर तिरस्कारा और उन्हें विधर्मों बनने के लिए विवश किया। हिन्दू जाति के घटते जाने और उसके अन्य धर्मों में धुसते जाने से जो राष्ट्रीय एवम् सांस्कृतिक सङ्कट उत्पन्न हो रहा है उसके मूल में यही श्रम के तिरस्कार की विडम्बना धुसी बैठी है। सामूहिक श्रमदान का महत्व हमने समझा होता तो गणशप में गुजारने वाले समय का सदुपयोग करके हम अगणित ऐसे रचनात्मक कार्य कर सकते थे जिससे राष्ट्र की समृद्धि सुव्यवस्था और प्रगति में भारी सहायता मिल सकती थी।

श्रम की महत्ता समझाने के लिए हमें व्यायाम आन्दोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए। जगह-जगह व्यायाम-शालायें खोलनी चाहिए और खेल कूदों से लेकर आसन प्राणायाम तक, सामान्य परेड से लेकर शस्त्र संचालन तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए इस रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र के शारीरिक और मानसिक बल में आशा-जनक अभिवृद्धि होगी।

[१७]

नियमित व्यायाम एक बहुत ही अच्छी आदत है जिसका शारीरिक ही नहीं मानसिक बल-बर्धन पर भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। परिश्रमशील होकर दिनभर थकाने वाली कड़ी महंनत करना अच्छी नींद लाने और खुल कर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी और सस्ती दवा है। इसमें खर्च कुछ नहीं, आमदनी बढ़ने की सम्भावना निश्चित है। पर व्यायाम का चमत्कार तो दूसरा ही है। उसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सीमित नहीं वरन् वह स्वभाव और मनोबल के परिष्कार की भी सुविधा प्रस्तुत करता है। दिन भर लोहा पीटने वाले नुहार की अपेक्षा अखाड़े में दो घण्टे कसरत करने वाला पहलवान अधिक परिपुष्ट पाया जाता है। इसका कारण व्यायाम के साथ जुड़ी हुई उत्साहवर्धक भावना से है। कसरत करते समय यह मान्यता रहती है कि हम स्वास्थ्य साधना कर रहे हैं और इस आस्था का मनोवैज्ञानिक असर ऐसा चमत्कारी होता है कि देह ही परिपुष्ट नहीं होती, मन की हिम्मत तथा सशक्तता भी बहुत बढ़ जाती है।

व्यायाम के साथ जुड़े हुए खेल कूद बढ़िया किस्म के प्रत्यक्ष उल्लास प्रदान करने वाले मनोरंजनप्रद होते हैं। शरीर की उपेक्षा से ही शरीर बिगड़ता है। व्यायाम हमारा ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करता है और उसकी सुरक्षा तथा परिपुष्टि के लिए उमङ्ग पैदा करता है। आलस्य का त्याग और श्रम में अभिरुचि उत्पन्न करने वाली मनोदशा पलटती है। खेलकूदों के साथ जुड़ी हुई प्रतियोगिताएँ मन में स्पर्धा उत्पन्न करती हैं कि हमें साथियों के समान सशक्त होना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। शारीरिक सशक्तता के साथ मनोबल बढ़ने की बात सर्वविदित है। कमजोरी और बीमारी शरीर तक ही सीमित नहीं वरन् वह मन को भी दुर्बल और रुग्ण बनाती है जो कि देह की अस्वस्थता से भी अधिक अहितकर है। व्यायाम इन विपत्तियों और व्याधियों से बचाता है। फौजी दौड़ के ढंग के व्यायाम, अनुशासन, क्रम बद्धता, मिलकर चलना जैसे सद्गुणों को विकसित करते हैं। शस्त्र संचालन को यदि व्यायाम के साथ जोड़ लिया जाय तो व्यक्ति साहसी, शूरवीर, धैर्यवान्, अनीति का प्रतिरोध, बलिदान की तत्परता जैसी सद्प्रवृत्तियों को पनपाता है। आतंकवादी, दुष्ट, दुरात्माओं को डराने और नियन्त्रण में रखने के लिए हमारी समर्थता और तेजस्विता को यह शस्त्र व्यायाम भली प्रकार प्रदर्शित कर सकता है। और इस प्रदर्शन मात्र से दुष्ट दुरात्माओं के आक्रमणकारी हौसले आधे तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

सर्वतोमुखी समर्थता का अभिवर्धन करने के लिए अपने देश में व्यायाम शिक्षा को—व्यायामशालायें स्थापित करने की प्रवृत्ति को—व्यायाम प्रतियोगिताओं को समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमें एक व्यायाम आंदोलन चलाना चाहिए जिससे न केवल शारीरिक परिपुष्टता अभिवर्धन एवम् स्वास्थ्य रक्षा की समग्र शिक्षा दी जाय वरन् यह भी सिखाया जाय कि ब्रह्मचर्य का शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर कैसा जादू भरा असर पड़ता है। चिन्ता, निराशा, भय, कायरता, लोभ, क्रुपणता, छल एवं दुष्टता आदि मनोविकारों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से यदि जन साधारण को भली भाँति परिचित कराया जा सके तो लोग बीमारी से बचने के लिए सदाचरण की रीति नीति अपना कर एक समय सुविकसित समाज की रचना में योगदान देंगे।

स्वास्थ्य सम्बन्धी समुचित जानकारी न होने से स्त्री-पुरुष, बालवृद्ध सभी को अल्पायु और रुग्णता का कष्ट सहना पड़ता है। स्वास्थ्य संरक्षण के सर्वतोमुखी शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ व्यायाम आन्दोलन चलाने के लिए लोक सेवी कार्यकर्ता यदि आगे आयेँ और उसकी सुव्यवस्थित योजना बनायें तो निस्सन्देह वे मानव जाति की एक महती सेवा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं।

—‘व्यायाम हमारी अनिवार्य आवश्यकता’ पुस्तिका से।

अध्यापक अपने महान् पद, गौरव और उत्तरदायित्व को निवाहे'

क्र० ५६

अध्यापक का पद, गौरव और उत्तरदायित्व-आजीविका के लिए नौकरी करने वाले साधारण कर्मचारियों से कहीं ऊँचा है। भले ही उसे निर्वाह के लिए वेतन लेना पड़ता हो पर जिस प्रकार अन्य वेतन भोगी कर्मचारी सामने प्रस्तुत किए गए काम को निपटा कर छुट्टी पा लेते हैं उतने मात्र से अध्यापक का काम नहीं चल सकता। उसे अपने पद के साथ जुड़े हुये उस उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि बालकों का मानसिक स्तर, उनका भावी चरित्र और उस पर निर्धारित राष्ट्र का भविष्य निर्माण करना है।

निस्संदेह माता-पिता एवम् अन्य अभिभावकों की तरह अध्यापक का भी बालकों के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ होता है। अभिभावक आमतौर से जन्म देते, भरण-पोषण की व्यवस्था करते तथा लाड़चाव ही दे पाते हैं। वे बच्चों की विवाह शादी, आजीविका जैसे साधन जुटाने तक ही सीमित रह जाते हैं क्योंकि अधिकांश अभिभावक उस ज्ञान और विधान से अपरिचित ही होते हैं जिसके आधार पर बालकों की मनोभूमि तथा प्रवृत्तियों का विकास सुसंस्कृत की दिशा में किया जा सकना सम्भव होता है। इस कमी की पूर्ति अध्यापक के जिम्मे आती है। छात्र के रूप में विद्यालय में प्रवेश करता हुआ बालक अपने साथ जिज्ञासाओं की एक नई भूख साथ लेकर जाता है। वहाँ उसे सहपाठियों के रूप में एक नया समाज मिलता है और अध्यापक के रूप में एक नया मार्ग दर्शक। इस वातावरण का उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है जितना घर परिवार का भी नहीं पड़ा था। यों पारिवारिक संस्कारों का महत्व भी कम नहीं है पर यह स्वीकार किया ही जाना चाहिए कि विद्यालय, शिक्षा पद्धति, एवं अध्यापक की रीतिनीति की महत्ता उससे अधिक ही है कम नहीं।

बालकों का व्यक्तित्व ढालने में अध्यापकों के व्यक्तित्व प्रभाव एवम् प्रयत्नों का भारी योगदान रहता है। प्राचीन काल का भारत इसीलिये देवोपम व्यक्तियों और स्वर्गोपम परिस्थितियों से भरा पूरा बना रहा क्योंकि यहाँ की शिक्षा और शिक्षण व्यवस्था ऋषियों के हाथ में थी। राष्ट्र का निर्माण शिक्षण द्वारा ही सम्भव है। आज के बालक ही कल के नागरिक व्यवस्थापक और नेता होते हैं जिस ढांचे में ढाला जायगा कुछ दिनों बाद राष्ट्र का स्वरूप वैसा ही बन जायगा। व्यक्तियों का समूह ही तो राष्ट्र है। इसमें से शिक्षकों का महत्व और अधिक है। शिक्षितों की विचारणा एवं रीतिनीति के अनुसार ही राष्ट्र बनते और बिगड़ते हैं। इस तथ्य को सदा से समझा जाता रहा है। हिटलर ने जर्मनी को फासिस्ट बनाने के लिये शिक्षा पद्धति को प्रधान माध्यम बनाया था। इटली में भी मुसोलिनी ने यही किया था। रूस और चीन के नागरिकों में जो अटूट निष्ठा साम्यवाद के प्रति पाई जाती है उसका कारण उनकी शिक्षा प्रणाली में ही देखा जा सकता है। जापान की समृद्धि और सुव्यवस्था का श्रेय वहाँ के सुशिक्षितों को ही दिया जाना चाहिए।

अपना देश एक हजार वर्ष की राजनैतिक गुलामी से अभी-अभी मुक्त होकर चुका है। दासता एक अभिशाप है जो पराधीन जातियों के नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक स्तर को बुरी तरह चकनाचूर करके रख देती है। अपने देश को इसी दुर्भाग्य में लम्बे समय से पिसना पड़ा है। अस्तु वैयक्तिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अगणित दोष दुर्गुणों का बुरी तरह समावेश हो गया, इन्हें ज्यों का त्यों पड़ा रहने दिया जाय तो राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई लाभ न मिल सकेगा। दुर्गुणी समाज अपने ही अनाचार से संत्रस्त रहकर पतन के गर्त में गिरता है और आये दिन विविध विधि शोक संताप भोगता है। इस विभीषिका से बचाव केवल सुशिक्षण द्वारा ही सम्भव है और वह आदि से अन्त तक शिक्षकों के स्तर पर निर्भर रहा करता है। इसलिए शिक्षक का पद गौरव और महत्व की दृष्टि से अत्यधिक ऊँचा माना जाता रहा है। उसे 'गुरु' की वह पदवी दी गई है जो जन सम्मान की दृष्टि से सर्वोच्च कही जा सकती है।

इन तथ्यों को अध्यापक वर्ग स्वीकार करे तभी काम चलेगा । उसे नौकरी की दृष्टि से सौंपे गए सरकारी कार्यभार के अतिरिक्त अपने पद की गरिमा के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने, गतिविधियाँ अपनाने तथा छात्रों को प्रेम पिपासा तथा जिज्ञासाओं की भूख पूरी करने के लिए अपने को एक साधक की तरह विनिर्मित करना चाहिए । इससे कम में वह अपने और अपने पद का गौरव अक्षुण्ण न रख सकेगा । वेतन मात्र के लिए श्रम करने वाले—कामचोर और गैर जिम्मेदार मजदूरों की पन्क्ति में यदि वे भी जा बैठें तो समझना चाहिए कि राष्ट्र का भविष्य अन्धकारमय ही बना रहेगा । और कहीं उन्होंने अपने में अवांछनीय दोष दुर्गुणों की मात्रा बढ़ाली तब तो समझना चाहिए कि पीढ़ियों का सर्वनाश होकर ही रहेगा ।

दुर्भाग्य से अपने देश में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के तथ्य को नहीं समझा गया और अंग्रेजों ने काले साहब एवम् किरानी लाई ढालने की जो शिक्षा पद्धति चलाई थी उसे ही छाती से चिपकाये रखा गया है । व्यक्ति और समाज के नये निर्माण के लिए जिस प्रखर चेतना सम्पन्न शिक्षा पद्धति की जरूरत थी और उसके उप-युक्त जिस प्रकार के शिक्षक ढाले जाने थे उसके लिए कुछ ठोस काम नहीं हुआ । पढ़ाई का लंगड़ा लूला डर्रा भी चल रहा है । विद्यालयों में से निकलने वाले छात्र कोई उमङ्ग या दिशा लेकर नहीं निकलते वरन् निराशा और आक्रोश के साथही शिक्षा की निरर्थकता और भविष्य की अनिश्चितता को आँकते हैं । उनकी यह घुटन विविध विधि ऊच्छङ्खलताओं के रूप में फूटती हम पग-पग पर देखते हैं और कड़ुवे मीठे शब्दों में उनकी भर्त्सना करते हैं । पर इस पारस्परिक विवाद विषाद को चर्चा बनाये रखने से कुछ काम नहीं चलेगा । समस्या का हल तो प्रयत्नों से होता है सरकार अपना कर्तव्य पालन न करे तो इसका अर्थ यह नहीं कि सर्वसाधारण को हाथ पर हाथ रखे ही बैठा रहना चाहिए ।

इस संदर्भ में सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र कर्तव्य अध्यापक वर्ग का है । उसे अपने पद और उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आगे आना चाहिए । वे चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी इतना कुछ कर सकते हैं जो राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान की तरह सराहा जा सके । यदि वे सच्चे मन से भावी नागरिकों की मनोदिशा, चरित्र निष्ठा एवं लोक सेवा जैसी सत्प्रवृत्तियों की ओर मोड़ने का संकल्प करलें और तदनुरूप गतिविधियाँ अपनायें तो शिक्षा पद्धति कैसी ही क्यों न बनी रहे—असुविधाएँ कितनी ही क्यों न हों—अपनी अन्तःप्रेरणा और कर्मनिष्ठा के बल पर इतना कर सकते हैं जिससे अन्धकार में प्रकाश की किरणें फूटती देखी जा सकें ।

अध्यापक के महान् पद की माँग है कि प्रत्येक शिक्षक को चरित्रवान और उत्कृष्ट व्यक्तित्व का होना चाहिए । उनका व्यक्तिगत जीवन पवित्र, निर्दोष और दुर्गुणों से रहित होना चाहिए । इसके बिना छात्रों पर क्या किसी पर भी उनकी छाप न पड़ेगी और सम्मान न मिलेगा । साँचे में खिलौने ढाले जाते हैं उसी प्रकार चरित्रवान अध्यापक ही सच-रित्र छात्रों का निर्माण कर सकते हैं । यों व्यक्तिगत दोष दुर्गुण सभी को दूर करने चाहिए पर शिक्षकों को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके आचरण रहन-सहन, वेश-भूषा आदि की सीधी छाप छात्रों पर पड़ेगी । उन्हें ऐसा वेश-विन्यास नहीं बनाना चाहिए—ऐसा रहन-सहन नहीं अपनाना चाहिए जो उनके पद की गरिमा को घटाये और बालकों को भी उद्धत अनुकरण करने की बुरी प्रेरणा दे ।

मिठास, शिष्टाचार, आत्मीयता, सज्जनता, उदारता और प्रेम भरा व्यवहार करने का अभ्यास उन्हें करना ही चाहिए । बालक छोटे हैं इसलिए उनके साथ अशिष्ट अथवा कर्कश व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । सद्व्यवहार की छाप सभी पर पड़ती है । बालकों के कोमल मन पर तो उसकी छाप और भी गहरी पड़ती है । इसे पूरी तरह ध्यान में रखा जाय । बच्चों का निर्माण करने के लिए पहिले अपने को ही ढालना चाहिए । उपदेश नही चरित्र ही प्रभाव डालता है । इसलिए अध्यापकों को आत्म-चिन्तन आत्म-सुधार और आत्म-निर्माण के लिए पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए ।

पाठ्य पुस्तकों में जो कुछ लिखा है उसी की उचित, बुद्धिसङ्गत और भावनापूर्ण व्याख्या करके इस प्रकार के निष्कर्ष समेत समझाया जा सकता है कि शिक्षार्थी हर चरित्रवान, उदार, शिष्ट सज्जन और सेवाभावी बनने की छाप पड़े । यो इस प्रकार का शिक्षण भी एक कला है पर उसे हर भावनाशील अध्यापक कुछ दिन में स्वयं ही अपने भीतर से विकसित कर सकता है ।

‘छात्रों का निर्माण अध्यापक करें’ पुस्तिका से

छात्र अपने भविष्य का निर्माण आप करें

क्र० ५७

प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिये कि वह एक ऐसी अवधि में होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य का निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करेगी। मनुष्य शरीर की कोई महत्ता नहीं, वह तो पशु पक्षियों से भी अनेक बातों से पिछड़ा हुआ है। व्यक्ति की सारी गरिमा उसके गुण, कर्म, स्वभाव पर निर्भर है। क्या वाह्य—क्या आन्तरिक दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि किसी का व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान पद, स्वास्थ्य, मित्रता जैसी विभूतियाँ किसी को अनायास ही नहीं मिल जाती। उसके लिए उपयुक्त साधन और तरीके प्रयुक्त करने पड़ते हैं। और यह कर सकना उसी के लिए संभव है जिसने अपना व्यक्तित्व गुण, कर्म, स्वभाव सही ढंग से ढाला और विनिर्मित किया है। सफलताओं की इच्छा सभी करते हैं पर हम इन्हें पा सकना हर किसी के लिए नहीं केवल गुणवान व्यक्तियों के लिए ही संभव होता है।

व्यक्तित्व ढालने का सबसे उपयुक्त और सही समय वह है जिसे अध्ययन काल कहते हैं। किशोरावस्था और उभरती आयु में जोश रहता है। शरीर में सामर्थ्य और मस्तिष्क में धारण शक्ति का बाहुल्य रहता है। और भी कई प्रकृति प्रदत्त ऐसी विशेषतायें रहती हैं जिनके कारण व्यक्तित्व को चाहे जैसा इस अवधि में ढाला जा सकता है। आयु जैसे बढ़ती जाती है स्वभाव संस्कार परिपक्व होने लगते हैं फिर उनका बदलना कठिन पड़ता है। हरी लकड़ी को किधर भी मोड़ा जा सकता है सूखी को नहीं। गीली मिट्टी से खिलौना बनाने आसान हैं सूखी से नहीं। उभरती आयु गीली मिट्टी या हरी लकड़ी की तरह है जिसका उपयोग उस तरह की ढलाई से किया जाना चाहिये जिससे भविष्य को उज्ज्वल बनाने की सम्भावना स्पष्ट होने लगे।

जोश अधिक और होश कम रहने के कारण उठती उम्र में किसी भी आकर्षण की ओर खिंच जाना सरल होता है। कहना न होगा कि अज्ञानीय प्रवृत्तियों में आकर्षण और मनोरंजन अधिक है। पानी का स्वभाव नीचे की ओर गिरना है, मनोवृत्तियाँ भी पानी की तरह ही अधोगामी बनने के लिए सहज ही तैयार हो जाती हैं। इस खतरे से सावधान न रहा गया तो आदि में कौतूहल मात्र के लिए अपनाई गई दुष्प्रवृत्तियाँ स्वभाव का अंग बन जाती हैं और फिर जीवन भर पिण्ड नहीं छोड़तीं। कहना न होगा कि दुर्गुणी व्यक्ति अपने लिए और सम्बन्धित लोगों के लिए शोक संताप भरी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता हुआ अभिशाप जैसा नारकीय जीवन ही जी सकता है। इन्हीं दिनों यदि श्रेष्ठ वातावरण का सम्पर्क बना रहे और सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव सारे जीवन भर बना रहेगा और फलस्वरूप सुखशान्ति की संभावनायें सदैव साकार होती रहेंगी।

मित्रों का आकर्षण यों सदा ही रहता है पर किशोरावस्था में उसके प्रति खिंचाव अपनी चरम सीमा पर रहता है। मित्रता बुरी नहीं—अच्छे साथी मिलें तो विकास एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है। पर दुर्भाग्य से आज आवारा और दुर्गुणी लड़के ही मित्रता के जाल में फँसा कर अच्छे लड़कों को अपने जैसा बना लेने का जाल फैलाते हैं। जो स्वयं पढ़ते लिखते नहीं, धुराफातों में घूमते हैं उन्हें अपनी आवारागर्दी के लिये साथियों की जरूरत पड़ती है। ये चालाक लड़के मोठी बात करके सब्ज बाग दिखा कर भले लड़कों को फंसाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें आवारागर्दी के अनेक हथकण्डे सिखाकर ऐसा बना देते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जायँ, स्वास्थ्य खो दें, स्वभाव विगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गँवा बैठें। किसी का भविष्य अन्धकारमय बनाने के लिए इतनी बातें काफी हैं इस लिए हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता करने और दोस्तों के साथ फिरने से पूर्व हजार बार सोचे कि कहीं उसे आवारागर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा है। यों आज की परिस्थिति में अधिक उपयुक्त यही है कि बिना महरी

दोस्ती के काम चलाया जाय और हर साथी से सामान्य शिष्टाचार और मेल-जोल उस सीमा तक रखा जाय जिससे समय की बर्बादी और किसी खतरे की आशंका न हो।

स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। आहार बिहार का—सोने-जग्ने का—यदि ठीक ध्यान रखा जाय तो तन्दुरुस्ती ऐसी बन जायगी जो जीवन भर साथ दे। इस संदर्भ में कामुकता के खतरे को पूरी तरह ध्यान में रखा जाना चाहिये। गन्दे फिल्म, गन्दे गाने, गन्दे उपन्यास, गन्दे चित्र, गन्दे मित्र तथा गन्दे विचार चित्त को उसी तरह उद्विग्न कर देते हैं और उन घिनौने कार्यों की प्रेरणा देते हैं जिससे शरीर और मस्तिष्क खोखला हो जाय और जवानी में बुढ़ापा आ वेरे। कच्ची उम्र में इस तरह का घुन लग जाने से देह जिन्दगी भर के लिये रोगों का शिकार बन जाती है और गृहस्थ जीवन भार बन जाता है। इसलिए इन दिनों ब्रह्मचर्य और सद्विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाय और अश्लील परिस्थिति से ऐसे ही बचा जाय जैसे सांप, बिच्छू आग या जहर से बचा जाता है।

अवज्ञा, उच्छृंखलता, अशिष्टता और अनुशासन हीनता जैसे दुर्गुण, साहसिकता की भयंकर विकृतियां जिनके कारण दूसरों को चोट ही नहीं पहुँचती अपना स्वभाव भी ऐसा निकृष्ट बन जाता है जिससे कोई सृजनात्मक कार्य नहीं बन सकता। साहस अच्छा गुण है—अनीति का प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिये। यह साहसिकता उपयुक्त मर्यादाओं एवं नागरिक कर्तव्यों के उल्लंघन में लग पड़े, अशिष्ट, असज्जन, अशीलन, आतंकवादी आचरण करने के लिए प्रोत्साहित करे तो उसे आतंकवादी असुर प्रवृत्ति ही कहा जायगा और उसे अपना कर कोई अपना तथा अपने सम्पर्क में लोगों का कुछ भी भला न कर सकेगा। भलाई सृजनात्मक, सज्जनोचित सत्प्रवृत्तियां अपनाने में है। विकास की सम्भावनायें सज्जनोचित प्रवृत्तियों में सन्निहित हैं। उद्वेग मनुष्य किसी को डरा भर सकते हैं। प्रेममय सहयोग पाने से उन्हें बंचित ही रहना पड़ता है। और अन्ततः वह कमजोरी उन्हें सदा असफल और ओछा मनुष्य ही बनाये रखती है। प्रगति के स्वप्न देखने वाले हर दूरदर्शी युवक को शालीनता की सज्जनोचित आदतें ही अपने में पड़ने और बढ़ने देने के लिये सतर्क रहना चाहिये।

शिक्षा का ऊँचा स्तर ही व्यक्ति की भौतिक प्रगति का इन दिनों प्रमुख आधार है। अशिक्षित या स्वल्प शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम भर से थोड़ी आजीविका कमा सकता है। ऊँचे पद और ऊँचे कार्य कर सकने की योग्यता तो ऊँची शिक्षा के आधार पर ही मिलती है। व्यक्तिगत अर्थ लाभ या सम्मान प्राप्ति के लिए अथवा लोक मंगल के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकने के लिये ऊँची शिक्षा आवश्यक है। विचारशक्ति और व्यक्तित्व के निखार की दृष्टि से भी शिक्षा का स्तर ऊँचा होना ही चाहिये और यह सब कठोर परिश्रम, एकाग्रता एवं अभिरुचि के केन्द्रीकरण पर निर्भर है। शिक्षा के महत्व और महात्म्य को ठीक तरह समझा जाय तो उसके लिए अधिक तत्परता, मेहनत एवं एकाग्रता कुछ कठिन न रह जायगी। और यह स्पष्ट है कि परिश्रमी एवं दिलचस्पी लेने वाले मन्द बुद्धि लड़के अस्त-व्यस्त तीव्र बुद्धि लड़कों में बाजी मार ले जाते हैं।

घर के कामों में बड़ों का हाथ बटाना, आत्म निर्भरता विकसित करने के लिये अपने बहुत से काम स्वयं निपटा लेना, कम खर्च में काम चलाना, समय का विभाजन करके नियत दिनचर्या के अनुरूप चलना, समय तनिक भी बर्बाद न होने देना, आवेश और चिड़चिड़ेपन से बचकर शान्त सन्तुलित मस्तिष्क बनाये रहना, सत्साहित्य के स्वाध्याय की आदत डालना, कठोर परिश्रम की आदत डालना और हंसमुख शिष्ट एवं विनम्र रहना, युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। उस स्तर की शालीनता, सज्जनता का उपार्जन अभ्यास आदि नवयुवक करने लगे तो उनके भीतर अनेक ऐसी विशेषतायें उगती चली आवेंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन सके।

‘विद्या की संपत्ति बढ़ाते चलें’ पुस्तिका से।

* नवयुवक सज्जनता और शालीनता सीखें *

क्र० ५८



जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय १२ से लेकर २० वर्ष तक की आयु तक रहने वाली किशोर अवस्था है। इस अवधि में मनुष्य गीली मिट्टी और हरी लकड़ी की तरह रहता है, जिसे चाहे जिधर डाला और मोड़ा जा सकता है। पीछे तो वह पक्की मिट्टी और सूखी लकड़ी की तरह जैसा उठती उम्र में बन गया प्रायः वैसा ही अंत तक बना रहता है। जो बूढ़े हो चले उन ढलती आयु के लोगों के दिन करीब हैं, उनके दोष-दुर्गुणों को सहन भी किया जा सकता है और उपेक्षा भी की जा सकती है, पर नई पीढ़ी के विकासवान् बालकों की उपेक्षा नहीं हो सकती। अगले दिनों महत्वपूर्ण भूमिकायें उन्हें ही सम्पादित करनी हैं। नेतृत्व उन्हीं के कंधों पर आने वाला है। वे जैसे भी कुछ भले-बुरे होंगे उसी के अनुरूप समाज की भावी सम्भावनायें बनेंगी। यदि हम निकट भविष्य में अपने समाज को समुचित, सुसंस्कृत देखना चाहते हैं तो सारा ध्यान अपनी होनहार उदीयमान पीढ़ी पर केन्द्रित करना पड़ेगा।

कहना न होगा कि समस्त श्री, समृद्धि, प्रगति और शांति का सद्भाव मनुष्य के सद्गुणों पर अवलम्बित है। दुर्गुणी व्यक्ति हाथ में आई हुई, उत्तराधिकार में मिली हुई समृद्धियों को गँवा बैठते हैं और सद्गुणी गई-गुजरी परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रगति के हजार मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुणों की विभूतियाँ ही व्यक्तित्व को प्रतिभावान् बनाती हैं और प्रखर व्यक्तित्व ही हर क्षेत्र में सफलतायें वरण करते चले जाते हैं। विद्या, धन और स्वास्थ्य के आधार पर उन्नति करने की बात कही जाती है पर उनसे भी बढ़कर प्रगति के आधार सद्गुण हैं। उन्हीं के आधार पर विद्या, धन और स्वास्थ्य की शोभा है और उन्हीं के द्वारा प्रयत्नों के सत्परिणाम प्राप्त होते हैं। दुर्गुणी व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त कर भी ले तो उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना ही नहीं वह घमण्ड में उद्धत आचरण करके अपनी तथा दूसरों की शांति नष्ट करता है, अपने को तथा अपने समीपवर्ती समाज को सङ्कट में डालता है।

उठती आयु में सबसे अधिक उपार्जन सद्गुणों का ही किया जाना चाहिये। विद्या पढ़ी जाय सो ठीक है, खेल-कूद, व्यायाम आदि के द्वारा स्वास्थ्य बढ़ाया जाय, सो भी अच्छी बात है, विभिन्न कला-कौशल और चातुर्य सीखे जाँय, वह भी सन्तोष की बात है। पर सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि इस आयु में जितनी अधिक सत-कर्ता और तत्परतापूर्वक सद्गुणों का अभ्यास किया जा सके, करना चाहिये। एक तराजू में एक ओर विद्या, बल, बुद्धि, धन आदि की सम्पत्तियाँ रखी जाँय और दूसरे पलड़े में सद्गुण तो निश्चय ही यह दूसरा पलड़ा अधिक भारी और अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा। दुर्गुणी व्यक्ति साक्षात् संकट स्वरूप है। वह अपने लिये पग-पग पर कांटे खड़े करेगा, अपने परिवार को त्रास देगा और समाज में अगणित उलझनें पैदा करेगा। उसका उपार्जन चाहे कितना ही बढ़ा-चढ़ा क्यों न हो, कुकर्म बढ़ाने और विक्षोभ उत्पन्न करने वाले मार्ग में ही खर्च होगा। ऐसे मनुष्य अपयश, घृणा, द्वेष, निन्दा और भर्त्सना से तिरस्कृत होते हुए अन्ततः नारकीय यन्त्रणायें सहते हैं।

अभिभावकों को केवल इतना ही नहीं सोचना चाहिये कि उनके बच्चे कमाऊ, चतुर और कोई पदाधिकारी बन जाँय वरन् अधिक ध्यान इस बात का रखना चाहिये कि बच्चे सच्चरित्र, सद्गुणी, सज्जन एवं संस्कारवान् बनें। यही उपलब्धि उनके जीवन की सबसे बड़ी लाभदायक सम्पदा सिद्ध होगी। इसी के आधार पर वे अपना जीवन सुखी एवं समुन्नत बना सकेंगे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। वे अभिभावक ही अपने कर्त्तव्य पालन में सफल कहे जायेंगे, जिन्होंने अपने बच्चों को सद्गुणी बनाने में कुछ उठा नहीं रखा। सच्चे अध्यापक वे हैं, जो खेल, गणित, भूगोल, इतिहास आदि किताबी ज्ञान देकर ही निवृत्त नहीं हो जाते वरन् छात्रों की गतिविधियों में सद्गुणों की मात्रा बढ़ाने में संलग्न हैं।

आज कुछ ऐसी गन्दी हवा चली है, जिसने नई पीढ़ी में उद्भूत एवम् उच्छृङ्खल बनाने की विभीषिका खड़ी करदी है। हमारे होनहार बच्चों में से अधिकांश में उच्छृङ्खलता, अवज्ञा, उददण्डता, अनुशासनहीनता की मात्रा बहुत बढ़ती चली जाती है, यह चिन्ता की बात है। इसमें देश के दुर्भाग्य का खतरा छिपा हुआ है। परस्पर छुरेबाजी, अध्यापकों की अवज्ञा, परीक्षा में नकल, बिना टिकट यात्रा, लड़कियों को छेड़ना, सिनेमा के शौकीनी, श्रङ्गार, सजावट की फिजूलखर्ची, उद्भूत आचरण एवं वार्तालाप में विनय तथा शिष्टता का अभाव आदि कितने ही दुर्गुण अपने होनहार बालकों में देखते हैं तो भारी चिन्ता होती है कि इतने उथले व्यक्तित्व को लेकर वे किस प्रकार अपने भविष्य को उज्ज्वल और प्रकाशवान बना सकेंगे और अगले दिनों जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है, उसका निर्वाह किस प्रकार कर पायेंगे।

जो नवयुवक अपना भला-बुरा समझने की स्थिति में हैं, उन्हें गिरह बाँध लेनी चाहिए कि सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने के लिए सद्गुणों को अपने स्वभाव में निरन्तर सम्मिलित करते रहते हैं। शिष्टता ही लोकप्रिय बनाती है। अनुशासनप्रिय व्यक्ति के अनुशासन में ही दूसरे लोग रहते हैं। सज्जनों को ही श्रद्धा मिलती है। सद्गुणी दूसरों का हृदय जीतते हैं और दशों दिशाओं में उन पर स्नेह, सहयोग बरसता है। इस राज-मार्ग को जिसने अपनाया उसे ही मनस्वी, तेजस्वी और यस्वी बनने का अवसर मिला है। और जो दुष्टता के दुर्गुणों में ग्रस्त हो गए, वे थोड़े समय औरों को आतङ्कित करके, क्षणिक रौब-दाब जमा सकते हैं और डरा धमका कर कुछ उल्लू सीधा कर सकते हैं, पर यह तनिक-सी सफलता अन्ततः बहुत मंहगी और भारी पड़ती है। लोगों की निगाह में जब व्यक्तित्व गिर गया और गुण्डा या उपद्रवी माना जाने लगा तो समझना चाहिए कि सम्मान और सहयोग की स्थिति समाप्त हो गई। जीवन में प्रगति और शान्ति के लिए दूसरों की सद्भावना और सहायता की जरूरत पड़ती है। पर यह दोनों ही अनुदान केवल सज्जनों को मिलते हैं। आतङ्कवादी और उद्भूत व्यक्ति किसी के हृदय में अपने लिए स्थान न बना सकेंगे, उनके लिए सबके भीतर घृणा और विश्वास भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई ऊँचा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते और न उन्हें कोई बड़ी सफलता ही मिलती है।

हमारे नवयुवकों को समझना चाहिए कि ध्वंसात्मक दुष्प्रवृत्तियों को अशिष्टता एवम् उच्छृङ्खलता को अपना लेना अति सरल है। छोटे-साथी अथवा उद्भूत अगुआ लोग उठती आयु के बालकों को आसानी से गुबाराह कर सकते हैं पर शालीनता और सज्जनता का अभ्यास बनाना उनके बस की बात नहीं। इसलिए हेय व्यक्तित्व के—जोशीले और उच्छृङ्खल लोगों को अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना चाहिए। उनके प्रभाव और सान्निध्य से दूर रहना चाहिए। अन्यथा उनकी मैत्री अपने को उच्छंखल बना देगी और वह स्थिति पैदा कर देगी, जिसमें अपनी निज की और दूसरों की आंखों में अपना व्यक्तित्व गया-गुजरा, ओछा, कमीना और निकृष्ट स्तर का बन जाय। इस स्थिति में जो पड़ा उसके सौभाग्य का सूर्य एवम् उज्ज्वल भविष्य अस्त हो गया ही समझना चाहिए।

सभ्य, समुन्नत देशों के नवयुवक अपने राष्ट्रों की स्थिरता एवत् प्रगति में भारी योगदान दे रहे हैं। उनकी प्रवृत्तियाँ रचनात्मक दिशा में लगी हैं। अध्ययन में गम्भीर रुचि लेकर वे अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, ताकि अवसर आने पर अपनी प्रतिभा को किसी भी कसौटी पर खरी सिद्ध कर सकें।

एक हम हैं कि जिनके बच्चे हर कहीं सिर-दर्द सिद्ध होते हैं। अभिभावक रुष्ट, अध्यापक दुखी, साथी क्षुब्ध, स्वयं उद्विग्न। इस सबका एक ही कारण है—दुर्गुणों की मात्रा का बढ़ जाना। बुखार बढ़ने की तरह मर्यादाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति का बढ़ना भी खतरनाक है। अपने बालकों के उद्भूत आचरण देखकर हम दुःख, पश्चाताप और दुर्भाग्य की कल्पना करते रहें यह स्थिति हम सबके लिए लज्जाजनक है।

जो भी हो हमें अपने बच्चों को समझाने और सिखाने का हर कडुआ-मीठा उपाय करना चाहिए कि वे सज्जन, शालीन, परिश्रमी और सत्यथगामी बनें, इसी में उनका और हम सबका कल्याण है।

—

—‘सज्जनता की राह’ पुस्तिका से

उदार सहकारिता से हमारी उलभनें सुलझेंगी

क्र० ५६



अकेला व्यक्ति कितना ही प्रतिभावान् क्यों न हो, अपने ही बल-बूते पर बहुत कुछ नहीं कर सकता। हाथी, सिंह, घोड़ा, गुरिल्ला आदि बलवान् जानवर भी अपनी शक्ति से केवल अपना निर्वाह ही कर सकते हैं। समग्र प्रगति तो हमेशा सम्मिलित शक्ति से ही होती है। मनुष्य ने अन्य जीवों की तुलना में जो असाधारण प्रगति की है उसका प्रधान कारण उसकी बुद्धिमत्ता ही नहीं, दूरदर्शिता भी है, जिसके आधार पर सहकारिता की शक्ति को उसने पहचाना और मिल-जुलकर काम करने के लिये तैयार हो गया। यदि एकाकी जीवन पर ही उसका विश्वास रहा होता, संयुक्त प्रयत्नों की दिशा में उसकी प्रगति न मुड़ी होती तो सृष्टि के अनेक मानसिक क्षमता सम्पन्न प्राणियों की तरह मनुष्य भी केवल अपने शरीर निर्वाह मात्र की समस्यायें सुलझाने तक सीमित रह गया होता।

सहकारिता की प्रवृत्ति में आध्यात्मिक आदर्श जुड़े हुए हैं। मिल-जुलकर कमाना, मिल-जुलकर खाना, मिल-जुलकर रहना, मिल-जुलकर पारस्परिक समस्याओं को सुलझाना और मिल-जुलकर दुःख-सुख के भार को बाँट लेना, यह उदार हृदय, अपनेपन को व्यापक बना सकने वाले सद्भाव सम्पन्न मनुष्यों के लिये ही सम्भव है। आध्यात्मिक आदर्श हमें इसी दिशा में अग्रसर होने के लिये प्रकाश देते और प्रोत्साहित करते हैं। अपनी ही समस्याओं में उलझा, अपनी ही प्रगति और सुख-सुविधा चाहने वाला, आप ही कमाने और आप ही खाने वाला, अपनी ही चिन्ता में डूबा रहने वाला व्यक्ति संस्कृत में 'कृपण' और लौकिक भाषा में 'स्वार्थी' कहा जाता है। स्वार्थी व्यक्ति कितना ही सम्पन्न क्यों न हो, लोगों की दृष्टि में घृणास्पद ही बना रहेगा।

सम्मिलित शक्ति का महत्व हम सभी जानते हैं। कमजोर सीक एकाकी होने पर अति दुर्बल होती है, जरा-से आघात से टूट सकती है। पर उन्हें इकट्ठा करके बनाई गई बुहारी झाड़ने-बुहारने का महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध करती है। सूत के कच्चे धागे क्या सामर्थ्य रखते हैं? पर जब वे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इतना मजबूत रस्सा बन जाता है, जो हाथी को बाँध सके। बूँद इकट्ठी होने से समुद्र बना है। अणुओं का पारस्परिक सञ्जठन विशाल-काय पर्वत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। एक दिशा में साथ-साथ उड़ने वाली टिड्डियाँ गजब के करतब दिखाती हैं। मधुमक्खियों की सहकारिता शहद का भण्डार जमा करने में सफल होती है। अनुशासित और संघबद्ध सैनिक आक्रमणकारी शत्रुओं के दाँत खट्टे करते हैं। किन्तु यदि उपरोक्त तत्व एकाकी विखरे पड़े हों, कोई किसी का सहयोग न करे तो अपनी ढपली अपना राग बेसुरा बजने लगे। 'आठ कनौजिया नौ धूँहे' की उक्ति जैसा उपहास हो। डेढ़ चावल की अलग खिचड़ी पकाने के प्रयत्न करते हुए हर किसी को असफलता हाथ लगे।

थोड़े से डाकू मिलकर एक विशाल क्षेत्र की जनता को आतंकित कर सकते हैं, तब सज्जनों का सच्चा सहयोग यदि इकट्ठा किया जा सके तो अपना चमत्कार क्यों न दिखायेगा? सज्जन हमेशा मिटते इसलिए रहे हैं कि वे अपनी व्याक्तिगत उत्कृष्टता मात्र से सन्तुष्ट हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि सम्मिलित शक्ति का कितना अधिक महत्व है। उसके बिना सज्जनता भी अधूरी रहती है। सज्जनता की परिभाषा में सत्प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों का संघबद्ध होना भी आता है। एकाकी जीवन से जो भी सन्तुष्ट हो जायेगा और अपनी विचारणा तथा गतिविधियों को अपने सीमित दायरे तक अवरुद्ध कर लेगा, वह कोई भी क्यों न हो—असफलता और अभाव का कष्ट सहने के लिये विवश होगा।

मनुष्य की अब तक की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पारिवारिक प्रगति का सारा श्रेय पारस्परिक सहयोग को दिया जा सकता है। यदि एक ने अपनी योग्यता का लाभ दूसरे को न दिया होता और सहयोग का क्रम अपनाया न होता, तो हम अभी भी आदिम युग की जङ्गली दशा में विचरण कर रहे होते। यह तथ्य हम

जानते तो हैं पर मानते नहीं। समय आ गया है कि हम संघबद्धता की शक्ति को समझें और वैयक्तिक एवं सामाजिक प्रगति के लिये उसका उपयोग करें। इस प्रजातन्त्र युग में तो यही शक्ति सर्वोपरि है। जनसमूह के विद्रोह ने अंग्रेजों को भगा दिया और जन समर्थन के आधार पर कांग्रेस पार्टी राज्य सिंहासन पर जा विराजी। संघबद्धता के बिना इस युग में कोई गति नहीं। इस तथ्य को हम जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही उत्तम है। शास्त्रकार ने 'संघे शक्ति कलौयुगे' की सूक्ति में वर्तमान युग की सर्वोपरि शक्ति 'संगठन' को घोषित करके सामयिक तथ्य का ही उद्घाटन किया है।

सहकारिता की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में विकसित होनी चाहिये। कृषि, व्यवसाय, उद्योग, उत्पादन जिस सरलता और सफलता के साथ सामूहिक प्रयत्नों से बढ़ सकते हैं, उस स्तर की सम्भावना एकाकी प्रयत्नों से कदापि सम्भव नहीं हो सकती। विदेशों में जहाँ श्रम बहुत महंगा है और व्यवसाय के लिये बड़ी पूंजी अपेक्षित होती है, वहाँ सहकारिता के आधार पर ही सारे उद्योग-धन्धे चलते हैं। बड़े-बड़े फर्म, उद्योग और मिल शैयरी के आधार पर चलते हैं। छोटे पैमाने पर अब उत्पादन और व्यवसाय का जमाना धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के अनेक व्यवधान अब ऐसे पैदा हो गये हैं, जिनके कारण एकाकी प्रयत्न से किया गया छुटपुट उत्पादन महंगा पड़ता है और उसकी निकासी स्वल्प प्रयास से छोटे क्षेत्र में सम्भव नहीं हो पाती फलस्वरूप घाटा उठाना पड़ता है। विकल्प में यदि थोड़ी-थोड़ी पूंजी और थोड़े-थोड़े श्रम का एकीकरण कर लिया जाय तो वह क्षमता इस स्तर की हो जायगी कि पूंजीपतियों के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके। लाभ एक व्यक्ति को न मिलकर समूह को मिले, इस प्रयोजन की पूर्ति केवल सहकारिता ही कर सकती है। भारत को कभी समृद्ध सम्पन्न बनाना होगा तो उसके मूल में सहकारिता की उदीयमान शक्ति ही काम कर रही होगी।


सार्वजनिक क्षेत्र की अगणित समस्यायें उलझी पड़ी हैं। इन्हें सुलझाने में ब्रह्मास्त्र केवल सहयोग ही सिद्ध होगा। ग्रामीण जीवन में स्वच्छता की समस्या अति विकट है। गन्दगी ने उस प्राकृतिक वातावरण में बसे जन संकुलों को दुर्गन्ध, घृणा और रुग्णता का घर बना दिया है। खेल-कूदों और व्यायामशालाओं की अभिरुचि घट जाने से शारीरिक और मानसिक स्तर गिर गया। अशिक्षा ने हमें पशुवत् बना दिया है। अपराधों और उच्छृङ्खलता की वृद्धि ने सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पूंजीपतियों का शोषण अपने ढङ्ग से चलता है। कष्टों के लिये की गई फरियाद कोई सुनता नहीं। सामाजिक कुरीतियाँ जर्जर बनाये दे रही हैं और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियाँ प्रतिरोध के अभाव में आंधी तूफान की तरह तीव्र होती चली जा रही हैं। इन सब समस्याओं का हल इस बात पर निर्भर है कि लोक-मङ्गल का उद्देश्य आगे रखकर सज्जन प्रकृति के लोग संगठित होते हैं या नहीं? यदि उनमें सहकारिता और सेवा-प्रवृत्ति जाग पड़े और थोड़ा-थोड़ा समय, श्रम तथा धन लोक-कल्याण के लिये नियोजित करने लगे, तो वह स्वयंसेवक सेना चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। उपरोक्त स्तर की हर कठिनाई से यह संगठन सहज ही निपट सकता है। शक्ति का प्रदर्शन होने से ही लोग झुक जाते हैं, अक्सर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता कम ही पड़ती है। आवश्यकता शक्ति के उद्भव की है और वह इस युग में बहुत करके संगठन पर ही निर्भर है।

हम एक हजार वर्ष की लम्बी गुलामी से उठे हैं। इस अन्धकार युग ने हमें अगणित वौद्धिक एवं सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का दास बना दिया है। अतीत का गौरवपूर्ण इतिहास तो है पर उसी अनुपात से हम दुर्दशाग्रस्त हो रहे हैं। यदि किसी को सुधार के लिये दर्द और परिवर्तन के लिये उत्साह उठता हो तो सबसे पहले काम यह हाथ में लेना चाहिये कि सेवा भावी सज्जनों को सङ्गठित कर डालें और उनके सामूहिक सत्प्रयत्नों को हर क्षेत्र में नियोजित करने के लिये प्रेरित करते रहें। युग-निर्माण योजना का यही प्रयत्न है। इन प्रयत्नों को अभीष्ट सहयोग मिल सका तो संगठन और सहकारिता की सम्मिलित शक्ति से हर दिशा में प्रगति और समृद्धि का सत्परिणाम प्रस्तुत किया जा सकता है। उचित यही है कि उदार सहकारिता को अङ्गीकार करें, अपना और समस्त मानव जाति का भला करें।

—'स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय' पुस्तिका से।

प्रगति के लिये श्रम-सम्मान एवं गृह-उद्योगों की आवश्यकता

क्र० ६०



वह समय चला गया जब एक कमाता था और सारा परिवार आनन्द से निर्वाह किया करता था। आसमान को छूने वाली आवश्यकताओं ने हमारा सारा आर्थिक सन्तुलन बिगाड़ कर रख दिया है। अब कोई बिरले ही आसानी से अपना खर्च चला पाते हैं। कड़ियों की स्थिति तो ऐसी है कि वे बेईमानी की अतिरिक्त कमाई छोड़ दें तो उन्हें पेट पालना कठिन हो जाय। इन परिस्थितियों में हमें अपने आर्थिक स्तर को व्यवस्थित करने के लिये नये सिरेसे नये ढंग से सोचना होगा। कुड़मुड़ते रहने से नहीं वरन् उन उपायों को शान्त मस्तिष्क से ढूँढ़ना होगा, जिनसे इस अभाव और अशान्तिभरी परिस्थिति का हल निकाला जा सके।

अब न तो मँहगाई कम की जा सकती है और न भोजन व्यवस्था, निवास, शिक्षा, चिकित्सा आतिथ्य आदि के आवश्यक खर्च घटाये जा सकते हैं। बेईमानी का क्रम व्यापक हो गया तो ठगने वालों को भी ठग बेतरह हैरान करेंगे और जो अतिरिक्त कमाया था वह अतिरिक्त खर्चों में ही चला जायगा। देश में इतने अधिक साधन नहीं हैं जो वेतन, उत्पादन या व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ हो सके। चन्द भाग्य के सिकन्दरों की बात दूसरी है, सर्व साधारण के लिये यही परिस्थिति है। ऐसी दशा में आर्थिक स्थिति सम्भालने का एक ही हल दिखाता है कि घर का हर समर्थ और वयस्क व्यक्ति कुछ उपार्जन की बात सोचे और उसका रास्ता निकाले। अब वह समय आ गया कि जब सब कमायें तो सबका पेट भर सकेगा। एक की कमाई इतनी नहीं हो सकती कि समस्त आवश्यकतायें ठीक तरह पूर्ण हो सकें।

जापान बहुत ही छोटा देश है पर उसकी समृद्धि संसार के सर्वोच्च देशों की तुलना में है। समुद्र के बीच छोटा-सा टापू, जहाँ प्राकृतिक साधन बहुत कम हैं। आये दिन भूकम्प आते रहते हैं, जिससे वहाँ के निवासी उनके झटकों का ध्यान रखते हुए लकड़ी के बने हलके मकानों में गुजारा करते हैं ऐसी विषम परिस्थितियों का देश समृद्धि की चोटी पर पहुँच गया, इसका एक ही कारण है—घर-घर में गृह-उद्योगों का प्रसार। जापान में एक भी घर नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति खाली बैठा रहता हो। वयस्क पुरुष कल-कारखानों में काम करने जाते हैं और घर पर रहने वाले अन्य व्यक्ति, चाहे वे स्त्रियाँ हों या बालक और बूढ़े कुछ गृह उद्योग चलाते रहते हैं। वहाँ पर छोटी-छोटी मशीनें लगी हैं, जिनके सहारे घर पर रहने वाले लोग अपनी सामर्थ्य और सुविधानुसार कुछ न कुछ कमाते रहते हैं। यह कमाई मिल-जुलकर इतनी हो जाती है कि कारखानों में काम करने वाले वयस्कों की तुलना में कुछ अधिक ही पड़ती है।

इससे कई लाभ होते हैं। बेकारी के समय में निरर्थक विचार और अवांछनीय कार्य करने की जो दुष्प्रवृत्ति पनपती है उसके लिये कोई अवसर नहीं रहता। हर व्यक्ति की कुशलता और क्षमता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और उत्पादन की वृद्धि से राष्ट्रीय समृद्धि में योगदान मिलता है। कहना न होगा कि पैसे की सुविधा रहने से स्वास्थ्य शिक्षा, विनोद, पुण्य-परमार्थ आदि अनेक दिशाओं में प्रगति कर सकना सम्भव होता है। दरिद्र व्यक्ति को तो पग-पग पर मन मारकर बैठना पड़ता है और उसकी प्रगति के सभी द्वार अवरुद्ध बने पड़े रहते हैं।

अपने देश का दुर्भाग्य ही है कि यहाँ काम करना बुरा और आराम से बैठे रहना अच्छा माना जाता है। जिन्हें काम नहीं करना पड़ता वे अपने को भाग्यवान मानते हैं। पुरुष अपने घर की स्त्रियों को काम नहीं करने देते, करती हैं तो वे अपनी बेइज्जती समझते हैं। जो लोग मेहनत मजुरी से रोटी कमाते हैं, वे अछूत कहलाकर तिरस्कृत किये जाते हैं। बैठे-बैठे हराम की कमाई खाते हैं, वे बड़े आदमी माने जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करते ही हर युवक अपने बाप-दादे के धन्धे कृषि व्यवस्था में परिश्रम लगता देखकर जी चुराने लगता है और क्लर्क बनकर किसी दफ्तर में मेज-कुर्सी की आराम-तलबी ढूँढ़ता है। गाँवों में श्रम के अभाव से खेती मुरझाई पड़ी है और शहरों में मुदरसी तथा मुहरिरी के लिये पोस्ट-ग्रेजुएटों की लम्बी कतारें इधर से उधर दुतकार खाती मारी-मारी फिरा करती हैं। श्रम के प्रति अरुचि अपने देश के दुर्भाग्य और दारिद्र्य का प्रधान कारण है। सम्पन्न देश के नागरिकों ने बड़ी मशकत करके दौलत कमाई है। एक हम हैं, जो लाटरी, सट्टा, ब्याज तथा चोर-चाण्डाली की रीति-नीति अपना कर मालदारी के सपने देखते रहते हैं। समय आ गया है कि हम अपनी गतिविधियों को बदलें और यह सोचना आरम्भ करें कि श्रम-शीलता मनुष्य का गौरव है।

'आराम हराम है'—को उक्ति हम आज का आर्थिक दुःशा से उवारन म पतवार का काम कर सकता हैं। दरिद्रता और अभावग्रस्तता को दूर करने के लिए कठोर एवं उत्पादक श्रम में अधिकाधिक तत्परता प्रकट करना ही एक मात्र उपाय है, जिससे मुख्य सम्पन्नता के साथ-साथ सद्गुणों की अभिवृद्धि भी सम्भव है। जो मेहनत से कमाता है वही उसका सदुपयोग भी करता है। हराम की कमाई तो ऐसे ही व्यसन-व्यभिचार में तथा रोग-शोक की परिस्थिति उत्पन्न करने में खर्च होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिरता भी उत्पादक श्रम पर निर्भर है।

शिक्षित नारी अपनी शिक्षा का लाभ समाज को देने के साथ समय बचाकर उपार्जन भी कर सकती है। अध्यापन जैसी नौकरी कर लेने में तनिक भी हर्ज नहीं। शिशु-शिक्षण, महिला शिक्षण की स्वतन्त्र पाठशालायें भी वे आसानी से चला सकती हैं। भोजन, गृह-व्यवस्था से बहुत सारा समय उपार्जन के कामों के लिए बचाया जा सकता है। घर की दूसरी महिलायें कुछ समय उनके बच्चे संभाल लिया करें तो बच्चों वाली शिक्षित महिलायें अपने बच्चे समय में भी कई तरह से काम कर सकती हैं। सिलाई या टाइप-राइटिंग यदि आता हो तो घर पर भी उन्हें किया जा सकता है।

गृह उद्योग शिक्षित और अशिक्षित सभी के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कढ़ाई, बुनाई, जरी का काम, कण्ठी-माला बनाना, रेडीमेड कपड़े सीना जैसे काम घरेलू उद्योगों की तरह कितनी ही जगह होते हैं और उनसे महिलायें कुछ न कुछ उपार्जन करती रह सकती हैं। गाँधीजी ने भारत की स्थिति के अनुसार चर्खा कातने का गृह-उद्योग प्रस्तुत किया था, यदि उसे अपना लिया गया होता तो देहाती क्षेत्रों में उपार्जन और बचत का वह सुन्दर समन्वय बड़ा उपयोगी सिद्ध होता।

शिक्षा की वृद्धि के साथ-साथ पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी का प्रश्न भी टेढ़ा होता चला जाता है। अब हर शिक्षित को नौकरी मिलना मुश्किल है। पैतृक व्यवसाय में सब बच्चों की खपत और गुजर कर सकना भी कठिन है। ऐसी दशा में गृह उद्योगों पर ही ध्यान केन्द्रित होता है। जापान की तरह अपना गरीब देश भी घरेलू कला कौशल को अपना कर आजीविका के नये स्रोत उत्पन्न कर सकता है। इस संदर्भ में विचारशील लोगों को अधिक ध्यान देना चाहिए। और छोटी पूंजी तथा स्वल्प प्रयत्नों से चल सकने वाले कुटीर उद्योगों को संगठित करना चाहिए और उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए तन्त्र खड़े करने चाहिए।

मथुरा में युग-निर्माण विद्यालय ऐसी एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ रेडियो-ट्रांजिस्टर बनाना तथा सुधारना, बिजली की फिटिंग तथा बिजली से चलने वाले पंखे, हीटर, लाउडस्पीकर आदि की मरम्मत बिजली से सोने, चाँदी, निकल आदि की पालिश, प्लाष्टिक के फाउन्टेनपैन खिलौने तथा दूसरी चीजें बनाना, फोटोग्राफी, बिस्कुट, डबलरोटी बनाना, तुरन्त धुलाई (डाइक्लीनिंग), खिलौने उद्योग, चश्मों के लेंस बनाना, साबुन फिनायल, स्याही, सुगन्धित तेल आदि का निर्माण, मौजे, बनियान, स्वेटर तथा मफलर बनाना, प्रेस का सम्पूर्ण शिक्षण, रबड़ की मुहरें, जिल्दसाजी जैसे अनेक उद्योग सिखाये जाते हैं। एक वर्ष में इनमें से कितने उद्योग बिना किसी फीस के सीखे जा सकते हैं। मधु-मक्खी पालन, हैन्डपम्प लगाना, प्लैश के देहाती पाखाने बनाना, कपड़ा बुनना आदि कितने ही नये उद्योग इसमें और भी सम्मिलित किए जाने वाले हैं।

विद्यालय में जीवन जीने की कला तथा नव-निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य कर सकने की क्षमता भी छात्रों में विकसित की जाती है। जिस प्रकार उपरोक्त विद्यालय, मथुरा में खोला गया है उसी तरह अनेक विद्यालय गाँव-गाँव में खुल जाँय, सामान तैयार कराने और बेचने के लिए समितियाँ गठित हों या कोई व्यक्ति विशेष इस कार्य को अपने कंधों पर उठावें तो बेकारी की समस्या का समाधान हो, आर्थिक प्रगति के सूत्र मिलें और मुरझाये चेहरों पर ताजगी का एक नया आधार मिले।

जहाँ अपने देश में गृह-उद्योगों के शिक्षण, संगठन और विक्रयकेन्द्रों के संचालन की आवश्यकता है, वहाँ यह भी बहुत जरूरी है कि सर्वसाधारण के मन में श्रम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाय। दरिद्रता दूर करने के लिए प्रयत्न करने, मनुष्यों के जीवन-स्तर उठाने एवं सद्गुणों के अभिवर्धन की दृष्टि से यह एक उपयोगी एवं आवश्यक कार्य है। यदि सर्वसाधारण की मनोभूमि में श्रम की उपयोगिता समा सके तो क्या गरीब, क्या अमीर सभी हरामखोरी से बचने का रास्ता ढूँढ़ें। सरकार लघु उद्योगों को संरक्षण दे, जनता श्रम में रुचि ले और उत्पादन को खपाने के लिए तन्त्र खड़े हों तो हमारी आर्थिक दशा सुधरें तथा हमारी प्रगति की दिशा में एक नया द्वार खुल जाय।

अन्न संकट की चुनौती का सामना कैसे करें ?

क्र० ६१

जन-संख्या की वृद्धि और तमाखू जैसी हानिकारक फसलों से बहुत जमीन घिर जाने के कारण अब अपना अन्न-बाहुल्य कृषि-प्रधान देश दूसरों से उधार, कर्ज या खरीदकर पेट पालने वाले पिछड़े देशों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। कारण जो भी हो पर यह ऐसा राष्ट्रीय दुर्भाग्य है जिसके खतरे की गम्भीरता हम सबको समझनी चाहिये और जितनी जल्दी हो सके इस पिछड़ेपन के कलंक से अपने मुख की कालिमा धोनी चाहिये। अन्न के लिए परावलम्बी देश सदा अपने अन्नदाता के पिछलग्गू बन कर रहने के लिये विवश किये जाते हैं। जो सहायता करेगा वह कुछ तो अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहेगा ही। समय आने पर उसकी प्रत्यक्ष या परोक्ष दासता भी स्वीकार करनी पड़ सकती है। "विभूधितं किं न करोति पापम्" की उक्ति के अनुसार भूखे को जो भी काम करना पड़े कम है।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन की वृद्धि के लिये देश में एक युद्ध-स्तरीय उमङ्ग एवं त्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की जरूरत है। हर किसान अपने अथक परिश्रम और क्रिया कौशल द्वारा अपने पड़ोसी से बाजी लगाये कि वह अधिक उत्पादन करके अपनी देशभक्ति का अधिक बड़ा प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। अपनी जमीनों में दूसरे देशों की तुलना में प्रायः आधी फसल उगती है। अधिक उत्पादन के तरीके आसानी से हूँदें और सीखे जा सकते हैं। उमंग हो तो बहुत कुछ हो सकता है, सोचनी तो सरकार भी बहुत कुछ है और योजनायें भी कई बनाती है, पर कर्मचारियों का जो ढर्रा है, उससे सब गुड़ गोबर हो जाता है। फिर भी कुछ लाभ तो उससे भी लिया जा सकता है।

शाक-भाजियाँ कम भूमि में अधिक पैदा होती हैं। यदि हमारे खाने की आदत में शाक-भाजियों को कुछ अधिक स्थान मिल सके तो अन्न की कमी उससे पूरी होने लगे, उत्पादन का लाभ अधिक मिले और शाकों का जीवन तत्व स्वास्थ्य को भी सँभाले।

इस समस्या का दूसरा पहलू है अन्न के अपव्यय को रोकना। अपने देश में बड़ी दावतों का, उनमें अनेक प्रकार के व्यंजन परोसने का, आवश्यकता से अधिक खाने का बहुत रिवाज है। छोटे-छोटे हर्षोत्सवों में बड़े-बड़े प्रीति-भोज खड़े कर दिये जाते हैं। बच्चों के जन्म, मुण्डन, जनेऊ, विवाह में दावतों की धूम रहती है। इतना ही नहीं किसी के मर जाने पर भी लोग दावतें खाने और खिलाने से नहीं हिचकते। आये दिन दावतों की धूम रहती है। विदेशों में जलपान, चाय-पार्टी जैसे स्वल्पाहारों का सीमित मित्र मंडली तक प्रचलन होता है, पर गाँव भर के, विरादरी भर के लोगों को अर्धाधुन्ध संख्या में स्त्री-बच्चों सहित दावतें देने की धूम कहीं नहीं रहती है। यहाँ तो दावतों ने धर्म-पुण्य का भी स्थान ग्रहण कर लिया है। पुण्य किसको, किस प्रयोजन के लिये, क्या देने से होता है, इस सोच-विचार में पड़ने की अपेक्षा लोग लम्बी-चौड़ी दावतें कर देते हैं, और अपने आपको धर्मात्मा-पुण्यात्मा मान कर, स्वर्ग में उसका लाखों गुना प्रतिफल पाने का इन्तजार करने लगते हैं। अन्नदान अभावग्रस्तों की आपत्ति निवारण के लिये उपयोगी भी हो सकता है, और उसे दान-पुण्य की गिनती में भी गिना जा सकता है। पर भरे पेट वाले, खाते-पीते लोगों को दावत खिलाने में धर्म-पुण्य की संगति कैसे बिठाई जाय, यह समझ में नहीं आता।

जो हो बड़ी दावतों में अन्न की बुरी तरह बरबादी होती है। ड्यौड़ा-दूना खाकर पेट भी खराब करते हैं और अनाज भी। इसके साथ-साथ एक बुरी प्रथा यह जुड़ी हुई है कि दावतों की शान पत्तलों पर छोड़ी हुई जूँठन से की जाती है। खाने वालों की अमीरी और खिलाने वाले की दिलेरी इससे 'आँकी' जाती है कि 'जूँठन' कितनी

छोड़ी गई ! यह अन्न देवता के अपमान का बहुत ही बुरा पहलू है। एक ओर तो हम अन्न को देवता कहें और दूसरी ओर उसे इस प्रकार तिरस्कृत स्थिति में फेंक दें, यह कितनी बुरी बात है ?

जूठन भंगी के आगे फेंक दी जाती है, वह उसे समेट ले जाता है। अपने सुअर और जानवरों के आगे डाल देता है। लोभवश कुछ खुद भी खा लेता है। यह और भी अधिक दुःखदायी दृश्य है। भंगी को मानवीय स्वाभिमान का लाभ लेने देना चाहिये। उसमें भी आत्म गौरव की इतनी अनुभूति रहने देनी चाहिये कि किसी का फेंका हुआ—जूठा अन्न खाकर अपने स्वाभिमान और स्वास्थ्य को न गिराये। मिठाई ही क्यों न हो जूठन खाना प्रत्यक्ष ही हीनता का चिह्न है। इससे एक की बीमारियाँ दूसरे को लग सकती हैं। जूठन देना भंगी के साथ उदारता बरतना नहीं है। यदि उसके साथ सहानुभूति है तो अच्छा स्वच्छ, ताजा भोजन—सम्मानपूर्वक दिया जाना चाहिये। किसी के स्वाभिमान को चोट पहुँचा कर, उसे बीमारियों के चंगुल में फँस जाने की विभीषिका के साथ, यह जूठन का उपहार दिया गया है, तो समझना चाहिये कि यह 'दान' देने वाले और लेने वाले के पक्ष में प्रतिकूल पड़ने से अधर्म ही कहलायेगा। अन्न की बर्बादी का यह बहुत ही बुरा तरीका है, जिसका कुरुचि विरोधी आन्दोलन के स्तर पर सामूहिक निश्चय के साथ निषेध किया जाना चाहिये।

वर्तमान अन्न की तंगी के दिनों में जब कि हम अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान बेचकर अमरीका आदि से अनाज मँगाते हैं, तब बड़ी दावतों द्वारा होने वाली अनाज की बरबादी पर हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का ध्यान रखते हुए स्वयं प्रतिबंध लगाना चाहिये। जूठन छोड़ने की प्रथा तो एकदम बन्द कर देनी चाहिये। खाने वाले यह ध्यान रखें कि वे जिसके यहाँ भोजन करने आये हैं उसके शत्रु नहीं मित्र हैं। जितना खाना हो उतना खालें पर बर्बादी का भार तो उस पर न डालें। यह सज्जनता और भलमनसाहत का तकाजा है, जिसका स्मरण हर दावत खाने वाले को बराबर रखना चाहिये। इसी प्रकार भोजन परोसते समय ध्यान रखा जाय कि आग्रह भले ही कितना भी किया जाय, पर परोसा उतना ही जाय जिसके लिये खाने वाले ने स्पष्ट स्वीकृति दी हो। बिना माँग या बिना पूछे पत्तल पर यों ही पटकते रहना, प्रेम, आदर या अनुग्रह का चिह्न नहीं वरन् विशुद्ध रूप से गँवारपन है, जिसके कारण खाने वाले को असमंजस में पड़ना पड़ता है और अन्न जैसे आज के बहुमूल्य पदार्थ की बरबादी होती है।

अपने देश में उपवासों को धार्मिक दृष्टि का महत्व दिया गया है। कर्मचारियों की तरह सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिल जाने से पेट को भी नई शक्ति सम्पादित करके अधिक उत्साह से काम करने का अवसर मिलता है और उदर रोगों से बचे रहने के साथ-साथ स्वास्थ्य-संवर्धन का भी संयोग प्राप्त होता है। सप्ताह में एक दिन अथवा कम से कम एक जून तो हर कोई बड़ी आसानी से उपवास रख सकता है। निराहार रहना कठिन लगे तो अन्न रहित—शाक, फल, दूध आदि लेकर भी ऐसा उपवास हो सकता है। हम सब यदि धार्मिक अथवा राष्ट्रीय दृष्टि से ऐसे उपवासों का नियम बना लें तो देश को इन दिनों जितनी कमी अन्न की पड़ती है, उसकी पूर्ति बहुत ही आसानी से हो सकती है। जिनमें देश भक्ति अथवा समाज निष्ठा के तत्व मौजूद हैं उनको थोड़ी असुविधा या कष्ट सह लेना भी कठिन न होना चाहिये जिसके साथ आर्थिक बचत और स्वास्थ्य-रक्षा के लाभ भी जुड़े हुए हैं।

वृहों से, कीड़ों से अन्न बचाने की सावधानी यदि हर गृहस्थ में, अन्न भण्डारों में बरती जाने लगे तो भी बहुत काम चल सकता है। अधिक बच्चों की उत्पत्ति से बढ़ने वाले अन्न सङ्कट की ओर भी हमारा ध्यान रहे तो हम उस विभीषिका का बहुत हद तक सामना कर सकते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और भविष्य को अन्धकारमय बनाने पर तुली है।

‘शाक उगायें अन्न बचायें’ पुस्तिका से

शाक हमारी खाद्य समस्या का हल करेंगे

क्र० ६२

अपने देश में इन दिनों अन्न की कमी है। जनसंख्या बहुत बढ़ जाने और उपयोगी जमीन पर तमाखू, अफीम आदि बुरी फसलें उगाने तथा श्रम की दृष्टि से आलसी होते जाने से आज अनाज उतना पैदा नहीं होता जितने की आवश्यकता है। इसलिए विदेशों से नकद खरीद कर, उधार लेकर, दान माँगकर हमें अपना स्वाभिमान बेचना और राजनैतिक प्रभाव गिरवी रखना पड़ता है। यह बुरी और चिन्ता की बात है।

सरकार क्या करने जा रही है और नेता क्या सोचते हैं—इसकी परीक्षा किए बिना हमें अपनी स्वल्प सामर्थ्य और छोटे विचार के अनुसार कुछ काम करना आरम्भ कर देना चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं का हल निकालने में एक देशभक्त के नाते हम सबके भी कुछ कर्तव्य हैं, वे निवाहे जाने चाहिये। इस दिशा में हम दो कार्य कर सकते हैं—(१) शाक-सब्जियों को भोजन में अधिक स्थान देना। (२) शाक-भाजी उगाना। इन दोनों कार्यों के भोजन की समस्या उपयुक्त ढङ्ग से हल होती है और अन्न वचता है। यह वचत हमें अन्न की दृष्टि से स्वावलम्बी बना सकती है।

शाक-भाजी हर दृष्टि से हमारा उपयुक्त भोजन है। उनमें अन्न से भी अधिक जीवन-तत्व, क्षार विटामिन आदि भरे पड़े हैं। वे सुगन्ध होते हैं और अन्न न पचने पर जिन विकृतियों और बीमारियों की संभावना रहती है, शाकों से उसका बचाव सहज ही हो सकता है। सूखे अन्नों से हरे शाकों में सजीवता अधिक है और वे हमारे शरीर एवम् मस्तिष्क में अपेक्षाकृत अधिक सजीवता एवम् स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। शाकों में फलों की अपेक्षा कुछ ही कम गुण होते हैं। वस्तुतः वे भी एक प्रकार के फल ही हैं—सस्तेपन के कारण उन्हें घटिया माना जाता है पर कई बार तो वे कीमती फलों से भी अधिक उपयोगी होते हैं। गाजर और टमाटर में बहुमूल्य विटामिनों की भारी मात्रा विद्यमान है। अन्य शाकों की अपनी-अपनी उपयोगिता की विशेषतायें हैं। आलू अन्न के समान ही एक परिपुष्ट एवं समग्र भोजन है। खरबूजा, तरबूजा, खीरा ककड़ी जैसे शाक की तरह उगने वाले फल सस्तेपन के साथ-साथ लाभ में भी कीमती फलों का युकाबला करते हैं। जाहार में इनका अधिक समावेश करना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

किसान जिनके पाम जमीनें हैं कुछ बीघे जमीन शाक उगाने के लिये सुरक्षित रखें। आलू, रतालू, अरबी, प्याज शकरकन्द, जमीकन्द, गाजर, चुकन्दर, अदरक आदि कितने ही ऐसे कन्द हैं—जिनकी माँग भी रहती है और पैसे भी बहुत दे जाते हैं। लौकी, तौरई, बैंगन, भिण्डी, परवल, टमाटर, कद्दू, पेठा, गोभी, वन्दगोभी जैसे शाक उगाना अति सरल है। पालक, चौलाई, मेंथी, पौदीना, धनियाँ, सरसों, बथुआ, नोनिया जैसे पत्ती वाले शाक कहीं भी उगा सकते हैं। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी, खीरा आदि की फसलें उगाने वालों को मालामाल कर देती हैं। किसान समय-समय पर उन्हें बोनो लगे तो बाजार में भी उनकी बहुत खपत हो सकती है और घर में उपयोग बढ़ाकर आर्थिक लाभ स्वास्थ्य रक्षा और अन्न-वचत में योगदान बन सकता है। किसान का ध्यान इस ओर मुड़ जाय और वे थोड़ी जमीन इसके उत्पादन के लिए निश्चित सुरक्षित रखने लगे तो शाक के लिये आज जो तरसना पड़ता है और अनाज में भी अधिक दाम देने पड़ते हैं वह परिस्थिति न रहे। सजीव-भोजन से हमारे शरीर निरोग एवं स्फूर्तिवान् हों और अधिक लाभ भी प्रत्यक्ष सामने आये।

इस दिशा में बिना किसान भी कुछ काम कर सकते हैं और एक उत्साहवर्धक आन्दोलन खड़ा हो सकता है। बहुत घने शहरों में जहाँ काल कोठरियों में चींटियों की तरह लोगों को किराये के घरों में रहना पड़ता है वहाँ की वात छोड़कर—अन्यत्र, गाँव, कस्बों में लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनमें आँगन, छतें, वरामदे तथा आस-पास की खुली जगह हों। गाँवों में तो अक्सर ऐसी गुंजायश जरूर रहती है। इस खाली जगह में थोड़ा खोदकर थोड़ा खाद देकर

शाक-भाजी उगाये जा सकते हैं। गमलों में, फूटे हुए घड़ों के आधे पेंदे में, लकड़ियों की रूढ़ी पेटियों में मिट्टी भरकर आँगन या छत पर रखा जा सकता है और उसमें कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। अदरक, धनियाँ, पोदीना, हरी मिर्च जैसी चीजें तो हर कहीं उग सकती हैं, यह चटनी का काम देगी। भिण्डी, तोरई, लौकी, टमाटर, मैथी, पालक जैसी चीजों का उगना वर्षा के दिनों में तो अति सुगम है। थोड़ी मेहनत में तो घर के आस-पास इतना उत्पादन हो सकता है कि शाक भाजी की आवश्यकता को एक हद तक पूरा किया जा सके। यह शौक बहुत ही लाभदायक है। व्यायाम एवं परिश्रम भी होता है, समय का सदुपयोग रहता है, उत्पादन एवं निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है। हरीतिमा की शोभा रहती है। पौदों से आक्सीजन-प्राण वायु मिलती है और ताजे शाक-भाजी खाने तथा पैसे बचने की सुविधा रहती है। यह शौक यदि अपने जातीय स्वभाव में सम्मिलित हो सके—एक की देखादेखी दूसरा अनुकरण करने लगे—तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं।

सौन्दर्य, शोभा, सुगन्ध, वायुशुद्धि और चित्त में प्रसन्नता उत्पन्न होने की दृष्टि से फूलों का भी अपना महत्व है। शाकों की तरह जहाँ तहाँ फूल भी उगा सकते हैं। भगवान् की पूजा, मित्रों को उपहार, मेज पर गुलदस्ते, महिलाओं बच्चियों के लिए बालों का श्रंगार, गजरे गहनों की पूर्ति, बच्चों के कोट पर लगाने के नेहरू मार्का गुलाब आदि अनेक उपयोग फूलों के हैं। इनसे घर-आँगन की शोभा-सुसज्जा कई गुना बढ़ जाती है। फूलों की कृषि, व्यावसायिक आधार पर भी की जा सकती है। बड़े नगर और कस्बों के आस-पास तो उनकी दैनिक बिक्री ही बहुत होती है। छोटे देहातों में गुलाब की कृषि हो सकती है। इसमें सब फसलों से अधिक अर्थ लाभ है। दवाओं के लिए, ठण्डाई के लिए सूखे गुलाब पुष्पों की भारी माँग रहती है। इत्र और गुलाबजल बनाने का उद्योग भी थोड़े से प्रशिक्षण से आरम्भ हो सकता है। अलीगढ़ जिले के बरमाना गाँव में अधिकांश किसान गुलाब की कृषि बड़े पैमाने पर करते हैं और साधारण किसानों से कई गुना लाभ कमाते हैं। पुष्पवाटिका हमारे शौक का विषय बन जाय तो भी एक अच्छी प्रवृत्ति पनपे।

शाक-भाजी का उद्योग अनेक बेकारों को जीविका दे सकता है। उनसे हाट-बाजार में एक मण्डी आरम्भ हो सकती है। शहरों के लिए उन्हें ढोने वाले वाहनों को काम मिल सकता है। फेरी वाले धन्धा पा सकते हैं। बीज और पौधे बेचने का भी एक धन्धा हो सकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने वाली छोटी बड़ी पुस्तकें छपने और बिकने का काम बढ़ सकता है। इस प्रकार इस उद्योग में कितने ही व्यक्ति खपाये जा सकते हैं।

एक बीघा जमीन में यदि अन्न पाँच मन उत्पन्न होता हो तो आलू सहज ही उसमें १० गुना अर्थात् ५० मन मिलेगा। गेहूँ की फसल प्रायः पूरा एक वर्ष ले जाती है इतने समय में शाक-भाजी की तीन फसलें आसानी से ली जा सकती हैं। किसी के पास थोड़ी जमीन हो तो भी अपने परिवार का निर्वाह उतने में ही कर सकता है। विस्तार कम होने से रखवाली, सिकाई, गुड़ाई, निराई आदि आसानी से हो सकती है। उसे घर के थोड़े से व्यक्ति भी बिना बाहरी मजदूरों की खुशामद किए अपने आप संभाल सकते हैं। नाश्ता हर समय तैयार है। कोई मेहमान आ जाय तो कुछ न कुछ उपहार देने की परिस्थिति, हरियाली से आँखों की ज्योति ठीक रहना, रोज भोजन के साथ शाक-भाजी की सरसता, गाय-भैंस दूध के पशु रखने के लायक घास तथा पत्तियों का मुफ्त चारा आदि कितने ही लाभ हैं जो शाक उत्पादन में हमें सहज ही मिल सकते हैं। घर-घर में तुलसी के पौधे लगाना भी एक आन्दोलन हो सकता है। तुलसी के बीज तथा पौधे रोपकर हर घर में आरोग्यवर्धक और धार्मिक वातावरण बनाया जा सकता है। यह लाभ सबकी समझ में आने योग्य है। पर कठिनाई इतनी है कि इस ओर लोक रुचि में उपेक्षा तथा अन्यमनस्कता घुस गई है, इसे निकाला जाना चाहिए। लोगों को समझाया जाना चाहिए। हरी क्रान्ति के लिए, हरियाली उगाने के लिए एक जोश एवं उत्साह भरा आन्दोलन उत्पन्न करें। समझदार लोग इस संदर्भ में लोक-शिक्षण के लिए टोलियाँ बनाकर निकलें। घर-घर जाकर हरीतिमा का संदेश सुनायें। वर्षा के दिनों में तो इसे हर जगह तुरन्त कार्यान्वित कराया जा सकता है। बीज और पौधे थोड़ी-थोड़ी उपहार में देकर—लगाने-बोने में थोड़ी सक्रिय सहायता देकर, इस संदर्भ में आवश्यक उत्साह कहीं भी उत्पन्न किया जा सकता है।

—‘शाक उगायें अन्न बचायें’ पुस्तिका से।

वृक्षारोपण और संवर्धन—एक अति आवश्यक कार्य

क्र० ६३

मनुष्य के जीवन धारण और उत्कर्ष में जिन अन्य जीवधारियों का प्रमुख सहयोग है, उनमें पशु और वृक्ष वर्ग की गणना प्रमुख है। गोमाता के गुण गाते-गाते हम नहीं अघाते, क्योंकि उसके द्वारा प्राप्त होने वाले दूध, गोबर, बैल, चर्म आदि सभी उपकरणों द्वारा पौष्टिक आहार तथा दूसरी सुविधाओं की प्राप्ति होती है। ठीक ऐसा ही अनुदान वृक्षों से प्राप्त होता है। उसके द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों की कोई गणना नहीं। वे बोलते भर नहीं, जीव तो उनमें भी है और वह जीव भी ऐसा है जो संतों जैसी गरिमा रोम-रोम में भरे बैठा है। वृक्ष यदि संसार में न होते तो संभवतः हमारे लिये जीवित रहना ही संभव न हुआ होता। घासपात और वनस्पतियों की महिमा तो लोग पशुओं के आहार, औषधि, अन्न तथा रस्सी, फूस आदि के रूप में जानते हैं। पर वृक्षों की उपयोगिता की कम ही जानकारी लोगों के ध्यान में आई है।

आमतौर से इतना ही जाना जाता है कि वृक्षों की छाया या फल फूल काम में आते हैं। हमें यह भी जानना चाहिये कि मनुष्य की साँस से निकलने वाली विषैली कार्बन गैस को सोख कर निरन्तर वायु को शुद्ध करते रहने का श्रेय वृक्षों को ही है, वे दिन भर यही काम करते हैं। रात को वे थोड़ी कार्बन गैस निकालते तो हैं, पर वह मनुष्य शरीर से निकलने वाली विष-वायु जैसी हानिकारक नहीं होती। दिन भर वृक्ष “आक्सीजन” नामक प्राण वायु उगलते हैं। मनुष्य के लिये यही जीवनाधार है। आक्सीजन की कमी पड़ जाने से मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है। और वह अन्न-जल से भी अधिक उपयोगी है। ऐसा बहुमूल्य आहार जिसकी पल-पल पर जरूरत पड़ती है और जो रक्त में लालिमा से लेकर जीवन धारक अनेक साधन जुटाता है, वृक्ष ही देते रहते हैं। वृक्ष न हों तो आक्सीजन की सारे संसार में कमी पड़ जाय और शरीरों से तथा आग जलने से निकलने वाली विष वायु सारे आकाश को दूषित कर ऐसी घुटन पैदा करदे कि प्राणियों का जीवन धारण ही संभव न रहे। इस दृष्टि से उन्हें जीवन दाता कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी।

वृक्षों में एक ऐसा त्रिशिष्ट आकर्षण है जो बादलों को खींच कर लाता है और वर्षा की परिस्थितियाँ पैदा करता है। जहाँ वृक्ष अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। वृक्ष रहित प्रदेश में स्वयंमेव वर्षा की कमी हो जाती है। वृक्षों की अभिवृद्धि अपने सुख-साधनों को बढ़ाना है। उनमें कमी आना अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति पर कुठाराघात होना है। प्राण-वायु कम मिले, वर्षा कम हो और वनस्पतियाँ कम उगें तो हम कितने घाटे में रहेंगे, इसका लेखा-जोखा रख सकना कठिन है।

आँखों पर हरीतिमा का बड़ा शान्तिदायक प्रभाव पड़ता है। उससे सहज ही जी प्रसन्न हो उठता है। घास तो वर्षा के दिनों में ही शोभा देती है, पर वृक्ष तो साल भर अपनी शीतलता प्रदान करते रहते हैं। उनकी छाया में कितने मनुष्य और पशु-पक्षी विश्राम पाते हैं, यह देखते हुये उन्हें एक खुली धर्मशाला कहा जा सकता है। फूलों की शोभा देखते ही बनती है। उनको सुगंध मस्तिष्क में प्रफुल्लता और शक्ति का संचार करती है। फलों में ही वे जीवन-तत्व हैं जो मनुष्य को निरोग और दीर्घजीवी बना सकते हैं। अन्न-अहार तो मजबूरी और अभाव की परिस्थिति में स्वीकार करना पड़ा है, अन्यथा मनुष्य की शरीर रचना बन्दर जैसे फलाहारी-वर्ग में ही आती है। उसका प्राकृतिक और स्वाभाविक भोजन फल है। देह में जो- जो जीवन तत्व पाये जाते हैं और जिनकी निरन्तर आवश्यकता रहती है वे अधिकतर फलों में ही भरे रहते हैं। इसलिये पूर्ण समर्थ, पौष्टिक, साहित्य और स्वास्थ्य रक्षक आहार में फलों की ही गणना की जाती है। उनमें शरीर ही नहीं मस्तिष्क और स्वभाव को भी उच्च स्तरीय पोषण प्रदान करने की क्षमता है। इसलिये धार्मिक दृष्टि से फलों को बहुत प्रधानता दी गई है। देवता पर चढ़ाने में फल और उपवास में फल सर्वत्र उन्हीं की गरिमा फैली पड़ी है। चिकित्सक भी रोगियों को फलों का आहार बतलाते हैं। क्योंकि वे शीघ्र पचने

वाले, पेट पर बोझ न डालने वाले और जीवन तत्वों से भरपूर रहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। ऋषि मुनियों का प्रधान आहार फल ही था। अन्य प्रदेशों में वे फल वाले वृक्षों का रोपण करके आहार समस्या से निश्चिन्त हो जाते थे। इसमें जहाँ सुगमता थी वहाँ दीर्घ, सुदृढ़, स्वास्थ्य, बुद्धि में सात्विकता तथा मनोबल बढ़ने जैसे अगणित लाभ थे। ऐसे आहार से साधना, उपासना में प्रखरता आती थी, और उसी क्षेत्र में रहकर विद्याध्ययन करने वाले छात्र मनस्वी तेजस्वी और सुदृढ़ सूरवीर बनकर वापिस लौटते थे।

वृक्षों की इस उपयोगिता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना ही चाहिये और उत्साहपूर्वक वृक्षों का आरोपण, संवर्धन, संरक्षण किया जाता है। कीमती फलों वाले वृक्ष आमदनी भी मामूली खेती से कहीं अधिक दे सकते हैं। संतरा, मौसम्बी, नीबू, चीकू, सेब, नास्पाती, अमरूद, लीची, लुकाट, आड़ू, अनन्नास, शहतूत, अंजीर जैसे फल आसानी से उगाये जा सकते हैं। तीन-चार वर्ष उनकी रखवाली, सिंचाई आदि का प्रबन्ध कर लिया जाय तो आगे फिर उनके लिये कुछ अधिक नहीं करना पड़ता है। आम, जामुन, खिरनी, महुआ, कटहल, आंवला, गूलर, पीपल, जैसे वृक्ष एक बार लगे तो सदा के लिये निश्चिन्तता हो गई। अंगूर, केले, पपीते जैसे सामान्य फलों को तो खेल-खेल में ही थोड़ी सी जगह में उगाया जा सकता है और हरियाली की शोभा के साथ-साथ बहुमूल्य आहार भी प्राप्त किया जा सकता है।

दुर्भाग्य से अपने देश में वृक्षारोपण के लाभों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सुविकसित देशों में उनके संवर्धन के लिये हर नागरिक में पूरा उत्साह पाया जाता है। पशुओं से भी अधिक उपयोगी वृक्षों को उगाने और बढ़ाने में जहाँ विशाल योजनाएँ बननी रहती हैं वहाँ अपने देश में इनको काट-काट कर समाप्त करते हुये "गौहत्या" जैसे कुकृत्य में हम लगे हुये हैं। ऋषि के लोभ में वृक्षों का सफाया हो चला और खेतों की मेंड़ों पर जहाँ कभी पेड़ों की हरीतिमा छाई रहती थी और उन पर चढ़ कर बच्चे बढ़िया मनोरंजन, व्यायाम करते थे वहाँ अब सर्वत्र सुनसान ही दिखाई पड़ता है। लोग सोचते यह है कि इससे जमीन खेती के लिये निकल आयेगी, पर वे यह भूल जाते हैं कि वृक्षों के अभाव में वर्षा की कमी तथा सर्दी-गर्मी की मात्रा अधिक हो जाने से फसलों को जो नुकसान होगा वह पेड़ों द्वारा छोड़ी हुई जमीन की अपेक्षा अधिक हानिकारक सिद्ध होगा।

हमें जहाँ भी सुविधा हो वृक्ष लगाने और उनकी रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये। धर्म-शास्त्रों में वृक्ष लगाने का पुण्य बहुत माना गया है। पीपल, बरगद, आंवला जैसे वृक्षों की तो पूजा भी होती है। बिहार के हजारी बाग जिले में आमों के हजार बगीचे लोगों ने पुण्य-प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही लगाये थे। लोकोपयोगी हर कार्य धर्म, पुण्य की गणना में आता है। इस दृष्टि से शास्त्रों और ऋषियों ने वृक्षारोपण को यदि स्वर्गदाता परमार्थ बताया है तो उनका मन्तव्य सच ही माना जाना चाहिये।

अपने देश में लोग गोबर जैसी बहुमूल्य खाद को जलाऊ लकड़ी की जगह काम में लाते हैं। यदि हम बेकार और हल्की भूमि में जलाऊ लकड़ी वाले वृक्ष लगा दें तो ईंधन की समस्या हल हो सकती है और मजबूरी में जो कीमती गोबर खाद नष्ट हो जाती है उसे बचाकर उत्पादन की दृष्टि से प्रयोजन पूरा किया जा सकता है। इमारती लकड़ी अपने यहाँ कितनी कम होती जा रही है उसका अनुभव उसकी दिन-दिन बढ़ती जा रही कीमतों को देख तब किया जा सकता है जब इमारत या फर्नीचर की लकड़ी या उससे बनी वस्तुएँ खरीदनी पड़ती हैं। लकड़ी की जरूरत बात-बात में पड़ती है। वृक्षारोपण के अभाव में वह इतनी महंगी होती चली जाय कि सर्वसाधारण को उसका खरीदना कठिन पड़े तो इसे एक दुर्भाग्य ही कहा जायगा।

इस आवश्यकता को समझा ही जाना चाहिये कि वृक्ष मनुष्य की एक महती आवश्यकता है और उनकी अभिवृद्धि के लिये नया उत्साह और नई चेतना पैदा की जानी चाहिये। रास्ते के किनारे हर जगह वृक्ष लगाये जाने चाहिये ताकि पथिकों को सरलता और बिना थकान के यात्रा करने का अवसर मिलता रहे। जहाँ भी अवसर हो हमें फलदार अथवा जलाऊ या इमारती लकड़ी वाले वृक्षों को लगाने के लिये स्वयं आगे बढ़ना चाहिये और दूसरों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

‘वृक्षारोपण एक परम पुनीत पुण्य’ पुस्तिका से

* तुलसी हमारे हर घर में शोभायमान रहे *

क्र० ६४



प्राचीन काल में यह प्रथा थी कि भोजन में तुलसी पत्र भगवान् का प्रसाद समझकर डालते थे, तब उसे खाते थे। इस प्रथा में तुलसी की उपयोगिता से नित्य प्रति लाभ उठाने और उसके प्रति श्रद्धा बनाये रखने का भाव था। निस्सन्देह यह साधारण दीखने वाला पौधा अपनी स्थूल एवं सूक्ष्म महत्ता के कारण असाधारण ही है, इसी से अपनी संस्कृति में उसे इतना ऊँचा स्थान मिला है। पद्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, बृहद्धर्मपुराण, स्कन्दपुराण, गरुण-पुराण आदि में तुलसी की महिमा के सम्बन्ध में अनेक अध्याय पाये जाते हैं, जिनमें धार्मिक उपाख्यानों के रूप में उसके प्रभाव और लाभों का वर्णन किया है। इसके सिवाय महानारायणोपनिषद्, राम रहस्योपनिषद्, वासुदेवोपनिषद् आदि प्राचीन ग्रंथों में भी तुलसी की स्तुति, प्रार्थना आदि का समावेश है, जिससे उस समय उसके प्रचार का अनुमान सहज में किया जा सकता है। 'तुलस्यु उपनिषद्' में तो केवल तुलसी की ही महिमा तथा उसकी सेवा-पूजा का विधान है। उसमें तुलसी के स्वास्थ्य प्रदायक और रोग नाशक गुणों का भी संकेत मिलता है।

शारीरिक दृष्टि से तुलसी एक सर्व रोग-निवारक औषधि का काम देती है। विभिन्न अनुपानों के साथ वह ज्वर, खाँसी, जुकाम, सर्दी, उदररोग, धातुरोग, स्त्री-रोग, मुखरोग, सर्पदंश आदि सैकड़ों रोगों में शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखलाती है। नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य को स्थिर रखती है और अनेक संक्रामक व्याधियों से रक्षा करती है। इसके प्रयोग से सात्विक भाव की वृद्धि होती है जिससे हृदय में श्रद्धा, भक्ति, कोमलता, क्षमा, दया आदि सत्प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। जो गुण तुलसी की पत्तियों में बतलाये गये हैं वे ही उसकी लकड़ी में भी पाये जाते हैं। इतना ही नहीं विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी की लकड़ी में विद्युत गुण बहुत अधिक परिमाण में पाया जाता है। इसीलिये धर्म ग्रंथों में तुलसी की माला धारण करने के बहुत अधिक लाभ बतलाये गये हैं। उससे मन की हानिकारक वासनार्ये और भावनार्ये नष्ट होती हैं और तरह-तरह के कुविचार, बुरे स्वप्न, अनिद्रा और हृदय की धड़कन में लाभ पहुँचता है। तुलसी-पत्र को जल में मिलाकर प्रयोग करने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और तुरन्त ही प्रभाव डालती है। इसीलिये पूजा, पाठ, हवन आदि धर्मकृत्यों के अवसर पर चरणामृत सेवन करने का नियम रखा गया है। इसके फलस्वरूप मन में स्वभावतः उठते हुए अनेक सांसारिक भोगों और कामनाओं के विचार शान्त हो जाते हैं और मनः-स्थिति धर्म कार्य के उपयुक्त बन जाती है। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिये शास्त्रों में कहा गया है—

त्रिकालं विनतापुत्र प्राशर्यं तुलसी यदि । विशिष्यते कायशुद्धिश्चान्द्रायण शत विना ॥१॥

तुलसी गन्धमादाय यत्र गच्छति मारुतः । दिशो दशश्च पूतास्युभूत ग्रामश्चतुर्विधः ॥२॥

महाप्रसाद जननी, सर्वे सौभाग्ये वद्धिनी । आधि-व्याधि हरित्य तुलसित्वंनमोस्तुते ॥३॥

या दृष्ट्वा निखिलाघसङ्गशमनी स्पृष्ट्वा वपुपाविनी । रोगनामभिवदिता निरशिनीसिक्तान्तक त्रासिनी ॥४॥

प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्यरोपिता । न्यास्तातच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥५॥

सर्वौषधरसेनैव पुराह्यमृतमन्थने । सर्वसत्वोपकाराय विष्णुनातुलसी कृता ॥६॥

तुलसी कानन राजन् गृहे यस्यावतिष्ठति । तद्गृहं तीर्थरूपन्तु नायन्ति यधिककराः ॥७॥

रोपनात्पालनात् सेकात् दर्शनात्स्पशान्नुणाम् । तुलसौ दह्यते पापं वाङ्मनः कायसचित्तम् ॥८॥

दर्शनं नर्मदायास्तु गङ्गा स्नान तथैवच । तुलसीवन संसर्गः सममेवत्रयं स्मृतम् ॥९॥

पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्तथा । वासुदेवादयो देवस्तिष्ठन्ति तुलसी दले ॥१०॥

तुलस्यां सकला देवाः वसन्ति सततं यतः । अतस्तामर्चयेल्लोकः सर्वान्देवानसमर्चयन् ॥११॥

यत्किंचिद् दीयतेदानं तुलस्या च समन्वितम् । अपारतु प्रयुक्तं तन्न ब्रजेन्नरकन्नरः ॥१२॥

तुलसीकाननोद्भूता छाया यत्र भवेन्मुने । तत्रश्रद्धेप्रदातव्य पितृणां तृप्तितहेतवे ॥१३॥

स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । तुलसीपत्रतोयं च योऽभिषेकं समाचरेत् ॥१४॥

यस्मिन्गृहे द्विजश्रेष्ठः ! तुलसी तल मृत्तिका । तत्रैव नोपसर्पन्ति भूतले यमकिङ्करा ॥१५॥

अर्थात्—जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी पत्र का सेवन करता है उसका शरीर ऐसा शुद्ध हो जाता है जैसा कि अनेक चन्द्रायण व्रतों द्वारा सम्भव होता है ॥१॥ तुलसी की गन्ध को लेकर वायु जिस दिशा में जाती है वह दिशा तथा वहाँ रहने वाले सब प्राणी पवित्र, दोष रहित हो जाते हैं ॥२॥ हे महा महिमाशाली तुलसी माता ! आप समस्त सौभाग्यों को देने वाली और आधि-व्याधि को मिटाने वाली हैं । आपको मेरा नमस्कार है ॥३॥ जिसकी दृष्टि-मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, स्पर्श करने से जो शरीर को पवित्र कर देती है, जिसका सेवन करने से सब रोग मिट जाते हैं, जिसको सींचने से यमराज का त्रास जाता रहता है, जिसको लगाने से भगवान की सायुज्यता प्राप्त होती है, भगवान् कृष्ण के चरणों में जिसे चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है, उस तुलसी को हम नमस्कार करते हैं ॥४—५॥ अमृत मन्थन के अवसर पर सब औषधियों और रसों से पूर्व भगवान् विष्णु ने समस्त प्राणियों के उपकारार्थं तुलसी को उत्पन्न किया ॥६॥ हे राजन् जिस घर में तुलसी का उद्यान लगाया जाता है वह तीर्थ रूप होता है और उसमें यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता ॥७॥ तुलसी के लगाने, पालन करने, उसमें जल डालने, दर्शन करने, छूने से मनुष्यों के वाणी, मन और काया में संचित समस्त पाप भस्मीभूत हो जाते हैं ॥८॥ नर्मदाजी का दर्शन, गङ्गाजी में स्नान करना और तुलसी-वन का संसर्ग यह तीनों एक समान कल्याणकारी हैं ॥९॥ तुलसी में पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा आदि सरिताओं और वासुदेव आदि देवों का निवास होता है ॥१०॥ तुलसी में समस्त देवताओं का निवास है, अतएव उनकी अर्चना करने से समस्त देवों के पूजन का फल मिलता है ॥११॥ जो दान तुलसी के संयोगपूर्वक दिया जाता है वह अपार फलदायी होता है । पर जो लोग दान देते समय तुलसी का सम्पर्क नहीं करते वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं ॥१२॥ तुलसी वन की छाया में पितों का श्राद्ध करना उनके लिये विशेष तृप्तिकारक सिद्ध होता है ॥१३॥ जो व्यक्ति स्नान के जल में तुलसी डालकर उपयोग में लाता है वह सब तीर्थों में नहाया हुआ समझा जाना चाहिये और वह सब यज्ञों में बैठने का अधिकारी है ॥१४॥ जिस घर की भूमि तुलसी के नीचे की मिट्टी से लिपी रहती है, उसमें यमराज के किङ्कर (रोगों के कीटाणु) प्रवेश नहीं करते ॥१५॥

आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ माने जाने वाले चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट में भी तुलसी के गुणों और प्रयोगों का वर्णन अनेक स्थानों पर मिलता है । चक्रदत्त, शारङ्गधर सहिता, भावप्रकाश, राजनिघण्टु, कैयदेव, निघण्टु, योगरत्नाकर आदि में भी तुलसी के अनेक उपयोगी प्रयोग सन्निवेशित हैं ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक हर दृष्टि से तुलसी का पौदा बड़ा उपयोगी है उसे घर-घर में लगाया जाना चाहिये । गौ माता की तरह तुलसी का भी सांस्कृतिक महत्त्व है इसलिये उसके संस्थापन और अभिवर्धन के लिये शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिये । प्रत्येक घर में तुलसी की स्थापना हो और वहाँ शारीरिक स्वस्थता और मानसिक उत्कृष्टता का वातावरण बने ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । 'तुलसी लगाओ' आन्दोलन के रूप में इसके लिये सङ्गठित प्रयत्न किये जाने चाहिये । उत्साही, सेवाभावी व्यक्ति अपनी जमीन में तुलसी के बीज बोकर पौद लगावें और उन पौदों को घर-घर जाकर आरोपित कराने के लिये प्रयत्न करें । जहाँ सम्भव हो तुलसी उद्यान लगाये जायँ और तुलसी सम्मिश्रण से बन सकने वाली अनेक प्रभावशाली औषधियों के द्वारा तुलसी चिकित्सालय चलाये जायँ । माला बनाने तथा जड़ी-बूटियों की तरह प्रयुक्त करने के लिये भी व्यावसायिक दृष्टि से तुलसी उत्पादन किया जा सकता है । तुलसी चिकित्सा की छोटी पुस्तकें छापी जा सकती हैं जिससे हर गृहस्थ इस अनुभूत औषधि के द्वारा घरेलू चिकित्सा करके समस्त रोगों और आधि-व्याधियों से छुटकारा प्राप्त कर सके । निस्सन्देह तुलसी संस्थापन एक उपयोगी आन्दोलन सिद्ध हो सकता है जो आगे चलकर घरों में फुलवारी तथा शाक-भाजी लगाने की पद्धति को भी प्रोत्साहित करेगा ।

—'तुलसी के चमत्कारी गुण' पुस्तिका से ।

गौ संरक्षण हमारी एक महती आवश्यकता

क्र० ६५



अपने देश में गौ-रक्षा का, गौ पालन और गौ-पूजा का महत्त्व बहुत है। भगवान् कृष्ण ने अपनी अभिरुचि इस दिशा में सबसे अधिक प्रदर्शित करके सर्वसाधारण का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उन्हें, गौ का महत्त्व और उपयोग भली प्रकार समझना चाहिये और इस संदर्भ में व्यवहारतः कुछ करते रहना चाहिये।

मानवी स्वास्थ्य-सुरक्षा के लिये जिस पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, उसमें गौ-दुग्ध अग्रणी है। यों दूध तो भैंस और भेड़ बकरी का भी मिलता है और कहीं-कहीं गधी और ऊँटनी का भी प्रयुक्त होता है, पर विटामिन 'ए' जैसे बहुमूल्य तत्व जितनी मात्रा में गाय के दुग्ध में हैं, उतने और किसी में नहीं। देखने में भैंस या भेड़ का दूध, चिकना, गाढ़ा निकलता है पर गुणों में गोरस से उसकी कोई तुलना नहीं। जितने उपयोगी खनिज, लवण, रोग-निरोधक, बलबद्धक जीवन तत्त्व गाय के दूध में हैं, उतने किसी में नहीं मिलेंगे। यही कारण है कि संसार भर के सभ्य और शिक्षित देशों में जहाँ गुण और लाभ को परखना जानते हैं, केवल गौ दुग्ध ही प्रयुक्त होता है। योरोप और अमेरिका के समस्त देश प्रायः गौ दुग्ध ही सेवन करते हैं। भैंस तो अफ्रीका और भारत को छोड़कर अन्यत्र कहीं पाई भी नहीं जाती।

आयुर्वेद शास्त्र में भी गौ दुग्ध का ही प्रतिपादन है। धर्म ग्रन्थों में जहाँ कहीं दूध की आवश्यकता का वर्णन है, वहाँ गोरस का ही उल्लेख समझना चाहिये। दूरदर्शी ऋषियों को लौकिक दृष्टि से गोरस की शारीरिक उपयोगिता विदित ही थी, इसके अतिरिक्त वे उसके मानसिक और आध्यात्मिक गुणों से भी परिचित थे। गाय में, गाय के बछड़े में—जैसी फुर्ती और चतुरता रहती है, वैसी भेड़ या भैंस में नहीं। स्पष्टतः इन पशुओं का मानसिक स्तर भी दूध में घुला रहता है। भैंस का दूध पीने से उसी जैसा आलस्य, प्रमाद एवं बुद्धू पन बढ़ता है। 'भेड़चाल' उक्ति में उस प्राणी की अदूरदर्शिता का ही वर्णन है। गाय इन सबसे निराली है। उसकी स्फूर्ति एवं चतुरता बात-बात में परखी जा सकती है। मार्ग में खेलते हुए बच्चे को गाय वचाती हुई चलेगी पर भैंस अपनी राह चलती जायगी, चाहे बूढ़ा-बच्चा कोई भी क्यों न कुचल जाय। तनिक-सी गर्मी सर्दी और थकान बर्दाश्त करना भैंस के लिये कठिन है। पर गाय की सहिष्णुता प्रख्यात है। यही गुण उसके दूध में रहते हैं। माता के दूध का बच्चे पर असर पड़ता है। माता का जैसा स्वभाव होता है, वच्चा भी वैसी प्रकृति का बन जाता है। यह दूध का गुण है। भैंस या भेड़-बकरी का दूध पीने वाले उन्हीं जैसे हेय गुणों वाले बनते चले जाते हैं।

गाय की सबसे बड़ी विशेषता इसमें पाई जाने वाली अध्यात्मिक विशेषता है। हर पदार्थ एवं प्राणी में कुछ अति सूक्ष्म एवं रहस्य मय गुण होते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की मात्राएँ सबमें पाई जाती हैं। जिस प्रकृति के सदार्थों और प्राणियों से हम सम्पर्क रखते हैं, हमारी अन्तःस्थिति भी उसी प्रकार ढलने लगती है। हंस पाल कर बढ़ता हुआ सतोगुण और काँआ पालकर बढ़ता हुआ तमोगुण कभी भी अनुभव किया जा सकता है। भेड़-बकरी और भैंस को तमोगुण प्रधान माना गया है। गाय में सतोगुण की भारी मात्रा विद्यमान है। अपने बच्चे के प्रति गाय की ममता प्रसिद्ध है। वह अपने पालन करने वाले तथा उस परिवार को भी बहुत प्यार करती है। जंगलों में शेर, बाघ का सामना होने पर अपने खाले को चारों ओर से घेरकर गाय झुण्ड बना लेती है और अपनी जान पर खेलकर अपने रक्षक को बचाने का त्याग, बलिदान एवं कृतज्ञता, आत्मीयता का आदर्श भरा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ऐसी आध्यात्मिक विशेषता और किसी प्राणी में नहीं पाई जाती। इस स्तर के उच्च सद्गुण उन लोगों में भी बढ़ते हैं, जो उसका दूध पीते हैं। बैल की परिश्रमशीलता और सहिष्णुता प्रख्यात है। यह विशेषताएँ गौ दुग्ध का उपयोग करने वाले में भी बढ़ती हैं।

गौरस एक सर्वाङ्गपूर्ण परिपुष्ट आहार है। उसमें मानसिक स्फूर्ति एवं आध्यात्मिक सतो गुणी तत्त्वों का बाहुल्य रहता है, इसलिये मनीषियों तथा शास्त्रकारों ने—गाय का वर्चस्य स्वीकार करते हुए उसे पूज्य, संरक्षणीय, सेवा के योग्य माना है। गाय की ब्राह्मण से तुलना की है और उसे अवध्य—न मारे जाने योग्य—घोषित किया गया है। गोपाष्टमी और गोवर्धन दो त्यौहार ही गौरक्षा की ओर जनसाधारण का ध्यान स्थिर रखने के लिये बनाये गये हैं। चौके में पहली रोटी गाय के लिये निकालने की परम्परा भी इसीलिये है कि गाय को एक कौटुम्बिक प्राणी समझते रहा जाय। राजा दिलीप जैसे ऐतिहासिक महापुरुषों की गौ-भक्ति प्रसिद्ध है जिसके कारण उन्होंने सुसन्तति प्राप्त की। आज भी वह तथ्य ज्यों-का-त्यों है। गाय के सम्पर्क में रहने वाले, गौरस पीने वाले पति-पत्नी निस्सन्देह सुयोग्य और स्वस्थ सन्तान पैदा कर सकते हैं, उनका पुरुषत्व साँड़ की तरह सुस्थिर बना रहता है। पुराणों में गौ-भक्ति और गौ-सेवा के लिये बहुत कुछ कर सकने वाले सत्पुरुषों के अगणित उदाहरण विद्यमान हैं। उस समय शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। हर छात्र को आश्रम की गौएँ चरानी पड़ती थीं और आहार में गौरस की समुचित मात्रा मिलती थी। उस समय छात्रों को प्रतिभा, परिपुष्टता एवं सज्जनता की अभिवृद्धि के महत्त्वपूर्ण लाभ मिलते थे, उनमें गौ-सम्पर्क भी एक बहुत बड़ा कारण था।

भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ जुताई, सिंचाई और गुड़ाई, मड़ाई (अन्न को पौधे से अलग करना) के लिये बैल की अनिवार्य आवश्यकता है। गाय का गोबर अपने ढङ्ग का अति उर्वरक खाद है। अपने देश की कृषि गौवंश पर निर्भर है। रासायनिक खाद अचार, चटनी की तरह हैं, उनसे धरती की भूख नहीं बुझ सकती, वह तो गोबर से ही सम्भव है। मँहगी, बार-बार ब्रिगडने वाली, खर्चीली और तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा रखने वाली मशीनें भारत की कृषि समस्या को हल नहीं कर सकती। अनेक कारणों से यहाँ तो बैल ही सफल होगा। अन्न और दूध हम गौवंश की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये उसका संरक्षण सब प्रकार से उपयुक्त है।

गोबर से लीपने पर घर रोग-कीटाणु मुक्त होते हैं। गौ मूत्र असाध्य रोगों में भी रामबाण औषधि का काम करता है। इसकी गन्ध से विषैले रोग-कृमि अनानास ही मरते हैं और स्वास्थ्य रक्षा की एक सहज व्यवस्था बनती रहती है। आवश्यक है कि हम गौरक्षा पर ध्यान दें और अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को परिपुष्ट बनाने के लिये इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठावें।

यह एक दुर्भाग्य ही है कि जिस देशमें गौ को पूज्य और गौरक्षाको धर्म माना जाता है, उसी में उसकी सबसे अधिक दुर्गति हो। गौ-नसल बुरी तरह खराब हो चुकी है। वे जरा सा दूध देती और बेकार समझी जाती हैं। कसाई की छुरी के नीचे ही उन्हें आश्रय मिलता है। गौवंश बुरी तरह घटता और नष्ट होता चला जा रहा है। उसका एक मात्र कारण उस ओर बरती जाने वाली हमारी उपेक्षा ही है। माँसाहारी देशों में गायें एक-एक मन दूध दें और गौरस की नहरें बहें और हम गौ-भक्तों में उसका दर्शन भी दुर्लभ रहे, यह कैसी विडम्बना है।

हमें चाहिये कि गौ-दुग्ध की उपयोगिता स्वीकार करें और उसी की माँग करें। ऐसी दशा में भैंस पालने वाले सहज ही गौ पालने लगेंगे। जिसकी माँग होगी उसका उत्पादन भी होगा और उसका स्तर भी उठेगा। हम जय गाय की बोलते हैं और दूध भैंस का पीते हैं। इस प्रकार गौरक्षा कैसे सम्भव होगी। जिस दिन जनसाधारण की समझ में गौरस की उपयोगिता आ जायगी, उसी की माँग की जायगी तो देखते-देखते यह देश गौधन से भरा-पूरा दिखाई देने लगेगा। हमें चाहिये कि गौदुग्ध एवं गौघृत के सेवन का व्रत लें और दूसरों को भी इसके लिये तैयार करें। जब गौरस की माँग बढ़ेगी तब गौ-पालन की व्यवस्था भी बनेगी। जो लोग गाय का धार्मिक या आर्थिक महत्त्व समझते हैं, उनके लिये उचित है कि गौपालन, गौसंवर्धन और गौरस उत्पादन के लिये बड़े पैमाने पर व्यावसायिक स्तर पर काम करें, चाय वालों की तरह गौरस की महत्ता समझाने के लिये व्यापक प्रचार करें और धर्म, पुण्य तथा राष्ट्र की महती सेवा का सुयोग प्राप्त करें। सरकार और जनता ये दोनों वर्ग मिलकर गौरक्षा के लिये कुछ ठोस काम करें, यह आज की एक महती आवश्यकता है।

—‘गौरस बेचन’ से

अधिकार गौण और कर्तव्य प्रधान माना जाय

क्र० ६६

सुविधाओं का लाभ उठाने और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। यह उत्पादित वस्तुएँ ही सम्पदा कहलाती हैं। सिक्का तो इस उत्पादन शक्ति का प्रतिनिधिमাত্র है जिसे वस्तुओं के स्थानान्तरण की सुविधा के लिए चलाया गया है। सम्पदा उत्पादन के तीन पक्ष हैं—(१) पूँजी (२) अनुभव (३) श्रम। इन तीनों को भले ही एक व्यक्ति जुटावे भले ही अनेक पर काम इनकी सम्मिलित शक्ति से ही चलेगा। जीवन-यापन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अन्न से लेकर यन्त्रों तक और शिल्पियों से लेकर व्यवस्थापकों तक विभिन्न स्तर के जड़-चेतन साधन जुटाने पड़ते हैं। यही सम्पदा उत्पादन का तन्त्र हमारी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने और सुविधाएँ जुटाने में समर्थ होता है।

इन दिनों उत्पादन क्षेत्र में दो प्रधान पक्ष हैं—(१) मालिक (२) मजदूर। दोनों के उचित उपयोग में सम्पदा ठीक तरह उपजती है। जिनके पास पूँजी एवं ज्ञान अनुभव नहीं है वे मजदूर अकेले कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। इसी प्रकार जिनके पास पूँजी अथवा अनुभव ज्ञान है, बिना श्रमिक के सहयोग के काम नहीं चला सकते। सहयोग के बिना दोनों की क्षमता व्यर्थ है। सरकारी व्यवस्था तन्त्र भी छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अफसरों तक श्रमिकों की शृङ्खला में ही आते हैं। सरकार वेतन का तथा कर्म पद्धति का निर्धारण करती है, कर्मचारी श्रम करते हैं। दोनों का सहयोग ही सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों को चला सकने में समर्थ होता है। यदि विभिन्न उत्पादनों एवं व्यवस्थाओं का क्रम ठीक चलाकर सुविधाओं तथा सम्पदाओं का उचित संवर्धन आवश्यक हो तो दोनों के बीच सहयोग एवं सद्भावनाओं का तारतम्य घनिष्ठतम ही करना पड़ेगा।

दुर्भाग्यवश इन दिनों मालिक और श्रमिक वर्ग में दिन-दिन खाई चौड़ी होती जा रही है और सहयोग के सूत्र शिथिल हो रहे हैं। उसका परिणाम उत्पादन की कमी के रूप में सामने आ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। इसका दुष्परिणाम सभी को भुगतना पड़ रहा है और देश का अर्थतंत्र लड़खड़ाने लगा है। इस अवांछनीय स्थिति को रोकना और संभाला जाना ही चाहिये।

मालिकों को यह मानकर चलना चाहिये कि उनकी पूँजी और अनुभव का जितना श्रेय है, उससे ज्यादा मजदूर के परिश्रम का है। श्रम के बिना उसकी पूँजी और ज्ञान अपंग है, इसलिये उत्पादन में से उचित अंश को श्रम-जीवी को भी दिया जाय। यह न्यायानुकूल है इसलिये किया जाय और इसलिये भी किया जाय कि आवश्यक सुविधाएँ मिलने पर ही श्रमिक अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता ठीक रख सकता है और उसी आधार पर अपना कर्तव्य ठीक तरह निभा सकता है। इसलिये उचित यही है कि लाभ का जितना अधिक अंश श्रमिक को दिया जा सकता हो, उतना उन्हें वेतन, बोनस अथवा अन्य सुविधाओं के रूप में दिया जाय और उनके सम्मान का उचित ध्यान रखा जाय।

दूसरी ओर श्रमिकों को भी पूर्ण सहयोग की भावना लेकर चलना चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि उत्पादन बढ़ाकर वे समाज की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। अपने इस कर्तव्य में किसी प्रकार की कमी लाकर देश को दुर्बल न बनने दें। उन्हें यह भी अनुभव करना चाहिये कि मालिक और मजदूर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परस्पर सहयोग के बिना दोनों की ही गाड़ी रुक जायगी और उस अवरोध का दुष्परिणाम सारे समाज को भोगना पड़ेगा।

अधिकार की प्रधानता और कर्तव्य की उपेक्षा का जो घातक क्रम हर क्षेत्र में चल पड़ा है उसने पारस्परिक सहयोग की नींव हिला दी है। असहयोग, घृणा और द्वेष की मनःस्थिति में न परिवार चल सकते हैं, न समाज की व्यवस्था ठीक रह सकती है और न उपाजन के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है। तनाव की स्थिति में हर वर्ग, हर पक्ष का नुकसान है। मनोमालिन्य और असन्तोष के कोई कारण हों तो उन पर शान्त चित्त से विचार विनिमय किया जाना चाहिये और उलझनों का एक दूसरे की स्थिति समझते हुए न्यायानुकूल ढंग से समाधान खोज लेना चाहिये। बुद्धिमत्ता

इसी में है। अवरोध और तनाव पैदा करने में कोई भी घृणा-प्रचारक या भ्रम फैलाने वाला आसानी से सफल हो सकता है। बुद्धिमत्ता सहयोग के अभिवर्धन में है। सो सस्ती नेतागीरी लूटने और अपना उल्लू सीधा करने वाले विघ्न सन्तोषी लोगों से सावधान रहना चाहिये उनकी करतूतें हर पक्ष को केवल हानि ही पहुँचा सकती हैं।

हर पक्ष को कर्तव्य को प्रधान मानकर चलना चाहिये। मनुष्यता और देशभक्ति इसी प्रकार के आचरण पर अवलम्बित है। पग-पग पर अधिकार को आगे रखने और कर्तव्य को भुला देने से केवल विद्वेष ही बढ़ेगा और एक दूसरे को दुष्ट अनुभव करने लगेंगे। घृणा से घृणा बढ़ेगी और असहयोग से असहयोग। श्रमिक और मालिकों के बीच में इस प्रकार के असन्तोष का बढ़ना, उस तन्त्र को दुर्बल करेगा जिसके वे दोनों अङ्ग हैं। यह दुर्बलता अन्ततः सारे समाज के लिये कष्टकारक और दुःखदायी सिद्ध होगी। इसलिये सहयोग के आधार पर अधिक से अधिक घनिष्ठ संबंध बनाये जाने चाहिये और मतभेद तुरन्त हल न होते हों तो उन्हें क्रमशः सुधारने के लिये धैर्यपूर्वक प्रयत्न करना चाहिये। भले ही इसमें थोड़ा समय लग जाय, पर सब मिलकर दोनों पक्षों को लाभ ही होगा और उस उत्पादन से लाभ उठाने वालों को भी राहत मिलेगी। इसलिये दूरदर्शिता तनाव पैदा करने में नहीं, एक दूसरे की कठिनाई को समझने और उचित समाधान ढूँढ़ने में ही केन्द्रित करनी चाहिये।

किसी भी पक्ष को किसी भी हालत में अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मतभेद हो सकते हैं और रह सकते हैं, पर उन्हें सुलझाने का यह तरीका नहीं कि उत्तरदायित्वों से इनकार कर दिया जाय। जापान स्थित अमेरिकन फ़ैक्टरियों में सप्ताह में दो दिन की छुट्टी की घोषणा की गई तो जापानी श्रमिकों ने उसका विरोध किया और कहा कि हम काम का एक दिन घटाकर देश को उत्पादन के लाभ से वंचित नहीं कर सकते। द्वितीय महायुद्ध के बाद ध्वस्त चैंकोस्लोवाकिया के श्रमिकों ने आठ घंटे के स्थान पर दस घंटे काम करने की अड़ ठानी। यद्यपि मालिक इस पक्ष में न थे कि श्रमिक इतना अधिक काम करें, तो भी श्रमिकों के इस आग्रह की ही जीत हुई कि देश को जल्दी ही दुर्दशा से बाहर निकालने के लिये वे हर रोज दो घंटे अधिक श्रम करेंगे। यही मनोवृत्ति हर क्षेत्र और वर्ग में रहनी चाहिये। वेतन लेना, काम न करना, काम देने वाले को शोषक समझना और उसे हानि पहुँचाने की चेष्टा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। कम सुविधायें मिलने की प्रतिक्रिया, इस प्रकार व्यवस्था, तंत्र एवं कर्तव्य-धर्म को तोड़-फोड़ डालने में नहीं होनी चाहिये। उत्पादन न घटाते हुए, व्यवस्था न बिगाड़ते हुए और साधन-तंत्र को क्षति न पहुँचाते हुए भी, सत्याग्रह जैसे अनेक दबाव ऐसे हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

दोनों पक्ष एक दूसरे की कठिनाई को समझते हुए सहानुभूति और उदारता के साथ समझने की चेष्टा शान्त चित्त से करें तो अधिकांश उलझनें सफलतापूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। जोशीला दबाव डालकर अधिक लाभ प्राप्त करना भी अन्ततः निरर्थक ही साबित होता है। वेतन बढ़ाने की आवश्यकता टैक्स लगाने या उत्पादन मँहगा करने से ही पूरी हो सकती है और वह बढ़े हुए टैक्स या मँहगाई उस श्रमिक पर भी असर डालती है और बढ़ा हुआ वेतन उस नई मूल्य वृद्धि में चला जाता है। इसलिये श्रमिक का हित केवल इतने में ही नहीं है कि उसका वेतन-मान बढ़ता चले। दूसरा पक्ष यह भी सोचना होगा कि मँहगाई न बढ़े, उत्पादन न गिरे अन्यथा वेतन वृद्धि का क्या लाभ मिलेगा? कर्तव्य में ढील न डालने और भरपूर श्रम करने में ही देशभक्ति और लोक-मङ्गल की भावना सन्निहित है और उसे हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से निवाहना चाहिये, चाहे वह मालिक हो या श्रमिक।

श्रम और कर्तव्य की अपेक्षा जो दौर इन दिनों चल पड़ा है वह राष्ट्र के भविष्य को उज्ज्वल नहीं बनने देगा। अधिकार की प्रधानता तक ही हमारा दृष्टिकोण सीमित नहीं रहना चाहिये, वरन् अधिक ध्यान ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करने पर केन्द्रित करना चाहिये। सामने वाला पक्ष गलती करता है तो हम क्यों करें? हम उसके स्तर तक क्यों गिरे? इस उदात्त भावना से ही श्रम-समस्या का हल हो सकता है और इसी आधार पर राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा मानवीय सुख-सुविधाओं का अभिवर्धन हो सकता है।

—‘आराम नहीं’ काम कीजिये’ पुस्तिका से।

वोटों की सतर्कता पर प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है।

क्र० ६७

प्रजातंत्र का मतलब है जनता का शासन। इस प्रणाली में हर नागरिक को अपने ऊपर अपने राष्ट्र के ऊपर शासन करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस शासन पद्धति में प्रतिनिधियों की नियुक्ति, निर्वाचन-प्रणाली के अन्तर्गत की जाती है और यह चुने हुए लोग ही शासन तंत्र का संचालन करते हैं। इस प्रकार निर्वाचित लोग ही प्रजा की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं हितों के संरक्षक होते हैं। यदि यह निर्वाचन प्रणाली सही हो और प्रजाजनों को अपना प्रतिनिधि चुनते वक्त यह ध्यान हो कि यह कोई खिलवाड़ नहीं वरन् राष्ट्र का शासन करने के लिए किसी सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने का ऐसा परम पवित्र कर्तव्य पूरा किया जा रहा है जिसके परिणाम दूरगामी होंगे, तो निःसन्देह प्रजातंत्र सर्वोत्तम शासन पद्धति सिद्ध हो सकती है।

हमारे देश में प्रजातंत्र की शासन प्रणाली है। वहाँ हर वयस्क व्यक्ति को मतदान करके अपने प्रतिनिधि चुनकर उन्हें शासन सौंपने का अधिकार है। ऐसी दशा में यहाँ सब कुछ प्रजा के हित में होना ही चाहिये था। पर बारीकी से देखने पर अपने शासकों और उनकी कार्य पद्धतियों में भारी दोष मालूम पड़ते हैं। इन दोषों का आये दिन समाचार पत्रों में भण्डाफोड़ होता रहता है और हममें से प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव भी करता है कि अपने शासन में उतनी कुशलता, ईमानदारी, दूरदर्शिता और कर्तव्य परायणता नहीं है जैसी कि होनी चाहिये।

इसका मूल कारण क्या है? इसका पता लगाने के लिए हमें अधिक गहराई तक प्रवेश करना होगा। पता चलेगा कि भूल जिस मर्मस्थान में होती है उसे सुधारे बिना कुशासन की बुराई दूर न हो सकेगी। प्रथम भूल वहाँ से आरम्भ होती है जहाँ मतदाता-प्रतिनिधि चुनकर शासन तंत्र उसके हाथ में सौंपते समय मतदान में प्रमाद बरतता है। वोट देना हलका-बचकाना या छिछोरा काम नहीं है कि किसी के पक्ष में भी उसे डाल या फेंक दिया जाय। यह राष्ट्रीय कर्तव्य की परम पवित्र धाती केवल उन्हें सौंपी जानी चाहिये जो व्यक्तिगत चरित्रनिष्ठा की कसौटी पर असंदिग्ध रूपसे कस लिये जाय और जिनकी निष्ठा इस बातके लिये प्रामाणिक सिद्ध हो चुकी है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोक हित को रत्ती भर भी आँच न आने देंगे। पंच को परमेश्वर कहा गया है। चुना हुआ पंच प्रतिनिधि ही तो है, उसकी चरित्र निष्ठा, देशभक्ति, सेवाबुद्धि एवं अब तक की जीवन पद्धति हर दृष्टि से—हर कसौटी पर कसी हुई और खरी सिद्ध हुई होनी चाहिये। इससे कम व्यक्तित्व का यदि प्रतिनिधि बनने के लिये खड़ा होता है तो राष्ट्रहित में वह एक अभिशाप ही सिद्ध होगा और किसी भी ऐसे अयोग्य को वोट देना मतदाता का राष्ट्रीय सुव्यवस्था के साथ विश्वासघात ही माना जायगा।

इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि भारतीय मतदाता को वोट का बजन और संभावित प्रतिफल नहीं समझाया गया और इस अवसर पर बरती गई असावधानी समस्त देश और समाज के लिये विपत्ति सिद्ध हो सकती है, यह नहीं बताया गया। यदि यह तथ्य मतदाता नागरिकों को भली भाँति समझ में आ गये होते तो वे जाति विरादरी, सिफारिश, खुशामद या छुट-पुट लालच जैसे कारणों से प्रभावित होकर उन लोगों को वोट न देते जिनकी चरित्र निष्ठा, दूरदर्शिता, असंदिग्ध रूप से खरी सिद्ध नहीं हुई है।

मतदाता का भोलापन यदि इसी स्तर का बना रहे कि उसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्रचार-हथकंडा अपना कर

वोट झटक ले तब तो देश के भविष्य का ईश्वर ही रक्षक है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिये या तो मतदाता को इतना जागरूक होना चाहिये कि वह अपनी प्रखर विवेक बुद्धि को सजग रखे और किसी झूठे प्रचार से प्रभावित न होकर केवल हर दृष्टि से खरे व्यक्ति को ही वोट दे। अन्यथा यदि प्रजाजनों की मनोभूमि भोले भण्डारी जैसी ही रहे तो फिर दूसरा उपाय यह है कि मतदान का अधिकार सीमित कर दिया जाय और केवल उन्हें ही वोटर रहने दिया जाय जिनकी प्रतिभा बहकाव, पक्षपात या प्रलोभन से प्रभावित न होकर सही प्रतिनिधि चुन सकने योग्य मिद्ध हो सके।

जो हो—अन्ततः प्रजातन्त्र में वोट और वोटर का महत्व रहेगा और उसी के आधार पर शासन तन्त्र की व्यवस्था चलाने वाले प्रतिनिधियों का मंडल नियुक्त होगा। कहना न होगा कि इस मंडल के स्तर के अनुरूप से ही शासन की रीति नीति और कर्मचारियों की गतविधियाँ रहेंगी। आज शासन कर्मचारी यदि रिश्वत, अशिष्टता, आलस्य और अवरोध उत्पन्न करता है तो जितना कसूर उसका है उससे अधिक उस संचालक मंडल का माना जायगा जिसको जनता ने सर्व सत्ता सम्पन्न बना कर चुना है। वे लोग चाहें तो दुष्ट कर्मचारियों को कड़े दंड भी दे सकते हैं और उनके पद छिन सकते हैं। इतनी शक्ति हाथ में रहते हुये भी यदि विभागीय कर्मचारी धृष्टता बरतते हैं तो यह माना ही जाना चाहिये कि उन्हें नियुक्त करने, वेतन देने और स्थिर रखने वाले “तंत्र” ने भी इन कर्मचारियोंकी भाँति ही अपना कर्तव्य नहीं निवाहा।

जनहित की आवश्यक योजनायें यदि कार्यान्वित नहीं होतीं तो उसका मूल दोष प्रतिनिधि मंडल का है। बढ़ते हुए अपराध, भ्रष्ट तरीके, अनुत्पादक योजनायें हमारी राष्ट्रीय स्थिरता और प्रगति की प्रधान बाधाएँ हैं। और जो इन बाधाओं को दूर कर सकने की प्रतिभा से सम्पन्न न हों उन्हें शासन का उत्तरदायित्व संभालने और प्रतिनिधि के उपयुक्त कहे जाने का अधिकार नहीं। कभी-कभी कुछ परिस्थितियाँ कष्ट साध्य और वाह्य कारणों से प्रभावित भी होती हैं पर आम तौर से यही देखने में आता है कि जिनके शासन तन्त्रों में कुशल एवं खरे प्रतिनिधि पहुँचे उन छोटे एवं साधन विहीन राष्ट्रों ने भी स्वल्प काल में आशातीत उन्नति कर दिखाई।

अपने देश में वोटरों को बहकाया जाना सरल है। वह हर चुनाव में मौका खोता है। जिन्हें अविश्वस्त समझता है वे भी चुनकर आ जाते हैं। चुनाव के हथकंडे भारतीय वोटरों की जागरूकता की तुलना में अक्सर बाजी मारते हैं। यदि ऐसा न होता तो दल बदलने का धंधा करने वालों को नया चुनाव लड़े बिना वैसा करने की छूट न मिलती। जिन प्रतिनिधियों की काली करतूतें सामने आ चुकी हैं उन्हें दुबारा जनता के सामने मुँह दिखाने की हिम्मत न पड़ती। पर देखते हैं कि वे ही दूने उत्साह से चुनाव लड़ते और धड़कके से जीतते हैं। इसे स्पष्टतः लोक मानस के स्तर की हार कहना चाहिये।

परिस्थिति ऐसी पैदा की जानी चाहिये कि चरित्रवान् और दूरदर्शी व्यक्ति अपनी महत्ता के आधार पर चुने जा सकें। उन्हें एक पैसा भी खर्चा न करना पड़े। जो चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाता है और ओछे हथकंडे अपना कर जाति विरादरी, प्रलोभन, खुशामद आदि के आधार पर चुने जाने के षड्यन्त्र बना रहा है उसे निश्चित रूप से हराया जाना चाहिये। पाटियाँ अपना गौरव खो चुकीं अब व्यक्ति की उत्कृष्टता और दूरदर्शी देशभक्ति ही वोट पाने की योग्यता होना चाहिये। यह तथ्य यदि वोटर समझ सकें तो ही अनुशासन की आशा करनी चाहिए। आज की स्थिति जब तक न बदलेगी भविष्य अन्धकारमय ही बना रहेगा।

“शतसूत्रीय युगनिर्माण योजना” पुस्तिका से



प्रबुद्ध नारी-महिला जागरण की कमान सँभालें ?

क्र० ६८

किसी को गिराने का पाप तो कोई दूसरा भी कर सकता है पर उठाने के लिये यह आवश्यक है कि गिरने वाला स्वयं उस उत्थान प्रक्रिया में पूरे मन से सहयोग दे। स्त्री जाति की वर्तमान पददलित स्थिति का पाप सामान्य-कालीन युग के पुरुष ने किया है। उसके मानवोचित अधिकार छीने और घरों की छोटी कोठरी में कैद करके उसे पर्दे के आवरण से जकड़ दिया। इस जकड़न में उसकी शारीरिक एवं मानसिक प्रतिभाएँ सड़-गल गईं। परकटे पक्षी की तरह असहाय स्थिति में वह पहुँच गई। आर्थिक दृष्टि से परावलम्बी और मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई आज की नारी की दशा अति दयनीय है। उसे पुरुष के उचित एवं अनुचित आदेश नतमस्तक होकर सहने पड़ते हैं। संयोगवश उसे निराश्रित, अनाथ, विधवा, परित्यक्ता जैसी स्थिति में पड़ना पड़े तब तो मरण से भी बुरा और कष्टकारक जीवन जीते देखकर पत्थर भी रो पड़ सकता है।

इस विपन्न परिस्थिति से नारी को निकाला जाना मानवता की एक अति आवश्यक एवं न्यायोचित ऐसी मांग है जिसे अविपन्न पूरा किया जाना चाहिये। अर्धाङ्ग लकवे से पीड़ित शरीर की तरह जिस समाज की आधी जनसंख्या अपङ्ग बनी पड़ी हो उसका गृहस्थ जीवन, पीढ़ियों का निर्माण तथा प्रगति का प्रयास दिवा-स्वप्न की तरह असंभाव्य ही बना रहेगा। सर्वांगीण प्रगति की दिशा में प्रथम कदम हमको नारी-उत्कर्ष के लिये प्रबल प्रयत्नों की योजना के साथ आगे बढ़ाने चाहिये। कहना न होगा कि इस सन्दर्भ में पुरुष जाति को पाप-प्रायश्चित की तरह नारी उत्कर्ष के लिये बड़ी से बड़ी सुविधायें देने की तैयारी करनी होगी वहाँ नारी को स्वयं भी इस अभाव की पूर्ति के लिये बढ़-चढ़कर योगदान देना चाहिये। अपने उत्कर्ष के लिये हर किसी को प्रबल प्रयत्न करने पड़े हैं, आज की नारी के सामने भी कर्तव्य की यह विकट चुनौती सामने खड़ी है।

आवश्यकता ऐसी बहादुर नारियों की है जो अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं को लात मारकर महिला कल्याण के महान् यज्ञ में अपने जीवनो का उत्सर्ग करने के लिये साहस भरे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। अपने देश में शिक्षित नारी की संख्या बढ़ती ही जाती है पर उनमें से कुछ ही ऐसी निकलती हैं जो अपने वर्ग की दयनीय दुर्दशा के लिये कसक अनुभव करें और उन्हें उठाने के लिये बहादुरों जैसी चिन्तन क्रिया अपनायें। विवाह की इच्छा स्वाभाविक है, पर अपने वर्ग की दुर्दशा मिटाने के लिये उस सुख को लात मार देना भी अस्वाभाविक नहीं है। आज तो सुशिक्षित महिलाओं में से बहुतों को दहेज जैसे अभिशापों के कारण अविवाहित रहने के लिये विवश होना पड़ता है। यह लड़कियाँ भी नौकरी करती और पेट पालती और विलासिता के कुछ अधिक साधन जुटा लेने भर गोरख धन्धे में पड़ी हुई—घर-कुटुम्ब वालों के लिये आमदनी का साधन मात्र बनकर जिन्दगी गुजारती हैं। काश, इनमें से कुछ के मन में अपने वर्ग के प्रति करुणा भरी कसक जग सकी होती तो निस्सन्देह वे रूखी-सूखी रोटी खाकर अपने निरर्थक और नीरस जीवन को नारी उत्कर्ष की सेवा-साधना में लगाकर धन्य बन सकती थीं। कितनी ही विधवाएँ—कितनी ही परित्यक्ताएँ हैं—जो अपने लिये और अपने आश्रयदाताओं के लिये भार भूत बनकर जी भर रही हैं। यह बहुमूल्य जीवन यदि महिला-कल्याण के लिये नियोजित हो सके होते तो परिस्थितियाँ वैसी न होतीं जैसी आज दीख रही हैं। कितनी ही सुसम्पन्न महिलाएँ ऐसी हैं जिनके घर प्रचुर सुविधा-साधन हैं। नौकर-चाकर रहते हैं और जिन्हें बहुत-सा समय खाली काटना पड़ता है। इन्होंने अन्य लोगों की तरह यदि अन्य शौकिया रूप में भी महिला-मंगल का काम सँभाला होता तो अनेकों को इनका अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती। नारी उत्थान का आन्दोलन जो अपने देश में

बड़े आदमियों को घरवालों का 'चोचला' भर बनकर रह गया है एक प्रखर क्रांति का रूप धारण कर सकता था— यदि उसमें कर्मठ, त्यागी, बहादुर और दर्दमन्द प्रबुद्ध महिलाओं का समुचित योगदान मिल सकना सम्भव हुआ होता।

समय की माँग है कि बिना वक्त गँवाये नारी उत्थान का एक प्रचण्ड आन्दोलन खड़ा किया जाय। पुरुषों को उसके लिये पृष्ठभूमि तैयार करनी चाहिये पर आगे नारी को ही आना पड़ेगा। बागडोर उसे ही सँभालनी चाहिये और नेतृत्व उसे ही करना चाहिये। ऐसी सुशिक्षित महिलाएँ जिनके कन्धे पर पारवारिक उत्तरदायित्वों का बहुत बोझ नहीं है, आर्य और ऐसी महिलाओं को ढूँढ़ निकालें जिनमें सेवा के बीजांकुर मौजूद हों और जिनमें बहादुरी तथा प्रतिभा की रोशनी थोड़ी बहुत तो टिमटिमाती ही हो। उन्हें साथ लेकर एक महिला-सङ्गठन कहीं भी तैयार किया जा सकता है यह कार्य कथा-कीर्तन, भजन, सत्सङ्ग जैसे स्तर का भी रखा जा सकता है जिससे पुरानखण्डी प्रकृति के लोग भी इस प्रकार के आयोजनों में अपनी महिलाओं को उसमें जाने और सम्मिलित होने की छूट दे सकते हैं। महिलाओं की उनके घर वाले चहार दीवारी से बाहर कहीं निकलने देते हैं। पर एक बार यदि थोड़ी-थोड़ी छूट उन्हें मिलने लगी तो यह क्रम आगे चलकर इतना समर्थ भी हो सकता है कि वे समाज-सेवा शिक्षा, तथा दूसरे मङ्गलमय कार्यों में योगदान दे सकें। दूरदर्शी लोग तो स्वेच्छापूर्वक अपनी महिलाओं को ऐसे सङ्गठनों और आयोजनों में भेजेंगे क्योंकि इससे उनकी प्रतिभा निखरेगी और उस प्रतिभा से अन्ततः अपने परिवार के लिये अधिक उपयोगी ही सिद्ध होंगी।


कितने ही कार्य ऐसे हैं जो नारी उत्थान के लिये हर जगह आरम्भ किये जा सकते हैं और किये जाने चाहिये। शिक्षा का स्थान सर्व प्रथम है। निरक्षरता मिटाये बिना ज्ञान के कपाट खुलने का अवसर ही नहीं आता। प्रौढ़ महिलाओं के लिये तीसरे पहर चलने वाली पाठशालाएँ मुहल्ले-मुहल्ले और गाँव-गाँव स्थापित की जानी चाहिये। इनसे अक्षर ज्ञान ही नहीं मानव-जीवन एवं सामाजिक स्थिति की सभी छोटी-बड़ी समस्याओं के स्वरूप समझाये जाँय और चारों ओर फैली हुई विकृतियों के दुष्परिणाम एवं निराकरण करने के उपाय सिखाये जाँय। इस प्रकार का शिक्षण नारी उत्कर्ष की आधार शिला बन सकता है। जहाँ सम्भव हो सिलाई आदि गृह-उद्योगों का भी उसमें सम्मिश्रण रखा जाय। कन्या पाठशालाएँ, महिला विद्यालय, बाल मन्दिर, शिल्प शिक्षा, आरोग्यशाला, प्रसूति गृह, संगीत-प्रशिक्षण, कला-कौशल जैसी कितनी ही रचनात्मक गतिविधियाँ महिला सेवा-सङ्गठनों द्वारा चलाई जा सकती हैं। सुशिक्षित महिलाएँ उनके संस्थापन एवं संचालन का उत्तरदायित्व सँभालें तो धन के अभाव में ये प्रवृत्तियाँ बढ़ सकने वाली नहीं हैं। अवश्य ही जनता का उदार सहयोग उन्हें मिलेगा।

कितने ही आन्दोलन ऐसे हैं जो घर-घर जाकर चलाये जा सकते हैं। (१) घरों, दूकानों तथा कमरों में टँगे हुए नारी को अपमानित करने वाले अश्लील चित्रों को हटाया जाना और उनके स्थान पर गायत्री मन्त्र तथा प्रेरणाप्रद वाक्य तथा आदर्श चित्रों का लगाया जाना, (२) झूठ न छोड़ने की प्रतिज्ञा, (३) भोंडी फैशन, चुश्त कपड़े, भद्दे श्रृंगार तथा जेवर लादने जैसे ओछी टीपटाप छोड़कर शालीन वेश-विन्यास अपनाने का अनुरोध, (४) घरों में उपासना कक्षों की स्थापना, (५) उत्सवों में भद्दे गीत न गाने की प्रतिज्ञा, (६) पर्दा प्रथा का त्याग, (७) अन्ध-विश्वासों का बहिष्कार, (८) मृतक भोज, विवाह-शादियों के अव्यय का विरोध, (९) घरेलू शाक-वाटिका का प्रशिक्षण, (१०) गृह-व्यवस्था के अगणित पक्षों का ज्ञान तथा उनका व्यवहार। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम ऐसे हो सकते हैं जो घर-घर जाकर सिखाने, समझाने की अपेक्षा रखते हैं। परिस्थिति के अनुसार और भी कितने ही कार्य ऐसे हो सकते हैं जो नारी की खोई हुई शक्ति को जगाने और समर्थ प्रतिभावान् बनाने में सहायता कर सकते हैं। काम बहुत पड़ा है, कहीं भी किया जा सकता है। आवश्यकता ऐसी प्रतिभावान् नारियों की है जो महिला-कल्याण के लिये अपनी भावना एवं शक्ति का एक बड़ा अंश इस परम उपयोगी और अति महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये समर्पित कर सकें।

‘नारी उत्थान के लिए महिलायें आगे आवें’ पुस्तिका से

नारी उत्कर्ष के लिये कुछ विशेष प्रयत्न किये जाँय

क्र० ६६



भारतीय धर्म और संस्कृति ने नारी का दर्जा नर से ऊँचा माना है। मातृ-देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव की उक्ति में देवताओं की गणना करते हुए पहले माता, फिर पिता, आचार्य की गणना है। भगवान् के साथ उनकी सहस्रमणी शक्ति का नाम प्राथमिकता के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे-श्याम, उमा-महेश, शची-पुरन्दर, सिद्धि-गणेश आदि युग्मों में नारी पहले और नर पीछे है। हिन्दू धर्म के आदि व्यवस्थापक मनु ने नारी की वरिष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा है—जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।

यह मान्यता जब तक अपने समाज में बनी रही तब तक वह समृद्ध और समुन्नत बना रहा। अपना लाखों वर्ष का गौरवपूर्ण इतिहास ऐसा ही है जिसमें व्यक्तियों का निर्माण, परिवार में स्वर्ण का अवतरण और समाज का समुन्नत स्वरूप अधुष्ण रूप से बना रहा। इस सृजन में नारी का ही योगदान अधिक रहा है। पुरुष उपाजर्न एवम् सङ्घर्ष की क्षमता में आगे है तो नारी में भावनात्मक उत्कृष्टता एवं रचनात्मक सूझ-बूझ का बाहुल्य है। दोनों की तुलना में नारी की विशेषताओं का ही मूल महत्व आगे है।

इसे एक दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि भारत को राजनैतिक पराधीनता के चंगुल में फँसना पड़ा और आक्रमणकारियों ने हमें धन-मान से ही वञ्चित नहीं किया वरन् उन सांस्कृतिक मूल्यों को भी कुचल मसल कर रख दिया, जिनके कारण हमारी जातीय एवं राष्ट्रीय गरिमा आकाश को छूती रही थी। नारी का अपने यहाँ बहुत मान था। वह कन्धे से कन्धा भिलाकर हर क्षेत्र में सहयोगिनी ही नहीं थी वरन् नेतृत्व भी करती थी। आत्म-विकास और सामाजिक रचना के सभी साधन उसे उपलब्ध थे। पर आक्रमणकारियों ने न केवल आर्थिक लूट-खसोट का कुचक्र चलाया वरन् हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी इस चतुरता के साथ गिराया कि हम मुद्दतों तक खड़े हो सकने लायक ही नहीं रह गये। ऐसी ही एक दुरभिसन्धियों में एक यह भी है कि हम नारी को हेटी, नगण्य, दुर्बल, अविश्वस्त, दासी एवम् रमणी मात्र मानने लगे और उसके महान् गौरव को पैरों तले रोंद डाला।

प्राचीन काल की और आज की नारी में आकाश-पाताल जैसा अन्तर कर दिया गया। तब वह हर क्षेत्र में नेतृत्व करती थी और पूजार्ह थी पर अब तो वह पद-दलित बनी बेतरह कराह रही है। घरों के जेलखानों में वह कैदी है। बाहर निकलना हो तो पहरेदारों, चौकीदारों के ही संरक्षण में निकल सकती है। मानो वह कोई अविश्वस्त, अक्षम्य अपराधिनी ही। पालतू पशु मुँह खोलकर घर में रह सकते हैं और बाजार में घूम सकते हैं पर सवण और ऊँचे कहे जाने वाले परिवारों की नारियों को पदों के भीतर रहना होगा। उनके मुख पर पर्दा पड़ा रहना चाहिये। गाय मारने वाले हत्यारों को प्रायश्चित में मुँह ढककर एक वर्ष तक रहने का पहले प्रचलन था, उन्हें 'कलङ्की' कहते थे—वे किसी को अपना मुँह नहीं दिखाते थे। गाय न मारने पर भी भारतीय नारी को गौ हत्यारी की तरह आजीवन मुँह ढककर रहना पड़ता है। पुरातन पन्थियों के यहाँ पर्दा, मर्दों की नाक का प्रश्न बना हुआ है यदि वे मुँह खोल दें तो समझना चाहिये कि उस घर के मर्दों की नाक कटककर गिर पड़ी।

लड़कियों की शिक्षा अनावश्यक मानी जाती है। बहुत हुआ तो चिट्ठी-पत्री लिखने या सुख-सागर, प्रेम-सागर पढ़ने जितना अक्षर ज्ञान करा दिया। पढ़-लिखकर लड़कियाँ बुरी हो जाती है, उन्हें कोई नौकरी करनी है? सयानी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिये आदि, प्रतिपादन लोग बड़ी शान के साथ करते हैं। शिक्षा मनुष्य मात्र के लिये आवश्यक है। उससे बौद्धिक विकास होता है और मानसिक दृष्टि से विकासवान होना हर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इस तथ्य को लड़कों के लिये ठीक समझा जाता है और लड़कियों के लिए

गलत। किसी को पद-दलित रखना हो तो उसे असहाय और असमर्थ बनाये रखना पड़ता है। नारी पर हमने इतने प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि वह अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का कभी विकास ही नहीं कर सकती। उसे इन परिस्थितियों में आजीवन असहाय और अपङ्ग बनकर ही रहना पड़ता है।

लड़की और लड़के के बीच आकाश-पाताल जैसा अन्तर किया जाता है। लड़की का जन्म घर भर में उदासी और चिन्ता का कारण माना जाता है और लड़का जन्मते ही ढोल बजते और वताशे वंटते हैं। लड़कों से लड़कियाँ पिटती रहती हैं और माँ-बाप हँसते रहते हैं। भोजन और वस्त्र में बहुत अन्तर रखा जाता है। मनोरंजन, खेलकूद की सुविधा केवल लड़कों को है। विवाह-शादी के वक्त यह अन्तर और भी बीभत्स रूप धारण करता है। बूढ़ी गाय दान करनी हो तो पण्डा साथ में चारे-दाने के लिये दक्षिणा भी माँगता है। लड़कियाँ बूढ़ी गायों की तरह हैं जिन्हें किसी को दिया जाय तो पहले यह पूछा जाता है इस निरर्थक कूड़े को घर में तब घुसने देंगे जब वड़ी से बड़ी रकम उसके चारे-दाने को देहेज में और दी जाय। यह नारी जाति का नृशंस अपमान है। लक्ष्मी के रूप में जिस देवी का, जिस निःस्वार्थ परोपकारिणी का प्रवेश परम मङ्गलमय और सौभाग्य माना जाना चाहिये था, उसी को लेने में लोग सीधे मुँह बात नहीं करते और हजार तरह के नखरे दिखाते हैं, यह कितनी निर्लज्ज परिस्थिति है। विधवा होने पर तो वह एक प्रकार से विशुद्ध कलङ्किनी बन जाती है। उसे छूना, मुँह देखना, अच्छा खाना, पहनना, हँसना, बोलना सब कुछ निषिद्ध कर दिया जाता है, मानो उसी ने पति की जान-बूझ कर हत्या की हो।

आधे शरीर को लकवा मार जाने पर जो दुर्दशा शरीर की होती है वही हमारे समाज की हो रही है। अशिक्षित, अविकसित और पद-दलित नारी किसी के लिये भी सुखकर नहीं हो सकती। अपनी अयोग्यता के कारण वह अपना शरीर, मन, स्वभाव और कर्तृत्व दोष-दुर्गुणयुक्त और रुग्ण रखेगी। पति को प्रसन्न रखने उसके कार्यों में हाथ बटाने और बोझ हलका करने के सम्बन्ध में उसे कुछ ज्ञान ही न होगा, कुछ सीखा, जाना ही न होगा तो बेचारी करेगी भी क्या? बच्चों का प्रजनन तो हर योनि की मादा कर सकती है पर उनका निर्माण और विकास करना माता का काम है। माता का उत्तरदायित्व सँभालने के लिए उसका शिक्षित, सुविकसित और सुसंस्कृत होना आवश्यक है। आज के घुटन भरे वातावरण में कोई नारी अपने शारीरिक, मानसिक, दाम्पत्य, पारिवारिक, शिशु निर्माण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का भार उठा सकती है यह सोचना ही व्यर्थ है। अविकसित नारी स्वयं ही एक समस्या बनकर रहेगी।

प्रकृति ने नर और नारी के बीच नाममात्र का ही अन्तर किया है। एक को मूँछें आती हैं एक को नहीं आती। ऐसी छोटी-मोटी शारीरिक भिन्नताओं को छोड़कर दोनों की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य एवं समानता एक जैसी है। कई सन्दर्भ में तो नारी और आगे बढ़ी-चढ़ी है। उसकी योग्यता एवम् सामर्थ्य का लाभ समाज को न मिले तो वह सदा अर्ध विकसित ही रहेगा। आधी जनसंख्या कैदियों की तरह भारभूत बनी बैठी रहे, भोजन बनाने जैसी एक दो घण्टों में ही सम्पन्न हो सकने वाली प्रक्रिया में ही सारा समय लगा दे और आये दिन बच्चे पैदा करने के जंजाल में अपने को लगाये-धुलाये रहे यह कोई गौरव की बात नहीं है। न इसमें नारी की शोभा है और न उस नर की जो अपने को अधिपति बनाये बैठा है।

समय आगया है कि विपन्नता को सुधारा और बदला जाय। नारी की उत्कृष्टता को समझना और उसके प्रति आदर—कृतज्ञता एवं सहायता का भाव रखा जाय। बीमारी से उठने के बाद रोगी के साथ अन्य घर वालों की अपेक्षा कुछ अधिक उदार व्यवहार किया जाता है। दो हजार वर्ष की पद-दलित स्थिति के कारण नारी को जो क्षति पहुँची है उसकी पूर्ति के लिए अब ब्याज सहित अधिक सद्व्यवहार पाने का अधिकार है। लड़कों की अपेक्षा हर क्षेत्र में लड़की को अधिक सुविधायें मिलनी चाहिये और नारी के विकास का क्रम तीव्रगति से अग्रगामी करने के लिये उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुविधायें मिलनी चाहिये। तभी तो वर्तमान विषमता का अन्त हो सकेगा।

हर विचारणीय व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने समाज की अर्धाङ्ग मूर्छा को दूर करने का प्रयत्न करे और वे सब परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिनसे नारी भी नर के समान ही समर्थ और क्रिया-कुशल बनकर समाज की अभिनव रचना में समान रूप से योगदान दे सके। ———

—‘नारी उत्थान के लिये महिलायें आगे आवें’ पुस्तिका से

ऊँच-नीच की मान्यता अन्यायमूलक है।

क्र० ७०



घोड़ा, गाय, बन्दर, कबूतर आदि पशु-पक्षियों की तरह मनुष्य भी एक जाति है। उसके रंग, आकृति में प्रदेश और प्रकृति के कारण कुछ अन्तर भी हो सकता है, पर मूलतः वे एक ही वर्ग या जाति के गिने जाते रहेंगे। यदि भाषा, प्रदेश, आकृति-प्रकृति आदि के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया जाय तो भी उससे मूल जातीय एकता में कोई अन्तर नहीं आता। मनुष्य भगवान् का पुत्र है। पिता को अपने हर बच्चे से समान प्यार होता है और वे सभी बच्चे एक वंश वर्ग के माने जाते हैं। परस्पर भाई भाई—एक ही परिवार एवं अंश-वंश के हैं।

प्राचीन काल में कार्य और व्यवसाय के विभाजन की दृष्टि से समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों में बाँटा गया था। वह विभाजन स्वाभाविक है। इस विभाजन से स्वाभाविक सुविधा रहती है और वंश परम्परा से चली आने वाली कुशलता में अधुण्णता एवं अभिवृद्धि होती चलती है। योग्यता, प्रकृति, परिस्थिति एवं अभिरुचि के अनुसार इस कार्य विभाजन में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। पर कठिनाई तब उत्पन्न होती है, जब वंश या कार्य के कारण किसी वर्ग को ऊँच और किसी को नीच बताया जाने लगे। अध्यापक अपने को ऊँच कहे और सैनिक नीचा माना जाय। इतना ही नहीं इस विभेद के कारण कोई किसी को छूने तथा हाथ से छुआ पानी पीने, रोटी खाने तक से इनकार करने लगे, तब आश्चर्य होता है और कठिनाई उत्पन्न होती है।

दुष्टता भरे दुष्कर्म करने वाले को नीच कहा जाय और उनके सामाजिक बहिष्कार का क्रम बनाया जाय तो बात समझ में आती है। ज्ञान, सेवा, सद्गुण सदाचरण के आधार पर किसी को बड़ा ऊँचा माना जाय और सम्मानित किया जाय, इसके पीछे भी कारण है। सम्मान और असम्मान की स्थिति किसी को अपनी चारित्रिक उत्कृष्टता-निकृष्टता के आधार पर मिले तो इसमें औचित्य माना जायगा। पर गुण-कर्म स्वभाव की समानता होते हुए भी केवल वंश के आधार पर कुछ लोग उँचे समझे जाँय और कुछ को नीचा कहा जाय, यह बात किसी तर्क या कारण की परख पर उचित नहीं उतरती। कोई वंश ऊँचा क्यों हो सकता है? कोई वंश नीचा क्यों कहलाये? इसका न कोई कारण समझ में आता है और न इस प्रतिपादन का कोई औचित्य ही सिद्ध होता है।

किसी वंश में किसी समय कुछ श्रेष्ठ पुरुष हुए थे, इसलिये उस वंश के लोगों को अभी भी श्रेष्ठ पुरुषों जैसा सम्मान मिले, यह दावा वेबुनियाद है। ब्राह्मण वंश में वशिष्ठ, अत्रि, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज आदि ऋषिमुनि तपस्वो त्यागी हुए हैं, तो रावण, कुम्भकरण, मारीच, खरदूषण जैसे दुष्ट भी हुए हैं। उत्तराधिकारी का दावा किया जाय तो उसमें श्रेष्ठता ही नहीं, निकृष्टता भी हिस्से में आयेगी। तब सम्मान ही नहीं, तिरस्कार का भाजन भी बनना पड़ेगा। किसी वंश में न तो सभी लोग अच्छे हुए हैं, न बुरे। सबको उनकी उत्कृष्टता-निकृष्टता के अनुरूप मान, तिरस्कार मिलता रहा है। उत्कृष्टता किसी वंश की वपौती नहीं। हर वर्ग में श्रेष्ठ व्यक्ति होते रहे हैं। इसी प्रकार कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसमें निकृष्ट चरित्र के पूर्व पुरुषों की एक लम्बी श्रंखला न मिल सके। फिर उनके वंशजों का दावा केवल उत्कृष्टता पर ही हो और वे उसी आधार पर अपने को ऊँचा घोषित करें और उँचे लोगों को मिलने वाले सम्मान को प्राप्त करना चाहें तो यह उनकी अनधिकार चेष्टा होगी। इसी प्रकार किसी वंश के किन्हीं पूर्व पुरुषों ने कुछ अनुपयुक्त कार्य किये हों और उस कारण उन्हें तिरस्कार मिला हो तो उन दोषों से रहित वंशजों का इस कारण तिरस्कृत किया जाना भी अन्याययुक्त है।

जाँति-पाँति की बात समझ में आ सकती है पर ऊँच-नीच का विभेद सर्वथा अवाँछनीय है। कोई ईमानदार और समझदार व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता। भारतीय धर्म शास्त्र इस मान्यता का सर्वथा विरोधी है। यहाँ अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण शूद्र-वंश के अगणित व्यक्ति ब्राह्मण पद पाते रहे हैं। इन प्रमाणों से भारतीय इतिहास-पुराणों का पन्ना-पन्ना भरा पड़ा है। मध्यकाल में भी रैदास, कबीर, नानक, दादू, नामदेव, विवेकानन्द आदि अनेक भक्त ब्राह्मणेत्तर जातियों में, कितने ही तो शूद्र-वर्ण में पैदा हुए, पर उनकी गरिमा किसी ब्राह्मण से कम

नहीं आँकी गई। गाँधी, बुद्ध, महावीर भी तो ब्राह्मण नहीं थे। राम-कृष्ण क्षत्रिय थे। पर उनकी पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। श्रेष्ठता को जातीयता की सीमा में बाबद्ध नहीं किया जा सकता।

आज अपने देश की विचित्र दशा है। हिन्दू-समाज की एक तिहाई जनसंख्या अछूत, अस्पृश्य कहलाती है। उन्हें सवर्ण हिन्दुओं के समान नागरिक अधिकार अभी भी नहीं मिले हैं। संविधान ने अस्पृश्यता को अवांछनीय और कानून ने उसे दण्डनीय माना है। जनमत का विवेक ऊँच-नीच की मान्यता को अनर्गल घोषित कर चुका है। पर अभी भी हमारे मस्तिष्क और व्यवहार में वे ही मान्यताएँ जमी बँठी हैं। यह विष इतना गहरा उतर गया है कि एक ही जाति के लोग अपनी उपजातियों को नीच-ऊँच मानते हैं।

बहुत सोचने पर भी इस ऊँच-नीच की मान्यता का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। शास्त्रों और पूर्व पुरुषों की दुहाई देना व्यर्थ है। अन्धकार युग में किसी ने कुछ श्लोक गढ़कर किसी ग्रन्थ में चिपका दिये हों तो बात दूसरी है। पर महान् हिन्दू धर्म इतना अनुदार और सङ्कीर्ण हो नहीं सकता कि वह मनुष्य-मनुष्य के बीच पड़ने वाली घृणा-द्वेष को बढ़ाकर सामाजिक एकता को छिन्न-भिन्न करने वाली खाई खोदे। हमने बारीकी से हिन्दू धर्म का अध्ययन किया है और उसमें इस बात की कहीं गन्ध भी नहीं पाई है कि केवल वंश परम्परा के कारण किसी को नीच, किसी को ऊँच माना जाय। फिर यह मान्यता कहाँ से चल पड़ी?

वर्ण भेद की अनुदार और संकीर्ण विचारधारा की संपूर्ण विश्व में भत्सना हो रही है। अमेरिका की तरह काले गोरे रङ्ग के आधार पर ऊँच-नीच की भावना जहाँ-तहाँ पाई जाती है उसको विश्व के लोकमत ने एक स्वर से ध्वकारा है। अफ्रीका की जो गोरी सरकारें इस नीति पर चल रही हैं, उनकी राष्ट्र-संघ तक ने भत्सना की है और इस चाल से बाज आने की चेतावनी दी है। महात्मा गाँधी ने इसके विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जहाँ कहीं यह नीति बरती जाती है, जो भी इसका प्रतिपादन करता है, वह विवेकशील लोकमत के आगे अपराधी ठहरता है। न्याय और विवेक की कसौटी पर मनुष्य-मनुष्य के बीच ऊँच-नीच की मान्यता का समर्थन करना मानवता के प्रति एक अपराध ही माना जाता रहेगा।

इस मान्यता ने हिन्दू समाज की अपार क्षति की है। अछूत वर्ग इस तिरस्कृत सामाजिक स्थिति को स्वीकार न करेगा, यह निश्चित है। जैसे-जैसे उनमें चेतना उभरेगी वे इस व्यवस्था के प्रति विद्रोह करेंगे। यह विद्रोह पिछले पचास वर्ष से दिन-दिन उग्र होता चला जा रहा है। मुसलमानी शासन में अगणित अछूत मुसलमान बने, ईसाई शासन में उनका झुकाव ईसाई शासन की ओर हुआ। अब वे अपनी स्वतन्त्र चेतना के उभार पर बौद्ध और ईसाई इतनी तेजी से होते चले जाते हैं कि यह आशङ्का होती है कि कुछ दिन में एक भी अछूत वर्तमान मान्यताओं वाले हिन्दू समाज में न रह सकेगा। मद्रास में यह विद्रोह शासन-सत्ता तक अपने हाथ में ले चुका है। नागालैंड का ईसाईस्तान इसी भूल की प्रतिक्रिया है। इन दिनों जिस प्रकार के राजनैतिक षड्यन्त्र चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए यह असम्भव नहीं कि अछूत सवर्ण हिन्दुओं से अलग होकर ईसाई, मुसलमानों में जा मिलें और बहुमत उनका हो जाय। ऐसी दशा में सवर्ण हिन्दुओं को सामाजिक अन्याय का कैसा कठोर प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, उसका अनुमान लगा सकना किसी भी दूरदर्शी के लिये कठिन नहीं होना चाहिये।


वर्तमान ऊँच-नीच परक वंश जाति की मान्यताएँ हिन्दू-समाज की न्याय निष्ठा पर भारी कलंक लगाती हैं। इससे विश्व के हर विचारशील वर्ग में हमारी अप्रतिष्ठा होती है। हमें संकीर्ण, अनुदार और अन्यायी कहा जाता है। सामाजिक दृष्टि से हम छिन्न-भिन्न, विभाजित और अस्त व्यस्त होते हैं। अन्याय का दोष लगाकर अपना ही एक तिहाई वर्ग अपने से अलग हो जाय, यह हमारे लिये हर दृष्टि से लज्जा की बात है। बात यहीं तक सीमित नहीं, हमारी अनौचित्य से क्षुब्ध होकर दूसरे धर्मों में गये हुए अपने लोग अगले दिनों प्रतिशोध की भावना से ओत-प्रोत होंगे और हमें अपनी करतूतों का दण्ड कराह-कराह कर भुगतना पड़ेगा।

अच्छा हो हम समय रहते चेतें। अपनी भूल सुधारें और मानव मात्र की एकता एवं समता के सार्वभौम न्याय सिद्धान्त को स्वीकार करें। ऊँच-नीच की मान्यताओं का जितना शीघ्र उन्मूलन हो उतना ही हमारा कल्याण है।

‘हरिजन उत्कर्ष के लिए कदम उठ’ पुस्तिका से।

अश्लीलता को बाढ़—हमें पतित बना रही है

क्र० ७१



स्त्री पुरुषों के बीच का सम्बन्ध अति पवित्र और अति उच्च स्तर का है। माता और पुत्र, वहिन और भाई, बाप और बेटी के रूप में नर-नारी के सम्बन्धों की चर्चा सदा बहुत ही पवित्रता और शालीनता के साथ की जाती है। पति-पत्नी के बीच भी जिस रिश्ते का निर्वाह होता है वह सखा, मित्र, सहायक, विश्वासी, साझीदार, सम्पर्क और घनिष्ठतम सम्भावना सम्पन्न स्नेही का है। दाम्पत्य-जीवन की सारी अवधि इसी दृष्टिकोण के साथ वे काटते हैं।

वासना का—काम-क्रीड़ा का—स्थान मानव जीवन में—गृहस्थ जीवन में नगण्य-सा है। जो है उसे भी इतना गुह्य रखा जाता है कि किसी तीसरे को उसे देखने-सुनने का अवसर न मिले। जन-जीवन की दृष्टि में इस अति नगण्य और गुह्य तथ्य को सदा सार्वजनिक चर्चा अथवा चिन्तन में अधिक स्थान देना हेय माना जाता रहा है। क्योंकि यौन विषयक चर्चा एवं चिन्तन से अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सार्वजनिक हानियाँ हैं। काम-चिन्तन शरीर में अनावश्यक उत्तेजना पैदा करके वीर्य जैसी अमूल्य धातु के अपव्यय का द्वार खोलता है, इससे जीवन-शक्ति रूपी मूल्यवान् पूँजी घटती है और शरीर दुर्बल, अशक्त एवं रूग्ण बनकर अल्पायु के सङ्कट में फँसता है। स्वप्न-दोष, प्रमेह, शीघ्रपतन, नपुंसकता आदि कितने ही रोग घेर लेते हैं। शरीर को जितना अधिक कामोत्तेजना से जलाया उवाला, गलाया जायगा उतना ही वह क्षीण और अशक्त होता चला जायगा। मानसिक दृष्टि से भी अनेक हानियाँ हैं। अश्लील चिन्तन में इतना आकर्षण है कि मस्तिष्क उन्हीं बातों में रुचि लेने का अभ्यस्त बन जाता है और ऐसी अनैतिक अमर्यादित कल्पनाओं की घटा घुमड़ने लगती है जिन्हें शेखचिल्ली की कल्पना के समकक्ष रखा जा सके। जिनके मस्तिष्क में कामुकता के विचार घूमेंगे उनके लिए शिक्षण, अध्ययन, भजन, चिन्तन, मनन तथा महत्वपूर्ण विषयों पर एकाग्र होना कठिन हो जायगा।

सामाजिक दृष्टि से कामुकता भरे अश्लील चिन्तन नारी जाति के प्रति उस घृणित स्तर की कल्पना करने के लिए घसीट ले जाते हैं जैसी कि वह वस्तुतः है नहीं। नारी वहिन है, नारी माता है, नारी बेटी है और नारी सहधर्मिणी है। उसे रमणी, कामिनी, वासना एवं उपभोग की प्रतिमा के रूप में देखना, सोचना ऐसा ही है जैसे किसी मन्दिर में प्रतिष्ठापित देव प्रतिमा को उठाकर दुर्गन्धित सड़ी कीचड़ में पटक देना। नारी पवित्रता की प्रतिमा है। नर के लिए उसके अगणित उच्च स्तरीय अनुदान हैं। चिन्तन ही करना हो तो उसे दूध पिलाती हुई माँ के रूप में, गोद में खेलती बेटी के रूप में चित्रित किया जा सकता है।

आज कामुकतापूर्ण उपन्यासों की बाढ़-सी आ गई है। काम-कला का दिग्दर्शन करने वाली, नङ्गी, गन्दी और गुह्य क्रिया-कलापों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने वाली किताबें तथा तस्वीरें बाजार में भरी पड़ी हैं। देवी-देवताओं के युग्म कलेण्डरों और तस्वीरों में वे इस पोज के साथ छपते हैं मानो कोई वेश्या और लम्पट काम-कोतुक करने के लिये उतारू हो रहे हों। अवतारों के महान प्रयोजनों को विस्मृत कर उन्हें वासना का प्रतीक बना लिया गया है।

दुकानों, घरों और कमरों में टँगी हुई अर्द्ध नग्न महिलाओं की तस्वीरें बताती हैं कि हम नारी को उसकी गरिमा से गिराकर निर्लज्ज वेश्या के स्तर पर खड़ा करने के लिए उतारू हैं। उसकी सारी महत्ताएँ समाप्त हो गईं केवल कामुकता की एक विशेषता ही शेष है। चढ़ते यौवन को, अर्धनग्न देखने के लिये ही नारी को हम महत्व देते हैं। शेष असंख्य विशेषताओं और गरिमाओं की ओर से आँखें बन्द कर ली गई हैं। नारी की वृद्धावस्था, शैशव, वात्सल्य, कठोर श्रम एवं शालीनता का लगता है अब कोई महत्व नहीं रहा अन्यथा उस स्थिति के भी चित्र बनते

और वे भी हमारे घर-कमरों की शोभा बढ़ाते। नारी का नग्न, अश्लील और कामुक चित्रण हमारी रुग्ण मनोभूमि का चिन्ह है। सिनेमा के पोस्टरों से लेकर ग्रामोफोन के रिकार्डों तक, सभी ने मानो नारी की आबरू पर हमला करने की ठान ठानी है। और वे उसे वासना के उपभोग की प्रतिमा मात्र अङ्कित करना चाहते हैं। बरसाती घास पात की तरह छपने और विकने वाला साहित्य आजकल अश्लीलता और कामुकता की दुष्प्रवृत्ति को भड़काने के लिए प्रस्तुत होता है लोगों की पशुता से अनुचित लाभ उठाने के लिए उसे विष के घूँट पिलाने वाले उपकरण जुटाने वाले दोनों हाथों से दौलत समेटने में लगे हुए हैं। लेखनी और वाणी का सारा प्रवाह इसी दिशा में लगा हुआ है। कला मानो जन-साधारण की पशु प्रवृत्तियों को भड़काने के लिए सृजी गई हो। भगवती सरस्वती को जिस वृणित कार्य में आज के कलाकार, गायक, अभिनेता, चित्रकार, साहित्यकार एवं दुकानदार ने बलात् नियोजित कर दिया है उसे कला के प्रति किया गया जघन्य अपराध ही कहना चाहिए।

इस भौंडे विचार-प्रवाह का प्रभाव नारी पर भी पड़ा है और वह नर की पशुता के अनुरूप झुकने के लिए अपने को तैयार करती जा रही है। चूँकि नर पशुओं द्वारा नारी की मांसलता और नग्नता को सराहा जाता है इसलिए नई पीढ़ी की नारी ज्ञात या अज्ञात रूप में अपने को उसी ढाँचे में ढालने लगी है। श्रृङ्गार और फैशन के नाम पर अब उसने ऐसा वेश विन्यास बनाना शुरू कर दिया है जो भौंडा और फूहड़ कहा जा सकता है। अर्ध-नग्नता और उभारों को सर्व-साधारण की आँखों में आकर्षक ढङ्ग से लाने का विन्यास वेश्याओं को शोभा देता है, शालीन परिवारों की महिलाओं के लिए यह किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं। जिससे दूसरों को अपनी ओर घूरने की उत्तेजना मिले, ऐसा श्रृङ्गार भारतीय ललनाओं के गौरव को गिराने वाला ही कहा जायगा। हम अपनी भोली बच्चियों को सतर्क करें कि वे अनजान में ही देखा-देखी ऐसे श्रृङ्गार एवं विन्यास को न अपनाएँ जो पुरुष-वर्ग की पशुता को और अधिक उत्तेजित करने में सहायक बने। लज्जा और शालीनता ही नारी का भूषण है। यह तथ्य भारतीय नारी के रोम-रोम में समाया रहना चाहिये।

अश्लीलता की पूतना हमारी आत्मा को विष के घूँट पिलाने आई है। इस पिशाचिनी से जैसे भी वन पिण्ड छुड़ाया जाना चाहिये तभी हम शालीनता, सज्जनता एवं संस्कृति के सजग प्रहरी कहला सकेंगे। मद्य और मांस बेचने की तरह इस प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें बेचने से दुकानदार इनकार कर दें जो कि कामुकता भड़काकर जन-मानस को अधःपतित बनाने की भूमिका बनाती हैं। कलाकार अपनी कला को कलङ्कित न करें। गायक वह न गायें, जिसमें मनुष्य की प्रवृत्तियाँ पशुता की ओर उन्मुख हो। वादक वह न बजायें जिसमें वासना भड़के। अभिनेता वैसे अभिनय न करें जिससे अपरिपक्व बुद्धि की नई पीढ़ी कामुकता के भड़काने के दुष्परिणाम भुगते। साहित्यकारों के लिखने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। उसमें से अश्लीलता पर प्रतिबन्ध लगाकर और कुछ ही लिखें।

सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक विचारशील ऐसे उत्पादन में घृणा करे। इस व्यवसाय से धन कमाने वालों की भर्त्सना करे। और सर्व साधारण को सचेत करे कि अश्लीलता की सर्वनाशी आग से खेलने का भौंडा मनोरंजन बन्द करे अन्यथा यह बहुत मंहगा पड़ेगा। पुस्तकालयों में ऐसी उत्तेजित पुस्तकें बहिष्कृत करा दी जायें। घर-कमरों में टंगे ऐसे चित्र हटा दिये जाय जिनकी वाप-बेट्टी साथ-साथ बैठकर समीक्षा न कर सकें। रेडियो और रिकार्डों में से उत्तेजक गानों को न सुनने की ठान ठानी जाय। सभी सार्वजनिक प्रदर्शनों के रूप में अश्लीलता की पूतना को एक आसुरी विभीषिका के रूप में निकाला जाय और दुष्ट होलिका राक्षसी की तरह उसे जलाया जाय। किसी नमाने में विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे, अब समय आ गया कि अश्लीलता और कामुकता भड़काने वाले समस्त प्रसाधनों को कूड़े-करकट की तरह इकट्ठे करके उन्हें होली की तरह जलायें और उस दुष्प्रवृत्ति की हानि सर्व साधारण को समझायें। इन सबसे हम बच्चे अपने बच्चों को बचायें और सर्वसाधारण को अश्लीलता की अनैतिकता से सतर्क करें, यही हमारे लिए उचित है।

—यत्र नार्यास्तुपुण्यन्ते—

* भिक्षा-वृत्ति का व्यवसाय न रहने दें *

क्र० ७२

मनुष्यता का यह सबसे बड़ा अपमान है कि समर्थ होते हुए भी व्यक्ति दूसरों के आगे अपने व्यक्तिगत व्यय के लिये हाथ पसारें। स्वाभिमान, आत्म-सम्मान को कष्ट और अभाव सह कर भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कोई दुर्घटना अथवा आकस्मिक विपत्ति के समय आपत्ति धर्म की बात दूसरी है पर सामान्यतया यही नीति है कि - मनुष्य अपने हाथ-पैर से काम करके गुजारा करे। दूसरों के आगे हाथ न पसारें और अपने, आत्म-सम्मान को न गिराये।

अपने देश में अब भिखमगेपन ने एक सुव्यवस्थित व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। पिछली सरकारी जनगणना के अनुसार अपने यहाँ ५६ लाख व्यक्ति भिक्षा-व्यवसाय से अपनी आजीविका चलाते हैं इसमें असमर्थ एवं अपजनों की संख्या एक लाख से भी कम है, शेष सभी इस योग्य हैं कि अपनी आजीविका अपने श्रम द्वारा उपार्जित कर सकें। पर वे करते नहीं।

भिक्षा व्यवसाय पर निर्भर लोगों में ५० लाख व्यक्ति साधु-ब्राह्मणों का वेष बना कर विचरण करते हैं और ६ लाख अपने को दरिद्र असमर्थ बतलाते हैं। दोनों ही वर्गों में अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें भीख माँगने पर उतारू होने के अतिरिक्त कोई मार्ग न हो। भजन के लिए यह आवश्यक नहीं कि भिक्षाजीवी बनकर ही उसे किया जाय। अपनी आजीविका से निर्वाह करते हुए भी भजन का उद्देश्य पूरा हो सकता है। अन्यथा ऋण भार में वह भजन भी चला जायगा। यह बात मोटी बुद्धि से भी समझी जा सकती है। ५६ लाख तो वे भिखारी हैं, जिनने अपनी एकमात्र आजीविका भिक्षा घोषित की है। ऐसे लोग जो व्यवसाय तो दूसरे करते हैं पर समय समय पर भिक्षा का लाभ भी लेते रहते हैं, ऐसे 'अर्ध भिक्षुक' भी लगभग इतने ही होंगे। इन एक करोड़ लोगों का भार ३० करोड़ हिन्दू जनता को बहन करना पड़ता है। हर तीस व्यक्ति में से एक भिक्षुक हो, यह बहुत ही बुरी बात है। इससे अपने समाज के गये-गुजरे आत्म सम्मान का घृणित चित्र उपस्थित होता है।

प्राचीन काल में साधु-ब्राह्मण भिक्षा माँगा करते थे। इसलिये कि वे अपना सारा समय लोक-मंगल के लिये समर्पित कर सकें, आत्म-शुद्धि और आत्म-समर्थता के लिये वे थोड़ा समय भजन, स्वाध्याय में लगाते थे, और शेष सारा समय लोक-मंगल में देते थे। निज की न उनकी कोई सम्पत्ति होती थी, न आकांक्षा। भजन और स्वाध्याय भी वे इसलिये करते थे कि इन माध्यमों से विनिर्मित उनका प्रखर व्यक्तित्व लोक-मंगल के लिए अधिक उपयोगी एवं समर्थ सिद्ध हो सके। भिक्षा इस लिये माँगते थे कि आजीविका उपार्जन में उनका बहुमूल्य समय नष्ट न होकर वह समाज के काम आये। ऐसे लोक सेवी कम संख्या में होते थे, उनके पुनीत कर्तृत्व को देखकर लोग भिक्षा देते हुए भी अपने को धन्य मानते थे। उन दिनों उन हजारों-लाखों लोक-सेवी साधु ब्राह्मणों के सत्प्रयत्नों से अपना समाज हर दृष्टि से सुविकसित और समुन्नत बनता था। तब साधु ब्राह्मणों की संख्या वृद्धि, राष्ट्रीय सौभाग्य की वृद्धि, गिनी जाती थी। आज परिस्थितियाँ विलकुल उल्टी हो गई हैं। प्राचीन काल जैसे साधु ब्राह्मण अब इतने कम हैं कि उन्हें उँगलियों पर गिना जा सके। अधिकांश तो परिश्रम से बचने के लिये यह धन्या अपनाये हुए हैं।

पचास लाख साधु यदि रचनात्मक कार्यों में लग सके होते तो आज परिस्थितियाँ कुछ और ही रही होतीं। भारत में सात लाख गाँव हैं। पचास लाख व्यक्ति यदि उनका कायाकल्प करने के लिये—शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार आदि समस्याओं को हल करने के लिये—जुट पड़े तो हर गाँव के पीछे ७—साधु आते हैं और वे अपने प्रयत्न से वहाँ स्वर्गीय वातावरण पैदा कर सकते हैं। साक्षरता की आवश्यकता एक-दो वर्षों में पूरी हो सकती है। गृह-उद्योग पनप सकते हैं। व्यायामशालायें, पाठशालायें, पुस्तकालय, रक्षा-दल, सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक कुरीतियाँ व्यसन, आलस्य आदि दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण आदि कार्यक्रमों से क्षेत्रों में आशाजनक परिवर्तन देखा जा सकता है। इतने

लोक-सेवियों द्वारा देश की परिस्थितियाँ कुछ से कुछ बनाई जा सकती हैं। चीन की ५० लाख सेना संसार भर में आतङ्क पैदा करती है, अपने ५० लाख मन्त सारे संसार में भारतीय धर्म और संस्कृति की ध्वजा फहरा सकते हैं। पर दुर्भाग्य को क्या कहा जाय, जिसने साधु वेशधारी हमारे सामने खड़े कर दिये किन्तु प्राचीन काल जैसा दृष्टिकोण और कर्तृत्व उनमें ढूँढ़े नहीं दीखता।

ऐसी दशा में क्या यह उचित है कि इतनी बड़ी जनसंख्या इस प्रकार जनता पर भार बनी बैठी रहे और अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिये नाना प्रकार के प्रपंच तथा मूढ़ विश्वास फैलाती हुई लोक-मानस को विकृत करती रहे। इसी प्रकार उन भिखारियों का प्रश्न है, जो काम करने में सर्वथा असमर्थ न होते हुए भी भिक्षा पर उतर आये हैं। यदि मनुष्य चाहे तो थोड़ी-बहुत शारीरिक असमर्थता के बीच भी कुछ न कुछ श्रम और उपार्जन कर सकता है इच्छा हो तो काम भी मिल सकता है और राह भी। अनिच्छा हो तो असमर्थता, अपङ्गता और दरिद्रता का ढोंग बनाने में अब वे प्रवीण हो गये हैं। ऐसे भी अनेक उदाहरण मिले हैं कि यह निष्फुर लोग अपने बालकों के हाथ, पैर तोड़कर, आँखें फोड़ उन्हें अपङ्ग बना देते हैं ताकि उनके बहाने अधिक आजीविका उपार्जन हो सके।

राष्ट्र की आर्थिक और नैतिक कमर तोड़ देने वाले इस भिक्षा-व्यवसाय या अन्त करने के लिये हर विचारशील व्यक्ति को सजग होना चाहिए। कुपात्रों को दान देना इस दुष्प्रवृत्ति को फलने-फूलने का अवसर देना है। हर उदार मनुष्य को विवेक से भी काम लेना चाहिए और देते समय यह भली भाँति परख लेना चाहिए कि उसका पैसा किस प्रयोजन में लगेगा। ढोंग या परम्परा से प्रभावित होकर दान देने की मानसिक दुर्बलता से जब तक जूझा न जायगा भिक्षा व्यवसाय की विष बेल-बढ़ती ही चली जायगी।

जो सर्वथा अपंग, असहाय हैं, उनके निर्वाह का प्रबन्ध संस्थाओं अथवा सरकार को करना चाहिए। जो लोक-सेवा में संलग्न साधु ब्राह्मण हैं, उनके निर्वाह का प्रबन्ध धर्म संस्थाओं को करना चाहिए। प्राचीनकाल में याता-यात, डाक, बैंक आदि का प्रबन्ध न होने से सर्वत्र मिल सकने वाली भिक्षा उपयोगी रही होगी। अब सुयोग्य लोक-सेवी साधुओं के निर्वाह का क्रम ईसाई मिशनों के पादरियों की तरह बड़ी आसानी से हो सकता है। उपरोक्त दोनों ही वर्गों के अधिकारी व्यक्तियों को छोड़ कर शेष उन सभी भिक्षुओं को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, जो न तो लोक-सेवी हैं और न अपंग। प्राचीन काल में साधु पुजते थे—इसलिए इन्हें भी गुणी न होते हुए वेश धारण मात्र से पूजा जाय यह कोई तर्क नहीं। प्राचीन काल के ब्राह्मण अपने महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कारण श्रद्धास्पद थे। वे गुण न रहने पर भी उनके वंशज वही सम्मान पायें, इसका कोई कारण नहीं। सेवा, कर्तव्य है—भिक्षा अधिकार। यदि सेवा नहीं—तो भिक्षा भी नहीं। यह तथ्य सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया जाय तो यह एक करोड़ लोगों की भिक्षुक एवं अर्ध-भिक्षुक जनसंख्या कुछ उपार्जन में लग सकती है। गरीब जनता पर पड़ने वाला एक भार बच सकता है, उपार्जन और श्रम से इन लोगों का आत्म-गौरव और कर्तृत्व निखर सकता है, वे अपने लिये और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति सिद्ध हो सकते हैं।

भिक्षा अनैतिक है। भिक्षा व्यवसायी की मनोभूमि दिन-दिन पतित होती जाती है। उसका शौर्य, साहस, पौरुष, गौरव सब कुछ नष्ट हो जाता है और दीनता मस्तिष्क पर बुरी तरह छाई रहती है। अपराधी की तरह उसका शिर नीचा रहता है। अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसे हजार ढोंग रचने पड़ते हैं और लाख तरह की मूढ़तायें फैलानी पड़ती हैं। यह भार जनमानस को विकृत बनाने की दृष्टि से और भी अधिक भयावह है।

हर विचारशील का कर्तव्य है कि भिक्षा व्यवसाय को निरुत्साहित करे। कुपात्रों को वाणी मात्र से भी उत्साह न दें। जिन पर प्रभाव पड़ सके, उन्हें भिक्षा छोड़ने और श्रम करने के लिए कहें। इतनी बड़ी जनसंख्या को इस अवांछनीय व्यवसाय से विरक्त करने के लिये हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये और उसके लिये कुछ ठोस प्रयत्न करना चाहिए।

—भिक्षा व्यवसाय देश और समाज का कलंक

-: मृतक भोज भी अविवेकपूर्ण न हों :-

क्र० ७३



मनुष्य के मरने के बाद उसके परिवारी प्रियजनों को वियोग-जन्य दुःख और संचित सम्बन्ध के यकायक सदा के लिये टूट जाने से एक भावनात्मक उफान आता है। उस समय वे लोग स्वर्गीय आत्मा के लिये कुछ करने के 'मूड' में होते हैं। कुछ करते भी हैं। संसार भर में मृत आत्मा के कल्याण एवम् सुख-सुविधा के लिए पूजा, प्रार्थना श्राद्ध, पिण्ड से लेकर दान, पुण्य तक कुछ न कुछ किया जाता है। भारतवर्ष में भी ऐसा ही प्रचलन है।

भारतीय आदर्श यह रहा है कि—हर व्यक्ति अपनी उपाजित श्रमसिक्त आजीविका को ही उचित मानता रहा है। दूसरों के अनुदान पर निर्भर रहना, विना परिश्रम की कमाई खाना, यहाँ सदा से गहिँत माना गया है। क्योंकि किसी का सञ्चित धन—विना परिश्रम किये किसी को मिले और वह उस हराम की कमाई से बैठे-बैठे गुल-छरें उड़ावे, तो समाज में एक बुरी परम्परा का जन्म होता है। बिना श्रम उपाजित धन में अनेक दोष दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और देखा-देखी दूसरे भी वैसी ही हरामखोरी की सुविधायें पाने के लिये मुपत का काम तलाश करते हैं और अपराधों की दुष्प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। इस तथ्य को भारतीय दर्शन ने भली प्रकार समझाया और चरित्र में सम्मिलित रखा है।

वच्चे जब तक अशक्त एवम् अविकसित रहें तब तक अभिभावकों से उन्हें पोषण पाने का अधिकार है। पर जब वे समर्थ हो जाते हैं तो उन्हें स्व-उपाजित आजीविका पर निर्भर रहना चाहिये। यदि वच्चे स्वावलम्बी हो गये हैं तो उन्हें मृत पूर्वज की कमाई समाज को ही लौटा देनी चाहिए।

प्राचीन प्रथा यह थी कि दिवंगत व्यक्ति के आश्रित अवयस्क अथवा उपाजन में असमर्थ उत्तराधिकारी पालन, शिक्षा विवाह एवं विकास के लिये जितना धन अति आवश्यक हो उतना रखकर शेष लोक मङ्गल के लिये स्वर्गीय आत्मा की शान्ति और सद्गति के लिए दान कर देते थे। जिनके परिवारी समर्थ एवं स्वावलम्बी हैं वे मृतक का सारा पैसा समाज के लिए खर्च करते थे। साधारण स्थिति में किसी मृतक के छोड़े हुए धन का उपयोग उसके उत्तराधिकारियों के लिये आग्राह्य एवं अनुचित ही माना जाता था। अतएव वह स्वयं ही अथवा समाज के लोग इकट्ठे होकर उस धन को लोक मङ्गल के लिए खर्च करने की योजना एवं प्रक्रिया बनाते थे। मृतक के प्रति वरती हुई इसी श्रद्धा सद्भावना का नाम 'श्राद्ध' था। पुण्य फल से ही आत्मा की सद्गति होती है। जो दान—लोभ-मोह अथवा परिस्थितिवश मृतक न कर सका उमकी पूति उत्तराधिकारी कर देते थे। अनोति से उपाजन का प्रायश्चित्त भी हो जाता था और पुण्य फल में शान्ति सद्गति भी मिलती थी। इस दृष्टि से उम जमाने की यह 'श्राद्ध' परम्परा उचित ही थी। तथ्य सदा शाश्वत और सनातन होते हैं। वे आज भी उतने ही उपयोगी एवं उचित हैं। उत्तराधिकार में प्रचुर धन पाना अब भी औचित्य की दृष्टि में अनुपयुक्त है। इसलिये सरकार 'मृत्यु टैक्स' आदि लगा कर उसे वापिस समाज के लिए माँग भी रही है। कई उदार व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर स्मारक रूप से कुछ लोकोपयोगी कार्य भी करते देखे जाते हैं। यह स्वस्थ परम्परा अति उचित, न्यायानुकूल एवं प्रशंसनीय है।

पूर्व काल में मृतक भोज का आधार यही था। पीछे अन्धकार और अज्ञान का जमाना आया, जीभ के लोभी लोगों ने लोक-मङ्गल की बात भुलादी और बद्धिया दावतें उड़ाने का नया सिलसिला शुरू कर दिया। मृतक की वची सम्पत्ति खूब मिठाई और माल-पूजों के रूप में उड़ा डालने का क्रम चल पड़ा। बाप ने कुछ छोड़ा हो या न छोड़ा हो, घर की स्थिति कैसी ही दयनीय क्यों न हो मृतक भोज के नाम पर यार-दोस्तों और परिचित अपरिचितों को एक लम्बी-चौड़ी दावत देनी पड़ती है। लोक मङ्गल के कार्यों में लगने वाला धन चतुर पण्डित टग लेता है। वही चीजें मृतक को दिला देने का झाँसा देकर अन्न, वस्त्र, पात्र, पलंग, गाय, मकान, आभूषण आदि झटक ले जाते हैं। यदि किसी परमार्थ कार्य में लगा कर वह पैसा पुण्य बन गया होता तो सम्भव है उससे स्वर्गीय

पहुँचा देने में किसी प्रकार समर्थ नहीं हो सकता। शैश्यादान, गौदान आदि मृतक के नाम पर जो लोग लेते हैं वे उन वस्तुओं को अथवा अनुदान से प्राप्त शक्ति को परमार्थ कार्य में तो लगाते नहीं, फिर मृतक को उसका लाभ मिलेगा कैसे? “ब्राह्मण वंश का व्यक्ति जो भले ही परमार्थ परायण न हो—दान पाकर पुण्य फल उत्पन्न कर सकता है” यह मान्यता सर्वथा भ्रमपूर्ण है। आज ब्रह्म-भोजों का आडम्बर इसी भ्रम पर टिका हुआ है। इसमें दाता के धन की बर्बादी है, और ब्राह्मण वंश के लोगों का दूसरों की कमाई खाकर भिक्षुक जैसी पतित मनोभूमि में उतरना उनको भी हर दृष्टि से हानिकारक है। बेचारों पर व्यर्थ ऋणभोज बढ़ता है, जो आगे चलकर उन्हें ही चुकाना भी पड़ेगा।

आज की परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। अब प्राचीन काल जैसी स्थिति नहीं रही। उपार्जन के साधन सीमित हैं। मंहगाई बढ़ गई। पहले कृषि, शिल्प आदि घरेलू कार्य में सारा घर लगा रहता था और आवश्यकता भर के लिये पर्याप्त कमा लेता था। अब घर के प्रमुख व्यक्ति ही कमाते हैं और घर के अन्य सदस्य बैठ कर खाते हैं। फैशन तथा स्टैण्डर्ड बनाने के फालतू खर्च भी एक आवश्यकता ही बन गये हैं तथा मंहगी चिकित्सा, शिक्षा कमर-तोड़ भार डालती है। ऐसी दशा में औसत परिवारों को बड़ी तंगी के साथ गुजारा करना पड़ता है। उनमें इतनी गुंजायश नहीं रहती कि घर में फालतू पैसा ढूँढ निकाला जाय और उसे अनावश्यक समझकर मृतक भोज जैसी रूढ़ि के नाम पर खर्च कर डाला जाय।

प्राचीन काल में ब्राह्मण, साधु जैसे लोक मञ्जल में संलग्न वर्गों की भोजन, वस्त्र एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था कर देना उचित था। पर जब आज उस प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे ही नहीं तो ब्रह्म-भोज की बात भी कहाँ रही? सर्व साधारण के लिए, मित्र, परिजनों के लिए तो आज जैसी मृतक भोज की दावत हर दृष्टि से अवांछनीय और अग्राह्य है। जिसके घर में पन्द्रह दिन भी मृत्यु हुए नहीं बीते हैं—जिस घर में लोग शोक संतप्त हैं, एक उप-योगी व्यक्ति के चले जाने से जिस घर को आर्थिक एवं व्यवस्था सम्बन्धी आघात लगा है, उसी आंगन में दावत खाने पहुँचना किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के गौरव के सर्वथा विपरीत है। कोई कठोर, निष्ठुर और निर्लज्ज मनुष्य ही ऐसी दावत गले उतार सकता है। सामान्य सज्जनता और विचारशीलता जिसके भीतर विद्यमान है वह ऐसी दावतें करने की न तो किसी को सलाह दे सकता और न उसमें सम्मिलित होना ही स्वीकार कर सकता है।

आज रूढ़िवादी से ग्रसित सर्व साधारण के सामने मृतक भोज एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घर में न होने पर कर्ज लाकर भी इसे करना पड़ता है। और बहुत कर देखा गया है कि उस कर्ज और व्याज के कुचक्र से ही घर की पूँजी, सुविधा तथा इज्जत नीलाम हो जाती है। इस व्यय भार से दब जाने पर परिवार के बच्चों की शिक्षा, बीमारों की चिकित्सा, वयस्कों के विवाह आदि आवश्यक कार्यों में भी भारी अड़चन उत्पन्न हो जाती है और इस कुप्रथा का बहुत बुरा परिणाम दुःखपूर्वक बहुत दिनों तक भोगना पड़ता है। घर का एक व्यक्ति गया, उसकी चिकित्सा, अन्त्येष्टि आदि में पैसा लगा और अन्त में मृतक भोज का भारी दबाव सिर पर आ गया। यह परिस्थितियाँ किसी चैन से गुजर करने वाले परिवार को भी विपत्ति में फंसा देने के लिए पर्याप्त हैं।

विचारशीलता का तकाजा है कि हम अनावश्यक और अवांछनीय रूढ़ियों को उखाड़ फेंकें और इसके लिए अन्ध परम्पराओं के अनुयायी अविवेकी लोग विरोध या निन्दा करें तो उसे अपेक्षा में उड़ा दें। उचित बात बच्चे की भी मानना चाहिए और अदूरदर्शितापूर्ण सलाह चाहे बूढ़ा सम्बन्धी अथवा पंच कहलाने वाले व्यक्ति की ही क्यों न हो—हमको उसे मानने से साहसपूर्ण दृढ़ता से और नम्रतापूर्वक इनकार कर देना चाहिये। इन सत्यानाशी कुप्रथाओं का अन्त साहसी लोगों की दृढ़ता और अग्रगामिता से ही होगा।

यदि किसी के पास मृतक का छोड़ा हुआ ऐसा धन है, जिसके बिना भी परिवार का काम चल सकता है तो उस पैसे के प्रति उत्तराधिकारियों को लोभ-मोह न बढ़ाकर उसे लोक-मञ्जल के विद्यालय, पुस्तकालय स्थापना जैसे उपयोगी कार्यों में लगा देना चाहिए, अथवा थोड़ा बहुत जितनी श्रद्धा हो इन निमित्तों में दे देना चाहिये। मृतक श्राद्ध की परम्परा पर हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

—मृतक भोज की क्या आवश्यकता

भूत-पत्नीत और उद्भिज देवी-देवताओं का जंजाल

क्र० ७४



श्रद्धा और विश्वास की आध्यात्मिक प्रगति के लिये बड़ी उपयोगिता है। इन सद्गुणों के आधार पर आत्मोत्कर्ष का पथ-प्रशस्त होता है। पर यह श्रद्धा, विश्वास, विवेक, तर्क और वास्तविकता पर निर्धारित होनी चाहिये। अज्ञान, भ्रम और मिथ्यात्व पर आधारित श्रद्धा अन्ध-विश्वास एवं मूढ़ता मानी जाती है, उससे गलत दिशा में चल पड़ने और भयानक परिणाम भुगतने का क्रम बन जाता है। इस जाल-जंजाल में फँसा हुआ भोला मनुष्य हर प्रकार हानि उठाता और घाटे में रहता है। हमें विवेक और तथ्य पर आधारित श्रद्धा-विश्वास अपनाना चाहिये किन्तु अन्ध-विश्वास और मूढ़ता से बचना चाहिये।

भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षा, भोलेपन एवं धूर्तों के बहकाये जाने से अन्ध-विश्वास के भ्रम-जंजालों में बुरी तरह जकड़ा पड़ा है और जिनका कोई सिर-पैर नहीं है ऐसी मिथ्या मानताओं को अपना कर भारी विपत्तियाँ एवं हानियाँ आमन्त्रित करता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि विवेक, तर्क, तथ्य और वास्तविकता को ढूँढ़ने की स्वतन्त्र चेतना हर मनुष्य में पैदा हो और जो निराधार मान्यतायें अपना रखी हैं उन्हें छोड़ने का साहस उत्पन्न किया जाय।

अपने देश की पिछड़ी जनता में भूत-पत्नीतों और देवी-देवताओं की भीरु मान्यतायें बेतरह जड़ पकड़े हैं। मरने के बाद भारतीय मान्यता के अनुसार प्राणी स्वर्ग-नरक में जाता या नये जन्म लेता है। कोई दुष्ट या अशान्त आत्मा ही यदाकदा प्रेत बनता है और वह भी एकान्त में कर्मफल भोगकर नई गति पाता है। मनुष्यों को डराने और उनमें कुछ माँगने के लिए डराने वाले कुटृत्य करने की प्रेतों की प्रवृत्ति भी नहीं होती। अधिक से अधिक वे कभी अपने अस्तित्व का परिचय दे सकते हैं। जहाँ कहीं भी प्रेत-पितरों का धर्म-शास्त्रों में वर्णन है, इतना ही है। आजकल भूतों का दूसरा ही स्वरूप है। बीमारी अर्थात् भूत। कोई जरा-भी बीमार हुआ कि भूतों का कुचक्र समझ लिया गया। ओझा—सयाने—दिवाने—तरह-तरह की किम्बदन्तिया गढ़कर भोले मनुष्यों के मन में अन्ध-विश्वास, भय और भ्रम पैदा करते हुए अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपने देश में अब मानसिक रोग भी समाज की विपम परिस्थितियों ने बहुत बढ़ा दिये हैं। इन मानसिक रोगियों को भूत की कल्पना देने से उनका मन उसी पर जम जाता है और वे इस प्रकार का कथन एवं आचरण प्रस्तुत करते हैं मानो सचमुच ही उन पर भूतों का आधिपत्य हो। लाखों व्यक्ति भ्रम-जंजाल में जकड़े हुये वास्तविकता चिकित्सा से वंचित रहते हैं और उस भ्रम के दलदल में दिन दिन अधिक गहरे उतरते हुए अपना स्वास्थ्य, समय, धन और बहुमूल्य प्राण गँवाते रहते हैं। भूतों का जंजाल किसी महामारी से कम धन-जन की हानि नहीं करता। इसे एक पूरी मनोवैज्ञानिक विपत्ति ही मानना चाहिये। अशिक्षित ही नहीं शिक्षित जनता का भी एक बहुत बड़ा भाग इस व्यवस्था से बुरी तरह पीड़ित है।

विचारने की बात है कि यदि भूतों का ऐसा ही अस्तित्व और वर्चस्व रहा होता तो वह मूढ़मति भारतीयों तक ही सीमित न रहते। बुधवार, खाँसी की तरह संसार के हर देश में अपना प्रभाव दिखाते। शिक्षित और सभ्य जनता में भी उनका अस्तित्व दीख पड़ता। पर स्पष्टतः वे केवल पिछड़े लोगों तक ही सीमित हैं। बौद्धिक दृष्टि से ममुन्नत लोगों में भूत-पत्नीत की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। इससे प्रकट होता है कि यह एक भ्रम-जंजाल मात्र है जो आस्था का रूप धारण करके लाखों करोड़ों व्यक्तियों के गले में फाँसी की तरह लिपटा बैठा है और उन्हें बुरी तरह पीड़ा देकर संतस्त कर रहा है। वास्तविकता को परखने का वारीकी से प्रयत्न किया जाय “अज्ञान डायन—मनसा त” की उक्ति सच प्रतीत होती है। आशुद्धाये ही डायन-चुड़ल बनती हैं और मन के

सन्देश, डर एवं भ्रम ही भूत बन जाते हैं। यदि विवेक, स्वतन्त्र-चिन्तन एवं तथ्य खोजने की प्रवृत्ति हम में जग पड़े तो रूस, इङ्गलैंड, जर्मन आदि प्रबुद्धि देशों की तरह अपने यहाँ भी कहीं भूत-पलीतों की चर्चा सुनाई न पड़े और भारतीय जनता की एक भारी विपत्ति टल जाय।

ईश्वर एक है। उसकी विभिन्न कार्य-शक्तियों को आलङ्कारिक रूप में देव मानते हैं। भारतीय धर्म एक ईश्वरवादी है। देवताओं की जहाँ कहीं भी चर्चा है वहाँ एक ईश्वर की विशेषताओं एवं शक्तियों का सचित्र उल्लेख मात्र है। बहुत स्वभावों और प्रकृतियों के बहुत से देवता यदि रहे होते तो उनके पारस्परिक विग्रह से ही भारी अशांति और उलझन पैदा हो जाती। तब वे देवता मनुष्यों के लिये एक विपत्ति बनकर खड़े हो जाते। अच्छा यही है कि ऐसी कोई बात नहीं। ईश्वर एक है। उसका प्रतिद्वन्द्वी, साक्षीदार तथा सहायक कोई नहीं है। आवश्यकतानुसार उसके नाम, रूप भर हम गढ़ लेते हैं और अपनी श्रद्धा, पूजा की रुचि—भिन्नता के अनुरूप समाधान करते हैं।

उपरोक्त तथ्य से प्रतिकूल भारत के पिछड़े वर्ग में असंख्य देवी-देवताओं की कल्पना है। इनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते लाखों-करोड़ों तक पहुँच गई है। हर कुल, परिवार, गाँव के अलग कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, ग्राम देवी, बरसाती मेढकों की तरह उपज पड़े हैं। कुछ देवी-देवताओं के नाम तो पूजा-पुस्तकों में भी पढ़े-सुने जाते हैं पर इन प्रचलित देवी-देवताओं का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं, यह तो पावस की उद्भिज उपज की तरह यों ही अन्धाधुन्ध उपज पड़े हैं। वे अपनी पूजा करने वालों का कुछ हित तो कर नहीं सकते केवल डराते और दास देते रहते हैं। जरा-जरा-सी बात पर अकारण नाराज होते हैं। बच्चे का मुण्डन उनकी मठिया पर न कराया तो नाराज। घर में कोई उत्सव हुआ और उनकी मर्जी की पूजा में भूल हो गई तो नाराज। नाराजी अर्थात् बीमारी और कठिनाई। लोग डर के मारे उन्हें पूजते हैं। यदि विश्वास हो जाय कि यह कुल देवता, ग्राम देवता नाराज नहीं होते या नाराज होकर कुछ कष्ट नहीं पहुँचाते तो अधिकांश में पूजने वाले उन्हें छोड़ दें। क्योंकि वे लाभ तो किसी का कुछ कर नहीं सकते। केवल हानि ही पहुँचाते हैं। देवता शब्द की कैसी दुर्गति है। देवता तो देने वाले को कहते हैं। जो व्यक्ति या शक्ति हमें कुछ देने में समर्थ हो 'देव' शब्द उन्हीं के लिये प्रयुक्त होता है। पर यहाँ तो परिभाषा ही दूसरी है। जो देने में असमर्थ हो मिठाई, प्रसाद, माँस, मदिरा आदि के लिये लालायित रहे और उनके मिलने पर हर उचित-अनुचित मनोकामनायें पूरी करने लगे, न मिलने पर शत्रु जैसा आक्रमण करे—भला ऐसे भी कोई देवता होते हैं।

भगवान् की भक्ति—देव पूजा—एक उत्कृष्ट आस्था है। उससे आत्मिक प्रगति एवं नैतिकता के समर्थन में सहायता मिलती है। पर इन दिनों पिछड़े लोगों में प्रचलित देवी-देवताओं का स्वरूप उस धर्म आस्था के सर्वथा प्रतिकूल है। यह न आस्तिकता है न पूजा। इसके पीछे न श्रद्धा है और न विश्वास। यह तो मूढ़ता, अज्ञान और अविश्वास के समिश्रण से उत्पन्न हुआ भ्रम-जंजाल मात्र है जिसमें अपने लाखों-करोड़ों लोग बुरी तरह ग्रस्त-न्नस्त हो रहे हैं। जीवन में वैसे ही विपत्तियाँ क्या कम हैं जो भ्रम और अज्ञान के आधार पर भूत-पलीतों और उद्भिज देवी-देवताओं के रूप में एक मनोवैज्ञानिक सङ्कट अपने लिये गढ़कर खड़ा करें और उसमें उलझ कर धन, समय, स्वास्थ्य की बर्बादी और अशान्ति का सङ्कट ओढ़ें।

अन्ध-विश्वासों की एक बड़ी शृङ्खला जन-मानस को सन्देश और आशंकाओं के जाल में जकड़े हुए है। जादू-टोना, शकुन-ज्योतिष आदि की उलझनों में पड़े हुए जितने लोग अपना और दूसरों का क्या-क्या अनर्थ करते रहते हैं, इसकी एक लम्बी कथन कथा है। समय आ गया है कि लोग स्वतन्त्र चिन्तन सीखें और विवेक से काम लें। तब इस प्रकार के भूत-पलीत और उद्भिज देवी-देवता जो हमारे मस्तिष्क और समाज पर बुरी तरह छाये हुए हैं सहज ही हमें चिन्ता-मुक्त करके वहीं विलय हो जायेंगे, जहाँ से उत्पन्न हुए थे।

—अंधविश्वासी नहीं, विवेकशील बनिये

* पशुबलि भारतीय धर्म पर एक कलंक *

क्र० ७५

देवता उन्हें कहते हैं जो दें। प्यार, सेवा, महायत्ना, सौजन्य, कृष्णा, सद्भावना और समता का जो निरन्तर परिचय देते रहते हैं, वे देवता हैं। अन्तरिक्ष में रहने वाले परमेश्वर की ऐसी ही अदृश्य शक्तियाँ जो संसार के हित साधन में निरन्तर प्रवृत्त रहती हैं, देवता, मानी और पूजी जाती हैं। इन गुणों वाले मनुष्य भी धरती के देवता भूमुर—महामानव, नर-नारायण कहलाते हैं। चाहे दृश्य हो चाहे अदृश्य जो उच्च अध्यात्मिक तत्त्वों में, सत्प्रवृत्तियों एवं सद्भावनाओं से परिपूर्ण हैं वे सत्तायें देव ही कही जायेंगी और सदा उनका अर्चन, अभिनन्दन होता रहेगा। भारतीय धर्म में अनेक देवताओं का अस्तित्व माना गया है। यह और कुछ नहीं एक ही परमेश्वर की ऐसी विभिन्न शक्तियाँ एवं गतिविधियाँ हैं जो विश्व-मञ्जल में निरन्तर संलग्न हैं।

देव पूजन में स्वागत-सम्मान के उपयुक्त वस्तुओं का नियोजन-अर्पण किया जाता है। धूप, दीप, नैवेद्य, चन्दन, पुष्प, रोली, अक्षत जैसी मांगलिक वस्तुओं में ही वह सात्त्विकता रहती है जिसे पाकर देवता की परम सतो-गुणी सत्ता प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करे। देव पूजा में दिव्य वातावरण एवं सतो-गुणी भावनाओं की गतिविधियों एवं वस्तुओं का अर्पण अभीप्सित है। होता भी यही है।

तथ्य के सर्वथा विपरीत कुछ शताब्दियों से अपने देश के हर क्षेत्र में बहुत कुछ ऐसा उद्दण्ड आचरण प्रचलित हो चला है जिसके मूलतत्त्व के साथ कोई संगति नहीं बैठती। देव पूजा के लिए निरीह पशु-पक्षियों की नृशंस हत्या उन्हीं की प्रतिमाओं के सामने की जाय, इस क्रूर का किसी दृष्टि में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता। आध्यात्मिकता के तत्त्व-ज्ञान, देवता की प्रकृति एवं स्थिति, पूजा की पवित्रता पर जितना अधिक विचार करते हैं उतनी ही बलिदान की प्रचलित प्रथा सर्वथा अनुपयुक्त और अवांछनीय प्रतीत होती चली जाती है। निरीह प्राणियों की हत्या से देवता प्रसन्न होंगे और इस क्रूरकृत्य को उचित मानकर उस कर्ता को कल्याणकारी वरदान देंगे, यह बात यदि वस्तुतः सही हो तो हमें देवत्व की स्थिति पर ही पुनर्विचार करना होगा। नव दया, कृष्णा और देने की प्रकृति को उसके स्वभाव का अङ्ग न मानकर यह कहना होगा कि वे निष्ठुर, नृशंस, दुष्ट, शोषण के प्रतीक हैं। और मृत्यु प्राप्त करने के बाद ही अपनी कृपा वेचते हैं। वह मृत्यु सज्जनतापूर्ण नहीं—ऐसा नृशंस जिसे स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको अपनी अन्तःचेतना में आमन्त्रित करके हम कहीं भारी भूल तो नहीं कर रहे हैं। देवत्व की दिशा में चलने की अपेक्षा हम कहीं असुरत्व को तो आमन्त्रित नहीं कर रहे हैं ?

मध्यकालीन अन्धकार युग में इस देश में अनेक प्रकार की मूर्खताओं का उद्भव हुआ है। उसने धर्म क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ा। दया की देवी—कृष्णा की सरिता ममतामयी माता भगवती महाशक्ति मनुष्यों को कृष्णा, सहृदयता, सज्जनता और उदारता की ही प्रेरणा दे सकती है। उसे ऐसे भीभ्रस स्वरूप में प्रस्तुत करना कि “उसे नृशंस निर्दयता पसन्द है” वस्तुतः भगवती अम्बा को ही नहीं समस्त देव सत्ता को ही कलङ्कित करना है। देवता यदि मांस लोलुप हैं, हत्या देखकर प्रसन्न होते हैं, कृष्णा का परित्याग कर नृशंस आचरण करने की प्रेरणा करते हैं—तो उनमें और असुर में क्या अन्तर रहा ? यदि ऐसा ही सच हो तो फिर देव और असुर की परख करना असम्भव ही हो जाता।

मध्यकालीन मूर्खता और बौद्धिक विकृतियों की ही यह एक झाँकी है कि हम देवताओं के सामने मूक और निरीह पशुओं का हृदय विदारक उत्पीड़न और चीत्कार भरा बध करने को उचित मानने लगे। उचित ही नहीं मानते वरन् उसे करने के लिए भी उत्साहपूर्वक अग्रसर होते हैं। कितने ही प्रान्तों में—कितने ही मठों में देवी, भवानी अथवा भैरव की प्रतिमाओं के सामने आये दिन इन मूक प्राणियों की रक्त-धारा बहती रहती है। इसे बलिदान कहा जाता है। बलिदान शब्द त्याग, उदारता एवं तपश्चर्या के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बलिदान अपना

किया जाता है। शास्त्रों में अलङ्कार रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे दुर्गुणों को पशु कहा है और उनका वध करने की—परित्याग करने की पुण्य प्रक्रिया को, बलिदान के रूप में इंगित किया है यह कैसा बलिदान जिसमें कर्ता को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए—मनोकामनाएँ पूरी कराने के लिए, देवता को रिश्वत प्रस्तुत करते हुए एक दुष्ट कर्म करना पड़े। देवता यदि किसी के प्राण लेकर अपनी क्रूरता को तुष्ट करने लगे और रिश्वत लेकर मनोकामनाएँ पूरी करने लगे तो फिर हम मनुष्यों के सामने घोर अन्धकार ही अन्धकार है। हमें करुणा, दया, सेवा और उदारता की शिक्षा प्रेरणा कौन देगा? देवताओं में से देवत्व चला गया तो हम मनुष्यों में उसका संचार कैसे होगा! जब देवताओं ने असुरी प्रकृति और प्रवृत्ति अपना ली तो हम मनुष्यों के लिए पैशाचिकता ही स्वाभाविक बन जायगी। तब धर्म का स्वरूप 'अनर्थ' के अतिरिक्त और क्या रह जायगा? फिर देवत्व की व्याख्या दया-लुता के अर्थ में कौन करेगा?

हो सकता है कि किसी माँसाहारी को अपने अभक्ष्य भोजन को भी देवता का प्रसाद समझकर खाने की सूझ सूझी हो और उसने वध की क्रिया को देव-बलिदान कहकर जीभ लोलुपता में देव प्रसन्नता की उड़ान भरी हो। हो सकता है प्राचीन काल के तलवार युद्ध में सैनिकों का हाथ साफ करने का अभ्यास भैसे, बकरी की गरदन पर कराया जाता हो। और सोचा गया हो कि यह कृत्य करते समय किसी अभ्यासी के मन की करुणा उसे विचलित न कर दे इसलिए उसे देव-बलिदान का रूप दे दिया जाय। हो सकता है कि किन्हीं पुजारियों और उनकी मण्डली ने माँसाहार की लोलुपता सृप्त करने के लिए भोले भक्तों को पशुबलि की सूझ मुझाई हो। हो सकता है कि किसी मठाधीश ने माँस-चमड़ा और हड्डियों का अनायास ही बहुत-सा लाभ पाने का रास्ता खोजा हो। हो सकता है किसी ने देवताओं की प्रकृति तक में दुष्टता सिद्ध करके अपनी दुष्टता की स्वाभाविकता और आवश्यकता प्रतिपादित की हो। कह नहीं सकते इस पशुबलि प्रचलन के पीछे क्या कारण थे। और यह प्रथा कैसे चल पड़ी। कारण जो भी रहा हो यह एक तथ्य है कि सत्य और अहिंसा, दया और करुणा का आधार लेकर खड़ा हुआ भारतीय धर्म—देवताओं के सामने पशुबलि जैसी नृशंस प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर सकता।

हो सकता है किन्हीं पुस्तकों में संस्कृत के कुछ श्लोक इस समर्थन में जुड़े हों। उन्हें अवाञ्छनीय तत्त्वों द्वारा की गई धुसपैठ या मिलावट ही कहा जा सकता है। ऐसे दो-पाँच श्लोक प्रस्तुत करके भारतीय धर्म की आत्मा को नहीं झुठलाया जा सकता। देवी सपना देकर या किसी अन्य प्रकार से ऐसा संकेत करती है कि मुझे हत्या और माँस द्वारा प्रसन्न किया जाय, यह कल्पना आदि से अन्त तक निर्मूल है। जिस दिन देवी का हृदय इतना कठोर हो जायगा उस दिन उसे माता या देवी कहलाने का अधिकार ही न रहेगा। वरदान, अनुदान या आणीर्वाद जिस दिन माँस-मदिरा के मूल्य पर खरीदे जाने लगेंगे उस दिन वरदान दे सकने वाली अध्यात्म शक्ति का संसार से पलायन हो जायगा। इन मान्यताओं में रक्ती भर भी सचाई नहीं है कि—देवता पशुबलि चाहते हैं या इस कुकृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न सन्तुष्ट किया जा सकता है। यदि कर्मफल का सिद्धांत सत्य है और यदि हत्या की गणना पाप कर्मों में हैं तो निश्चित रूप से इस नृशंस आयोजन से सम्बन्ध रखने वाले और समर्थन करने वाले अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने पापी के रूप में ही प्रस्तुत होंगे और अपने कुकृत्य का दण्ड भोगेंगे।

समय आ गया कि हम अन्धकार युग की विकृतियों का संशोधन करें और जो अवाञ्छनीय एवं अनुचित है उसे तिरस्कृत बहिष्कृत करने के लिए साहसपूर्वक आगे आयें। पशुबलि भारतीय धर्म पर कलङ्क है। इस कालोच के रहते हम सत्य और अहिंसा का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं। फिर हमें भारतीय धर्म को असत्य और हिंसा का प्रतीक ही कहना पड़ेगा। देवताओं को दयालुता का ही प्रतीक रहने दिया जाय। जिन्हें माँसाहार करना हो उसे व्यक्तिगत रूप से करें, बेचारे देवताओं को उसमें सम्मिलित न करें। मन्दिरों की पवित्रता अधुण्ण रखी जानी चाहिये। पूजा प्रक्रिया में सान्त्विकता जुड़ी रहनी चाहिये। धर्म-कृत्यों का बातावरण सद्भावनापूर्ण रहना चाहिये। इसके लिये यह नितांत आवश्यक है कि पशुबलि जैसी नृशंस प्रक्रिया को किसी धर्म स्थान या धर्म आयोजन में तनिक भी स्थान या समर्थन न मिले।

पशु बलि हिन्दू धर्म का कलंक

प्राणियों के प्रति निर्मम और निष्ठुर न बनें

क्र० ७६



भगवान का एक मात्र पुत्र मनुष्य ही नहीं, दूसरे जीव-जन्तु भी उसी के हैं। मनुष्य ज्येष्ठ पुत्र है इसलिये उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। विवेक, करुणा, स्नेह, साँज्य का जो भावनात्मक अनुदान मनुष्य को मिला है वह किसी और को नहीं मिला। अन्य जीव अविकसित होने के कारण परस्पर दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं पर मनुष्य के लिए वैसी छूट नहीं। यही तो पशु और मनुष्य का अन्तर है। अन्य जीव अपने स्वार्थ को प्रधान रखते हैं, दूसरों की हानि की वे परवाह नहीं करते। पर मनुष्य को दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुःख में अपना दुःख मानकर चलना होता है। धर्म, अध्यात्म और दर्शन का प्रयोजन यही तो है कि व्यक्ति अधिक उदार, सहृदय, दयाद्र हो, सबमें अपनी आत्मा समाए हुई देखे और अपना ही नहीं दूसरों का भी कष्ट मिटाने एवं सुख बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील रहे। जो इस कर्तव्य धर्म की उपेक्षा करता है उसे मानवता से च्युत, अधःपतित मनोभूमि का नर पशु ही कहा जायगा।

पालतू पशुओं में श्रम लेते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह उनकी सामर्थ्य और शक्ति से बाहर तो नहीं है। मनुष्य को एक निर्धारित मात्रा में, निर्धारित दबाव का, निर्धारित समय तक ही काम करना पड़ता है। इसी प्रकार पशुओं के बारे में भी ध्यान रखा जाय। वजन ढोने वाले, सवारी में काम आने वाले तथा कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले जानवरों से प्रायः इतना काम लिया जाता है जितना करने में वे समर्थ नहीं। मार पीटकर बलात् काम लेने में वे बेचारे कुछ कह तो नहीं सकते पर धीरे-धीरे चलते हुए अकाल मृत्यु के मुँह में चले जाते हैं। ताँगे, इक्के वाले इतनी सवारियाँ बिठा लेते हैं कि उन्हें खींचना बेचारे घोड़े के लिए भारी कष्टकारक होता है। न चल सकने पर निर्दयतापूर्वक पिटाई होती है। गधे ईंट, चूना तथा दूसरी चीजें ढोते हैं, वजन की अधिकता और लगातार काम करने से उनकी पीठ में घाव हो जाते हैं और पिछली टाँगें आपस में टकराकर लहलुहान हो जाती हैं। बोझों की भारी गाड़ियाँ ढोने वाले बैल और भैंसों की गर्दनो पर घाव देखे गये हैं। इतने पर भी इन घायलों को जोता जाता है और इच्छानुसार गति से न चल पाने पर उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है।

पशुओं के प्रति बरती जाने वाली यह निर्दयता मानवता के सर्वथा विपरीत है। ऐसा क्रूर व्यवहार सर्वथा निन्दनीय है। सोचना चाहिये कि हम इन पशुओं की स्थिति में होते तो अपने ऊपर कैसी बीतती। असम्भव नहीं कि कभी अपने को भी पशु योनि में जाना पड़े और ऐसी ही क्रूर निर्दयता का शिकार बनना पड़े। उचित यही है कि जन-मानस में सहृदयता जगाई जाय जिससे इस स्तर की नृशंसता पर अंकुश लग सके। यद्यपि कानून में 'निर्दयता निवारक' एक धारा है और ऐसी क्रूरता करने वालों को, घायल पशुओं को जोतने तथा अधिक सवारी बिठाने तथा बोझा लादने वालों को अदालत के कटघरे में खड़ा करके उन्हें जेल पहुँचाया जा सकता है, पर वह कानून आज पुस्तकों तक ही सीमित है। पुलिस पर इस कानून के पालन कराने की जिम्मेदारी है। पर वह कितना कर पाती है, यह सभी जानते हैं।

सहृदय लोगों को यह कार्य हाथ में लेना चाहिए और जिनका भी पालतू पशुओं में किसी प्रकार का सम्बन्ध है उन्हें मनुष्यों के आदर्श और कर्तव्य के प्रति—दया और करुणा अपनाने के प्रति—चेतना जगानी चाहिये। पशु पालकों के लिये उचित है कि उनसे उतना श्रम लें जो उनकी साधारण शक्ति के अन्तर्गत है। निर्दयता पूर्वक मार-पीट न करें, घायल हों तो जोते नहीं, इतना भार न लादें जिससे उन्हें घायल होना पड़े। यदि घाव हो गया है तो पूरी तरह अच्छा हो जाने तक उसे विश्राम दें। अशक्त और घायलों को घर से पीटकर निकाल देते और कोए, कुत्तों के खा जाने के लिए अक्सर गधे और घोड़े वाले छोड़ देते हैं, यह बुरी बात है। अशक्तता या बुढ़ापे की स्थिति में—पेन्शन की तरह उन्हें कुछ दिन विना काम लिए भी भोजन देना चाहिए। अशक्त एवं वृद्ध गाय, बैलों को कसाई के हाथ बेच देना एक बुरे किस्म की कृतघ्नता है।

पक्षियों को पिंजड़े में बन्द करके पालना, एक प्रकार से उन्हें आजीवन कैद में डाल देना है। घर की शोभा बढ़ाने के लिये उसे स्वतन्त्र जीवनयापन की सुविधा से वञ्चित करना एक निर्दयता ही है। जो पक्षी पिंजड़े में बाहर रखकर कबूतर, मोर आदि की तरह पाले जा सकते हैं उनकी वान समझ में आती है पर पिंजड़ा तो मांशान्न नरक है। तोते, तीतर सुन्दर लगते हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सुन्दरता को बन्दी बनाया और सताया जाय। हमारे द्वारा दिये गये तथाकथित वृद्धिया भोजन और वृद्धिया निवास में पक्षी को मदा अपना स्वच्छन्द विचरण पसन्द होता है। उन्हें भी मनुष्य की तरह स्वतन्त्रता प्रिय है तो पक्षियों को पिंजड़े में क्यों परतंत्र बनायें।


रेशमी कपड़े पहनने वाले यह नहीं जानते कि यह धागा किस निर्दयता में प्राप्त किया जाता है। रेशम का कीड़ा जीवित ही खौलते पानी में उवाला जाता है और असह्य वेदना के साथ उसका प्राण लिया जाता है। तब कहीं उसके शरीर में वह खोल छूटता है। जिसके धागे में रेशम बनता है। असंख्य प्राणियों का प्राण लेकर रक्त-रञ्जित रेशम पहनकर इतराता प्रसन्नता की नहीं लज्जा की बात है। मोटे और भद्दे किस्म का एक रेशम ऐसा भी होता है जिसे कीड़ा छोड़ जाता है और उसमें हत्या की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका उपयोग हो सकता है पर अधिक महीन धागें वाला और अधिक चमकने वाला रेशम तो एक पूरे वृचरखाने की तरह ही प्राप्त किया जाता है। ऐसी वस्तुएँ धारण करना आँखों को शोभायमान भले ही लगे महदय अन्तःकरण को वे कचोटती ही रहेंगी। अच्छा हो ऐसे फैशन और चमक-दमक में हम बाज आयें जिसके लिये असंख्यों जीवों को तड़प-तड़पकर अपना प्राण देना पड़ता हो ऐसी ही कई अन्य वस्तुएँ भी हैं जो प्राणि वध के हत्यारे तरीकों से ही प्राप्त की जाती हैं। कस्तूरी जीवित मृग को मारकर निकाली जाती है। चँवर दुलाने की शोभा तब बनती है जब चँवर गाय की हत्या करके उसकी पूँछ काटी जाती है। मोती जीवित सीपों को पकड़कर उन्हें तेजाब के पानी में तड़पाकर मारा जाता है, तब उसका पेट फाड़कर मोती निकालते हैं। बालों वाले बच्चों के कोट, मोजे, दस्ताने, टोपे आदि के लिए लाखों सुन्दर लोमड़ियाँ बन्दूक का निशाना बनती हैं। हिरन अब अपनी मौत नहीं मरते, शिकारी ही उन्हें भून डालते हैं। मृगछाला बिछाकर भजन करना उम्र जमाने में उचित रहा होगा जब हिरन स्वाभाविक रूप से अपनी मौत मरते थे। आज तो मृगछाला वाले 'सन्तों' की जरूरतें पूरी करने को बेचारे हिरन कराहते हुए प्राण गँवाते हैं और इन भजन करने वालों को शाप दे जाते हैं जिन्होंने उनके प्राण लेने की आवश्यकता व्यक्त की एवं भूमिका बनाई। आजकल चमड़ा आमतौर से काटे हुए पशुओं का आता है। स्वाभाविक माँत तो कोई भाग्यवान पशु ही मरता है। पशु वध में माँस में जितना लाभ है उसमें बहुत ज्यादा चमड़े में है। चमड़े का अधिक उपयोग होने में पशु वध का प्रचलन बहुत बढ़ा है। यदि हम चमड़े का उपयोग छोड़ दें और उसकी जरूरत रबड़, कैनवैस आदि से निकाल लें तो हर साल करोड़ों निरीह पशुओं की हत्या रोकी जा सकती है। अच्छा हो अपने भीतर कृपा मिश्रित मानवता जगायें और हम तनिक-से फैशन के लिए असंख्य प्राणियों को अकारण हत्या में बचायें।

दवाओं के लिये, पौष्टिक आहार के लिये विज्ञान के नाम पर प्रतिदिन करोड़ों प्राणी काटे, उवाले जलाये और भूते, चीरे जाते हैं। यह दवाएँ तत्काल लाभ कुछ भले ही दिखावे पर अन्ततः उन निरीह प्राणियों का चीत्कार उन सेवन कर्त्ताओं को भी रुलाकर ही रहेगा। परमात्मा के दरबार में देर है अन्धे नहीं। दूसरों के प्राण लेकर अपना मुख चाहने वालों को निराश ही होना पड़ेगा। बिना हत्या की दवाएँ भी हर रोग की मौजूद हैं। उनका प्रयोग इन धृणित रक्त मिश्रित दवाओं में लाख गुना अधिक लाभदायक है। फिर भी न जाने किस बहकावे में आकर लोग मद्य-माँस मिश्रित इन धृणित दवाओं का सेवन करते हैं। सम्भव है इनमें किसी का शरीर सुधर जाय पर आत्मा का पतन तो निश्चित रूप से होगा। मांसाहार शरीर को बढ़ाने का नहीं गिराने का ही निमित्त बन सकता है भले ही वह दवाओं के रूप में प्रयुक्त किया जाय। प्राणियों के प्रति वरती जाने वाली हर व्यापक निर्दयता का अन्त जितनी जल्दी हो सके उतना ही मनुष्य का गौरव कलङ्क रहित बन सकेगा।

—प्राणियों के प्रति निर्दयता न करें

* विवाहों के आदर्श ऊँचे रखे जायें *

क्र० ७७



विवाह दो आत्माओं का एक पवित्र गठ-बन्धन एवं वर-वधू का एक दूसरे के लिए किया गया दिव्य सम्पन्न है। विवाह को एक यज्ञ कहा गया है। उसका आधार और वातावरण यज्ञ जैसा होना चाहिये, नाकि शुभारम्भ के अवसर पर जैसा वातावरण था आजीवन बंधी ही परिस्थितियाँ बनी रहें। किन्तु आज तो सब कुछ उलटा ही हो गया है। उपर्युक्त जोड़े के नहीं वरन् दो परिवारों की सम्पन्नता के मोल-मोल के आधार पर सम्बन्ध पक्के किये जाते हैं। अमीरी में दाम्पत्य-जीवन की सफलता मोची जाती है। पैसे का पैसे के साथ विवाह करना ही तो उसका माध्यम भी पैसा ही हो सकता है। वरपक्ष की ओर से दहेज और कन्या पक्ष की ओर से जेवर की प्रचुरता ही आज के अभिभावकों की मनुष्टि का कारण है। लड़की-लड़कों को रूप की प्यास है। उनकी पसन्दगी रङ्ग-रूप पर अवलम्बित होती जाती है। यही धन और रूप के आकर्षण आज विवाहों की जोड़ने वाली कड़ी हैं। जब कि होना यह चाहिये था कि परिवारों का मिलन सदाचार के दृष्टिकोण एवं आदर्श पर रखा जाय और वर-कन्या के गुण, कर्म, स्वभाव की अनुरूपता मिलाई जाय। विवाह उत्सव के समय जिम धन का आदान-प्रदान होता है वह प्रायः उन्हीं दिनों दिखावे की होनी में जल-भुनकर खाक हो जाता है। रूप यौवन की बहार किशोर अवस्था के अन्त और यौवन के आरम्भ में दो-चार वर्ष रहती है। गृहस्थ का भार पड़ते ही वह बहार उड़ जाती है और काम चलाऊ शरीर मात्र शेष रह जाता है। काम तो सारे जीवन व्यक्तित्व, चरित्र एवं कौशल से पड़ता है। इन्हें देखना जरूरी नहीं समझा जाता। अतएव आज के विवाह आमतौर से अमफल रहते हैं।

सफल विवाहों के लिये आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों की धन सम्पन्नता को सम्बन्ध का आधार बिल्कुल न रहने दिया जाय। विवाह अति सादगी के साथ बिना खर्च के हो। लड़के वाले यह आशा न करें कि लड़की दौलत लेकर आवेगी और लड़की वालों को यह आशा न हो कि बड़पन का गर्व जेवरों से लिपटा हुआ है। बच्चों के उपयुक्त शारीरिक, मानसिक स्थिति के समान जोड़े तभी मिल सकते हैं जब पैसे का व्यवधान बीच में से हटे। इसी प्रकार भारत जैसे गर्म देश की जलवायु तथा वंश परम्परा सामान्य रङ्ग-रूप की है। यहाँ रङ्ग रूप में सिनेमा जैसे अभिनेता वर-वधू कहीं-कहीं ही मिल सकते हैं। अस्तु सर्व माधारण को अपनी वहिन-वदियों जैसे सामान्य रङ्ग रूप की वधुओं के लिये ही मन्तोप करना होगा। साँवला पक्का या काला रङ्ग बुरा नहीं होता। चमड़ी का रङ्ग या चेहरे का 'कट' किसी श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। उस पसन्दगी के पीछे केवल वृणित कामुकता का ओछापन ही झलकता है। मानसिक उत्कृष्टता ही गृहस्थ की मुख-शान्ति की आधार-धिता है और वह रूपवानों में ही सीमित हो यह जरूरी नहीं। सब पूजा जाय तो उसका वाह्य कुरूपों में अधिक होता है। वे रङ्ग रूप के अहङ्कारी और आकर्षण से बचकर अपने चरित्र और मस्तिष्क को अपेक्षाकृत अधिक सही रख सकते हैं और साथी के प्रति अधिक वफादार हो सकते हैं।

हमें यदि अपने बच्चों को सुखी गृहस्थ बनाना हो तो उनके बौद्धिक विकास, चरित्र एवम् स्वभाव को प्रमुखता देनी होगी और इसके लिये दो सबसे बड़ी बाधाओं—धन और रूप को—प्रधानता देनी बन्द करनी होगी। गरीब घरों में आमतौर से परिश्रमी, शिष्ट, महिष्णु और सेवाभावी स्वभाव की कन्याएँ पाई जाती हैं। वे उन्हीं को मिल सकती हैं जो धन के लालची न हों। इसी प्रकार जिसे रूप नहीं मिला है वह अपनी विशेषतायें गुणों में बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यह अति स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि सुखी और मन्तुष्ट गृहस्थ बसाना हो तो आज के दोनों ही दृष्टिकोण बदलने होंगे।

विवाहोत्सव का स्वरूप धर्मानुष्ठान जैसा अति सादगी, पवित्रता और मद्भावना भरा होना चाहिए। अहङ्कारी, उद्धत, कृतघ्न और लूटेरों जैसा नहीं। कन्या का पिता प्रसन्न है कि उसकी पुत्री को अच्छा साथी एवम्

सज्जन परिवार मिला। उसकी कृतज्ञता और नम्रता स्वाभाविक है। लड़के वालों को इससे भी चींगुना सौगुना अधिक कृतज्ञ एवम् नम्र होना चाहिये। मनुष्य से बढ़ कर मूल्यवान् वस्तु संसार में और कुछ नहीं। अपनी आत्मा के अंश को—भाव भरी कन्या को जो दे रहा है उसका अनुदान राजा बलि से भी बढ़कर है। बलि के दरवाजे कुछ लेने भगवान् गये थे तो उन्हें भी वावन अंगुल का छोटा रूप—नम्र कलेवर—बनाकर जाना पड़ा था। यह एक ही अनुदान अहसान इतना बड़ा है कि इसके लिये वरपक्ष वाले हर व्यक्ति को—वर को—उसके माता-पिता को कृतज्ञता के भार से नत-मत्तक हो जाना चाहिये। उससे जैसा भी आतिथ्य वने भृंगि-भृंगि प्रशंसा के साथ स्वीकार करना चाहिये और जो दे रहा हो उसमें कमी करने के लिये वार-वार अनुरोध भरा आग्रह करते रहना चाहिये। वारात की संख्या एवं अपने लोगों की आवभगत का अथवा उपहार दहेज देने का ऐसा दबाव नहीं डालना चाहिये जिसका उस परिवार की आर्थिक स्थिति पर तनिक भी दबाव पड़ता हो। जो कन्या जैसा संसार का महत्तम अनुदान दे रहा है उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुँचाना अथवा दबाव डालना परले सिरे की हृदयहीनता तथा कृतघ्नता है। हममें से किसी को भी इस नीचे स्तर पर नहीं उतरना चाहिये।

आमतौर से लड़के वालों की मनोभूमि लुटेरों जैसी और कन्या पक्ष वाले की पुलिस में पकड़े हुए दोन-दुर्वल अपराधी जैसी होती है। एक का अहङ्कार आसमान को छू रहा है और दूसरा अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर दीनता पूर्वक गिड़गिड़ा रहा होता है। यह स्थिति उत्पन्न करना हृदयहीन और उद्धत लोगों को ही शोभा दे सकता है। जहाँ सहृदयता, मनुष्यता और कृतज्ञता के कुछ भी अंश होंगे वहाँ परिस्थितियाँ बिलकुल उलटी दिखाई देंगी। तब सास को जामाता के पैर नहीं छूने पड़ेंगे वरन् जामाता अपनी माता से भी अधिक पूज्य सास के चरण स्पर्श करेगा तब वह मोटर साइकिल दहेज में लेने के लिये अड़ेगा नहीं। वरन् आग्रह पूर्वक यही कहता रहेगा हमें वधू प्राप्त कर लेने के वाद केवल आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन भर की आवश्यकता शेष है, जिसके बलवृत्त पर हम अपने पुरुषार्थ और सद्गुणों से सुन्दर गृहस्थी बना सकें।

बड़ी संख्या में वरात वेटी वाले के दरवाजे पर ले पहुँचना व्यर्थ है। अपने मित्रों का प्रीति भोज करना हो तो विवाह के बाद वर कन्या के हाथों भोजन परोसवा कर अपने घर दावत करनी चाहिये। मँहगे दाम के बाजे बजवाने, सजधज की बरात निकालने और आतिशबाजी छूटने की फिजूल खर्ची हम मध्यम श्रेणी के लोगों को शोभा नहीं देती, जिनके लिये एक-एक पैसे का बड़ा मूल्य है। लड़की पर चढ़ाने के लिये इतने मँहगे कपड़े किस काम के उन्हें पहनकर वह बन्दर जैसी अजनबी और विलकुल कृत्रिम लगें? घर में जैसे पहने जाते हैं उससे ड्यौड़े दूने दाम तक के कपड़े वर-वधू को दिये जा सकते हैं, पर नाटक में नाचने वाले नर्तों जैसी पोशाकों पर पैसा कटा देना किस लिये? सभी जानते हैं कि जेवरों में पूँजी दकती है। आधा पैसा बनवाई, मिलावट और टाँके बट्टे में चला जाता है। रोज टूटते हैं। ईर्ष्या पैदा करते हैं और चोरी उठाईगीरी का डर रहता है। अब विचारशील लोगों में जेवर जङ्गली युग के अवशेष कहे जाते हैं। उनका लटकाना, मटकाना, असभ्यता एवं भोंडेपन की निशानी मानी जाती है। अच्छा यही है कि अँगूठी, मंगल मूत्र जैसे प्रतीक आभूषणों को छोड़कर इस जंजाल में पैसा न लुटाया जाय। हर पैसे को उपयोगिता की कसौटी पर कसकर ही खर्च किया जाना चाहिये। विवाह भी इसी शाश्वत नियम के अपवाद नहीं हो सकते। उस छोटे से उत्सव में भी मितव्ययिता का ध्यान रखा जाय। हाँ, भावनात्मक, पवित्रता एवम् म्नेह, सौजन्य में भरा दो परिवारों का मिलन का ऐसा हार्पोल्लाय जरूर मनाया जाय, जिसमें संगीत, सम्भाषण, परस्पर परिचय, मनोरञ्जन, अभिनन्दन, आजीर्वाद, मण्डप पण्डाल, यज्ञ संस्कार आदि की सांस्कृतिक मधुरिमा टपकती हो। कला में रुचि रखने वाले व्यक्ति ऐसी सूझ-बूझ के अनुरूप शोभा व्यवस्था स्वल्प व्यय से भी बना सकते हैं। विवाह का उद्देश्य महान् है इसलिये उसका स्तर एवं वातावरण भी महानता से, उल्लृप्ता एवम् आदर्शवादिता में भरा पूरा होना चाहिये। ऐसे ही शुभारम्भ के साथ आरम्भ किया हुआ यह यज्ञ दो परिवारों में—वर-वधू में—गृहस्थ जीवन में—सन्तान में सद्भावना भरे रह सकता है। विवाहों की रूप-रेखा हमें इसी स्तर की बनानी है।

—आदर्श विवाहों की रूप-रेखा

बाल-विवाह एक अति घातक कुप्रथा

क्र० ७८

अपने देश में बाल-विवाहों का प्रचलन बहुत है। पिछड़े वर्गों में—छोटी देहातों में तो इतना बड़ा शोक-चाव रहता है कि छोटे बच्चों का विवाह करते हुए एक हर्षोत्सव को देखने का अवसर जितनी जल्दी मिल जाय उतना ही अच्छा है। कुछ दिन पहले तक तो गर्भस्थ बच्चों की अगाऊ शादियाँ हो जाती थीं और दूध पीते बच्चों का गोदी में लेकर उनके अभिभावक विवाह कर लेते थे। अब थोड़ा सुधार हुआ है तो १० और १५ वर्ष के बीच देहाती क्षेत्र में इतने अधिक विवाह होते हैं जिन्हें देखकर यही लगता है कि हमारा पिछड़ापन अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। शारदा एक्ट और दूसरे बाल-विवाह विरोधी कानून यों तो बने पड़े हैं पर वे राजकीय आधार पर मुकदमे चलाकर दण्डनीय न होने के कारण प्रभावहीन बने हुए हैं। लाखों बाल-विवाह हर साल अपने देश में होते हैं और उनसे इन बालकों की शारीरिक, मानसिक क्षति तो होती ही है, उसका दुष्परिणाम समस्त समाज को भोगना पड़ता है।

विवाह का अर्थ ही इन दिनों कामुकता की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना बन गया है। विवाह होते ही बालकों के मस्तिष्क में वही चिन्तन घूमता है। साथी वैसा ही प्रोत्साहन देते हैं। फलतः कच्ची आयु में ही यह विचारणा एवं प्रक्रिया चल पड़ती है जो उन दिनों सर्वथा अवांछनीय है। २५ वर्ष की आयु तक शरीर के अन्तरंग तत्व विकास और पुष्टि की दिशा में गतिशील रहते हैं। यदि काम-क्रीड़ा द्वारा उन तत्त्वों को निचोड़ा जाने लगे तो स्वभावतः शारीरिक विकास की प्रक्रिया रुकेगी। देह बलिष्ठ न हो सकेगी। छोटे पेड़ के तने खोदकर यदि उसमें से गोंद निकालना आरम्भ कर दिया जाय तो पेड़ जहाँ का तहाँ रह जायगा, उसका बढ़ना और पुष्ट होना रुक जायगा। यही बात बच्चों पर लागू होती है। उन्हें संयम, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, खेलकूद और दूसरे आधारों के सहारे अभिवृद्धि की आयु २५ वर्ष तक विकसित होने का अवसर न मिले तो स्वभावतः वे दुर्बल एवं अविकसित रह जायेंगे। इसका फल सारे जीवन उन्हें शरीर की समस्त दुर्बलता एवं रुग्णता के रूप में भोगना पड़ेगा।

समस्त शरीर के साथ ही जननेन्द्रियों के कोमल कल पुर्जों की परिपक्वता पुष्ट होती है। असमय ही उन्हें छेड़ना और सताना शुरू कर दिया जाय तो उसका परिणाम यौन रोगों के रूप में सामने आता है। बाल-विवाह जननेन्द्रियों सम्बन्धी अनेक रोगों का आमन्त्रण देना है। अपने देश में यौन रोगों की चर्चा एक लज्जा का विषय माना जाता है, इसलिये अधिकांश व्याक्त उन कष्टों से ग्रसित होने पर भी छिपाये रहते हैं। कहते तब हैं जब पीड़ा असह्य हो जाती है। तलाश किया जाय तो बाल-विवाह के फलस्वरूप प्रमेह, स्वप्न दोष, बहुमूत्र, पेशाब की जलन, नपुंसकता, शीघ्र पतन, बाँझपन, प्रदर, मासिक धर्म की गड़बड़ी एवं पीड़ा जैसे असंख्य यौन रोगों में ग्रसित लाखों नर-नारियाँ मिल सकते हैं। यह रोग शरीरों को खोखला करते रहते हैं और उनमें तरह-तरह की छोटी-बड़ी बीमारियों को पैदा करते रहते हैं।

ऐसे दम्पति जिन्होंने छोटी आयु से ही अपने शरीरों को निचोड़ना शुरू कर दिया कभी परिपुष्ट, सुन्दर और निरोग सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। कच्चे बीज यदि बोये जाय तो अच्छी फसल उगने की आशा कौन करेगा? बाल-विवाह के कुचक्र ने जिन्हें चूसे हुए आम की तरह निचोड़ डाला है उनकी सन्तान कमजोर, बीमार, अल्प आयु मन्द-बुद्धि तथा अत्रपगली जैसी ही होगी। वे बच्चे किसी तरह जी भी लिये तो उनसे किसी महत्त्वपूर्ण प्रयोजन या पुरुषार्थ की आशा नहीं की जा सकती। ऐसे दुर्बलकाय और मानसिक दृष्टि से पिछड़ी हुई मन्तानें धरती माता के ऊपर भार बढ़ाना ही है। पीढ़ियाँ एक के बाद एक क्रमशः दुर्बल होती चली जायेंगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं बौद्धिकता का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जायगा। बाल-विवाह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक खतरा है। राष्ट्रीय समर्थता के लिये यह एक सभन संकट है। हम अपनी नस्ल खराब करने का जोखिम नहीं उठाना है तो प्रचलित बाल-विवाह प्रथा की उपेक्षा करनी चाहिये। अपरिपक्व शरीर से अल्प आयु की लड़कियाँ यदि प्रजनन करती

हैं तो उनका अपना जीवन भी सङ्कट में रहता है। अस्पतालों की रिपोर्ट बताती है कि बीस वर्ष से कम उम्र की जितनी लड़कियाँ प्रसव पीड़ा में मरती हैं उससे चौथाई भी बड़ी आयु की स्त्रियाँ उस सङ्कट में प्राण नहीं गँवाती। लड़कियों की जान को जोखिम में डाल कर विवाह का हर्षित्व मनाने वाले अभिभावक किस प्रकार समझदार कहे जायँ ? और कैसे माना जाय कि वे अपने बच्चों को सच्चा प्यार करते हैं ? बाल-विवाह के शिकार लड़के प्रसव पीड़ा में तो नहीं मरते पर उनकी भी क्रम दुर्दशा नहीं होती। रुग्ण शरीर, रुग्ण पत्नी, रुग्ण सन्तान को लेकर वे जिस तरह रोते कलपते हैं उसे देखते हुए बाल-विवाह का खेल एक कौतुक मात्र नहीं रह जाता वरन् एक भयावह अभिशाप के रूप में उन्हें आजीवन उस दुर्भाग्य के लिये रोना पड़ता है।

बाल-विवाह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विशेषतः लड़कियों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। मुसराल में बहू को कुछ दूसरे किस्म से रहना पड़ता है। उठती उमर की आकांक्षाओं को कुछ अधिक हँसी-खुशी और स्वच्छन्दता की जरूरत पड़ती है। माँ-बाप के घर ही यह सहज मुलभ स्थिति सम्भव है। इसी वातावरण में मनोविकास के लिये धुली हुई और उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। यदि उठती उमर की मनोवांछायें बन्दीगृह जैसी मुसराल में दबी-भिची बना दी जायँ तो उसमें भीतर ही भीतर एक घुटन जैसी पैदा होती है। छोटी आयु की लड़कियाँ इस विव-गना में भीतर ही भीतर बुरी तरह फड़फड़ाती हैं, पर कुछ कर नहीं सकती। उनकी यह विवगता मानसिक रोगों के रूप में फूट पड़ती है। नई उम्र की लड़कियों को मूर्छा, दौरा, मृगी, भूत-प्रेत, भयङ्कर स्वप्न, दिल की धड़कन, डर आदि कितनी ही ऐसी व्यथायें फूट पड़ती हैं जिनका एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक अवरोध एवं शारीरिक घुटन ही होता है। बड़ी आयु में लड़कियाँ दाम्पत्य जीवन में रस लेने लगती हैं और वे मुसराल के दवे-भिचे वातावरण को भी सन्तुलित कर लेती हैं, पर छोटी आयु की अविकसित मस्तिष्क को भावुक लड़कियाँ उन परिस्थितियों में अपने आपको ढाल न सकने के कारण उद्विग्न विधिस्त-सी रहने लगती हैं और अपना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य खो बैठती हैं। भारतीय नारी की मानसिक दुर्दशा का एक बड़ा कारण असमय ही एक भार पड़ जाना है। बड़ी उम्र में विवाह होने पर मानसिक दृष्टि से समर्थ लड़कियाँ ही इस भार से बच सकती हैं और मानसिक स्थिरता बनाये रह सकती हैं।

यह सोचना उचित नहीं कि जल्दी विवाह कर देने पर लड़कियाँ शीलवान बनी रहती हैं और बड़ी आयु पर विवाह होने से उनमें चारित्रिक दोष आने का खतरा रहता है। खतरा आयु में नहीं वातावरण में सम्बन्धित है। छोटे बच्चे भी कुमार्गगामी हो सकते हैं। दुषित वातावरण और गन्दी परिस्थितियों में रहना पड़े तो गृहस्थ, वैधव्य और वृद्धावस्था तक में चरित्र हीनता का खतरा बना ही रहेगा। अविवाहित दुराचारी हो जाते हैं और विवाहित सदाचारी बने रहते हैं यह सोचना भ्रमपूर्ण है। ब्राह्म प्रविश्यों से नहीं, मानसिक प्रतिबन्ध ही किमी को सदाचारी बनाये रह सकते हैं। सो हमें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिये उन्हें मनस्वी और चरित्रवान बनने के उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण देना चाहिये। अन्यथा विवाह होने पर भी इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि वे पतनोन्मुख होने में बच ही जायेंगे।

किसी जमाने में जब अनाचारी शासक प्रजा की लड़कियों पर कुदृष्टि लगाये रहते थे और सयानी बच्चियों की सुरक्षा सङ्कट से भरी थी तब छोटे बच्चों के विवाह करके उन्हें घरों की आड़ में छिपाये रहना और विवाह कर देना सामयिक आवश्यकता के रूप में आवश्यक रहा होगा और धर्म माना जाता रहा होगा। अब ऐसा कोई खतरा नहीं रहा इसलिये अब बाल-विवाह को धार्मिकता के साथ जोड़ना गलत है। बच्चे हों या बच्चियाँ उनकी किशोरा-वस्था शिक्षण एवं स्वास्थ्य-संवर्धन में लगाई जानी चाहिये। उन्हें मानसिक और शारीरिक विकास का अवसर उठती उम्र में प्राप्त करने देना चाहिये। बूढ़े पुराने लोग अपने मरने की बात कहकर विवाह अपनी आँखों के आगे देख जाने की अभिलाषा आमतौर से व्यक्त करते रहते हैं और घर वालों को जल्दी व्याह के लिये उकसाते रहते हैं। उन्हें समझना और समझाना चाहिये कि उनकी यह उतावली बच्चों के लिये कितने घातक परिणाम उत्पन्न करेगी? समय आगया है कि हम विवेक के आधार पर हर बात सोचें और बाल-विवाह जैसी मूर्खता का अविश्वस्य परित्याग करें।

—“बाल विवाह की भयंकरता से समाज को बचाया जाय” पुस्तिका से

खर्चीली शादियाँ हमें बेईमान और दरिद्र बनाती हैं

क्र० ७६

—

संसार भर में विवाहोत्सव एक सरल पारिवारिक उत्सव के रूप में प्रचलित है। सयाने लड़की-लड़के जब विवाह योग्य हो जाते हैं, तो उपयुक्त जोड़ा ढूँढ़कर एक छोटा-सा पारिवारिक उत्सव कर दिया जाता है। धर्म-संस्कार करा दिये जाते हैं और वर-वधू अपना गृहस्थ बनाना आरम्भ कर देते हैं ऐसे उत्सव संसार भर के—हर धर्म-समाज में बहुत ही सस्ते होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग उपहारों सहित हजार-पाँच सौ भी मुश्किल से खर्च करते हैं। विवेकवान् और व्यवहारवादी लोगों की यही परम्परा प्रचीनकाल से थी—अब भी है।

अपने समाज की अविवेकपूर्ण रीति-रिवाजों के लिये क्या कहा जाय ? विवाह-उत्सव अपने लिये एक कमर-तोड़ भार बना हुआ है। लड़के वाले दहेज की लम्बी-चौड़ी रकमें और कीमती सामान माँगते हैं। लड़की वालों की माँग कन्या के लिये बहुमूल्य जेवरों, कीमती कपड़ों की रहती है। तमाशा, बोन, सजधज की बरात—बाजे, आतिशबाजी, बढ़िया दावत और अमीरी शान-शौकत की आव-भगत चाहते हैं। पग-पग पर निरर्थक नेग-जोग इतने खड़े रहते हैं कि उनमें ढेरों खर्च होता है। तीन दिन के इस छोटे से प्रदर्शन की उपयोगिता, आवश्यकता भी कुछ है क्या ? इसका विचार न करके लोग उन्माद में आवेशग्रस्त हो जाते हैं। उसे शान-शौकत की प्रतिष्ठा का प्रश्न—नाक का सवाल—बनाते हैं और आर्थिक दृष्टि से बुरी तरह कट मरते हैं।

अपने दरिद्र देश की आर्थिक स्थिति सबको विदित है। बा० राममनोहर लोहिया के अनुसार तीन आना रोज, और पं० नेहरू के अनुसार अपने देशवासियों की औसत आमदनी बारह आना रोज है। ऐसे गरीब देश के निवासियों के रोटी-कपड़े का प्रश्न हल करना ही मुश्किल है। फिर विवाह-शादी—जो घर गृहस्थी में होते रहने स्वाभाविक हैं, यदि इतने-खर्चीले रहें तो साधन कैसे जुटाये जाय ?

औसत दर्जे का आदमी इस घोर मँहगाई और बढ़े-चढ़े खर्च के जमाने में किसी प्रकार मुश्किल से ही अपनी गुजर कर पाता है। कुछ बचा सकने वाले तो हजारों में एक ही होंगे। बच्चों को ऊँची शिक्षा दिलाने वाले गृहस्थ के लिए अपना पारिवारिक तथा शिक्षा सम्बन्धी खर्च चलाना भी मुश्किल होता है, फिर विवाह के लिये इतनी लम्बी-चौड़ी रकमें कहाँ से आयें ? जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब लगातार दो-दो वर्ष बाद उनके विवाह करने पड़ते हैं। दस-दस पाँच-पाँच हजार भी हर विवाह में लगें तो ४-५ विवाहों को बहुत बड़ी पूँजी चाहिये। यह कहाँ से जुटे ? लड़की वाला ही नहीं, लड़के वाला भी परेशान रहता है। क्योंकि अधिकांश पैसा वह ऐसे दिखावटी सामान के रूप में पाता है जिसकी कोई आवश्यकता न थी। थोड़ी-सी नकदी मिलती है जो बेटे वाले को जेवर आदि का खर्च जुटाने में कम पड़ती है। इस प्रकार दोनों ही पक्ष इस सत्यानाशी विवाहोन्माद में आर्थिक दृष्टि से खोखले हो जाते हैं।

यह अतिरिक्त धन आखिर आये कहाँ से ? ईमानदारी से आज की परिस्थितियों में कोई गुजारे भर को कमा सकता है। जमा करना अति कठिन है। विवाहों में इतना प्रचुर धन फूँकना जब आवश्यक ही हो गया तो बेईमानी का रास्ता अपनाते के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह जाता। यदि बच्चे हैं और उनका विवाह भी करना है और हिन्दू भी हैं तो फिर दिन-रात बेईमानी करते हुए पैसे का जुगाड़ बनाने के अतिरिक्त किसी के सामने और कोई उपाय नहीं रहता। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत, मजदूरों के लिये चोरी, व्यापारी के लिये मिलावट करना या कम तोलना, लोक-सेवकों के लिये चालबाजियाँ, चिकित्सकों के लिये रोगी को डराकर पैसे ऐंठना आदि अनैतिकपूर्ण मार्ग ही शेष रह जाते हैं। जो चतुरतापूर्वक छिपी रहने वाली चालाकी नहीं कर सकते उन्हें जोखिम भरे और फूहड़ कहे जाने वाले चोरी-डकैती, लूट, कत्ल, ठगी, बेईमानी, विश्वासघात, शोषण, अपहरण के ऐसे तरीके अपनाते पड़ते हैं, जो बदनामी और राज-दण्ड भी साथ लिये रहते हैं।

[६५]

अपने समाज में अपराध बुरी तरह बढ़ रहे हैं—चोरी, बेईमानी की प्रवृत्ति हर क्षेत्र में पनप रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण विवाह-शादियों में होने वाला अन्धाधुन्ध अपव्यय भी है। जो वैसा करना नहीं चाहते उन्हें भी ऐसे पाप मजबूर होकर करने पड़ते हैं अन्यथा शादियों का खर्चा जुटे कैसे? अपने समाज की नैतिक, ईमानदारी इस घातक कुरीति के कारण बुरी तरह नष्ट हो चली है। हिन्दू समाज के लिये जिसमें खर्चीले विवाहों की प्रथा प्रचलित है, अनीति का मार्ग अपनाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। वे ईमानदार रहें तो आखिर रहें कैसे? ईमानदारी से इतना विपुल धन कमा लेना सामान्य मनुष्य के लिये असम्भव है।

हमें विचार करना होगा कि शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप जारी रहने दिया जाय अथवा नहीं? यदि इसे जारी रखना हो तो अपने व्यवहार में कूट-कूटकर बेईमानी भर लेने के अतिरिक्त अनन्त काल तक दरिद्र बने रहने को भी तैयार रहना चाहिये। हर सद-गृहस्थ को जीवन में ४-६ विवाह अपने हाथों जरूर करने पड़ते हैं। हर विवाह में दस-पांच हजार भी खर्च हों तो कुल मिलाकर इतनी बड़ी रकम हो जाती है जिसका परिवार की आर्थिक स्थिति बनाने-बिगाड़ने से भारी सम्बन्ध है। यदि यह पैसा घर में रहा होता तो उससे कृषि, व्यवसाय आदि जो भी काम होता है उसमें पूँजी बढ़ने से बहुत उन्नति हो सकती थी। उस पैसे से घर का मकान बन सकता, परिवार को अच्छा भोजन मिलने से शरीर स्वस्थ और दीर्घजीवी हो सकते थे। बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकती थी और बुढ़ापे, बीमारी में कुछ सहारा हो सकता था। पर जब सारा पैसा शादियों के अपव्यय में नष्ट हो गया तो घर का खोखला हो जाना स्वाभाविक है। प्रगति के हर द्वार बन्द होंगे ही और अनेक असुविधाओं से भरा जीवन सारे परिवार को जीना ही पड़ेगा।

शादियों की खर्चीली प्रथा हमें कर्जदार-मुफ़लिस बेईमान और हीन स्थिति में दुःख-दारिद्र्य से भरा जीवन जीने के लिये मजबूर करती है। आमदनी बढ़ाने के कुछ रास्ते निकलते भी तो उसी हिसाब से उन शादियों का—और उसके बाद वर्षों तक चलने वाले अलन-चलनों का खर्च इतना बढ़ा रहता है कि किसी को बढ़ी हुई आमदनी का लाभ नहीं मिल सकता। यदि इस अनावश्यक बर्बादी से हम बच सके तो हर घर में थोड़ा पैसा जमा होता और उससे कुछ प्रगति के नये कार्य बनते और धीरे-धीरे वह वृद्धोत्तरी आर्थिक समृद्धि के रूप में दीखती। अमेरिका, जापान आदि देशोंके लोग अपनी बचत को ऐसे कामों में लगाते हैं, जिनसे उनकी समृद्धि बढ़े। धीरे-धीरे वे धनी होते चलते हैं। हमारे सामने शादियों के खर्च की मजबूरी न रही होती तो अपने परिवारों में भी खुशहाली होती और हर किसी के चेहरे आशा-उत्साह से चमक रहे होते। हर कोई अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण ऊँचे स्तर का सुखी जीवन जीने की दिशा में बढ़ रहा होता। तब सर्व साधारण को बेईमान बनने के लिये मजबूर न होना पड़ता।

विवेकशीलता का तकाजा है कि हम इस बात पर पुनर्विचार करें कि अपने समाज में प्रचलित विवाहों की खर्चीली प्रथा क्या उचित है? क्या आवश्यक है? क्या झूठी शेखीखोरी के पीछे कुछ वास्तविकता है? यदि नहीं तो सर्व साधारण के लिये प्राण घातक बनी हुई—चिन्ता से हर गृहस्थ का आधा खून सुखा देने वाली और आधी जिन्दगी कम कर देने वाली—इस कुप्रथा का अन्त कर देने की बात सोचनी चाहिये।

यदि यह सही है कि विवाह-शादियों का वर्तमान खर्चीला स्वरूप अनुपयुक्त है तो हर विवेकशील और देश-भक्त का कर्तव्य है कि उस अबाँछनीयता को हटाने के लिये कुछ साहस प्रदर्शित करे, जिसके कारण अपने समाज का नैतिक और आर्थिक स्तर दिन-दिन चकनाचूर होता चला जा रहा है।

आरम्भ हमें अपने घर से करना चाहिये। अपने बच्चों की 'शादियाँ' बिना खर्च के करेंगे। 'न तो दहेज लेंगे और न देंगे' के सिद्धान्त पर दोनों पक्षों का असमंजस दूर हो सकता है। जब मिटने होंगे तो दहेज और जेवर एक साथ मिटेंगे। एक पक्षीय सुधार सम्भव नहीं। समाज के विचारशील व्यक्ति औचित्य को कार्यान्वित करने के लिये अग्रसर हों तो इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिये पंचायती निर्णय हो सकते हैं और उसका उत्साहवर्धक लाभ सारे समाज को मिल सकता है। समय आ गया है कि हम चेतें और सादगी के वातावरण में मितव्ययता वाले, सज्जनता और विवेकशीलता के आधार पर विवाह आयोजनों की योजना बनायें।

बेटे वाले व्यर्थ ही घाटा और बदनामी न उठायेँ

क्र० ८०

जब तक सामाजिक कुरीतियों के दुष्परिणाम पर ध्यान नहीं गया था तब तक कोई बात नहीं थी, पर अब जब कि अधःपतन के कारणों की ढूँढ-खोज की जा रही है और लेखा-जोखा लिया जा रहा है तब यह तथ्य सबके सामने आ गया है कि विवाह-शादियों में होने वाले अपव्यय ने इस देश को बेईमानी, कर्जदारी, गरीबी और आर्थिक तथा नैतिक दुर्दशा को बेतरह बढ़ावा दिया है और इस कुप्रथा के रहते अपने समाज का अधःपतन रोकना न जा सकेगा। तथ्य समाप्त होने के बाद हर विचारशील इस बात से सहमत है कि इस अनावश्यक अपव्यय की वेवकूफी को जितनी जल्दी हो सके बन्द कर देना चाहिये। इस बढ़ती हुई मान्यता के दिनों में जो लोग पुरातन पंथ के नाम पर पैसे की होली फूँकने और मूर्खतापूर्ण धूम-धड़कका मचाने का समर्थन करते हैं उन्हें ओछा, अविवेकी, दुष्ट और दुराव ही कहकर घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।

कोई जमाना था कि शादियों में धूम उड़ाने वाले रईस, अमीर समझे जाते थे पर आज तो उन्हें गरीब रहते अमीरी का स्वाँग सजाने वाले प्रतिगामी गँवार मात्र कहा जाता है। पैसा अपना उड़ता है—बदले में प्रशंसा मिलने की अब कोई गुंजायश नहीं रही उलटा घृणा और भर्त्सना का ठीकरा सिर पर फूटता है। ऐसी दशा में अब घर फूँक तमाशा देखने का यह खेल पिछड़े जमाने का स्वाँग हो गया, अब उसे खेलने वाले कहीं भी प्रशंसा प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। उलटे यही सुनने को मिलेगा कि कहीं से ब्लैक की—हराम की—कमाई हाथ लगी है जो इस बेदुई से उठाई जा रही है। अपना घर बेचकर अमीरी का स्वाँग रचा सो भी प्रशंसा तक न दिला सका उलटा बदनामी का कारण बना तो फिर उसकी लकीर पीटने से क्या लाभ? जो मर गया उसे जला ही देना चाहिये। खर्चीली शादियों की धूम-धाम एक ऐसी मृत प्रायः कुरीति है जिसकी लाश छाती से चिपकाये रहना व्यर्थ है। उचित यही है कि उसे सड़ा कर बंदू फेंकने का अवसर न देकर समय रहते जला या गाड़ दिया जाय।

‘विवाहोन्माद’ में होने वाले अपव्यय का इन दिनों सारा दोष बेटे वाले पर थोपा जाता है। उन्हें कसाई और जल्लाद की उपमा दी जाती है। कहा जाता है कि यह लोग अपने लड़के का माँस बेचते हैं। कोई कहता है दुष्ट लोग कुछ समय पहले लड़कियाँ बेचकर मालदार बनते थे अब उनसे लड़के बेचने का धन्धा पकड़ा है। हो सकता है यह लोग अगले दिनों अपनी औरतें और माँ-बाप बेचने लगेँ, पैसे के लिये आदमी क्या कुकर्म नहीं करता। कोई कहता है जब लड़की का विवाह करना पड़ेगा तो यही लोग आज शेर की बोली बोलते हैं तब बकरी की तरह मिमियायेंगे। ऐसे एक-अनेक बहु वचन सुनने को मिलते हैं। जिस घर से देहेज लिया गया है वे बाहर से तो मिन्नतें करते हैं पर पेट में इतनी घृणा दबाये बैठे हैं कि उनका बस चले तो इस बेटे के बाप, समधी का भी छुरे से पेट चीर डालें और स्कूटर के लिये अड़े बैठे लड़के की नाक ही कतर लें। बेचारों की मजबूरी है कि लड़की के हाथ पीले करने हैं इसलिये सिर झुकाकर मेमने को भेड़िये की शर्त माननी पड़ती है पर भीतर ही भीतर कोसता वह भी यही है कि हत्यारे पर बिजली गिरे और उसका अंश-वंश मिट जाय।

इसी जल्लादी की कीमत पर खड़ी की गई दो दिन की धूम-धाम निस्सन्देह हजार मुख से धिक्कारने लायक है। यह इतना मँहगा सौदा है जिसे खरीदने का साहस किसी भी समझदार बेटे वाले को नहीं करना चाहिये।

विचार करने की बात यह है कि क्या लड़के वालों को सचमुच इतना लाभ मिलता है जिसके लिये इस प्रगतिशील युग में दसों-दशाओं से बरसने वाली भर्त्सना का लोभ छोड़ सकना कठिन हो। बारीकी से देखने पर पता चलता

[६७]

है कि लड़के वाला अपनी जिद और मूर्खता मात्र के कारण बदनाम होता है। पल्ले उसके भी कुछ नहीं पड़ता वरन् उलटा घाटे में रहता है। जो कुछ लड़की वाले ने दिया था वह तो अस्त-व्यस्त ही हो जाता है इसके अतिरिक्त उसे निश्चित रूप से कुछ घर से भी लगाना पड़ता है। बदनामी नफा कमाने वाले के रूप में हुई और वस्तुतः रहे घाटा उठाने वालों में। ऐसा सौदा करने से क्या लाभ जिसमें नुकसान भी रहे और बदनामी की हाँडी सिर पर फूटे ?

लड़की वाले को कमर तोड़ खर्च करना पड़ता है। बारात की आवभगत, ज्यौनार, भेंट-उपहार का खर्च बहुत चढ़ा होता है। उसी में ढेरों पैसा लग जाता है, इसके बाद उन चीजों का नम्बर आता है जिन्हें भेंट-उपहार की चीजें कहते हैं, कपड़े, फर्नीचर, खिलौने, रङ्ग-बिरंगे कपड़े, बर्तन, श्रृङ्गारदान, रेडियो, घड़ी, पैन आदि ऐसी चीजें दी जाती हैं जो खरीदने वाले की तो रकम खाती हैं पर जिसके घर गई हैं उसके लिये सर्वथा अनावश्यक और निरर्थक सिद्ध होती हैं, जगह घेरती हैं और कूड़े-करकट की तरह पड़ी रहती हैं। जरूरत की चीजें हर गृहस्थी में पहले से ही मौजूद रहती हैं। दिखनौटी, विलासी चीजें बाजार में बेची भी नहीं जा सकती। उनका कुछ उपयोग भी नहीं। बेटे वाला बदनाम भी हुआ और उस कूड़े-करकट का कुछ लाभ भी न उठा सका। जेवर आदि जो मिलते हैं वे भी ऐसे हैं जिसकी आधी कीमत सुनार के पेट में पहले ही चली जाती है और आधी उसे बचती है जो पहनने वाली औरतें दो-चार वर्ष में तोड़-फोड़कर बराबर कर देती हैं। जो नकदी मिली उससे कहीं ज्यादा लड़की के लिये जेवर, कपड़े, श्रृंगार, साधन, उपहार, मेवे-मिठाई आदि खरीदने पड़ते हैं और बारात का किराया, आतिथ्यबाजी, बाजा, दरवाजे की शोभा के नाम पर इतना खर्च होता है कि अपने घर पर होने वाली मेहमानदराजी के साथ बहुत भारी पड़ती है और उससे हर बेटे वाला घाटे में रहता है।

इस दृष्टि से बेटे वाला निस्सन्देह दया का पात्र है। उसने पैसे की दृष्टि से कुछ कमाया नहीं गँवाया। बदनामी इतनी सही कि विचारशील लोगों की दृष्टि में वह गाय मार डालने से भी बढ़कर है। दकियानुस, प्रगति विरोधी, कुरीति-पोषक, स्वार्थी, जज्जलाद, हराम की कमाई खाने वाला आदि न जाने क्या-क्या कहलाया। इस धूमधाम में प्रशंसा मिलेगी प्रतिष्ठा बढ़ेगी वाली बात तो केवल स्वप्न-लोक की तरह ही थी जिस पर बहुत सड़े-गले किस्म के लोग ही विश्वास कर सकते हैं।

इन परिस्थितियों में हर बेटे वाले को नये दृष्टिकोण से रहना होगा और आदर्शवादी विवाह पद्धति अपनाकर अपनी प्रगतिशीलता की प्रशंसा पाने और अपने तथा अपने सम्बन्धी के पैसे बचाने का कदम उठाना होगा। दावत या धूमधाम करना जरूरी हो तो बेटे वाला अपने घर और बेटे वाला अपने सम्बन्धी, मित्रों की आवभगत में कर सकता है। उसे बेटे वाले से कहना चाहिये—“हम विवाह के अवसर पर एक आदमी, एक जोड़ी साड़ी-जम्फर लड़की के लिये लावेंगे। और बिना धूमधाम के विशुद्ध पारिवारिक उत्सव को धर्मानुष्ठान की तरह विवाह करके लड़की को विदा करा लायेंगे। विवाह के अवसर पर कोई प्रशंसनात्मक उपहार या नकदी स्वीकार न करेंगे। व्यर्थ की रस्म-रिवाज और अलन-चलन में पैसा तथा समय खराब न करेंगे, विवाह पूर्ण सादगी के वातावरण में होगा।”

इस सन्देश से बेटे वाला यदि वज्र मूर्ख न हुआ तो खुशी-खुशी सहमति प्रकट करेगा और लड़के को एक अँगूठी, एक जोड़ी कपड़ा, दस बरातियों का सत्कार जैसे कार्य में सौ दो सौ रुपया खर्च करके आसानी से एक अग्नि परीक्षा जैसी चिन्ता से छूट जायगा। और उसे अपनी लड़की को कुछ देना ही होगा तो विवाह के दो-चार महीने बाद बिना किसी दबाव या प्रदर्शन के अपनी लड़की को स्वेच्छापूर्वक दे देगा जो स्त्री धन के रूप में कभी उसके काम आ सके। यह बाप-बेटों के बीच का आदान-प्रदान होगा इससे दोनों पक्ष के लोग कुछ दिलचस्पी न लेंगे।

ऐसे आदर्श विवाहों का प्रचलन करने में बेटे वाले को पहल करनी चाहिये और जल्लादी पंक्त में से अपना नाम काटकर देवताओं में गणना करनी चाहिये। इनसे उनका आर्थिक लाभ तो स्पष्ट ही है।

‘विवाहोन्माद के लिए बुद्धि क्यों बेचदी जावे’ पुस्तिका से

उच्च शिक्षित कन्या की विवाह समस्या और उसके नये हल

क्र० ८१

मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य नारी का ऊँचा स्तर उठाये जाने पर निर्भर है। वही माता के रूप में निर्मात्री, पत्नी के रूप में शक्ति, भगिनी के रूप में शालीनता और पुत्री के रूप में मधुरिमा बनकर नर को सजीव, सशक्त, सज्जन और सहृदय बनाती है। नारी की प्रसुप्त गरिमा जाग्रत करने के लिये उसकी आलौकिक विशेषताओं और विभूतियों को जगाया जाना आवश्यक है। इस जागरण का प्रथम सोपान शिक्षा है। यों आज की शिक्षा के साथ कितने एक दोष, दुर्गुण भी जुड़ गये हैं और उनसे सतकं रहने की आवश्यकता है, पर इतना सब होते हुए भी शिक्षा के बिना कोई गति नहीं। शिक्षित नारी में भी दोष होना सम्भव है पर समग्र रूप से नारी को विकसित करने के लिये शिक्षा की उपेक्षा करके नहीं चला जा सकता। नारी शिक्षा एक ऐसा तथ्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रगति के द्वार उसके बिना अवरुद्ध ही बने रहेंगे।

जीवन विकास की आवश्यक जानकारी, गृहस्थ संचालन की क्षमता और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को सुसम्पन्न बनाने के लिये जिस बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता है उसके लिये शिक्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक है। समय की पुकार है कि इस दिशा में लड़कों से भी अधिक अवसर लड़कियों को मिलना चाहिये। इसका एक कारण तो यह है कि अगला समय—नया युग नारी के नेतृत्व का आ रहा है। पुरुष ने अपनी उद्वृत्ता से समाज में दुष्टता को ही बढ़ाया है। नारी की कठुणा और कोमलता को जब नेतृत्व का अवसर मिलेगा तब सर्वत्र ममता और मानवता की धाराएँ बहेंगी और समस्याओं का हल 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' के आधार पर न होकर ममता और कठुणा के आधार पर होगा, नारी में वे विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर वह हर क्षेत्र में कुशल नेतृत्व कर सके, उसे अपना उचित योगदान दे सकने की क्षमतायुक्त बनाने के लिये शिक्षा का अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिये।

दूसरा कारण यह है कि भौतिकवादी लोलुपता एवं कामुकता अब दम्पति जीवन के आधारभूत आदर्शों में आग लगाने पर तुल गई है। पत्नी व्रत धर्म एक मखौल बनता जा रहा है। सिनेमा ने—कला के हर माध्यम ने जिस पैशाचिक वितृष्णा को जगाया है उससे हर पढ़े-लिखे लड़के को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि वह कभी भी पत्नी के साथ विश्वासघात करके उसे बीच भँवर में डुबो दे। ऐसे उदाहरण आँधी-तूफान की तरह बढ़ते जाते हैं जिससे योरोप की तरह जल्दी-जल्दी पत्नियाँ बदलने के शौकीनों ने अपनी धर्मपत्नी को निरीह और अनाथ बनाकर खून के आँसुओं से जिन्दगी भर रोने के लिये विवश कर दिया। इस बढ़ती हुई दुष्प्रवृत्ति के दिनों में हर सयानी लड़की का भविष्य खतरे में है और उसे इस योग्य बनाया जाना चाहिये कि बीच नदी में धकेल दिये जाने पर भी वह तैरकर पार हो सके।

तीसरा कारण यह है कि आज की मँहगाई में एक सुखी और सुविकसित गृहस्थ सँजोने के लिये केवल पुरुष की कमाई ही पर्याप्त नहीं। पत्नी को भी उपाजन में योगदान देना आवश्यक हो गया है और यह कार्य केवल शिक्षित नारी ही कर सकती है। ऐसे असंख्य कारणों को देखते हुए हर अभिभावक का कर्तव्य है कि अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिये लड़कों से भी अधिक सुविधा उन्हें प्रदान करें।

इस तथ्य को अनेक अभिभावक स्वीकार करते हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ाते भी हैं। पर उस संदर्भ में उन्हें एक नई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपने देश में रिवाज है कि "कन्या की अपेक्षा वर अधिक शिक्षा

वाला और अधिक आयु वाला होना चाहिये।” इस मान्यता के अनुसार लड़की जितनी अधिक पढ़ती जाती है उसी अनुपात से अधिक शिक्षित लड़के की जरूरत पड़ती है। पढ़े-लिखे लड़कों का बाजार उनकी शिक्षा के हिसाब से मँहगा होता जाता है और फिर क्रमशः कन्या के पिता को उतनी कीमत चुका सकना कठिन पड़ता है। दूसरी दिक्कत यह पड़ती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर लड़का ढूँढ़ते-ढूँढ़ते देर हो जाती है और बड़ी उम्र की लड़कियों को उनसे अधिक आयु के लड़के मिलने कठिन हो जाते हैं। कुछ समय तक अपने देश में बाल-विवाह का रिवाज था, अब कुछ सुधार हुआ है तो भी आम तौर से बीस-पच्चीस वर्ष की आयु में लड़कों के विवाह हो जाते हैं। इससे अधिक आयु के कुआरे लड़के जहाँ-तहाँ ही देखे जाते हैं। बड़ी आयु के मिलते हैं तो ३-४ बच्चों के बाप विधुर होते हैं। इन दो कठिनाइयों के कारण सुशिक्षित कन्याओं के विवाह की समस्या अति जटिल होती जाती है और ऐसे उदाहरण तेजी से बढ़ते जाते हैं जिससे उपर्युक्त दो उलझनों का हल न निकलने के कारण हजारों सुशिक्षित कन्याओं को कुआरी रहने के लिये विवश होना पड़ा और वे उच्च शिक्षा को अभिशाप अनुभव करने लगीं।

इस कठिनाई के डर से या तो लड़कियों को कम पढ़ा रख कर छोटी आयु में विवाह कर देना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा हल निकालना पड़ेगा। विवेक की दृष्टि से कन्याओं को उच्च शिक्षा का अवसर मिलना नितान्त आवश्यक है। किसी भी कारण उस अवसर को खोया नहीं जाना चाहिये। हमें उस दृष्टिकोण को बदलना चाहिये ताकि वे सुयोग्य, सुशिक्षित कन्याएँ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त इस मूढ़ मान्यता को भी बदला जाना चाहिये कि कन्या से वर अधिक आयु का और अधिक शिक्षित होना चाहिये। इसमें कुछ तुक नहीं। सच बात तो यह है कि वधू की वयस्कता और परिपक्वता पर गृह व्यवस्था और सुयोग्य सन्तान का होना निर्भर है। वर की आयु इससे कुछ छोटी हो तो भी इससे कुछ बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। सामन्तवादी युग में औरत को मारने-पीटने और पैरों तले दबाये रखने के लिये मर्द को बड़ा होना जरूरी था अब वैसी कोई आवश्यकता नहीं रही। इसी प्रकार क्या शिक्षित वर से इतनी हानि हो सकती है कि वह कुछ कम कमाये। इसके अतिरिक्त छोटी आयु, कम शिक्षा के वर से दाम्पत्ति जीवन पर किसी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला है। अधिक पढ़ा, अधिक बुद्धिमान्, अधिक समर्थ और अधिक कमाऊ वर जिस प्रकार से पत्नी के लिये लाभदायक है उसी प्रकार अधिक वयस्क, अधिक शिक्षित और अधिक सुयोग्य और अधिक कमाऊ पत्नी का सीधा लाभ पति को मिलना चाहिये।

कन्या को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ-साथ यह मनोभूमि भी हमें तैयार करनी चाहिये कि लड़की से कम उम्र और कम शिक्षा वाला लड़का ढूँढ़ने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। लड़कों को यह बात सोचनी चाहिये कि अपने से बड़ी आयु और बड़ी शिक्षा वाली लड़की प्राप्त करना यह उसके गौरव, सौभाग्य एवं उज्ज्वल भविष्य का चिह्न है इससे उन्हें अपनी हेटी नहीं प्रतिष्ठा अनुभव करनी चाहिये। लड़की कुछ अधिक कमा सके और लड़का कुछ कम कमाये तो दाम्पत्य जीवन की एकता को देखते हुए इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। दहेज में कोई रकम पाने की अपेक्षा सुशिक्षित, कमा सकने योग्य लड़की वह जायदाद है जो हर महीने व्याज-भाड़े की तरह आमदनी दे सकती है। ४००) महीने कमाने वाली लड़की वर्तमान ६) प्रतिशत बैंक व्याज के हिसाब से ८० हजार ६० कीमत की जायदाद बनती है। इससे अधिक दहेज उन्हें कौन देता।

कन्या की उच्च शिक्षा बढ़नी चाहिये। साथ ही उसके विवाह में उत्पन्न अवरोधों के ऐसे हल ढूँढ़े जाने चाहिये—इस प्रकार दृष्टिकोण बढ़ते जाने चाहिये जैसे कि ऊपर की पंक्तियों में सुझाये गये हैं।

—‘उच्च शिक्षित कन्याओं की विवाह समस्या’ पुस्तिका से।

विधुर और विधवाएँ समान न्याय के अधिकारी

क्र० ८२



नर और नारी ईश्वर की दो आँखें, दो भुजायें, दो सन्तान हैं। दोनों ही उसे समान रूप से प्रिय हैं। दोनों के लिये उसके मन में समान रूप से स्नेह और न्याय है। कोई सहृदय पिता अपने बालकों के दुलार वात्सल्य में कमी कर भी नहीं सकता। ईश्वर ने नर और नारी की आकृति में थोड़ा अन्तर और प्रजनन-प्रणाली में थोड़ा हेर-फेर सृष्टि का आकर्षण और सौंदर्य बनाये रखने की दृष्टि से भले ही किया हो, उनके अधिकार और स्तर में तनिक भी न्यून-धिकता नहीं रखी है।

धर्म और कर्तव्य तथा अधिकार दोनों के एक समान हैं। पाप-पुण्य भी दोनों के लिये एक ही हैं, जो नैतिक और सामाजिक कर्तव्य नर के लिये निर्धारित हैं उन्हीं से नारी भी बँधी हुई है। जो स्वतन्त्रता तथा परतन्त्रता एक उत्तरदायी नागरिक की दृष्टि से नारी पर लदी हैं उन्हीं से नर भी समान रूप से जकड़ा हुआ है। चाहे धर्म हो चाहे कानून, किसी के साथ रियायत नहीं करते। यदि रियायत का प्रश्न कभी आये भी तो वह सहृदयता की दृष्टि से सदा दुर्बल को सुविधा देने के पक्ष में जायगा। प्रजनन का अधिक भार उठाने के कारण बहुत करके नारी का पक्ष ही कुछ घाटे में रहता और दुर्बल पड़ता है। इसलिये ईश्वरीय तथा मानवीय न्याय ने यत्किंचित् न्याय और कर्तव्य पालन में थोड़ी सुविधा नारी को ही दी है। नर को प्रकृतिगत सुविधा अधिक मिल जाने से उस पर कर्तव्य का उत्तरदायित्व अधिक ही छोड़ा है और न्याय की जंजीर में उसे ही अधिक कड़ाई से कसा है।

विवाह नर-नारी का पवित्र गठबन्धन है। उसमें जो लाभ हैं, उन्हें दोनों समान रूप से उठाये और जो उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य हैं उन्हें समान रूप से पालें यह नितान्त आवश्यक है। ईश्वर की यही इच्छा और न्याय की यही दिशा है। पतिव्रत धर्म नारी के लिये आवश्यक है। नर के लिये पत्नीव्रत पालन करने की कड़ाई तथा जिम्मेदारी उससे कम नहीं वरन् अधिक है। दोनों को विवाह बन्धन में बँधने के बाद परस्पर वफादार और ईमानदार रहना ही चाहिये।

पर यदि कोई पक्ष इन कर्तव्यों से छूट लेना चाहे तो ठीक वही छूट उसे दूसरे पक्ष को भी देने के लिये भली प्रकार तैयार रहना चाहिये। बहु पत्नी प्रथा आवश्यक हो—यदि एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी की आवश्यकता अनुभव करे तो उसे आगे बढ़कर नारी मात्र को वही सुविधा सम्मानपूर्वक मिलने का समर्थन करना चाहिये। हिमालय की छाया में जोनसार नामक जिले में एक नारी कई पति खुले रूप में सामाजिक समर्थन से रखती है। ऐसे ही क्षेत्र में बहु पत्नी प्रथा का भी समर्थन किया जा सकता है। पर जो लोग अपनी नारी को शील और सतीत्व पालन करती हुई देखना चाहते हैं, उन्हें वही औचित्य पूर्णतया शतप्रतिशत अपने ऊपर लागू करना चाहिये। पुरुष को व्यभिचार की छूट और स्त्री को पतिव्रत का बन्धन, यह दुहरा मापदण्ड न ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल है न सामाजिक न्याय है। मानवीय आचार शास्त्र में इस प्रकार के भेद भाव को समर्थन नहीं मिल सकता। स्थिति के अनुरूप सामाजिक विधान और परम्परायें बदले जाने की बात समझ में आती है, पर उसका परिणाम नर और नारी को समान रूप से मिलना चाहिये। धर्म और इन्साफ सदा इसी बात का समर्थन करेगा।

भारतीय समाज में पिछले सामन्तवादी अन्धकार युग में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जंगली कानून

चल पड़े हैं। उन प्रथाओं के अनुसार नारी को बहुत अधिक प्रतिबन्धित किया गया है और नर को उच्छ्रूल आचरण की सुविधा दी गई है। नारी के शील पर संदेह होने की दशा में पुरुष उसका परित्याग करते देखे गये हैं। जबकि उनके अपने आचरण और भी अधिक भ्रष्ट होते हैं। नारी की शील रक्षा के लिये पदाँ और नर को वेश्यानृत्य देखने की छुली छूट। इस प्रकार के भेद भाव ने धर्म, न्याय, औचित्य सभी का सिर नीचा किया है। कुछ दिन पहले पति के मर जाने पर पत्नी को सती होना पड़ता था। यदि वह उचित था तो न्याय और धर्म की दुहाई यह भी होनी चाहिये थी कि पत्नी के मरने पर पति उसके साथ सती हुआ करते। एकांगी परम्परा भले ही वह कुछ भी क्यों न हो सर्वथा अन्याय कही जायगी।

वैधव्य और वैधव्य को किस तरह निवाहा जाय इसके लिए भी न्यायोचित परम्परा एक ही हो सकती है। यदि विधुर होने के बाद पुरुष को दूसरा विवाह करने की छूट है तो ठीक उसी तर्क और उसी न्याय के आधार पर नारियों को भी वैसी ही सुविधा मिलनी चाहिये। यदि साथी के बिछुड़ जाने पर अविवाहित रहना उचित है तो उस बन्धन का समान रूप से नर और नारी दोनों को पालन करना चाहिये। यदि वैसा कार्य कठिन लगता है तो जो सुविधा नर चाहे, उसी का समर्थन आगे बढ़कर नारी के लिये भी प्रदान करे। एक पक्षीय सुविधा—एक पक्षीय बन्धन यह तो सरासर अन्याय है।

अपने देश में नारी विधवा होने के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ऐसा सवर्ण कहलाने वाले ऊँची जातियों में रिवाज है। इन वर्गों को विचार करना चाहिये कि यदि उचित हो तो यही बन्धन और भी अधिक कठोरता के साथ पुरुषों पर लागू कर दें। किन्तु यदि उसमें नर को असुविधा लगे और उसे दूसरे विवाह की छूट देना उचित प्रतीत हो तो प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति को वैसी ही छूट-सुविधा, समर्थन एवम् प्रोत्साहन, परामर्श नारियों को देने के लिए भी आगे आना चाहिये। न्याय की तुला बेइसाफी तथा पक्षपात का रख न नर के साथ अपनाये न नारी के साथ। इस पर हर धर्म और ईमान की महत्ता समझाने वाले व्यक्ति को पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये।

आज की परिस्थिति में साधारणतया यही सुविधाजनक प्रतीत होता है कि जिनको बिगड़े गृहस्थ को फिर से जमाने की आवश्यकता अनुभव होती है उन्हें वैसा करने की छूट दी जाय। विधुर भी पुनर्विवाह कर सकें और विधवा भी। यहाँ एक बात यह ही ध्यान रखने की है कि विधुर लोग कुमारी कन्याओं से विवाह कर लेते हैं, इससे ही हानियाँ होती हैं। एक तो असमान वय के नर नारियों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, आयु में अंतर रहने से ये यड़कियाँ जल्दी ही विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ भटकते हैं। इसके अतिरिक्त विधवाओं को कुमारे लड़के स्वीकर नहीं करते अतएव उन्हें पुनर्विवाह की सुविधा नहीं मिल पाती। अतः विधुर नफे में और विधवायें घाटे में रहती हैं। इस असमानता के दूर करने के लिये यही एक मात्र उपाय है कि विधुर विधवाओं से विवाह करें और विधवायें विधुरों से। यदि बच्चे वाला विधुर विवाह करना चाहता है तो उसे बच्चे वाली विधवा से ही विवाह करना चाहिये। ताकि जिस प्रकार अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिये उसे पत्नी की जरूरत पूरी करनी पड़ी इसी प्रकार किसी विधवा को भी अपने बच्चे का पालन करने के लिये नये पति की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से दो परिवारों के अनाथ जैसे बालकों को नये माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा। और जन मानस पर भी यह छाप पड़ेगी कि 'सौतिया डाह तथा विमाता का वैमनस्य, स्वाभाविक नहीं संकीर्णता की देन है' उदार अभिभावक अपने और पराये बच्चे को समान रूप से वात्सल्य और सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

‘विधवा विवाह शास्त्र विरुद्ध नहीं’ पुस्तिका से

मनस्वी शूरीर विवाहोन्माद असुर से जुड़े ।

क्र० ८३



धर्म के मूल सिद्धान्त तो सनातन हैं वे अपरिवर्तित रहते हैं । पर रीति रिवाज देश काल पात्र की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं । विवाह शादियों को ही लें, किसी जमाने में जब यह देश सर्व सम्पदाओं का स्वामी रहा था, वैभव और ऐश्वर्य चारों ओर बिखरा पड़ा था, जीवन निर्वाह के साधनों तथा शिक्षा, चिकित्सा आदि की कोई चिन्ता न थी तब लोग संभव है जन्म विवाह, मरण आदि को हर्ष का दिखावा मान कर लम्बे चौड़े प्रीति भोज करते और दान की व्यवस्था मुक्तहस्त से करते हों। लेने की इच्छा न रखने वालों को भी उस ऐश्वर्य में से यथोचित लाभ मिलता हो । पर आज की स्थिति का उस समय से क्या मुकाबला ? और आज उस तरह के अनुकरण का क्या सवाल ? कमरतोड़ मँहगाई तथा जीवनयापन और शिक्षा चिकित्सा आदि के भारी खर्च वाले इस जमाने में जबकि दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है । उस ऐश्वर्य वाले जमाने की तरह खर्च करने और हर्षोत्सव मनाने की बात सोचना व्यर्थ है । आजीविका और अमोरी उस जमाने में जैसी हो, निर्वाह उस जमाने जितना सस्ता हो तो बचत की दौलत शादियों की धूमधाम तथा देन देहेज में फूँकने की बात कुछ समझ में भी आती थी, पर जबकि आर्थिक तंगी से हर मध्यवर्ती और गरीब व्यक्ति का दम घुटा जा रहा है, तब उस पैसे की जिसकी स्वास्थ्य तथा व्यवसाय, शिक्षा चिकित्सा आदि के लिए बेहद जरूरत है, उन्मादियों की तरह किस प्रकार विवाह शादियों में होली की तरह फूँकना उचित कहा जा सकता है ।



हर कोई जानता है कि अपने हिन्दू समाज में यह सबसे बड़ी फूहड़ और मुखता पूर्ण कुरीति है कि विवाह शादी जैसे पारिवारिक स्वाभाविक—सीधे-साधे आयोजन में अन्धाधुन्ध पैसा उड़ाया और बहाया जाय । इस कुरीति ने अनेक दुष्परिणाम पैदा किये हैं । अपना देश बहुत गरीब है । इन दिनों शायद ही कोई ईमानदार व्यक्ति कुछ बचत कर सकता है, फिर हर गृहस्थ में तीसरे चौथे वर्ष एक शादी अक्सर होती है । हर मनुष्य को अपने परिवार को ४-५ शादी तो निपटानी ही पड़ती हैं । ५ हजार भी हर शादी में लगें तो २५ हजार चाहिये । उतनी बचत सर्वसाधारण के लिए असंभव है । पर वर्तमान रीति रिवाजों के अनुसार इतना पैसा चाहिये ही चाहे वह कहीं से भी आये । यह कमी और कहीं से नहीं बेईमानी से ही पूरी होती है । इसलिए अपने देश में हर किसी को हर व्यवसाय में बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है । अपना सबसे अधिक धार्मिक कहा जाने वाला देश व्यवहार में सबसे अधिक बेईमान है । ईमानदार कर्मचारी, व्यवसायी, अफसर नेता कहीं बहुत ढूँढ़ने पर ही मिल सकेंगे । बेईमानी किसी समाज को अपराधी मनोवृत्ति का बनाती है और वह अपनी दुर्बलता से आपही नष्ट एवं पतित होता चला जाता है । अपनी आज यही स्थिति है । और इस स्थिति की बहुत कुछ जिम्मेदारी विवाह में फूँकी जाने वाली पैसे की होली जैसी कुरीतियों पर है ।

ये कुरीतियाँ हमें नैतिक दृष्टि से बेईमान—आर्थिक दृष्टि से गरीब कर्जदार और सामाजिक दृष्टि से ढोंगी तथा स्वार्थी बनाती चली जा रही हैं । लड़के खुले आम बेचे जाते हैं और उनका बैल भैंस जैसा मोल भाव होता है । इन बुराइयों का प्रभाव गरीब घर की सुयोग्य कन्याओं पर कितना विघातक पड़ रहा है, इसकी चर्चा करना और

[७३]

सुनना दिल हिला देने वाला होगा। दहेज के राक्षस की चपेट में कितनी सुयोग्य कन्याओं को किस तरह रक्त के आँसू पीने पड़े और कितनों के जीवन किस तरह बर्बाद हुए उन कथाओं को कोई क्रमबद्धरूप से सुन सके तो पत्थर के कलेजों को भी आँसू बहाने पड़ें। इस कुचक्र में कितने सद्गृहस्थों को दर-दर का भिखारी बनना पड़ा है इसका किस्सा कहा और सुना जा सके तो इस हिन्दू समाज की दुष्टता पर आसमान को भी आँसू बहाने पड़े निस्सन्देह यह प्रथा जारी रही तो अपना समाज और देश अभी हजार वर्ष तक भी उन्नति न कर सकेगा।

यह परिस्थितियाँ उन मनस्वी महामानवों को पुकारती हैं जो संव्याप्त मूढ़ता के विरुद्ध बगावत खड़ी कर सकें और बहुसंख्यक लोगों के मस्तिष्कों पर छाये हुए अन्धकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकाकी प्रकाशवान दीप की तरह ज्योतिर्मय हो सकें। समय की—युग की—मानवता की पुकार है कि “विवाहोन्माद” के असुर को रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जरासिन्धु, वृत्वासुर की तरह विश्वमानव का महानतम शत्रु माना जाय और उसके उन्मूलन के लिए हर दैव प्रकृति के विवेकवान एवं मनस्वी व्यक्ति को भिड़ जाने के लिए आमंत्रित किया जाय।

जिनके मुख में जीवन्त वाणी हो वह इस अनाचार की पूरी-पूरी भर्त्सना करें। जिनके पास लेखनी हो वह इस दुष्टता से उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न को प्रकाश में लायें। जिनके पास मस्तिष्क हो वह यह योजना बनायें कि किस प्रकार इस पैशाचिकता से अपना समाज मुक्ति पाये। पंच और चौधरी यदि सचमुच सड़ नहीं गये हों तो अपने प्रभाव को इस बात में लगावें कि हर दृष्टि से हेय और निन्दनीय इस कुप्रथा को उनके क्षेत्र में से कितनी जल्दी विदाई मिल जाय। जिसके पास आत्मा हो उस हर अभिभावक को अपनी कन्या की तरह दूसरे की कन्या पर भी रहम करना चाहिए। और अपनी बर्बादी की तरह सम्बन्धी की बर्बादी का भी दुःख दर्द अनुभव करना चाहिये। जहाँ कहीं भी सज्जनता, करुणा, विवेकशीलता, सहृदयता और न्याय जिन्दा हो उसे दुहाई देकर पुकारा जाना चाहिये कि वह यदि मर नहीं गई हो तो जीवित होकर इस युग में इस नृशंस असुर विवाहोन्माद से लड़ पड़ने के लिये शौर्य और साहस का परिचय दें।

नये रक्त, नये विवेक, नये जोश और नये यौवन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है कि अनाचार के साथ समझौता करने से स्पष्ट इन्कार कर दें। अभिभावक लाख बकते झकते रहें उन्हें यही कहना चाहिये कि हम लड़की देने वाले के प्रति कोमल भावनाएँ रखते हैं। हम उस उदार परिवार का रक्त पीने की दुष्टता न करेंगे। भले ही हमें अविवाहित रहना पड़े पर दहेज, धूम-धाम, लम्बी बरात तथा दूसरे कमरतोड़ खर्चों से जुड़े हुए विवाह न करेंगे। प्रह्लाद को पिता की, भरत को माता की, विभीषण को भाई की अवज्ञा करनी पड़ी थी। अनीति के विरुद्ध भगवान की भी अवज्ञा की जा सकती है और उसमें पाप या अनुचित होने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। समय ने अविवाहित युवक और युवतियों को भी पुकारा है कि यदि उनके अभिभावक लोभ और व्यामोह की कीचड़ में बुरी तरह फँस गये हैं तो साहसपूर्वक आगे बढ़कर उन्हें निकालें और कलंक की कालिमा से हम सभी का मुँह उज्ज्वल करें। खर्चीले विवाहों का अन्त हर कीमत पर होना चाहिए और विवाहोन्माद विरोधी आन्दोलन को हर दिशा में सहयोग एवं समर्थन मिलना चाहिये।

‘विवाहोन्माद के लिये बुद्धि क्यों बेच दी जावे’ पुस्तिका से।

— — — —

बिना खर्च के विवाहों का प्रचण्ड आन्दोलन चल पड़े

क्र० ८४

इस देश में ७ लाख गाँव और लगभग ५ करोड़ परिवार हैं। विवाहोन्माद से ग्रसित हिन्दू परिवारों की संख्या ४ करोड़ है। हर परिवार को औसतन तीन वर्ष में एक विवाह करना पड़ता है। विवाह का औसत कुल खर्च पाँच हजार की औसत से भी फँलाया जाय तो हर वर्ष प्रायः ३० अरब रुपया खर्च होता है। यह पैसा राष्ट्रीय दृष्टि से इतना अधिक है कि इसे बचाकर देश का पूरा वार्षिक बजट अथवा बिना किसी कठिनाई के पाँच-वर्षीय योजनाओं का खर्च चलाया जा सकता है। व्यक्तिगत दृष्टि से यदि यह पैसा घर-परिवारों के स्वास्थ्य, निवास, चिकित्सा व्यवसाय आदि आवश्यक कार्यों में लगाया जाय तो उससे अपने देशवासियों का स्तर हर क्षेत्र में ऊँचा उठ सकता है और वे प्रगति के आवश्यक साधन उपलब्ध होने पर समृद्ध देशों की पंक्ति में सहज ही खड़े हो सकते हैं। उपाजन बढ़ा किन्तु बर्बादी न रुकी तो उस बढ़ोतरी से भी क्या बनेगा? सामाजिक कुरीतियाँ हमारी नैतिक, आर्थिक और सामाजिक ही नहीं, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक बर्बादियों की भी निमित्त बनी हुई हैं। इन कुरीतियों में सबसे भयानक और सबसे अविवेकपूर्ण विवाहों के नाम पर बुद्धि बेचकर पैसे की होली फूँकने की मूर्खता को ही कहा जा सकता है। समय आ गया कि हम अपना भला-बुरा मोर्चे और जो अनुचित है उसे हटा दें।

हर व्यक्ति जानता है कि सारे संसार के सभ्य समाजों की तरह हमें भी विवाह को एक छोटा पारिवारिक उत्सव मात्र मानकर उसे सादगी के साथ सम्पन्न कर लेना ही उचित है। इसमें सभी का हित है। कोई दलील ऐसी नहीं जो विवाहोन्माद का समर्थन करती हो। इतने पर भी इस कुप्रथा का प्रचलित रहना, तोड़ने का प्रयत्न न किया जाना यह साबित करता है कि अपनी विचारशीलता का—अनुचित को हटाकर उचित को अपनाने की विवेक-बुद्धि का दिवाला निकल गया है। जिसे अवांछनीय समझते हैं उसे ही छाती से चिपटाये बैठे रहें यह मूर्खता और रूढ़िवादिता का एक घिनौना उदाहरण है। बुद्धिया-पुराण के आगे नतमस्तक होकर—नासमझ रूढ़िवादियों की हाँ में हाँ मिलाकर—त्रिचारशील वर्ग चले यह लज्जा की बात है। विवेक को नेतृत्व करना चाहिये। साहस को औचित्य अपनाना चाहिये। यदि वैसा न हो तो समझना चाहिये कि जीवित और जागृत लोगों के उपयुक्त चेतना को यह समाज खो बैठा। अनौचित्य को जो लोग सहन कर लेते हैं, उपयुक्त को अपनाने की जिनमें हिम्मत नहीं होती, जो अनर्थकारी रूढ़िवादिता के आगे नाक रगड़ते हैं, उन्हें साँस लेने वाले मृतक ही कहा जायगा।

पैसा बर्बादी की चीज नहीं है। अमीर लोग उसे लोकोपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। गरीबों के लिये तो एक-एक पैसे का मूल्य है। उसके लिये बर्बादी का रास्ता अपनाना अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना है। विवाहों के नाम पर एक तिहाई आमदनी की बर्बादी एक दर्दनाक घटना है। इस अनर्थ को यों ही चुपचाप नहीं देखते रहना चाहिये वरन् उसे मिटाने के लिये एक प्रचण्ड आन्दोलन खड़ा करना चाहिये। युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऐसा ही देश-व्यापी और कारगर आंदोलन छेड़ा गया है और हर विचारशील से अनुरोध किया गया है कि उसमें सम्मिलित होने के लिये उत्साहपूर्वक आगे आये।

विवाहों को बिना दहेज, बिना जेवर, बिना धूमधाम, बिना बारात और अति सादगी के साथ न्यूनतम खर्च में सम्पन्न करने के 'आदर्श विवाह' आंदोलन की उपयोगिता एवं आवश्यकता जन-साधारण को समझाई जानी चाहिये। अधिक खर्च करने और कराने वालों का विरोध करना चाहिये। ऐसी शादियों में—जिनमें बरबादी का दौर-दौरा हो सम्मिलित नहीं होना चाहिये। बरातों में नहीं जाना चाहिये और उस निरर्थक धूमधाम में योग नहीं देना चाहिये। अभी तो समझाने का—प्रचार और आंदोलन का ही प्रथम चरण है। आगे चलकर इन आर्थिक आत्महत्या करने वालों को रोकने के लिये सत्याग्रही स्वयंसेवक सेना भी गठित करनी चाहिये।

विवाह योग्य वर-कन्याओं और उनके अभिभावकों को ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए कहा जा रहा है कि वे अति सादगी के आदर्श विवाह ही करेंगे। इस प्रतिज्ञा पर उन्हें आरूढ़ ही रहना चाहिये और किसी भी दबाव में आकर नरम नहीं पड़ना चाहिये। वयस्क छात्रों और छात्राओं में यह प्रतिज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से चलाया जा रहा है और विचारशील अध्यापकों से इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिये कहा जा रहा है। रूढ़िवादियों के विरोध के लिये तो हमें अन्य अर्वाँछनीय तत्वों से लोहा लेने की हिम्मत के साथ कटिबद्ध होना चाहिये। ऐसे प्रतिरोध अन्ततः श्रेयस्कर भी सिद्ध होते हैं। प्रह्लाद, भरत, विभीषण, बलि और मीरा की परम्परा को यदि विवाहोन्माद के प्रतिरोध में नई पीढ़ी अपनाये तो उसे अनुचित नहीं वरन् हर दृष्टि से सराहनीय ही माना जायेगा। इस आग्रह से वे अपने अभिभावकों को भी खलनायक की भूमिका प्रस्तुत करने के कलङ्क से बचाकर विचारशील लोगों की पंक्ति में बिठाने का हित साधन ही करेंगे।

दूसरा पक्ष अपने विचारों का न मिलने की कठिनाईयाँ हल होने से सुधारवादी भी विवश होकर रूढ़िवादी कार्य करते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये विवाहोन्माद की व्यर्थता स्वीकार करने वाले परिवारों के विवाह योग्य लड़की-लड़कों की व्यापक सूची युग-निर्माण योजना द्वारा एकत्रित करनी आरम्भ कर दी है। जिससे हर वर्ग अपने उपयुक्त सम्बन्ध तलाश कर सकें। २० पैसे की टिकिट भेजकर ऐसी जानकारियाँ कुछ समय बाद हर सुधारवादी प्राप्त कर सकेगा। शर्त यही है कि केवल लड़की के बारे में ही नहीं ऐसी सुधार परम्परा जो अपने लड़के के बारे में भी अपनाते को तैयार हों उन्हें इस योजना से लाभान्वित होने दिया जायेगा। ऐसे धूर्तों की कमी नहीं जो लड़की के वक्त सुधारक और लड़के के वक्त बिगाड़क का चेहरा बदलने में सङ्कोच नहीं करते।

जहाँ ऐसे विवाह हों वहाँ के सुधारकों और बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि उन आयोजनों को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनायें। अधिक जनता को उसमें एकत्रित करें और प्रस्तुत योजना की सरलता और उपयोगिता समझायें, ताकि दूसरों को भी वैसा ही अनुकरण करने का प्रोत्साहन मिले। जहाँ रूढ़िवादियों का विरोध तीव्र हो और सुधारक कमजोर हों वहाँ अच्छा तरीका यह है कि ऐसे वर-वधू दो-दो चार-चार अभिभावकों के साथ युग-निर्माण योजना के मुख्य कार्यालय (गायत्री तपोभूमि, मथुरा) में आकर पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से, गायत्री माता की छाया में विद्वान् तपस्वियों के आशीर्वाद सहित विवाह सम्पन्न करा लें। इसमें किराया-भाड़ा तो जरूर लगता है पर अलन चलन, नेग-जोग, उपहार, फर्नीचर के निरर्थक जंजालों से बचत भी सहज ही हो जायेगी। जहाँ ऐसे कई विवाह एक क्षेत्र में बन पड़ें वहाँ सामूहिक गायत्री यज्ञ आयोजनों के साथ उन्हें और भी प्रभावशाली धार्मिक वातावरण में सम्पन्न किया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में यदि एक बात और भी बन पड़े तो उत्तम रहेगा कि उपजातियों का दायरा बढ़ा दिया जाय और बड़ी जातियों को ही पर्याप्त माना जाय। ब्राह्मण—ब्राह्मण मात्र में, राजपूत—राजपूत मात्र में, वैश्य—वैश्य मात्र में, कायस्थ—कायस्थ मात्र में, विवाह करने लगें तो इसमें शास्त्रीय परम्परा एवं संस्कृति का तनिक भी उल्लंघन नहीं होता। सनातन तो वर्ण मात्र हैं। उपजातियाँ तो यातायात की कठिनाइयों के दिनों में क्षेत्रीय लोगों का एक व्यापक वर्ग बन जाने ले चल पड़ी हैं। अब उस क्षेत्रीयता और सङ्कीर्णता को बिना किसी सङ्कोच के प्रसन्नता पूर्वक व्यापक क्षेत्र में परिणित किया जा सकता है। इसमें अच्छे जोड़े तलाश करने में बहुत सुविधा मिलेगी और देन-दहेज का चक्रव्यूह भी सहज ही टूट जायेगा।

युग-निर्माण योजना ने आदर्श-विवाह आन्दोलन को बड़े सुव्यवस्थित और व्यापक परिमाण में आरम्भ किया है और हर विचारशील भावना सम्पन्न व्यक्ति का आह्वान किया है कि वह इसमें भाग लेने के लिये साहस-पूर्वक आगे आये और अपना सहयोग प्रदान करें।

“विवाह शालियों का असह्य अपव्यय” पुस्तिका से।

आततायी उद्दण्डता का डटकर मुकाबला किया जाय

क्र० ८५

अपराधों की अभिवृद्धि के आँकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें देखते हुए भय होता है कि यह छूट की बीमारी सारे समाज को ग्रसित न करले और हममें से प्रत्येक व्यक्ति कहीं अपराधी ही न बन जाय। मनुष्यता की मर्यादा का पालन करना, नीति-कर्त्तव्य और सदाचरण को अपनाना तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना हर व्यक्ति का धर्म है। यदि नागरिक कर्त्तव्यों का पालन करने में जन साधारण की निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे तभी समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रह सकती है और प्रगति एवं समृद्धि की आशा की जा सकती है। अन्यथा बढ़ती हुई उच्छ्रद्धलता व्यक्ति को पतित और समाज को दुर्बल बनाती चलेगी और क्रमशः सर्वनाश की घड़ी समीप आती चली जायगी।

वैयक्तिक सदाचरण और सामाजिक कर्त्तव्यों के प्रति उपेक्षा एवं अवहेलना की प्रवृत्ति निस्सन्देह एक भयावह विपत्ति ही समझी जानी चाहिये। इससे क्षोभ, असन्तोष, रोष, प्रतिशोध का ऐसा प्रवाह बढ़ता है जिससे घात प्रति घात की दुर्घटनाएँ निरन्तर बढ़ती जाती हैं और रचनात्मक दिशा में लग सकने वाली शक्ति दुरभिसंधियों में संलग्न होकर विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती चली जाती है। परस्पर स्नेह, सद्भाव, सहयोग के आधारों की जड़ काटते हुए यह बढ़ते अपराध अविश्वास एवं असंतुलन का वातावरण उत्पन्न करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया अन्ततः हर किसी के सामने दुर्भाग्यपूर्ण बनकर ही आती है।

अपराधी मनुष्य घृणा का पात्र, अविश्वस्त, आततायी बनकर अपने लिये सर्वत्र असहयोग एवं अवरोध उत्पन्न करते हैं। आतङ्क, भय से दूसरे लोग चुप भले ही हो जाँय डरकर कुछ काम भले ही कर दें पर उस स्नेह-सद्भाव से सर्वथा वञ्चित ही रहना पड़ता है जो चिरस्थायी प्रगति का एकमात्र आधार है। दुष्ट और असुरों के वर्ग में गिना जाने वाला यह व्यक्ति अपने आत्मा और परमात्मा के सामने पतित सिद्ध होता है और अपने मनोबल को खोकर प्रगति के वास्तविक आधारों से वञ्चित हो जाता है। अपराधियों की अभिवृद्धि एक अभिशाप है जिससे किसी समाज का भविष्य अन्धकारमय हो सकता है। अनैतिक आचरणों की वाढ़ को एक प्रकार से गृह युद्ध ही कहना चाहिये जिसके दुष्परिणाम अन्ततः सामूहिक आत्म-हत्या के रूप में ही सामने आते हैं।

अपने देश में इन दिनों नागरिक कर्त्तव्यों की अवहेलना एक प्रकार का फैशन बनता चला जा रहा है। उच्छ्रद्धलता और उद्दण्डता प्रदर्शित कर लोग दूसरों पर आतङ्क जमाने की कुचेष्टा में लगे दिखाई देते हैं। धूर्तता और अनीति के आधार पर प्राप्त सफलता को कुशलता और चतुरता माना जाता है। धर्म से लेकर राजनीति तक—व्यवसाय से लेकर दैनिक गतिविधियों तक—अप्रामाणिकता का ही बोलबाला है। यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। ऐसा ही मखौल बना रहा तो परस्पर विश्वास, सद्भाव और सहयोग का आधार ही नष्ट हो जायगा तब एक दूसरे से आशङ्कित और आतङ्कित रहने वाले समाज में विकास और उल्लास की परिस्थितियों का दर्शन दुर्लभ होता चला जायगा। इस वातावरण में प्रगति के लिये किये गये सारे प्रयत्न बालू की दीवार जैसे धराशायी होते चले जायेंगे।

आवश्यकता इस बात की है कि हर मनुष्य को अपने नागरिक, धार्मिक, सामाजिक एवं मानवीय कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये प्रशिक्षित किया जाय। शिक्षा का मूल आधार यही होना चाहिये। लोक-शिक्षण का उत्तरदायित्व उठाने वाले साहित्य, संगीत एवम् कला की दशा यही होनी चाहिये, लेखनी और वाणी का प्रस्फुरण इसी प्रयोजन के लिये हो। पत्रकारिता इसी मुहिम को संभाले। सरकारी नियंत्रण में चलने वाले रेडियो से इसी स्तर का प्रसारण हो। सार्वजनिक प्रयोजन का स्थान ग्रहण करने वाले सिनेमा में जो कुछ दिखाया जाय वह इसी प्रयोजन की पूर्ति करे।

संगीत और गायन की हर तरंग द्वारा नैतिकता का समर्थन किया जाय। धर्म मंच से जो कुछ भी कथा-प्रवचन प्रस्तुत किये जायें वे मनुष्य को सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ एवम् लोक-मञ्जल के लिये त्याग-बलिदान की प्रेरणासे भरे रहें। शासन व्यवस्था के अन्तर्गत नैतिकता के पक्ष में अति सतर्कता बरती जाय और अनैतिकता को अति कठोरतापूर्वक कुचलने की समर्थ व्यवस्था बनाई जाय। इस प्रकार के सर्वतोमुखी प्रयत्नों द्वारा ही नर-पशु को मानवीय कर्तव्यों का पालन करने वाला—सज्जन एवम् सद्भाव सम्पन्न बनाया जा सकता है। यह मानव जाति की महती आवश्यकता है। हर विचाशील का ध्यान इधर जाना चाहिये और हर समर्थ को इस दिशा में अधिकतम सहयोग प्रदान करना चाहिये। सदाचरण के संरक्षण से ही संसार में शांति और सुव्यवस्था बनी रहने तथा प्रगति का मंगलमय वातावरण बनने की आशा की जा सकती है।

इस प्रकार के रचनात्मक प्रयत्नों के साथ-साथ जन चेतना में अपराधों के अवरोधों का समुचित साहस जागृत रहना चाहिये, होता यह है कि कुछ आततायी-अनीति और उच्छृङ्खलता करते रहते हैं और लोग उसे दशक मात्र बन कर देखते रहते हैं। उस अनीति का प्रतिरोध करने से अपने को ही कुछ झंझट का नुकसान न सहना पड़े। यह भीरुता सार्वजनिक जीवन की एक निन्दनीय दुर्बलता है जिसके कारण आततायी निर्भय होकर अपनी दुष्टता को दिन-दिन अधिक बढ़ते चले जाते हैं। हजार मनुष्यों के सामने चोर, गुण्डे मनमानी कर सकें तो यह उन दर्शकों में से प्रत्येक के लिये डूब मरने जैसी लज्जा की बात है। हर एक को यह सोचना चाहिये कि यदि उसके उपर अनीतिपूर्वक आक्रमण हो तो उसे दूसरे सज्जनों से सहायता, तनाव या अवरोध की आशा करनी चाहिये या नहीं? यदि हाँ, तो उसका भी कर्तव्य है कि जहाँ उद्दंडता हो रही हो वहाँ उपस्थित लोगों में चेतना उत्पन्न करे और अवरोध के लिये साहसपूर्वक भिड़ जाय।

अनीति को सहन न करने—किसी पर अनीति न होने देने की हिम्मत हर जीवित मनुष्य में होनी चाहिये। बहादुरी मानवता का एक आवश्यक अङ्ग है। पौरुष सम्पन्न को ही पुरुष कहते हैं। शौर्य और साहस मनुष्य-जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं। इनके बिना अन्न खाने और साँस लेने भर के लिये जीवित मनुष्य को एक प्रकार से मृतक या पतित ही कहा जा सकता है। कहना न होगा कि शौर्य का प्रदर्शन और परीक्षण अनीति का अवरोध करने का अवसर आने पर ही किया जा सकता है। दुष्टता होती रहे और भयभीत असहाय एवं कायर काया की तरह कोई मनुष्य दर्शक मात्र बनकर खड़ा रहे इससे अधिक धिक्कार की दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। कोई अवसर ऐसे होते हैं जिनमें जोखिम उठाना भी गर्व और गौरव का कारण होता है। आतङ्कवादी उद्दंडता के अवरोध में जोखिम उठाकर आगे आना सत्साहस है जिसकी प्रशंशा मूक मानवता का कण-कण करता रहेगा।


अपराधी मनोवृत्ति के पनपने से एक बहुत बड़ा दोष प्रतिरोध का साहस शिथिल हो जाने की भीरुता पर है। मानवीय भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दृष्टि से इस दुर्बलता का अन्त होना चाहिये और सर्व साधारण में यह उत्साह उत्पन्न होना चाहिये कि आततायी आतङ्क का हर मोर्चे पर—हर स्थिति में मुकाबला किया जाय और उच्छृङ्खलता के हर कदम को आगे बढ़ने से रोक के लिये डटकर मुकाबला किया जाय।

‘कठिनाइयों से डरिये नहीं लड़िये’ पुस्तिका से

— — —

धर्म तंत्र को प्रगतिशील बनने दिया जाय

क्र० ८६



जिस तरह व्यक्तिगत जीवन में 'वासना और तृष्णा' दो बड़े प्रबल और प्रभावी तत्त्व हैं उसी तरह सामाजिक जीवन में 'राजनीति और धर्म' भी प्रमुख हैं। राजनीति का प्रभाव सर्व विदित है। शासन के सही-गलत होने और शासकों की प्रवृत्ति मनोवृत्ति से देशों का ढाँचा और स्वरूप ही बदल जाता है। समाजगत अगणित समस्याओं का उद्भव और समाधान बहुत करके उसकी राजकीय स्थिति पर निर्भर रहता है। इस तथ्य को सभी लोग समझते हैं और राजनीति में प्रवेश करके अपना वर्चस्व बढ़ाने और देश की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं।

अपने देश में राजनीति से भी बड़ा महत्त्व धर्म का है। इस देश की ८० फीसदी जनता अशिक्षित है और गावों में रहती है। उसके विचार स्तर में यदि कोई तथ्य अवस्थित है तो वह है धर्म की तथाकथिक अभिरुचि। समाज-विज्ञान, नागरिकता, देश-भक्ति, अन्तर्राष्ट्रीयता, कूटनीति, सहकारिता, नीतिशास्त्र, कानून, तर्क आदि की तो उन्हें जानकारी नहीं। मस्तिष्क की पहुँच दैनिक जीवन की अनिवार्य समस्याओं से आगे बढ़कर केवल धर्म तक है। जब कभी महत्त्वपूर्ण चर्चा चलती है, विचार-विनिमय, शङ्का-समाधान तथा ऊहापोह होता है तो उसका विषय धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। घर से बाहर कभी भ्रमण को जाना हो तो तीर्थ-यात्रा। धन का सदुपयोग करना हो तो ब्राह्मण, साधुओं, देव-मन्दिरों में दान-पुण्य। समय को शुभ कार्य में लगाना हो तो कथा-कीर्तन। मनोरंजक आयोजनों में रामलीला, रासलीला, धार्मिक मेलों, कुम्भ, सोमवती, दशरथ, झाँकी आदि की गणना होती है। तात्पर्य यह है कि रोजी-रोटी के अतिरिक्त इस ८० फीसदी जनता को उत्कट आकांक्षाएँ यदि कभी उठें तो वे धर्म तक ही सीमित रहेंगी।

राजनीति को समझ सकना उन शिक्षित लोगों का कार्य है जो रोज अखबार पढ़ते हैं अथवा उसके सम्पर्क में रहते हैं। सामान्य जनता उससे उतनी ही परिचित हो पाती है जितना कि टैंक्स-कन्ट्रोल आदि का सीधा प्रभाव उस पर पड़ता है। अन्य पहलुओं से वह प्रायः अपरिचित ही रहती है। पर धर्म के बारे में यह बात नहीं है। उसकी कथायें, प्रथायें तथा वारीकियाँ स्त्री-बच्चों तक को मालूम रहती हैं। यही कारण है कि अपना धर्म कलेवर बहुत भारी और मंहगा होते हुए भी जनता द्वारा खुशी-खुशी वहन किया जा रहा है।

कहना यह है कि इस देश की जनता में कोई उत्कृष्टता, महत्ता, हलचल एवं परिवर्तन करना हो तो उसके लिये धर्म मन्त्र ही सबसे प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। जो समझाना हो धर्म के साथ-साथ उसका सम्बन्ध जोड़ते हुए समझाया जा सके तो उसमें आशाजनक सफलता मिल सकती है। गाँधीजी इस देश की नवज देखने और जनता की मनःस्थिति को समझने में बहुत ही कुशल थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम को धार्मिक आंदोलन के रूप में चलाया। स्वयं मिस्टर गाँधी, बैरिस्टर गाँधी न रहकर महात्मा गाँधी के रूप में सामने आये। वैसे ही वेश कलेवर उनसे धारण किया। सत्य-अहिंसा के प्राथमिक धर्म सिद्धांत को आधार बनाया। सामाजिक धर्म-राज्य के लिए धर्म-युद्ध छेड़ा। गौ-माता के उद्धार का आश्वासन दिया। 'रघुपति राघव राजाराम' की कीर्तन ध्वनि लेकर चले और भारत-माता की जय बोली। यह प्रक्रिया भारतीय धार्मिकता से जुड़ती है। अतएव उनका सत्याग्रह आंदोलन शिक्षित-अशिक्षित सभी में लोकप्रिय बना और अन्ततः उन्हें सफलता मिलकर ही रही। उन दिनों अन्य प्रमुख राज-नेता भी उसी प्रक्रिया को न्यूनाधिक रूप से-अपने-अपने ढङ्ग से अपनाते थे। अपने स्वतन्त्रता संग्राम की सफलता का यह एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य तथा आधार था। यदि यह आधार न अपनाया गया होता तो मार्ग काफी लम्बा पड़ता और बहुत कीमत चुकाने पर थोड़ी सफलता की आशा बँधती।

स्थिति अभी भी वही है। राजनैतिक स्वतन्त्रता के बाद अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करने हैं। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नैतिक आचार व्यवहार का समाधान, शिक्षा में अभिरुचि, सहयोग भावना, शुभ का सम्मान, स्वतन्त्र चिन्तन, सदाचरण, आहार-व्यवहार की शुद्धि, संघबद्धता, अनुशासन आदि कितनी ही अभिनव प्रवृत्तियों को जन्म देना है। हजार वर्ष की गुलामी के बाद हमारा मानसिक धरातल इतना विपन्न हो गया है कि उसके हर

पहलू में भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। राष्ट्र का नये सिरे से निर्माण करना होगा। यदि जन-मानस में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता के तत्वों का समावेश न हुआ तो आजीविका, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधायें बढ़ते चलने पर भी केवल त्रिपत्तियों, विग्रह एवं अपराधों की ही वृद्धि होगी।

इस नव-निर्माण का आधार भारत की वर्तमान स्थिति में केवल धर्म ही हो सकता है। उसीसे जोड़कर हम आवश्यक विचार परिवर्तन एवं सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन कर सकते हैं। शहरी और मुशिक्षित जनता में भी धर्म को यदि विवेकपूर्ण और बुद्धिसङ्गत ढङ्ग से प्रस्तुत किया जा सके तो वहाँ भी उसे अभीष्ट सम्मान और उचित स्थान मिल सकता है। अस्तु, राष्ट्र की अभिनव रचना में विश्वास रखने वाले हर विचारशील का कर्तव्य है कि राजनीति में जहाँ पहले से ही बहुत घुसपैठ और धक्का-मुक्की है वहाँ प्रवेश करने की अपेक्षा धर्मतन्त्र का अवलम्बन लेकर व्यक्ति के उत्कर्ष एवं समाज के परिष्कार के लिये आगे आये। यह मार्ग यदि प्रबुद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना सकें तो सुधार कार्यों में आशाजनक सफलता मिल सकती है और राष्ट्र के सर्वाङ्गीण नव-निर्माण का प्रयोजन आश्चर्यजनक गति से सम्पन्न हो सकता है।

भारतीय जनता की धर्म-श्रद्धा का आज इतना शोषण और दुरुपयोग हो रहा है कि किसी भी विचारशीलको भारी दुःख हुए बिना नहीं रह सकता। जन-गणना के अनुसार देश के ५६ लाख व्यक्ति साधु-महात्मा और धर्मजीवी का कलेवर ओढ़कर भिक्षावृत्ति करते हैं और तरह-तरह के भ्रम, अन्धविश्वास फैलाते हैं। गरीब जनता इनके निर्वाह का भारी व्यय वहन करती है। यदि यह ५६ लाख जन-शक्ति लोक-मङ्गल में लगाई जा सके तो जिन १ लाख पादरियों ने थोड़े ही दिनों में विश्व की एक तिहाई—एक अरब जनता को ईसाई बना लिया उनकी तुलना में हम ५६ गुना काम अधिक कर सकते हैं। भारत के ७ लाख गाँवों में वह ५६ लाख सेवारत हो जाँय तो हर गाँव पीछे ८ लोकसेवी होंगे। इससे वहाँ की शिक्षा-सदाचार, स्वास्थ्य-स्वच्छता, मूढ़ता-कुप्रथा आदि समस्याओं को देखते-देखते हल किया जा सकता है।

करोड़ों व्यक्ति धर्म के नाम पर ढेरों पैसा, समय और ढेरों श्रम खर्च करते हैं। यदि उनका विवेक-सम्मत और योजनावद्ध उपयोग होने लगे तो उनसे सरकारी विकास योजनाओं की अपेक्षा सौ गुना अधिक कार्य स्वेच्छापूर्वक हो सकता है। हर सोमवती अमावस्या पर गङ्गा स्नान करने प्रायः ५० लाख व्यक्ति आते हैं। हर व्यक्ति के समय तथा खर्च करने का औसत लगाया जाय तो १० करोड़ होता है। ऐसी प्रायः ४-५ सोमवती हर साल पड़ती हैं। उनमें प्रायः ५० करोड़ गया। यदि यह पैसा गङ्गा में पड़ने वाले गन्दे नाले कृषि कार्य के लिये मोड़ देने में लगाया जा सके तो एक साल में ही गङ्गा माता की स्वच्छता और सिंचाई से करोड़ों की आमदनी बढ़ सकती है। ऐसा निर्माणात्मक नेतृत्व यदि धर्मतन्त्र का विवेक वालों ने किया होता तो देश की स्थिति न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती।

मन्दिर-मठों में प्रायः ८०० अरब की चल सम्पत्ति लगी है। हर साल उनकी आय प्रायः ३० अरब रुपया है। जनता जितना सरकारी टैक्स देती है उससे कहीं अधिक यह स्वेच्छा अनुदान है। यदि यह पैसा रचनात्मक प्रवृत्तियों की ओर मोड़ा जा सके तो उससे काया-कल्प जैसा परिवर्तन प्रस्तुत हो सकता है। कथा-सत्सङ्गों के नाम पर जो कुड़ा, करकट जनता के दिमाग में भरा जाता है उसके स्थान पर यदि सच्चे धर्म तत्व, अध्यात्म, नीति, सदाचार, कर्तव्यपरायणता और सामाजिकता का प्रशिक्षण बन पड़े तो सोया हुआ भारतवर्ष एकाकी जग सकता है और आत्म-निर्माण ही नहीं विश्व भर का नेतृत्व करने में समर्थ हो सकता है।

आज धर्मतन्त्र प्रायः प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी और जन-मानस को भ्रम-जंजाल में घसीटने वाले पाखण्डियों के हाथ है। वे धर्म के नाम पर जनता का बुरी तरह शोषण करते हैं और बदले में उन्हें मूढ़ताके जाल-जंजालमें फँसाते रहते हैं। इस परिस्थिति को बदला जाना चाहिये। इसके लिये आलोचना करने या कुड़कुड़ाते रहने से काम नहीं चलेगा। हमें आगे बढ़कर इस अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश करना होगा और जनता को उचित नेतृत्व देकर उस प्रचण्ड जन-शक्ति, श्रद्धा एवं सम्पदा को उपयोगिता की दिशा में प्रस्तुत करना होगा। राजनीति में सुधार के प्रयत्न किये जा रहे हैं सो ठीक हैं। पर इससे अधिक ध्यान दिये जाने योग्य 'धर्म-नीति' है। विवेक का, दूरदर्शिता का यही तकाजा है कि प्रबुद्ध व्यक्ति धर्मतन्त्र स्वयं संभाले और प्रतिगामिता को दानशीलता में बदल दें।

साधु ब्राह्मण समाज अपना कर्तव्य और दायित्व समझें ।

क्र० ८७

अपने देश में साधुओं और ब्राह्मणों के प्रति जनता की भारी श्रद्धा रही है। उनके सम्मान, सत्कार और भरण-पोषण के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है। अब भी किसी अंश में वह परम्परा विद्यमान है। ५६ लाख की विशाल संख्या वाले साधु समाज का निर्वाह, जो सामान्य जन-स्तर से कहीं ऊँचा है—धार्मिक जनता ही वहन करती है। ब्राह्मण वर्ग उस संख्या के अतिरिक्त है। पंडित, पुरोहित, पुजारी, तीर्थ पंडे, कथा-वाचक-कीर्तनकार आदि वर्गों में बँटे हुए उस ब्राह्मण समाज की संख्या भी लगभग इतनी ही हो सकती है जितनी कि साधु समाज की है। साधु ब्राह्मणों को मिलाकर लगभग एक करोड़ हो जाते हैं। ३० करोड़ के लगभग हिन्दू जनता में—हर ३० व्यक्तियों के पीछे एक साधु ब्राह्मण आता है। जिसका निर्वाह इस गरीब देश के भूखे नंगे निवासी बड़ी श्रद्धा और आशा के साथ अपना पेट काट कर करते हैं। भारतीय जनता में इस गये गुजरे जमाने में भी जो धर्म श्रद्धा विद्यमान है उसकी सराहना ही करनी पड़ेगी।

इस श्रद्धा का प्रतिदान देने की जिम्मेदारी अपने साधु ब्राह्मण समाज पर आती है। प्राचीन काल में इस वर्ग के लोग अपने उच्च चरित्र, महान ज्ञान और उदात्त सेवा-भावना का पूरा-पूरा लाभ जनता को देते थे। और स्वयं इतने निस्पृह रहते थे कि भोजन वस्त्र की बात भी भगवान पर छोड़ देते थे, जिसे सचमुच जनता जनार्दन के द्वारा पूरा किया भी जाता था। इस वर्ग का थोड़ा समय ईश्वर उपासना और आत्मबल के परिष्कार में और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान वर्धन में भी लगता था, पर अधिकांश समय तो जन साधारण की भौतिक एवं आत्मिक जीवन की प्रगति में सहायता करते हुए ही बीतता था। यही ऋषि धर्म है। साधु और ब्राह्मण इस पवित्र कर्तव्य में अपने आपको बंधा हुआ मानते थे। उपासना और स्वाध्याय द्वारा बढ़ाया हुआ आत्मबल और ज्ञानबल भी उन्हें अपने स्वार्थ साधन के लिए नहीं वरन् इसलिए अभीष्ट था कि उसके द्वारा लोक मंगल के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकें।

साधु और ब्राह्मण के रूप में लोक सेवियों की एक विशाल सेना समाज को उपलब्ध रहती थी। शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, कलाकार, न्यायाधीश, धर्मोपदेशक, समाज व्यवस्थापक, वैज्ञानिक, अन्वेषक, योद्धा आदि सभी लोक मंगल के लिए अभीष्ट कार्यकर्ता इसी वर्ग में मिल जाते थे। इसलिए जनता उनके भरण-पोषण का भार उठाकर कुछ घाटे में नहीं रहती थी। उसके द्वारा दिया हुआ आर्थिक तथा भावनात्मक अनुदान हजार गुना होकर वापिस लौटता था। इसलिए इस उदारमना अति उपयोगी वर्ग का भाव भरा आदर जन-जन के मन में भरा रहता है। सरकारी भारी खर्च पर जो लोकोपयोगी कार्य आधे अधूरे ढंग से इन दिनों किये जाते हैं वे प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण समाज द्वारा अति स्वल्प खर्च में अति सावधानी और अति उत्कृष्टतापूर्वक सहज ही सम्पन्न होते रहते थे। जनता पर टैक्सों का भार भी नहीं पड़ता था और वे कार्य, जो सरकारों को रो-खीझकर पूरे करने पड़ते हैं प्राचीनकाल में साधु ब्राह्मण वर्ग द्वारा सहज ही पूरे कर दिये जाते थे और समाज दिन-प्रतिदिन समर्थ, सम्पन्न और प्रगतिशील बनता बढ़ता चला जाता था।

अज्ञानी जनता अपना कर्तव्य भूलती तो क्षम्य भी था पर भारत की आत्मा का प्रतीक प्रतिनिधि वर्ग यदि अपने कर्तव्य को भूलें तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ही कहा जायगा। आज ऐसी ही दयनीय दशा इस मूर्धन्य वर्ग

की ही चली है, जिसे देखकर रोना आता है। जनता से येन-केन प्रकारेण अर्थ-लाभ और पूजा सम्मान प्राप्त करने के लिए ही तो ऋषियों ने इस वर्ग की रचना नहीं की थी। विना प्रतिदान के अर्थ लाभ करना तो बहुत ही घृणित है। चोरी से मुफ्तखोरी का पाप बड़ा माना गया है। भिक्षावृत्ति से प्राप्त आजीविका अपंग, असहाय, या लोकसेवी के लिये ही ग्राह्य है। दूसरों के लिए तो वह पतन और तिरस्कार के योग्य ही मानी जाती है। भारतीय तत्त्व वेत्ताओं ने निस्सन्देह साधु ब्राह्मण वर्ग की रचना मुफ्तखोरी के लिए नहीं की है। स्वल्प अनुदान पाकर उसके बदले में असंख्य गुना प्रतिदान देने के लिए ही यह वर्ग सृजे गये थे। यदि उन सृजन कर्त्ताओं को यह अनुमान आभास रहा होता कि जनता में अर्थलाभ और सम्मान पाकर भी यह लोग उसका बदला नहीं चुकायेंगे तो संभवतः उन महान तत्त्व वेत्ताओं ने साधु ब्राह्मण वर्ग को किसी और ही ढाँचे में ढाला होता।

आज उपरोक्त वर्ग में मुफ्तखोरी को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने की अहंता जम गई है। अपने को देवताओं के प्रतिनिधि या पूजा पाठ के जानकार भर घोषित कर, वंश या कुल के नाम पर ही दान दक्षिणा वसूल करने का जो क्रम चल रहा है वह सर्वथा अवाँछनीय है। वंश, वेश या पूजा पाठके आधार पर जनतासे आजीविका या सम्मान पाना अनुचित है। ऐसा लाभ तो उसी को प्राप्त करना चाहिए जो प्राणपण से अपना सारा समय और मनोयोग लोकमंगल के लिए ही नियोजित कर सके। औचित्य अनौचित्य के प्रकाश में हमारे साधु ब्राह्मण समाज को अपनी गति स्थिति को बार-बार परखना चाहिए और समय रहते अपनी रीतिनीति में अन्तर कर लेना चाहिये ताकि इस बुद्धिवादी युग में तिरस्कृत, बहिष्कृत होने से पूर्व ही स्थिति को सुधारा जा सके।

जिन्हें लोक मंगल में रुचि नहीं है और जो जन कल्याण के लिए कुछ कर सकने में अपने आपको अयोग्य असमर्थ मानते हैं उनके लिए यही उचित है कि वेश या वंश के नाम पर दान या भिक्षा लेना तुरन्त बन्द कर दें और सर्व साधारणकी तरह श्रम द्वारा आजीविका चलाते हुए अपनेको उच्च वर्गका प्रतिनिधि होनेका दावा तुरन्त बन्द कर दें।

जिनमें सेवा की बुद्धि उमंग और योग्यता जीवित है वे ही उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे सच्चे साधु ब्राह्मण यदि थोड़े भी बने रहें तो उनका प्राचीन गौरव बना रहेगा और जनता की श्रद्धा आगे भी बनी रहेगी। अन्यथा अगले दिनों इस मूर्धन्य वर्ग को मुफ्तखोरी और अवाँछनीय परम्परा प्रस्तुत करने के अपराध में बुरी तरह तिरस्कृत किया जाने लगेगा।

साधु और ब्राह्मण में अन्तर इतना ही है कि एक वर्ग अविवाहित रहता है दूसरा विवाहित जीवनयापन करता है। लक्ष्य, उद्देश्य और कार्यक्रम दोनों का एक है। इसलिए उन्हें एक ही वर्ग का एक ही स्तर का माना जाता रहा है। दोनों की जीवनचर्या एकसी हो सकती है कि वे जनमानस को ऊँचा उठाने और समाज की सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन करने के लिए अपनी सारी क्षमता और योग्यता नियोजित किये रहें। देश में शिक्षा, साक्षरता की भारी कमी है। बालकों, प्रौढ़ों और नारियों के लिए पूरे समय अपने स्वल्पकाल में चलने वाले शिक्षा प्रयत्नों की गली गली मुहल्ले मुहल्ले जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए सर्वत्र व्यवस्था जुटाई जा सकती है। सामाजिक कुरीतियाँ और अनैतिक दुष्प्रवृत्तियों से जर्जर इस देश को विवेकपूर्ण विचारधारा की पग-पग पर आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षणात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक अनेक प्रयत्न खड़े किये जा सकते हैं। युग निर्माण योजना ने शतसूत्री कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सर्वतोमुखी जो पुण्य प्रक्रिया प्रस्तुत की है उसका एक-एक चरण साधु ब्राह्मणों द्वारा अपनाये जाने कार्यान्वित किये जाने योग्य है। अच्छा हो हमारा सम्मानित साधु ब्राह्मण समाज समय रहते चेतें और अपनी गतिविधियों को उसी दिशा में मोड़ें जिसके लिये उसका सृजन किया गया था।

‘साधु की महान परम्परा और जिम्मेदारी’ पुस्तिका से।

मन्दिर, आस्तिकता और सत्प्रवृत्तियाँ जगाने में लगे

क्र० ८८

विशालकाय मन्दिरों का निर्माण करने की प्रक्रिया भारतीय मनीषियों ने अति महत्वपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिये विनिर्मित की है। भगवान के मन्दिरों की स्थापना करके सर्वसाधारण के मन में आस्तिकता की मान्यतायें परिपुष्ट करना हमारे देवाल्यों का मुख्य प्रयोजन है। आस्तिकता का अर्थ ईश्वर के आदेशों का पालन करना—नैतिक जीवन जीना। दुष्कर्मों से बचे रहना और विश्वात्मा—परमात्मा—को सुरभित बनाने के लिये अपना अधिकाधिक योगदान देना। आस्तिकता का प्रथम चरण जप, ध्यान एवं पूजा-पाठ हो सकता है, पर उसकी पूर्णता भगवान् को, उनके आदेशों को जीवन में घुला देना ही है। नेक, सदाचारी, भला और परमार्थ-परायण जीवन-क्रम ही किसी की आस्तिकता का प्रमाण हो सकता है। इस आस्तिकता के ऊपर ही व्यक्ति और समाज की उत्कृष्टता एवं सुख-शांति निर्भर है। भगवान् हमारे अति समीप अन्तःकरण में विद्यमान है। उसे किसी की निन्दा-स्तुति से कुछ लेना-देना नहीं। उसकी प्रसन्नता, अप्रसन्नता—कृपा—अकृपा—इस बात पर निर्भर है कि कौन उसके आदेशों का कितना पालन करता है। इस तथ्य को समझने वाला सज्जनोचित सदाचारी जीवन ही जियेगा और समाज के प्रति अपने महान् कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए लोक-सङ्गल के लिये अपना बड़ा-चढ़ा अनुदान देने में तत्पर रहेगा। आस्तिकता व्यक्ति और समाज की भावनात्मक भूमिका को ऊँचा उठाने का प्रयोजन पूरा करती है। इसलिये उसे मानव जीवन की एक महती आवश्यकता माना गया है। पूजा-उपासना का सारा कलेवर इसी प्रयोजन के लिये खड़ा किया गया है। मन्दिरों की स्थापना के मूल में मनीषियों का एकमात्र प्रयोजन यही था कि इन धर्म केन्द्रों के द्वारा आस्तिकता के आदर्शों का जन-मानस में व्यापक प्रकाश पहुँचाया जाय।

मन्दिरों के निर्माण में विपुल धन-सम्पत्तियों के लगाये जाने में एकमात्र प्रयोजन यह है कि इन धर्म-केन्द्रों के द्वारा आस्तिकता की सर्वतोमुखी प्रवृत्तियों का विस्तार किया जाय। पूजा-आरती भी वहाँ होती रहे सो ठीक है। लोग दर्शन करने आयें और यह स्मरण करें कि भगवान् की सत्ता इस संसार में विद्यमान है—अस्तु हमें उसके दण्ड से बचने और अनुग्रह को पाने के लिये सज्जनोचित जीवन जीना चाहिये। मनुष्य आस्तिकता की भावना को भूलकर ही कोई कुकर्म कर सकता है। यदि परमात्मा और उसकी न्याय व्यवस्था हमारी स्मृति में बनी रहे तो अनीति की दिशा में एक कदम भी बढ़ सकना सम्भव नहीं। भावनात्मक परिष्कार की दृष्टि से आस्तिकता का भारी महत्व है। व्यक्ति एवं समाज का कल्याण उसी पर निर्भर है। मन्दिरों का प्रयोजन है कि भगवान् की प्रतिमा का दर्शन, पूजन करने के लिये जनसाधारण को आमन्त्रित, आकर्षित करें, साथ ही उन आगन्तुकों में आस्तिकता की मूल मान्यतायें हृदयङ्गम कराने के लिये बहुमुखी प्रवृत्तियों का संचालन करें।

मन्दिर वस्तुतः एक धर्म-केन्द्र है, जहाँ से मनुष्य के भावनात्मक निर्माण के लिये आवश्यक सत्प्रवृत्तियों का संचालन होता रहे। नित्य के कथा-प्रवचन वहाँ इसीलिये होते हैं। जुमा की नमाज के बाद मसजिदों में मुल्ला लोग भाव भरे और दिशा देने वाले प्रवचन करते हैं। गिरजाघरों में पादरी लोग रविवार की प्रार्थना के बाद उपस्थित धर्म प्रेमियों को उनके व्यक्तिगत एवं सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते हैं। हिन्दू धर्म किसी समय सबसे आगे था, वहाँ कथा-प्रवचनों के माध्यम से वह सब कुछ, हर दिन नियमित रूप से सिखाया जाता था, जो समग्र स्थिरता एवं प्रगति के लिये आवश्यक था। इतना ही नहीं, वहाँ पाठशालाओं, पुस्तकालयों, व्यायामशालाओं, सङ्गीत एवं कला-कौशलों की समस्त उन प्रवृत्तियों का संचालन होता था, जो भावनात्मक निर्माण में सहायक हो सकती हैं। सर्वतोमुखी विकास की सम्पूर्ण योजनायें और प्रक्रियायें मन्दिरों के धर्म केन्द्र ही संचालित करते थे। उनका भारी प्रभाव पड़ता था। आस्तिकता की भावनायें किस प्रकार कार्यान्वित की जा सकती हैं? उनका रचनात्मक, व्यावहा-

रिक स्वरूप क्या हो सकता है ? इसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति मन्दिरों में आता था और उनकी उपयोगिता अनुभव करता था। उनके निर्माण को पुण्य कर्म माना और उनमें विपुल धन लगाया जाना, इसलिये उपयुक्त माना जाता था कि उस रचना से अगणित व्यक्ति प्रकाश पाने और समग्र उत्कर्ष पाने के लिये अग्रसर होने में समर्थ होंगे।

धर्म-प्रेमी लोग अपनी उपाजित सम्पत्ति को मन्दिरों के बनाने और उनके चलाने में समर्पित करके अपने को धन्य मानते थे, क्योंकि उससे अच्छा उपयोग पैसे का हो नहीं सकता। जनता भी देव प्रतिमा के आगे कुछ-न-कुछ श्रद्धांजलि अर्पित करती रहती थी, ताकि उस पैसे से रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों का संचालन हो सके। पुजारी लोग पूजा-अर्चा में प्रातः सायंकाल देव प्रतिमा के लिये थोड़ा समय और धन लगाकर शेष सारा समय और पैसा मन्दिर संस्था द्वारा संचालित सत्प्रवृत्तियों में लगाते रहते थे। वे सुयोग्य विद्वान ही नहीं, सदाचारी और लोक-सेवी भी होते थे। उन्हें सामाजिक आवश्यकताओं का ज्ञान रहता था, तदनु रूप वे अपने व्यक्तित्व, प्रभाव एवं श्रम का उपयोग जनमानस की दिशा सुव्यवस्थित करने में लगाते रहते थे। समर्थ गुरु रामदास ने महाराष्ट्र में सैकड़ों महावीर मन्दिर स्थापित किये थे और उन स्रोतों से शिवाजी के स्वतन्त्रता संग्राम के लिए धन एवं जन शक्ति को विपुल मात्रा में उपलब्ध किया था। सिख धर्म के सारे गुरुद्वारे अनुपयुक्त शासन को हटाने में केन्द्र बिन्दु बनकर अपनी स्थापना का महत्व प्रतिपादन करते रहे। बुद्ध-बिहार विश्वव्यापी धर्म प्रसार योजना के सुव्यवस्थित केन्द्र थे। यहाँ सदा से यही परम्परा प्रचलित रही और मन्दिरों ने अविस्मरणीय भूमिका सदा से प्रस्तुत की है।

आज सब कुछ उल्टा हो गया है। मन्दिर केवल शङ्ख घड़ियाल बजाने और आरती उतारने तक सीमित हैं। पुजारी लोग प्रातः सायं की थोड़ी-सी टण्ट-घण्ट करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। उन विशाल इमारतों का कोई उपयोग नहीं और जो प्रचुर धन उसमें लगा हुआ है, वह उन मठाधीशों की व्यक्तिगत सम्पत्ति बनता और उन्हीं के उपयोग में व्यय होता देखा जाता है। किन्हीं प्रेरक प्रवृत्तियों के संचालन की बात भी वहाँ सुनाई नहीं पड़ती। ऐसी दशा में उन्हें प्राण रहित निर्जीव कलेवर की तरह ही जहाँ-तहाँ खड़ा देखा जा सकता है। उपयोगिता खो जाने पर जन-आकर्षण का घट जाना भी स्वाभाविक है। किन्हीं मेले-उत्सव पर थोड़ी भौड़ दीखने के अतिरिक्त नियमित रूप से पहुँचने वाले वहाँ थोड़े से ही रहते हैं। जो पहुँचते हैं वे भी समय काटने की दृष्टि से ही जाते हैं। मिलता इन्हें भी कुछ नहीं। अनुपयोगी चीज सड़ने लगती हैं। इन धर्म स्थानों में धीरे-धीरे अनाचार का प्रवेश जिस प्रकार हो रहा है, उससे दुःख और दोष ही उत्पन्न होते हैं।

अपने मन्दिरों में लगभग सात सौ अरब रुपये की सम्पत्ति लगी है। उनकी दैनिक आमदनी करोड़ों रुपया है। इमारतें इतनी विस्तृत हैं कि उनमें ईसाई मिशन के द्वारा संसार भर में हो रहे कार्यों से भी कई गुने रचनात्मक कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं। करीब एक लाख व्यक्ति उन मन्दिरों की सेवा-पूजा में नियुक्त हैं। इतने व्यक्ति यदि कामके हों और उन्हें रचनात्मक दिशा में लगाया जा सके तो सारे समाजका कायाकल्प हो सकता है। जनता जिस श्रद्धासे इनमें धन चढ़ाती है, उसके अनुरूप यदि धर्म संस्थापना की बहुमुखी प्रवृत्तियाँ भी इनमें सञ्चालित हो सकें तो हमारा समाज कुछ ही दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। साधनों के अभाव में काम रुका रहे यह समझ में आता है, किन्तु प्रचुर साधन होते हुए भी उनका सदुपयोग न हो सके, यह बड़ी लज्जा और पीड़ा की बात है।

समय आ गया है कि इन धर्म केन्द्रों का सदुपयोग करने की दिशा में हम विचार करें और साहसपूर्ण कदम उठायें। जिनके हाथ में मन्दिर की संचालन व्यवस्था है, उन्हें सोचना चाहिये कि—क्या इन केन्द्रों में लगे हुए धन का सही उपयोग हो रहा है ? भगवान् की पूजा उचित है और आवश्यक भी, पर यह अबुद्धिमत्तापूर्ण है कि प्रचुर धन-राशि और जन-शक्ति का उपयोग इतने भर के लिये ही समाप्त हो जाय। ईश्वर-भक्ति, पूजा-आरती तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति और समाज का भावनात्मक उत्कर्ष भी ईश्वर भक्ति का ही अंग है। देश धर्म, समाज और संस्कृति की उत्कृष्टता अभिवर्द्धन के लिये रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। उन्हें ईश्वर-पूजा से कम महत्व का किसी भी प्रकार नहीं समझा जाना चाहिये। मन्दिरों की उपयोगिता तभी अधुण्ण रह सकती है, जब उनमें पूजा के साथ-साथ आस्तिकता के अभिवर्द्धन एवं परिपोषण से सत्प्रवृत्तियाँ भी सञ्चालित होती रहें।

‘मन्दिर जन-जागरण के केन्द्र बनें’ पुस्तिका से।

त्यौहार और संस्कार प्रेरणाप्रद पद्धति से मनाये जाँय

क्र० ८६

—

पर्व, त्यौहारों का प्रचलन मात्र हर्षोत्सव मनाने के लिये विनिमित्त नहीं हुआ है, इनके पीछे समाज-निर्माण की एक अति महत्त्वपूर्ण प्रेरक प्रक्रिया सन्निहित है। किन्हीं पौराणिक कथानकों की स्मृति मात्र के लिये अथवा किसी देवता की पूजा मात्र के लिये पर्वों की समय तथा धन खर्च कराने वाली पद्धति प्रचलित नहीं है, वरन् इनके पीछे मुख्य प्रयोजन यह है कि सामाजिक जीवन की हर समस्या को सुलझाने के लिये वर्ष में कई-कई दिन ऐसे रखे जायें जिन पर इकट्ठे होकर जनता को अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर विचार करने और उनका हल खोजने का अवसर मिले।

हमारा प्रत्येक पर्व समाज की कुछ समस्याओं पर विचार करने और यदि वर्तमान में कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो गई हों तो उनका हल ढूँढ़ने की प्रेरणा देने आता है। प्राचीनकाल में हमारे त्यौहारों का यही स्वरूप था। पर्वों पर हर्षोत्सव मनाने के लिये स्थानीय जनता एक स्थान पर एकत्रित होती थी। पूजा-प्रार्थना के धार्मिक कर्मकांडों के साथ प्रत्येक वैयक्तिक एवम् सामाजिक कार्य सम्बन्ध हों यह अपनी प्राचीन परम्परा है, पर्वोत्सवों के समय पर भी वैसा होता था। धर्मकृत्यों के बाद मनीषी विद्वान् उपस्थित जनता का उद्बोधन करके सामाजिक सत्प्रवृत्तियों को अधुण्य बनाये रखने का उद्बोधन करते थे। तत्कालीन कोई उलझन इस मदर्भ में उत्पन्न हुई दिखाई पड़ती थी तो उसका हल बताते थे। इस प्रकार तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों के सम्बन्ध में आत्म-निरीक्षण और परिष्कार परिमार्जन करने का सहज ही अवसर मिल जाता था। कोई विकृति आँख से ओझल नहीं हो पाती थी। उठते हुए विकारों का तत्काल समाधान निकाल लिया जाता था और सामाजिक प्रखरता में कोई लुट्टि न आने पाती थी। इस प्रकार पर्वोत्सव का मनाया जाना एक वरदान सिद्ध होता था और उन माध्यम से राष्ट्रीय एवम् सामाजिक सुदृढ़ता निरन्तर परिपुष्ट बनी रहती थी।

यों पर्व-त्यौहार अनेक हैं पर उनमें से दस ऐसे हैं, जिन्हें प्रमुखता दी जानी चाहिए। इनमें से हर पर्व के पीछे कुछ महत्त्वपूर्ण सन्देश एवम् प्रयोजन जुड़े हुए हैं। यथा—(१) गुरु-पूर्णिमा—अनुशासन, मर्यादाओं का पालन। (२) श्रावणी—वृक्षारोपण, आत्म-निरीक्षण, भूलों का प्रायश्चित्त और सुधार, नैतिकता का व्रत धारण। (३) पितृ-अमावस्या—बड़ों के प्रति श्रद्धा, सद्व्यवहार, कृतज्ञता, सत्पुरुषों और सत्परम्पराओं का अनुसरण। (४) विजयादशमी—स्वास्थ्य-रक्षा, सङ्गठन मनोबल, शक्ति सञ्चय, अनीति के विरुद्ध संघर्ष। (५) दीपावली—ईमानदारी और परिश्रम-पूर्वक उपाजन, मितव्ययतापूर्वक धन का सदुपयोग। (६) गीता जयन्ती—धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, मानसिक सन्तुलन, दूरदर्शिता। (७) बसन्त-पंचमी—शिक्षा, सद्ज्ञान, संगीत, साहित्य, कला, सुसज्जा। (८) शिवरात्रि—व्यापक सहयोग, समन्वय, नशा निवारण। (९) होली—देशभक्ति, स्वच्छता, समता, विस्तार। (१०) गायत्री जयन्ती—(गंगा-दशहरा)—विवेकशीलता, सद्भावना, आस्तिकता, सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्द्धन।

प्रस्तुत त्यौहारों के पीछे जो इतिहास जुड़े हुए हैं तथा जिन क्रिया-कृत्यों के साथ उन्हें मनाया जाता है, उन पर पैनी दृष्टि डालने से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें मनाये जाने के पीछे किस प्रेरणा एवम् प्रशिक्षण की भूमिका सन्निहित है उस मूल प्रयोजन की रक्षा की जानी चाहिए, जिसके कारण इनका प्रचलन किया गया था। लकीर पीटने से काम न चलेगा। हमें उस प्राचीन परम्परा को पुनर्जीवित करना चाहिए और पर्वों को उसी प्रकार पुनः मनाना आरम्भ करना चाहिए, जैसे कि वह पूर्वकाल में मनाये जाते थे। हर पर्व को मनाने की विधि और व्याख्या, यों छोटी पुस्तिकाओं के रूप में छापी जा चुकी हैं। पर संक्षिप्त में यह जान लेना आवश्यक है कि पर्व वाले दिन व्यक्तिगत रूप से घरों में जो भी क्रिया-कृत्य किया जाता हो, उसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें अधिकाधिक जनता भाग ले, मिल-जुलकर धार्मिक कर्मकांड सम्पन्न किया जाय और इसी

[८६]

सुसज्जित धर्म मंच से पर्व के साथ जुड़ी हुई प्रेरणा पर सुलझे हुए विचारों द्वारा प्रकाश डाला जाय। यदि उस संदर्भ में इन दिनों कुछ विकृतियाँ चल पड़ी हों तो उन्हें सुधारने के लिये लोगों से कहा और उस सुधार का व्यावहारिक मार्ग बताया जाय। इस प्रकार प्रेरक पद्धतिसे बनाये गये यह पर्व-दयौहार लोक-शिक्षणकी अति महत्त्वपूर्ण भूमिका सम्पादित कर सकते हैं। सामाजिक उत्कर्ष के लिये ऐसे लोक-शिक्षण की आज जितनी आवश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं रही। इसलिये प्रबुद्ध व्यक्तियों को धर्म-मञ्च के माध्यम से भारतीय जनता का अभीष्ट मार्ग-दर्शन करने के लिये उन पृथक् परम्पराओं को पुनर्जीवित करने के लिये प्रबल प्रयत्न करना चाहिए।

समाज-शिक्षण की जो आवश्यकता पर्वोत्सवों द्वारा पूरी हो सकती है वही परिवार-प्रशिक्षण के लिये संस्कारों द्वारा सम्पन्न की जा सकती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त भारतीय धर्मानुयायी अपने संस्कार कराते रहते हैं, ताकि उनकी संस्कारवान् परम्परा एवम् सुसंस्कृत मनोभूमि को निरन्तर अक्षुण्ण रखा जा सके। प्राचीन काल में सोलह संस्कार होते थे। अब उनमें से कितने ही असामयिक हो गये। 'गर्भाधान' अब सम्भव नहीं रहा। इसी प्रकार 'कर्णवेध' अनुपयोगी समझा जाने लगा। आज की स्थिति के अनुरूप दस संस्कार पर्याप्त हैं। समय-समय पर यदि उन्हें ठीक तरह मनाया जाने लगे तो उस व्यक्ति को तो सुसंस्कारी बनने का अवसर मिलेगा ही, घर-परिवार के सदस्यों तथा समारोह में उपस्थित लोगों को भी अपने कौटुम्बिक कर्तव्यों की जानकारी एवम् प्रेरणा मिलेगी, यह प्रशिक्षण पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने तथा संयुक्त परिवार प्रणाली को उपयोगी बनाये रखने में बहुत सहायक सिद्ध होगा।

संस्कारों में से प्रत्येक में बहुत कुछ शिक्षा एवम् प्रेरणा भरी पड़ी है, यथा—(१) पुंसवन—गर्भवती स्त्री को उन दिनों की शारीरिक, मानसिक स्थिति ठीक रखने सम्बन्धी शिक्षा तथा घर वालों को तत्सम्बन्धी वातावरण उत्पन्न करने की प्रेरणा। (२) नामकरण—परिवार के बालक को सुसंस्कृत बनाने की विधि-व्यवस्था का शिक्षण। (३) अन्न प्राशन—बालक के आहार सम्बन्धी सतर्कताओं की जानकारी। (४) मुण्डन के बौद्धिक एवम् भावनात्मक विकास की शिक्षा। (५) विद्यारम्भ—शिक्षा की उपयोगिता, दिशा, प्रयोजन एवम् उपलब्धि के आधार पर सिद्धांतों की विवेचना और बालक के लिये उपयुक्त शिक्षा-योजना बनाकर देना। (६) यज्ञोपवीत—मानवता के मूलभूत आदर्शों, कर्तव्यों एवम् आधारों को समझना और पशुता से बचने की दुष्प्रवृत्तियों से बचने की शिक्षा। (७) विवाह—विवाह के उद्देश्य, कर्तव्य एवम् सफलता के सिद्धान्तों से पति-पत्नी को परिचित कराना। गृहस्थ के दायित्वों को निवाहने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की दोनों परिवारों की शिक्षा देना। (८) वानप्रस्थ—वृद्धों के समर्थ होने पर ढलती आयु लोक-सेवा के लिये समर्पित करने की प्रतिज्ञा, उपार्जन का दायित्व घर के समर्थ नये सदस्यों पर छोड़कर स्वयं परमार्थ के कार्यों में लगना। (९) अन्त्येष्टि—मृत शरीर का यज्ञ संस्कार। मानव जीवन के अमूल्य अवसर का सदुपयोग करने की उपस्थित लोगों को शिक्षा। (१०) मरणोत्तर संस्कार—मृत्यु के उपरान्त घर, परिवार की यज्ञ आदि से शुद्धि, दिवंगत आत्मा के सद्गुणों की शिक्षा, उसके छोड़े हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने की योजना एवम् व्यवस्था।

इन संस्कारों का भी पर्वों की भाँति ही विस्तृत कर्मकांड और विधान है, जिनकी छोटी पुस्तिकायें युग-निर्माण योजना द्वारा, प्रस्तुत की गई हैं। उन्हें स्थानीय लोकाचार के अनुरूप बनाया जा सकता है। प्रमुखता कर्मकांड की नहीं, लोक-शिक्षण की है। यह उद्देश्य ध्यान में रखा जाय और उपस्थित लोगों को उस अवसर से सम्बन्धित समस्या को हल करने के लिये प्रशिक्षित किया जाय।

सारे मुहल्ले-गाँव को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से यदि पर्व मनाये जाने लगे और उसमें धर्म-श्रद्धा के आधार पर लोग इकट्ठे होने लगे, तो उस एकत्रीकरण में तयौहार के छिपे हुए समाज-निर्माण के रहस्यों को चतुर वक्ता भली प्रकार समझा सकता है और सामाजिक कुरीतियों एवम् विकृतियों के उन्मूलन तथा स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना के लिये महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बना सकता है।

इसी प्रकार पारिवारिक धर्म गोष्ठियों का सिलसिला संस्कार मनाने की परम्परा पुनर्जीवित करके बड़ी आसानी से प्रचलित किया जा सकता है। घर, परिवार एवम् पड़ोस के थोड़े लोग इकट्ठे हों तो भी उन्हें व्यक्ति-निर्माण एवम् परिवार-निर्माण की रीति-नीति में परिणित किया जा सकता है।

'संस्कारों की पुण्य परम्परा और पर्वों से प्रेरणा ग्रहण करें' पुस्तिका से

जन्म दिवस और विवाह दिवस मनाये जायें

क्र० ६०



सभी अवतार सहस्र कलाओं वाले परब्रह्मा के छोटे-छोटे अंशधर होते हैं। सामान्य मनुष्यों की तुलना में उनमें अपने भीतर अधिक सद्गुण धारण किये होते हैं, इसलिये हम उनकी पूजा और यशगान करते हैं। वैसे हर मनुष्य एक कला का ईश्वरीय अवतार है। यदि वह अपने स्वरूप और महत्व को समझने लगे, अपनी आन्तरिक स्थिति को अधिक प्रखर बनाने में लग जाय, तो उसी क्रम से अपनी कलाओं का अभिवर्धन करता हुआ ईश्वर बनने की पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से उठ सकता है।

वस्तुतः हम अपने आपको भूल गये हैं। हाड़-मांस का बना फिरता शरीर मात्र अपने आपको मानते हैं। अस्तु शरीर से सम्बंधित क्षेत्र में ही अपनी गतिविधियाँ सीमित रखते हैं। शरीर को भूख लगती है, उसे पूरा करने के लिये उपाजर्जन करना होता है। उपाजर्जन के साथ लोभ-लालच की बौद्धिक विकृतियाँ जुड़ जाने से उसकी बहुत लम्बी श्रंखला बन जाती है। इसी कमाई के फेर में जीवन का बहुत भाग नष्ट हो जाता है, यद्यपि यह कमाई पीछे वालों के लिये छोड़नी पड़ती है, अपने कुछ भी काम नहीं आती। शरीर में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, इनके अपने-अपने स्वाद हैं। इन स्वादों की लिप्सा मन को उद्वेलित किये रहती है। इन इन्द्रियों में एक अति प्रबल कामेन्द्रिय है। यह अपनी कामना पूर्ति के लिये मन को बुरी तरह उद्वेलित करती है। इस ललक में हम विवाह तो करते ही हैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ उचित-अनुचित करते रहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं के दबाव से मनुष्य कोल्हू के बँल से भी गई गुजरी स्थिति में जा पहुँचता है। निर्वाह भी आजकल सरल नहीं रहा। उसमें इतनी प्रतिस्पर्धा, द्वेष, दुर्भाव, छल-कपट, अनैति, अत्याचार की मात्रा भर गई है कि उन विकृतियों से उत्पन्न विफलता भी अपने साथ जुड़ी रहती है। यही है आज के जीवन का स्वरूप। ऐसा ही हेय जीवन जीते हुए हम मौत के दिन पूरे करते हैं। रोते हुए खाली हाथ आये थे और ठीक उसी स्थिति में विदा होते हैं।

मनुष्य-जन्म पाना एक दुर्लभ गौभाग्य है। उसमें महान से महान सम्भावनायें तथा शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। इसमें इतना अवसर है कि प्राप्त उपलब्धियों का यदि सदुपयोग किया जा सके तो निकृष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ मनुष्य भी ऐसे कार्य कर सकता है जिससे उसे महामानव, नररत्न, पृथ्वी का देवता, देवदूत, साक्षात् भगवान् कहा जा सके। इस प्रकार की उत्कृष्ट गतिविधि को अपना सकना अति सरल और स्वाभाविक है। निकृष्ट जीवन जीने में जितनी चतुरता, खींचतान और कठिनाई आती है, उसका सौवाँ भाग भी जीव को ईश्वर की दिशा में चलते हुए नहीं आती। जीवन को धन्य बना सकने की योग्यता, धमता, बुद्धि और हिम्मत मनुष्य में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। एक कला का ईश्वर अशक्त नहीं हो सकता। उसके पास बहुत कुछ है, पर जो है उसका सही उपयोग हम कर नहीं पाते, करना नहीं चाहते। इसी विडम्बना को माया कहते हैं। माया के चंगुल में फँसा हुआ प्राणी कीड़े-मकोड़ों की मौत मरता है, और यह अलभ्य अवसर यों ही विनष्ट हो जाता है।

मानव जीवन जैसा महत्वपूर्ण अवसर पशुओं जैसी शरीररचया में व्यतीत हो जाय तो उसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ही कहा जा सकता है। वस्तुतः हम अपने स्वरूप को, कर्त्तव्य को, उद्देश्य को, भविष्य को बुरी तरह भूल गये हैं। शरीर की वासना और मन की तृष्णा पूरी करने के लिये ही निरन्तर जुटे रहते हैं, आत्मा की आवश्यकताओं के बारे में सोचने की तो क्षण मात्र फुरसत नहीं मिलती। बहुत हुआ तो एकाध माला सटका देने या राई-रत्ती पूजा-पत्नी का थोड़ा सा खेल-मेल करके सन्तुष्ट हो जाते हैं। इन बाल क्रीड़ाओं से कुछ प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है। जीवन मिला है तो उसका लाभ भी लेना चाहिये। लाभ तब मिले जब हम उसके स्वरूप, कर्त्तव्य और लक्ष्य को समझें। आत्म विस्मृत को समस्त पापों और दुःखों की जननी कहा जाता है। ज्ञान का उपदेश करते हुए तत्त्वदर्शियों ने मनुष्य

को हजार बार एक ही उपदेश दिया है—अपने को जानो, अपने सम्बन्ध में विचार करो और अपनी सही दिशा निर्धारण करके उस पर चल पड़ो।

यह निरन्तर विचारा जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस सम्बन्ध में अधिक चिन्तन करने के लिए एक भावपूर्ण हर्षोत्सव से जुड़ा हुआ पुनीत पर्व भी नियत है—उसका नाम है जन्म-दिन पर व्यक्तिगत जीवन में जन्म-दिन से बढ़कर सन्तोष, उल्लास एवं प्रकाश से भरा दूसरा त्यौहार नहीं हो सकता। सन्तोष इस बात का कि ८४ लाख वर्ष बाद हम एक अलभ्य अवसर प्राप्त कर सके हैं। उल्लास इस बात का कि हम चाहें तो अपनी दिशा बदलकर आज की तुलना में लाख गुनी मङ्गलमयी परिस्थितियाँ प्राप्त कर सकने की क्षमता से ओत-प्रोत हैं। प्रकाश इस बात का कि शरीर तथा मन की गतिविधियों को सही दिशा में नियोजित कर सकना सम्भव हो रहा है और अपना कायाकल्प दिखाई दे सकता है।

संसार भर के सभ्य देशों में जन्म-दिन मनाने की प्रथा है। स्वजन सम्बन्धी एवं मित्र मिलकर उस दिन एक हर्षोत्सव मनाते हैं और उस व्यक्ति की प्रगति एवं सुख-शांति की कामना करते हैं। यह प्रचलन अपने यहाँ भी होना चाहिये। अपना चेहरा शीशे में बार-बार देखने की इच्छा होती है, अपना फोटो प्रिय लगता है, अपने नाम की चर्चा होने या छपने से मजा आता है। अपनत्व संसार में सबसे प्रिय वस्तु है। इस अपनेपन के वातावरण का शुभ दिन भी हमारे लिये आकर्षक एवं उल्लास भरा हो सकता है, होना चाहिये।

युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत जन्म-दिन मनाने पर बहुत जोर दिया गया। पूजन, हवन, घृत दीप, संगीत, प्रवचन, आशीर्वाद आदि की एक मिश्रित पद्धति भी है, जिसे सभी सदस्य जानते हैं। उस पद्धति से अपनी-अपनी विवेक-बुद्धि से जन्म-दिन के आयोजन सर्वत्र मनाये जाने चाहिये। व्यक्ति को स्वयं यह आयोजन करने में संकोच लगे, तो युग-निर्माण योजना की शाखायें अपने सदस्यों के जन्म-दिन मनाने की व्यवस्था इस तरह करें, जिससे खर्च न्यूनतम पड़े और उत्सव का स्वरूप अधिक से अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली बन सके। आनन्द और उल्लास के अवसरों का बढ़ाना भी शोक संतप्त मानव जाति की एक महती सेवा ही मानी जायगी। यह प्रथा-परम्परा प्रचलित करने में हममें से प्रत्येक को पूरा उत्साह दिखाना और प्रयत्न करना चाहिये।

जन्म-दिन मनाने का वास्तविक लाभ तब है जब वह व्यक्ति आत्म-चिन्तन करे और आत्म-सुधार, आत्म-निर्माण एवं आत्म-विकास की सुव्यवस्थित योजना बनाकर उस पर चल पड़ने का साहस दिखावे। इस अवसर पर ऐसे ही संगीत तथा प्रवचनों का तारतम्य होना चाहिये। जिनमें जीवन की महिमा समझने तथा उस अलभ्य अवसर का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिले। भजन भर करने की बात उस सन्दर्भ में पूरी नहीं रहेगी। जीवन सुधार तथा लोक-मंगल के लिये साहसपूर्ण कार्य किये बिना, जीवन की सार्थकता भजन करते रहने पर भी संभव नहीं हो सकती, यह तथ्य इस अवसर पर भली प्रकार प्रतिपादित किया जाना चाहिये। देखने में यह एक हर्षोत्सव मात्र है, पर आध्यात्मिक जागरण एवं भावनात्मक नव निर्माण की महान संभावनायें उसमें सन्निहित हैं। इसलिये जन्म-दिन मनाने की प्रथा चलाये जाने के लिये प्रबल प्रयत्न किये जाने चाहिये।

जन्म-दिन की भाँति विवाह-दिन का भी महत्व है। विवाह सामाजिक जीवन का शिलान्यास है। विवाह की आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता अधुण्य रखने पर ही बच्चों का तथा समस्त परिवार का भावनात्मक विकास निर्भर है। लोग आमतौर से विवाह के साथ जुड़े हुए कर्त्तव्यों एवं प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं और अवाञ्छनीय गतिविधियाँ अपनाने लगते हैं। विवाह-दिवसोत्सव मनाकर उन कर्त्तव्यों एवं प्रतिज्ञाओं का पुनःस्मरण किया और कराया जा सकता है। उसकी भी पद्धति युग-निर्माण शाखाओं को विदित है। प्रयत्न यह भी होना चाहिये कि विवाह-दिवसोत्सव भी मनाये जावें और दाम्पत्य जीवन में हर साल एक नई उमंग, नई भावना एवं नई प्रेरणा उत्पन्न की जाये। इस प्रकार सरस और प्रखर दाम्पत्य जीवन, परिवार निर्माण की दिशा में अति प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। जन्म-दिनों की तरह विवाह-दिन भी मनाने की प्रथा को हमें एक व्यापक परम्परा बनाने के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।

‘जन्म दिवसोत्सव और विवाह दिवसोत्सव’ पुस्तिका से

गायत्री और यज्ञ--भारतीय धर्म-संस्कृति के माता-पिता

क्र० ६१

गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है, भारतीय तत्त्व-ज्ञान का सार मर्म इन्हीं दो तथ्यों में समाया हुआ है। इसलिये गायत्री और यज्ञ को हम अनादि काल से अपने आध्यात्मिक माता-पिता मानते रहे हैं।

गायत्री महामन्त्र उपासना की दृष्टि से परम सामर्थ्यवान् है। शास्त्रकारों ने उसके पाँच मुख, पाँच नाम बताये हैं—(१) अमृत, (२) पारस, (३) कल्पवृक्ष, (४) कामधेनु, (५) ब्रह्मा। इन पाँचों द्वारा जो लाभ उठाये जा सकते हैं, उन सभी को दे सकने की क्षमता इस महामन्त्र में विद्यमान है। मनुष्य के भीतर अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनन्दमय कोश यह परम सामर्थ्यवान् पाँच आवरण हैं। इन पाँचों में अगणित रहस्यमय शक्तियाँ सन्निहित हैं, उन्हें जगाने के लिये गायत्री उपासना से बढ़कर और कोई साधना नहीं। षट्चक्रों का भेदन, कुण्डलिनी जागरण, स्थूल-सूक्ष्म और कारण शरीरों का परिशोधन तथा १२ महत्त्वपूर्ण योग साधनाओं की सफल साधना गायत्री के माध्यम से ही की जाती है। इस महाशक्ति को तन्त्र-मार्ग से प्रयुक्त करके आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं योग-साधना का केन्द्र-बिन्दु अपने धर्म में गायत्री महामन्त्र ही रहा है।

आत्म-बल बढ़ाने और आत्म-परिशोधन का यह सार्वजनिक सार्वभौम मन्त्र है। इसकी उपासना नर-नारी, बाल-वृद्ध कोई भी कर सकता है। बुद्धि को प्रकाशवान् और प्रखर बनाना, अन्तःकरण में ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्रकाशवान् करना गायत्री की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिये भारतीय धर्म के हर अनुयायी को नित्य इस मन्त्र की उपासना अनिवार्य बताई गई है। जो इसमें उपेक्षा करता है, उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई है। कोई किसी देवता या मन्त्र की साधना भले ही करता हो पर उसे सबसे पहले गायत्री द्वारा अन्तःकरण चतुष्टय तथा इन्द्रिय समूह को शुद्ध करना पड़ता है, इसके बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। कष्ट, सङ्कट, विपत्ति और चिन्ताजनक उलझनों में फँसे हुए व्यक्ति इस साधना का आश्रय लेकर अपनी समस्याओं को हल करते और उलझनों को सुलझाने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। निराशाजनक परिस्थितियों में आशा का प्रकाश उत्पन्न करने एवम् विपन्नता को सम्पन्नता में बदल देने की शक्ति इस महामन्त्र में किस सीमा तक भरी पड़ी है, उसकी परीक्षा कोई भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गायत्री मन्त्र की उपासना करके कभी भी कर सकता है।

भारतीय धर्म का सारा विस्तार वेदों से हुआ है, और चारों वेद गायत्री के चारों चरणों की व्याख्या मात्र हैं। बीज रूप से गायत्री में वह सब मौजूद है, जो हमारे धर्म-ग्रन्थों में कहा, समझाया गया है। इस मन्त्र के २४ अक्षरों की व्याख्या की जाय तो उनमें नीति, धर्म, सदाचरण, लोक-व्यवहार की ऐसी शिक्षायें ओत-प्रोत मिलेंगी जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपना लोक और परलोक सुख-शांतिमय बना सकता है। विवेक-बुद्धि को प्राथमिकता देना और उसे सर्वोपरि ईश्वरीय सन्देश मानना गायत्री का सार है। यह मन्त्र हमें विवेकवान्, विचारशील एवम् हंस की तरह नीर-शीर का विवेक करते हुए, अनुचित को त्यागने एवम् उचित को अपनाने का निर्देश करता है। माता के रूप में गायत्री की प्रतिमा बनाकर यह प्रतिपादन किया जाता है कि नारी की पवित्रता एवम् सत्ता नर की अपेक्षा अधिक है। इसलिये उसे हर क्षेत्र में अधिक श्रेय, सम्पन्नता प्रदान किया जाना चाहिए। गायत्री का तत्त्व-ज्ञान अपनाकर यदि हम दूरदर्शी, विवेकशील एवम् नीतिवान् बन सकें और नारी के प्रति अति पवित्र बुद्धि रखें तो इस धरती पर स्वर्ग के अवतरण की सम्भावनायें मूर्तिमान् कर सकते हैं।

हमें नित्य नियमित रूप से गायत्री-उपासना के लिये थोड़ा समय निकालते रहना चाहिए और घर, परिवार में यह प्रथा-परम्परा चलानी चाहिए कि घर का हर सदस्य नित्य गायत्री मन्त्र की साधना किया करे, भले ही वह पाँच

मिनट भर ही क्यों न हो ।

गायत्री माता के रूप में ईश्वर की उपासना करने से प्रेम का सर्वोपरि केन्द्र-बिन्दु मातृ-हृदय की भावना करने का अवसर हमें मिलता है । जिस रूप में हम भगवान् को भजते हैं, वे उसी की अनुभूति प्रदान करते हैं । स्नेहमयी माता का ध्यान हमें वात्सल्य की भाव भरी अनुभूतियों में पुलकित कर देता है । जिन्हें माता के रूप में गायत्री महा-शक्ति की उपासना में निराकार-साकार के झंझट को लेकर कुछ आपत्ति हो वे प्रातःकाल उदय होते हुए समस्त प्राणियों को प्राण प्रदान करने वाले परम तेजस्वी सूर्य का ध्यान करते हुए, गायत्री मन्त्र का ध्यान कर सकते हैं । पूजा की विधि अति सरल है । शरीर को शुद्ध कर, स्वच्छ स्थान एवम् शांत वातावरण में आसन बिछाकर बैठना चाहिए । आचमन के लिये जल और प्रकाश एवम् ऊर्जा के लिये अगरबत्ती आदि से अग्नि की स्थापना सम्भव हो तो और भी उत्तम है । पवित्रीकरण, आचमन आदि क्रियाओं के बाद भगवान् की समीपता का ध्यान करते हुए गायत्री मन्त्र का जप करना चाहिए, नियत संख्या, नियत समय का ध्यान रखना चाहिये और अन्त में सूर्य की दिशा में जल का अर्घ देकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए । यों गायत्री महाविज्ञान' ग्रन्थ में उपासना के विस्तृत योग एवम् तन्त्र मार्ग के प्रयोग लिखे हैं पर सर्वसाधारण का काम उपरोक्त संक्षिप्त विधि से भी चल सकता है ।

गायत्री का पूरक यज्ञ है । एक अतीव महत्त्वपूर्ण विज्ञान है, जो विश्व-व्यापी चेतन जगत् को प्रभावित करता है । जड़-जगत् को प्रभावित करने वाली अनेक वैज्ञानिक प्रक्रियायें हैं । सर्दों को गर्मी में बदलने वाले हीटर और गर्मी को सर्दों में बदलने वाले कूलर अपना चमत्कार दिखलाते हैं । अँधेरे को रोशनी में बदलने वाली बिजली का लाभ हर कोई जानता है । पर मानवीय चेतना और विश्व-व्यापी चेतना को प्रभावित करने वाली यज्ञ-विद्या के बारे में बहुत ही कम जानकारी शेष रह गई है । प्राचीनकाल का अध्यात्मवादी विज्ञान अपनी सक्रियता के लिये महत्त्वपूर्ण सहायता यज्ञीय ऊर्जा से ग्रहण करता था । शारीरिक ही नहीं, मानसिक रोगों के निवारण की अमोघ क्षमता यज्ञीय प्रक्रिया में मौजूद है । व्यक्तिगत तथा सामूहिक सङ्कटों का निवारण करनेवाली शक्तिशाली ऊर्जा यज्ञों के द्वारा वातावरण में संब्याप्त कराई जा सकती है । प्रकृतिगत वातावरण उसके द्वारा बदला जा सकता है । पर आज तो वह सारा विज्ञान ही विस्मृत हो गया । उसकी शोध पुनः की जानी चाहिए और इस अति सरल, किन्तु अति महत्त्वपूर्ण विज्ञान का सर्वसाधारण की सुख-शांति बढ़ाने के लिये उपयोग किया जाना चाहिए । यह कार्य शोधकर्त्ता अध्यात्म विज्ञानियों का है कि वे अपनी लुप्त विद्याओं का अन्वेषण कर उन्हें पुनः प्राप्त करें और उनके द्वारा मानवीय प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दें । यह कार्य कुछ ही दिन बाद हम आरम्भ करने वाले हैं और आशा करनी चाहिये कि यज्ञ विद्या के माध्यम से मानव-जाति को एक अति नवीन, अति प्राचीन, अति महत्त्वपूर्ण शक्ति हाथ लगेगी और उसके माध्यम से हम अपने खोये हुए वर्चस्व को पुनः प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे ।

यज्ञ-दर्शन की प्रबल प्रेरणा यह है कि मनुष्य यज्ञीय जीवन जियें । जिस प्रकार हवन-कुण्ड में लपटें उठती हैं, उसी प्रकार हमारे अन्तःकरण में शौर्य, साहस, विवेक, सत्य, कर्तव्य आदि सद्गुणों की प्रखरता दीप्तिमान् रहे । जिस प्रकार हवन के द्वारा वायु-मण्डल मुगन्धित होता है, उसी प्रकार हमारा कर्तृत्व, दया, करुणा, सेवा, सहायता, उदारता, स्नेह और सहृदयता की भावनाओं से ओत-प्रोत होता हो । उम कर्तृत्व के द्वारा सहयोग, सद्भावना का— सुख-शांति का वातावरण बने, इसका प्रयत्न किया जाना चाहिये । यज्ञ पवित्रता और प्रखरता का प्रतीक है और यज्ञ-भूजकों की विचारधारा एवम् क्रिया-पद्धति इन्हीं मान्यताओं से ओत-प्रोत होनी चाहिए । व्यक्तिगत सुख-सुविधा को घी, शक्कर, औषधियाँ आदि का हवन करके हम सुखदायी वायुमण्डल बनाने और उनका लाभ समस्त प्राणियों को देने की भावना रखते हैं, उसी प्रकार हमारा समस्त जीवन यज्ञमय बने और उसका लाभ समस्त संसार के समस्त प्राणियों को मिले, यह उमङ्ग भी निरन्तर मन में उठती रहनी चाहिये । अग्नि होत्र की धार्मिक प्रक्रिया जीवन को यज्ञमय बनाने के आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रकट कर सकें, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । गायत्री और यज्ञ का युग हमारी संस्कृति और धर्म के जनक हैं, उनका समुचित प्रभाव हमारे जीवन पर बना रहे यही उचित है ।

‘गायत्री यज्ञों की विधि व्याख्या, विधि ध्यवस्था’ पुस्तिकाओं से

गायत्री यज्ञ-आन्दोलन-एक महान् रचनात्मक अभियान

क्र० ६२



यों यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, अलग-अलग देवी-देवताओं तथा मन्त्रों के हिसाब से उनके अलग-अलग नाम और विधान भी हैं। पर वह सब तो सकाम कामनाओं विविध प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किए गए सम्प्रदाय विशेष की अनगढ़ गढ़न्तें ही हैं। यह शब्द का व्यापक प्रयोजन 'गायत्री यज्ञ' से ही जुड़ा हुआ है। यद्यपि अति प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि सभी छोटे-बड़े यज्ञ गायत्री महामन्त्र के माध्यम से ही सम्पन्न होते रहे हैं और उन्हें गायत्री यज्ञ के नाम से ही सम्बोधित किया जाता रहा है। गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। गायत्री तत्त्व ज्ञान, विवेकशीलता और सद्भावना की देवी है और यज्ञ संयम, उत्कर्ष एवं संतुलन का देवता। इन दोनों के समन्वय से ही परिपूर्ण मानवता और समर्थ सामाजिकता का उद्भव हो सकता है। अतः भारतीय धर्मावलम्बियों ने सदा से अपने शुभ कर्मों के साथ गायत्री यज्ञों को जोड़े रखा है। अपनी महत्त्वपूर्ण सृजनात्मक प्रवृत्तियों का शुभारम्भ भी इसी धर्मकृत्य के साथ होता रहा है।

अव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति का एकीकरण, सुधार एवं संतुलन करने के लिए समय-समय पर अश्वमेध जैसे राजसूय यज्ञों के नाम पर प्रचण्ड आन्दोलन, सम्मेलन एवं अभियान खड़े किए जाते थे और अव्यवस्थित, नैतिक सामाजिक परिस्थितियों का पुनर्गठन एवं विकृतियों का निराकरण कराने के लिए वाजपेय यज्ञों की योजना बनती थी। आज की स्थिति में देश की ही नहीं समस्त विश्व की नैतिक आस्थायें, बौद्धिक दिशायें एवं सामाजिक विधि व्यवस्थाएँ बुरी तरह लड़खड़ाने लगी हैं। उनका पुनः उपयोग करने के लिए प्राचीन काल के वाजपेय यज्ञों की परम्पराएँ अपना गायत्री यज्ञ आन्दोलन नई उमंगें, नई दिशाएँ और नई योजनाओं के साथ प्रस्तुत हुआ है। इसे पण्डा-पुजारियों की लूट-खसोट के लिए आए दिन होते रहने वाले विडम्बनात्मक यज्ञ-हवनों से सर्वथा पृथक और सर्वथा भिन्न प्रयोजन का एक अतीव क्रांतिकारी और नव निर्माण की विशाल योजनाएँ लेकर प्रस्तुत हुआ इस युग का एक अद्भुत और अनुपम आन्दोलन ही समझा और कहा जा सकता है।

गायत्री 'यज्ञ' यों पूजा पाठ की एक धर्म प्रक्रिया मात्र मालूम पड़ती है और समझा जाता है कि उसके माध्यम से देवताओं की प्रसन्नता, वायुशुद्धि, मनोविकारों का शमन, प्राणप्रद वर्षा जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। पर यज्ञ को अपनी संस्कृति में जो इतना महत्त्व दिया गया है उसे धर्म का जनक कहा गया है उसका प्रधान कारण यह है कि इस माध्यम से यज्ञीय जीवन जीने की और समाज में यज्ञीय परम्पराओं के प्रचलन का लोक शिक्षण किया जा सकता है। वायुशुद्धि, देव पूजा, आरोग्य संवर्धन जैसे लाभों के अतिरिक्त यह भावात्मक उत्कर्ष एवं लोक-शिक्षण ही वह कारण है जिसने भारतीय धर्म में 'यज्ञ' शब्द को परम पवित्र वाचकों में गिनाया गया है और उसे अति उच्चकोटि की श्रद्धा के साथ सम्मानित किया गया था। अपना कोई व्रत, पर्व, त्यौहार, संस्कार एवं शुभ कर्म ऐसा नहीं जो यज्ञ के बिना सम्पन्न होता है मरने के बाद हिन्दू की अन्त्येष्टि जिस यज्ञ विधि के साथ सम्पन्न की जाती है वह आज कितनी ही भोंडी क्यों न हो गई हो स्मरण यही दिलाती है—भारतीय जीवन का आदि और अन्त यज्ञ के साथ ही होता रहा है—होना चाहिए।

यज्ञ शब्द का अर्थ है—त्याग, सेवा, प्रेम, सहयोग, सदाचारण और उदात्त दृष्टिकोण। इन प्रवृत्तियों को व्यक्तिगत जीवन में समन्वय कर लेने से समान स्तर का मनुष्य भी देवोपम मनोभूमि एवं परिस्थितियों का सृजन कर सकता है। वह जिनके भी सम्पर्क में आवेगा उन्हें प्रसन्नता, प्रकाश एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगा स्वयं तो आत्म-शांति और लोक-श्रद्धा का अनुभव करता ही रहेगा। व्यक्ति के जीवन्तोत्सर्ग से तत्त्व-ज्ञान इतना अधिक योगदान दे सकता है कि उसकी यदि लोहे के पारस छूकर स्वर्ण बनने की बात से तुलना की जाय तो कुछ अत्युक्ति न होगी।

सामूहिक जीवन का—समाज का—विकास क्रम पूर्णतया पारस्परिक सद्भावना और सहकारिता पर अवलम्बित है। संगठित, चरित्रवान् और आदर्शों को प्रधानता देने वाले समाज ही समर्थ और समृद्ध हो सकते हैं। इसलिये सामाजिक विकाश की आधार शिला—यज्ञीय प्रवृत्ति के जन-मानस और लोक-आचार से स्थान मिलना ही चाहिये। इस प्रवृत्ति के देशभक्त लोक सेवा, जय मंगल आदि नाम भी दिये जा सकते हैं। धार्मिक भाषा में इसे ही यज्ञीय परम्परा कहते हैं। यज्ञ आयोजनों के कर्मकाण्ड के साथ-साथ उसकी व्याख्या करते हुए जन समुदाय को यह बहुत ही आसानी और सफलता के साथ समझाया जा सकता है कि किस प्रकार व्यक्ति और समाज को यज्ञीय ढाँचे में ढाला जा सकता है और व्यक्ति में देवत्व और समाज में स्वर्गीय वातावरण का सृजन किया जा सकता है। अपना गायत्री यज्ञ आन्दोलन धार्मिक पृष्ठभूमि में आवृत विशाल जन सम्मेलनों द्वारा व्यक्ति और समाज को आदर्शवादी परम्पराओं की ओर उन्मुख करने के लिये तत्परतापूर्वक प्रयत्नशील है। जानने वाले जानते हैं कि धार्मिक मनोवृत्ति की भारतीय जनता में अपना यह पुण्य-प्रयोजन कितना लोकप्रिय और कितना सफल हुआ है।

यज्ञीय कर्मकाण्डों में खाद्य पदार्थ जलने की व्यर्थता पर अक्सर आलोचनाएँ होती हैं। अपने यज्ञों में वैसे अक्सर पहले से ही नहीं आने दिया है। अन्न का एक दाना भी नहीं होमा जाता वरन् सुगन्धित वनस्पतियों की सामग्री ही काम में आती है। और धी की मात्रा भी इतनी प्रतिबन्धित और न्यून रहती है कि प्रयोजन की महानता को देखते हुए वह थोड़ा-सा खर्च किसी भी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता। समूह एकत्रित करने के लिए अब तक प्रयोग किये जाने वाले विविध क्रिया-कलापों में आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो अपने यज्ञ प्रयोजन सबसे सस्ते बँठते हैं। इस प्रकार उसके साथ जितने दूरगामी सत्य परिणाम जुड़े हुये हैं जिन्हें देखते हुए उस खर्च को हर विचारशील आलोचना का विषय न मानकर मुक्त कण्ठ से प्रशंसा ही कर सकता है।

गायत्री यज्ञ आयोजन में उपस्थित जनता को जहाँ व्यक्तिगत जीवन में से अनैतिक आचरण और सामाजिक जीवन में से अवांछनीय गतिविधियाँ हटाने के लिए भाषणान्वित किया जाता है और यज्ञ वेदी पर ऐसी प्रतिज्ञाएँ भी कराई जाती हैं जिनसे व्यक्ति की निर्मलता और समाज की समर्थता का अभिवर्धन होता है। हर कोई जानता है कि अपने हर यज्ञ में सहस्रों बार नर-नारी अपनी अवांछनीय कुप्रवृत्तियों को किस उत्साह के साथ सदा के लिए परित्याग कर कर्त्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने के लिए व्रत धारण करते हैं और सामाजिक कुरीतियों एवं राष्ट्रीय दुर्बलताओं को पदच्युत करने के लिए जोश आवेश के साथ कार्य-क्रम बनाते हैं। इन सम्मेलनों के बाद उन क्षेत्रों में सृजनात्मक सत्प्रवृत्तियों की कौसी बाढ़ आती है इसे देखकर आलोचकों को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि यह आन्दोलन वर्तमान के सभी सृजनात्मक आन्दोलनों में अपने ढङ्ग का अनुपम है और देश की मनोभूमि को समझते हुए अपने कार्यक्रम बनाने की दूर-दर्शिता के कारण असाधारण रीति से सफल है।

देश में परिष्कृत नागरिकता, उत्कृष्ट विचारणा, उदात्त आस्था एवं लोक-मंगल की निष्ठा और उमङ्गभर प्रचण्ड सृजनात्मक तत्परता उत्पन्न करने में अ० भा० गायत्री परिवार के तत्त्वावधान में चल रहे यज्ञ आन्दोलन ने थोड़े ही समय में जैसी सफलता पाई है उसे देखते हुए यह आशा प्रगाढ़ विश्वास के रूप में परिणित होती जाती है कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग अवतरण करने के अपने स्वप्न साकार होकर रहेंगे।

—‘गायत्री मन्त्रों की विधि, व्यवस्था’ पुस्तिका से।

* शिखा भारतीय संस्कृति की धर्म ध्वजा *

क्र० ६३



भारतीय सभ्यता और संस्कृति के दो प्रमुख प्रतीक हैं एक शिखा (चोटी) दूसरा सूत्र (यज्ञोपवीत)। अपने यहाँ इन दो प्रतीकों को हटा देना ही धर्म परिवर्तन का—धर्मच्युत होने का संकेत माना जाता रहा है। जिन दिनों बल-पूर्वक इस्लाम फैलाया जा रहा था उन दिनों यही प्रक्रिया चलती थी कि चोटी काट दी जाय और जनेऊ तोड़ दिया जाय, बम इतने भर से यह मान लिया जाता था कि जिनने यह प्रतीक हटा दिए उनने हिन्दू धर्म छोड़ दिया। उन वलात् धर्म परिवर्तन के दिनों में लोगों ने चोटी कटाने का प्रश्न सामने आने पर यही कहा—“कटनी ही है तो सिर सहित चोटी कटेगी।” वैसे ही हुआ भी। लोगों ने बोटी-बोटी नुचवादी पर चोटी नहीं कटवाई।

राणा प्रताप और शिवाजी जैसे धर्मरक्षकों ने चोटी और जनेऊ की रक्षा के लिए अपने बहुमूल्य जीवन सङ्कट में डाले और जन साधारण में साहम भरा कि अपने धर्म और उसके प्रतीकों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। अति प्राचीन काल में जो लोग इन प्रतीकों के प्रति उपेक्षा, अनादर और आलस्य बरतते थे, इन्हें धारण नहीं करते थे उन्हें सामाजिक बहिष्कार का दण्ड भुगतना पड़ता था। शिखा स्थापना—मुण्डन संस्कार—अपने धर्म में एक पवित्र एवं आवश्यक परम्परा है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत धारण का धर्म-कृत्य भी उच्च वर्ण वाले लोगों में बड़े सम्म-रोहपूर्वक मनाया जाता है और उसमें विवाह संस्कार जैसा खर्चिला समारोह होता है। वस्तुतः यह दोनों ही परम्प-राएँ—धारणाएँ अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए संस्कार समारोहों की आवश्यकता समझी गई तो यह उचित ही था।

आज कुछ विचित्र हवा चली है और इन दोनों धर्म प्रतीकों को निरर्थक माना जाने लगा है। अन्य सभी धर्मों के निष्ठावान युवक अपने प्रतीकों को गर्व और गौरव के साथ धारण करते हैं। पर अपने लोग अपनी उपयोगी धर्म परम्पराओं की खेदजनक उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। ईसाई युवक ईसा की फाँसी की प्रतीक 'टाई' को गले में बाँधते हैं। मुसलमान युवक अपनी मूँछें, पोशाक, मुन्नत आदि की उपेक्षा नहीं करते, सिख युवकों को केश, कड़ा आदि धारण किए ही पाया जायगा, पर हिन्दू धर्मन्यायियों को न जाने क्या हो गया है कि वे अपनी संस्कृति को तिलांजलि देते हुए अपने उन पुण्य प्रतीकों का परित्याग करते चले जा रहे हैं, जिनकी रक्षा के लिए अपने पूर्वजों ने बड़े से बड़े बलिदान करने में भी हिचक नहीं की थी। अब तो कुछ वर्षों से हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही एक ऐसा प्रथ निकल पड़ा है जो चोटी, जनेऊ त्यागने का उपदेश अपने अनुयायियों को करता है। समय की विपरीतता को कोई क्या करे ?

शिखा संरक्षण का वैज्ञानिक महत्व है। लघु और दीर्घ मस्तिष्कों के जोड़ने वाले केन्द्र बिन्दु को अति महत्वपूर्ण मर्मस्थल माना गया है। समस्त मानसिक शक्तियों का उद्भव यही है। यहाँ जो बाल उगते हैं उनकी जड़ें उन चेतना केन्द्रों तक चली गई हैं जो हमें बुद्धिमान और मनस्वी बनाते हैं। इस स्थान के वालों की निरन्तर वृद्धि होनी चाहिए। काटने से उस मर्म स्थल की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और बुद्धिमत्ता के केन्द्र डगमगाने लगते हैं। बुद्धिमत्ता मानव जीवन का महत्वपूर्ण आवश्यकता है इसलिए उसे सुरक्षित रखने की चेष्टा में शिखा-संरक्षण का क्रम अपने यहाँ चिरकाल से चला आता है। रेडियो में 'एरियल' खड़ा कर देने से जैसे आकाश में बहने वाली ईथर तरंगों से अपने काम की आवाज पकड़ ली जाती है और रेडियो बजने लगता है, इसी प्रकार मस्तिष्क की छत पर खड़ा किया गया शिखा रूपी 'एरियल' महान् अन्तरिक्ष में प्रवाहित होने वाली शुभ चेतनाओं, शुभ संकल्पों, सद्चिचारों एवं उप-योगी ज्ञान को पकड़कर मस्तिष्करूपी रेडियो में भेजता है और हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ने की एक महज स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है।

इस तत्त्व को भारतीय तत्ववेत्ता भली प्रकार जानते थे इसलिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी सभी केश रखाते थे। मध्य बिन्दु में शिखा रखने की उपयोगिता को तो वे स्वीकार करते ही थे वरन् एक कदम और भी बढ़कर

सारे शिर पर केश रखते थे। महिलाएं तो आजीवन पूरे शिर पर शिखा रखती हैं और अब तो लड़कों ने जबसे चोटी की उपेक्षा करनी शुरू की है तबसे लड़कियों ने उस उपेक्षा का प्रायश्चित्त करना आरम्भ किया है और वे दो चोटी रखने लगी हैं? महिलाओं की यह सांस्कृतिक चेष्टा सराही जायगी। एक विशेष सम्प्रदाय के सन्यासी शिखा सहित पूरे शिर का मुण्डन इसलिए कराते हैं कि उन्हें सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं रही उनके लिए आत्मिक आनन्द ही पर्याप्त है। जो हो, शिखा ऐसी आवश्यकता है जिसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह मानसिक रोगों से बचाती है। लाखों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि संसार के अन्य भागों की तुलना में शिखाधारी भारतीय मनोविकारों और मस्तिष्कीय रोगों से बहुत ही कम ग्रसित हुए। उनकी बुद्धिमत्ता और मनस्विता का प्रकाश सर्वत्र फैला रहा और उस उपलब्धि के आधार पर वे मानव जाति की महान सेवा कर सकने में समर्थ रहे।

शिखा हमारे मस्तिष्क रूपी किले पर गढ़ा हुआ धर्म-ध्वज है। जिस प्रकार आजकल सरकारी इमारतों पर तिरङ्गा झण्डा फहराता है वैसे ही हर भारतीय मस्तिष्क रूपी दुर्ग पर अपनी संस्कृति की विजय पताका शिखा के रूप में फहराती है। संध्या वन्दन आदि धर्म कृत्यों में शिखा बंधन की क्रिया की जाती है इसका प्रयोजन एक प्रकार से "झण्डाभिवन्दन" जैसा ही है। इस संस्थापन का प्रयोजन यह है कि हर भारतीय धर्मानुयायी का मस्तिष्क केवल उच्च विचारणा, विवेकशीलता, उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता का ही केन्द्र रहना चाहिए। उसमें निकृष्ट, ओछे, स्वार्थी, सङ्कीर्ण और अनैतिक आकांक्षाओं को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। जिस राजा का किला होता है उसमें उसी की सेना या प्रजा निवास करती है। शत्रु सैनिकों को उसमें एक कदम भी नहीं रखने दिया जाता। उसी प्रकार जिस मस्तिष्क दुर्ग पर भगवती गायत्री की धर्म ध्वजा शिखा के रूप में फहराती है उसके संरक्षकों का आवश्यक कर्तव्य है कि दृष्ट मनोविकारों को अपने विचार क्षेत्र में प्रवेश न करने दें और अपने गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता को सदा-चरण को सर्वथा अधुण बनाये रखें।

इन दिनों शिक्षा संरक्षण की ओर से जो उपेक्षा बरती जा रही है उसे दूर किया जाना चाहिए। अन्यथा यह प्रतीक परित्याग धीरे-धीरे धर्म और संस्कृति के परित्याग में विकसित होने लगेगा। आवश्यक यह है कि शिखा संरक्षण को एक धर्म अभियान का रूप दिया जाय और सजगतापूर्वक यह प्रयत्न किया जाय कि किसी भी भारतीय धर्मानुयायी का मस्तिष्क बिना शिखा के न रहने पावे। भगवती गायत्री रूपी विवेकशीलता की धर्मध्वजा हमारे हर शिर पर लहराती हुई ही दिखाई देनी चाहिए और हर कन्धे पर यज्ञोपवीत को धारण किए रहना चाहिए। यज्ञोपवीत की महत्ता दूसरी विज्ञप्ति में बताई जायगी।


अपने गायत्री यज्ञ आयोजनों में एक महत्वपूर्ण कृत्य शिखा संस्थापन का भी होना चाहिए। छोटे बच्चे जिनका मुण्डन नहीं हुआ है, उनका मुण्डन कराके आरम्भिक शिखा रखाई जाय। जो बड़ी आयु के हैं और जिनने शिखा रखाना छोड़ दिया है और मुण्डन नहीं कराना चाहते उनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि अन्य वाल छंटवाकर शिखा स्थान के थोड़े बाल कटवा दिए जाय और हर बार बालों की छांट होने पर शिखा को बचाया जाता रहे। इस प्रकार कुछ समय में उनकी भी शिखा बड़ी हो जायगी। यह शिखा संस्कार बालक और वयोवृद्ध सभी का नये सिरे से होना चाहिये। गायत्री यज्ञों के अवसर पर इस प्रतिष्ठापना को सामूहिक रूप से निर्धारित धर्म संस्कार के साथ किया जाने लगे तो उसका प्रभाव और भी अधिक पड़ेगा। सर्व साधारण को चोटी के महत्व का पता चलेगा और जो लोग नहीं रखते हैं उनमें भी इसके लिए आवश्यक उत्साह उत्पन्न होगा। भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ बनाने के लिए यह एक छोटा आन्दोलन दीखने पर भी अन्ततः बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा इसके सांस्कृतिक निष्ठा की दृष्टि से दूरगामी परिणाम होंगे।

शिखा रखते समय हर व्यक्ति को इसके मूल प्रयोजन का ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क में इन्हीं विचारणाओं, मान्यताओं और आकांक्षाओं को स्थान मिले तो विवेकशीलता, नैतिकता, मानवता, सामाजिकता की कसौटी पर खरे उतरते हों। दुर्बुद्धि, दुर्भावना और दुष्टता की जो दुष्प्रवृत्तियाँ चारों ओर फैली हैं उनका उन्मूलन करने के लिए हमें शिखा रूपी धर्म ध्वजा फहराते हुए एक ऐसा भावनात्मक महाभारत खड़ा करना चाहिए जिसमें अनौचित्य की कौरवी सेना को परास्त कर औचित्य अर्जुन के गले में विजय वयजन्ती पहनाई जा सके।

“मुण्डन संस्कार विवेचन” पुस्तिका से

यज्ञोपवीत धारण-नीति और कर्तव्य अपनाने का व्रतबंध

क्र० ६४



भारतीय समाज के दो प्रधान चिन्ह हैं... (१) शिखा, (२) यज्ञोपवीत। शिखा का प्रयोजन मस्तिष्क की गतिविधियों, विचारणा, आकांक्षा, आस्था एवं अभिरुचि पर विवेकशीलता का—आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का नियन्त्रण स्थापित करना है। भगवती गायत्री माता की धर्मध्वजा शिर-दुर्ग पर फहराने का मतलब ही यह है कि इस किले पर देवत्व का शासन स्थापित हो गया, इस मस्तिष्क के भीतर दुष्टता एवं मूढ़ता का प्रवेश न हो सकेगा। यज्ञोपवीत का अर्थ है—इस शरीर ने यज्ञीय जीवन जीने का फैसला किया है, अब कोई ऐसा क्रिया-कृत्य न किया जायगा जो आत्मा के देवत्व को कलङ्कित कर मके। यज्ञीय जीवन अर्थात्—संयमी, सज्जनतापूर्ण, उदात्त एवम् लोक मङ्गल के लिए जिया जाने वाला जीवन। जिन्दगी ऐसी ही रीति-नीति और गतिविधि अपनाने से बनती है। यज्ञोपवीत ऐसी ही रीति-नीति को अपनाने की प्रतिज्ञा लेकर जीने की घोषणा है। फौजी सिपाही की वेषभूषा में जैसे कुछ विशेष वस्त्र एवं उपकरण लगे रहते हैं, इसी प्रकार यज्ञीय-जीवन जीने की सेना में भर्ती होने वाले देव पक्ष का उपकरण प्रतीक चिन्ह यज्ञोपवीत ही है।

भारतीय धर्मानुयायी अपने आपको 'द्विज' कहते हैं। द्विज अर्थात् दो बार जन्म लेने वाले। माता के पेट से तो शरीर मात्र पैदा होता है। यह अवतरण मनुष्य और पशु का एक रहा है। दुबारा जन्म - आदर्शों के लिए जीने की प्रतिज्ञाओं से सम्पन्न होने के साथ आरम्भ होता है। यज्ञोपवीत धारण द्विजत्व की प्रतिज्ञा—घोषणा एवं आस्था है। जनेऊ पहनने के साथ ही द्विजत्व—देव जन्म आरम्भ होता है। भारतीय संस्कृति की यह महान परम्परा मनुष्य को दैवी आदर्शों के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती है।

यज्ञोपवीत धारण की पुण्य प्रक्रिया को एक प्रचण्ड अभियान की तरह अग्रगामी किया जाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी को कहा जाना चाहिये कि वह अपनी संस्कृति के दोनों प्रतीक—शिखा और यज्ञोपवीत श्रद्धापूर्वक धारण करे। यह परम पवित्र प्रतीक उसे मानव जीवन के महान् आदर्श एवम् स्वरूप का स्मरण कराते रहेंगे। और यह स्मृति उसे महा मानव बनने की दिशा में आगे धकेलेगी भले ही वह प्रगति तीव्र हो या मन्द।

पिछले दिनों यज्ञोपवीत संस्कार बहुत मँहगा, खर्चीला और आडम्बरपूर्ण हो चला था। लोग एक तो वैसे ही आदर्शवादिता अपनाने से कतराते हैं इस पर भी यदि उनके प्रतीक बहुत मँहगे और झंझट के हो चलें तब तो उनकी ओर से मन हटना स्वाभाविक है। मुण्डन की शर्त ने नवयुवकों को उस धर्म-कृत्य से दृष्ट कर दिया। छोटे बच्चों की बात दूसरी है, अब बड़ी आयु के व्यक्ति माता-पिता की मृत्यु तक पर तो बाल कटाते नहीं जनेऊ धारण करने के लिये उन्हें कटाने को भला क्यों तैयार हों? अभिभावक भी इस मँहगाई और व्यस्तता के दिनों में उससे कतराने लगे और धीरे-धीरे अपनी संस्कृति के प्रधान चिन्ह उपनयन की उपेक्षा ही हो गई। विवाह के वक्त ही पण्डित लोग गले में धागा डाल देते हैं।

इस स्थिति को बदलने का यही उपयुक्त तरीका है कि गायत्री यज्ञों के समय सामूहिक यज्ञोपवीत आंदोलन भी हों और उनमें न सिर मुड़ाने की अनिवार्य शर्त रहे और न किसी प्रकार का खर्च उठाने की मजबूरी सामने आये। पण्डित लोग पूजा-पाठ का क्रिया-कृत्य तो बहुत करते थे पर यह नहीं बनाते थे कि इस प्रक्रिया का तात्पर्य एवं प्रयोजन क्या है? सामूहिक आयोजनों में व्याख्या विवेचन द्वारा यज्ञोपवीत की उपयोगिता भी गर्व साधारण को

समझाई जा सकती है जिससे न केवल धारण करने वाले वरन् उपस्थित सभी लोग अपनी धर्म परम्परा के इन दोनों प्रतीकों से परिचित हो सकते हैं और इस माध्यम से भारतीय संस्कृति के तत्व-ज्ञान के व्यापक बनने में बड़ी सुविधा हो सकती है।

यज्ञोपवीत के ६ धागे नौ सद्गुणों के प्रतीक हैं। इन गुणों को थोड़े विस्तार के साथ इस प्रकार समझा जा सकता है—(१) हृदय में प्रेम, (२) वाणी में माधुर्य, (३) व्यवहार में सरलता, (४) नारी मात्र के प्रति पवित्र भावना, (५) कर्म में कला और सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, (६) सबके प्रति उदारता और सेवा भावना, (७) शिष्टाचार और अनुशासन, (८) स्वाध्याय एवं सत्सङ्ग, (९) स्वच्छता, व्यवस्था और निरालस्यता। ये सद्गुण मानव जीवन की सच्ची शोभा और विभूति हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वालों की आस्था इस बात पर जमाई जानी चाहिये कि वे इन सद्गुणों को अपने में बढ़ाते चलने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहें।

यज्ञोपवीत गायत्री माता का स्वरूप और यज्ञ भगवान् का प्रतीक है। गायत्री मन्त्र के ६ शब्द—यज्ञोपवीत के ६ धागे—३ गाँठें तीन व्याहृतियाँ—और बड़ी ग्रन्थि 'ॐ' की प्रतीक है। गायत्री रूपी परमात्मा को कन्धे पर, हृदय पर, कलेजे पर, पीठ पर धारण करने वाले प्रत्येक जनेऊ धारी को यह विश्वास करना चाहिये कि वह चारों ओर से भगवान् द्वारा घिरा बंधा है। इसलिये उसे ऐसा उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिये जो भगवान् की इच्छा, प्रसन्नता एवं रचना के अनुरूप हो। यज्ञोपवीत गले में बंधा हुआ एक धर्म-रस्सा है जो प्रकट करता है कि व्यक्ति के नीति, धर्म, सदाचार और कर्तव्यों के बन्धनों में स्वेच्छापूर्वक बंधे रहकर मानवीय मर्यादाओं के अन्तर्गत ही जीवन-यापन करना चाहिये। उच्छल्लता किसी भी स्थिति में नहीं बरतनी चाहिये।

मन को—विचारों को पवित्र रखने की प्रेरणा शिखा में है और शरीर के कर्म के पवित्र रखने की निष्ठा यज्ञोपवीत उत्पन्न करता है। इस प्रकार इन दोनों प्रतीकों द्वारा मानसिक और शारीरिक—वैचारिक और कार्यात्मक—उत्कृष्टता उत्पन्न करने, सुरक्षित रखने और बढ़ाने का तत्व ज्ञान शिखा सूत्र के पुण्य प्रतीकों में सन्निहित है। इन सन्देशों को हृदयङ्गम करने वाला व्यक्ति निस्सन्देह नर से नारायण—पुरुष से पुरुषोत्तम, लघु से महान् और आत्मा से परमात्मा बन सकता है।

उपनयन धारण करने की गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपने वर्तमान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दोष, दुर्गुणों में से कुछ को प्रतिज्ञापूर्वक परित्याग करके संस्कार की दक्षिणा देनी चाहिये। माँसाहार, नशेवाजी, व्यभिचार, जुआ, बेईमानी, विश्वासघात आलस्य, क्रोध, अविबेक, नास्तिकता, जाति और लिंग के आधार ऊँच-नीच का भेद-भाव, विवाहोन्माद, मृतक भोज, कृपणता आदि दोष दुर्गुणों में से कोई न कोई अपने में जरूर होगा। जो हो उसे त्यागने की प्रतिज्ञा इस शुभ संस्कार के पुण्य अवसर पर करनी चाहिये और यह सिद्ध करना चाहिये कि शिखा सूत्र धारण करने का पुण्य प्रयोजन उसी दिन से आरम्भ कर दिया गया।

गायत्री यज्ञों के अवसर पर एक-एक दिन एक-एक आयोजन रखा जा सकता है। एक दिन सामूहिक शिखा संस्थापना अर्थात् विचार क्रान्ति सम्मेलन, एक दिन सामूहिक यज्ञोपवीत धारण अर्थात् नैतिक क्रान्ति सम्मेलन, एक दिन सामूहिक विवाह संस्कार अर्थात् सामाजिक क्रान्ति सम्मेलन। तीन-तीन दिन के गायत्री यज्ञ आयोजनों के साथ अगर यह तीन विशेष सम्मेलन रखे जा सकें, उनकी ठीक प्रकार व्याख्या, विवेचना की जा सके और कर्मकांडों का आकर्षक स्वरूप बताया जा सके तो निस्सन्देह युग-निर्माण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में बड़ी सहायता मिल सकती है और अपने यह धर्म आयोजन अपनी उपयोगिता में चार चाँद लगा सकते हैं।

—'यज्ञोपवीत संस्कार विवेचन' पुस्तिका से



ज्ञान यज्ञ का प्रकाश घर-घर पहुंचाया जाय

क्र० ६५

कहना न होगा कि मनुष्य की महानता और निकृष्टता उसकी मनःस्थिति पर निर्भर है। जिसके विचार ओछे, स्वार्थी और संझूरी हैं उसकी गतिविधियाँ घृणित स्तर की होगी फलस्वरूप उसका स्तर नर-पशुओं एवं नर-पिशाचों जैसा बन जायगा। इसके विपरीत जिसके विचार ऊँचे, उत्कृष्ट, उदात्त हैं—सद्भावना और सज्जनता के आदर्श जिस मस्तिष्क में जम गए हैं उसके समस्त क्रिया कलाप में शालीनता एवं महानता की ही झाँकी मिलेगी। उसका हर काम ऐसा होगा जिससे दूसरों को सुख मिले वह स्वयं उस कर्तृत्व से सन्तुष्ट रह सके। ऐसे व्यक्ति आजीवन अपने लिए आनन्द उत्पन्न करते और दूसरों के लिए उल्लास बखेरते ही देखे जाते हैं।

विचारों की शक्ति अपरिमित है। यों भी कहा जा सकता है कि आदमी के कलेवर में जो कुछ विभूतियाँ एवं विशेषताएँ दिखाई पड़ती हैं वे उसकी विचारणा का ही परिणाम या परिपाक हैं। जिसके पास आदर्शवादी विचारों का अभाव होगा वह सुविधा-साधनों से लदा रहने पर भी जानवर जैसा जीवन जियेगा, कीड़े-मकोड़े जैसी गतिविधियाँ अपना-वेगा और साँप-विच्छुओं जैसा विक्षोभ उत्पन्न करेगा। प्रगति या अवनति का आधार भी व्यक्ति के विचार ही हैं। विचार ही प्रौढ़ एवं परिपक्व होकर गुण-कर्म-स्वभाव तथा संस्कार के रूप में परिणत होते हैं। ये ही संस्कार कहलाते हैं और चरित्र के रूप में परिलक्षित होते हैं। मनुष्य जैसा भी कुछ हो वस्तुतः अपने विचारों की प्रतिक्रिया या प्रतिध्वनि मात्र है। जीवन का प्रेरणा स्रोत तलाश किया जाय तो वह व्यक्ति के विचार प्रवाह में ही सन्निहित मिलेगा।

व्यक्ति का उत्सर्ग करना हो अथवा समाज का उत्थान। दोनों ही प्रयोजनों के लिए प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि आदर्शवादी, उत्कृष्ट एवं विवेक सम्मत परिष्कृत विचारणाको जनमानस में प्रतिष्ठापित किया जाय। इसके बिना गाड़ी एक कदम भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। कार्यक्रम चाहे एक से एक अछे प्रस्तुत किए जाँय, योजनाएँ चाहे कितनी ही उत्तम क्यों न बनाई जाँय—ओछे मस्तिष्क और ओछे व्यक्तियों के हाथों में पहुँचते-पहुँचते उसका सारा गुड़ गोबर हो जायगा। इन दिनों प्रगति की विविध-विध चेष्टाएँ की जा रही हैं पर उनमें से एक भी फलवती न हो सकी कारण स्पष्ट है—ओछे विचारों वाले व्यक्ति सब कुछ अपने ही ढंग से सोचेंगे और वैसे ही करेंगे फलस्वरूप बालू में से तेल निकालने की तरह परिणाम शून्य ही हाथ लगेगा। अविवेकी और निकृष्ट आधार पर सोचने वाले मनुष्य संसार में कभी कोई महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकने में समर्थ नहीं हुए।

अस्तु आवश्यकता इस बात की है अपने दुर्बल राष्ट्र को समर्थ और सुसम्पन्न बनाने के लिए जन-साधारण की मनोभूमि में विवेकशीलता और आदर्शवादिता की फसल बोई तथा उगाई जाय। आशा भरी उमङ्ग उत्पन्न करने वाली हरीतिमा उत्पन्न होगी। हजार वर्ष की गुलामी से ग्रसित रहने के कारण हमारे विचार हर दिशा में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। सभ्य देशों में सर्वत्र पाई जाने वाली नागरिक कर्तव्य निष्ठा की अभी अपने यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई है। रूढ़ियों और अन्ध-विश्वासों के कारण जो अपार क्षति उठानी पड़ रही है उसकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया है। वैयक्तिक सद्गुण किस प्रकार किसी आदमी को सुखी, समुन्नत एवं समर्थ बनाते हैं इसकी चर्चा भी सुनने में नहीं आती। सामाजिकता एवं सामूहिकता के प्रति निष्ठा उत्पन्न किए बिना कोई राष्ट्र बलवान् नहीं बन सकता है, इस तथ्य को हमें से कितने लोग अनुभव करते हैं। विचारों का यह पिछड़ापन ही हमारी अवनति के लिए जिम्मेदार है। उसी ने हमें हजार वर्ष तक गुलाम रखा और उसी अवरोध ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतनी लम्बी अवधि बीत जाने पर भी हमारी प्रगति में पग-पग पर अवरोध उत्पन्न किया है।

हमें वास्तविकता समझनी चाहिए और जन-मानस में विवेकशीलता एवं उत्कृष्ट आदर्शवादिता का बीजारोपण करने के लिए प्रबल प्रयत्न करने की आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए। राजनैतिक क्रान्ति के बाद अब सबसे

बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता विचार-क्रांति की है। उसके बिना प्रगति के सारे प्रयत्न दिवा-स्वप्न मात्र बनकर रह जायेंगे।

उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए युग निर्माण योजना ने एक अति सुव्यवस्थित कार्य-पद्धति अपना कर 'ज्ञान-यज्ञ' के नाम से विचार-क्रांति का अभिनय आन्दोलन आरम्भ किया है। समय की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता थी जिसे पूरा करने को पिछले दिनों से सुसंगठित अभियान चला है और थोड़े ही समय में आशातीत सफलता प्राप्त की है। वैयक्तिक समस्याओं में से प्रायः प्रत्येक के ऊपर प्रकाश डालने वाला और सामाजिक, राजनैतिक उलझनों का दूरदर्शिता-पूर्ण हल करने वाला जैसा प्रभावपूर्ण एवम् सार्थक साहित्य इस प्रयास के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है उसे इस युग की एक अनुपम घटना ही कहना चाहिए। यह विज्ञप्ति जो पढ़ी जा रही है इसी योजना के अन्तर्गत है। ऐसी लगभग १०० विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हो चुकीं, २०० से अधिक विविध ट्रैक्ट १०० के करीब जीवनी तथा कथा-कविता अब तक छपी हैं। अगले दिनों यह प्रकाशन कई गुना होने जा रहा है। पिछले दिनों केवल हिन्दी में ही यह सब छपता था पर अब तो भारत की १४ भाषाओं में से प्रायः प्रत्येक में इसे छापने का प्रबन्ध चल पड़ा है। अब तक इस प्रयत्न के अन्तर्गत लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों का अन्तर्गत हुआ है और पाठकों की विचारण कार्यपद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है। सङ्गठन की दो मासिक पत्रिकाएँ 'अखण्ड-ज्योति' और 'युग-निर्माण योजना' जादू जैसा काम कर रही हैं और लगता है कि अपना यह प्रयास जन-मानस के नव निर्माण की आवश्यकता को आश्चर्य-जनक रीति से पूरा कर सकने में समर्थ होगा।

आवश्यकता इस बात की है कि इस ज्ञान यज्ञ की इस पुण्य प्रक्रिया को व्यापक बनाने में प्रत्येक प्रबुद्ध देश-भक्त का समुचित सहयोग मिल सके। इस प्रेरणा प्रवाह को जन-जन तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि दस पैसा और एक घण्टा समय रोज देने की उदारता बरती जाय और इस सेवा भावना से अपने घर में एक युग-निर्माण पुस्तकालय चलाया जाय। दस पैसा रोज निकालने से युग-निर्माण योजना द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ विज्ञप्तियाँ सभी उपलब्ध होती रह सकती हैं। इस साहित्य को अपने घर, परिवार, पड़ोस, सम्बन्ध तथा सम्पर्क क्षेत्र में पढ़ाने या सुनाने का अभियान चलाने में एक घण्टा रोज का समय खर्च किया जा सकता है। यह साहित्य अशिक्षितों को सुनाने और शिक्षितों को पढ़ाने में यदि नियमित रूप से एक घण्टा लगाया जा सके तो उतने भर से वर्ष में एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को इस विचार धारा से परिचित एवं प्रभावित कर सकता है। अपने देश में बड़े पुस्तकालय हैं पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहला कार्य लोक-रुचि जगाने का है। पढ़े-लिखे लोगों को भी मनोरंजक और उथला साहित्य पसन्द है इसलिए पुस्तकालयों में भी ऐसी ही घटियाँ चीज पढ़ी जाती हैं। प्रेरक साहित्य तो वहाँ भी सड़ता ही रहता है। इसलिए व्यक्ति और समाज के नव निर्माण के प्रेरणा देने वाले साहित्य से विचार धारा में अभिरुचि पैदा करना पहला काम है। सो यह जन-जन से सम्पर्क स्थापित करके उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित एवं प्रभावित करने और युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत सुव्यवस्थित विचारणा उन तक पहुँचाने से ही वह प्रयोजन पूरा हो सकता है। झोला पुस्तकालय इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए है। हर प्रबुद्ध देशभक्त का सहयोग इस प्रयोजन से मिलने लगे तो व्यक्ति और समाज के सम्पर्क की महती आवश्यकता हम लोग सहज ही पूरा कर सकते हैं और धरती पर स्वर्ग अवतरण के सपने को मूर्तिमान् हुआ देख सकते हैं।

—'ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य और स्वरूप' पुस्तिका से।

ज्ञान-यज्ञ नव निर्माण का महानतम अभियान ।

क्र० ६६

आज व्यक्ति को अनेक व्यथा वेदनाओं में डूबा हुआ और समाज की अनेक समस्याओं में उलझा हुआ पाते हैं। सर्वत्र अशान्ति, आशंका और असंतोष का जो वातावरण देखते हैं उसके पीछे एक ही कारण है—मानवीय दुर्बुद्धि का बढ़ जाना और उसका दुष्प्रवृत्तियों की ओर मुड़ जाना। यदि यह प्रवाह रोका जा सके, लोगों को उच्च आदर्शवादिता की रीति नीति समझाने के लिए तैयार किया जा सके तो परिस्थितियाँ बिलकुल उलट सकती हैं। जो क्षमता आज विघटनात्मक—अनीतिमूलक क्रियाकलापों में लगी है वह यदि उलट कर सृजनात्मक और सद्भाव संवर्धन में लग जाय जो देखते-देखते जादू की तरह सारी परिस्थितियों का कायाकल्प हो सकता है। वर्तमान नारकीय वातावरण देखते-देखते स्वर्गीय सुषमा में बदल सकता है।

धन सम्पदा और साधन सुविधायें बढ़ाकर मानवीय सुख-शांति बढ़ाने के प्रयत्नों में दूसरे लोग लगे हुए हैं वह सराहनीय हैं। पर हमें सोचना यह है कि दुर्बुद्धि का वर्तमान क्रम यदि इसी तरह चलता रहा तो कुवेर की तरह सम्पत्ति और इन्द्र की तरह साधन बढ़ जाने पर भी दुर्बुद्धि के रहते विपत्तियाँ ही बढ़ेंगी। सद्बुद्धि ही अभावग्रस्त जीवनको भी सुख-शान्तिसे भरपूर रख सकती है। इसलिये इस आंत महत्त्वपूर्ण तथ्यकी ओर दूसरोंका ध्यान नहीं है उसे अपने हाथ में लेना चाहिये और दुर्बुद्धि के उन्मूलन एवं सद्बुद्धि के संस्थापन में प्राणपण से जुट जाना चाहिये। यह प्रयास आँखों से दिखाई न पड़ने के कारण सस्ती वाहवाही भले ही न दिला सके, पर अपनी उपयोगिता के कारण उसका महत्त्व इतना बढ़ा है कि उसके ऊपर पुण्य परमार्थ कहे जाने वाले समस्त कार्यों को निछावर करके फेंका जा सकता है।

युग निर्माण योजना का 'ज्ञान-यज्ञ अभियान' इतिहास में उपलब्ध अब तक के सबसे महान्, सृजनात्मक कार्यों में से एक है। इसकी कार्य पद्धति यह है कि घर-घर जन-जन से सम्पर्क स्थापित कर व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत अगणित समस्याओं का स्वस्थ और सही समाधान समझाया जाय। हजार वर्ष की गुलामी के बाद भारतीय जनता की विचार पद्धति में बड़ी विकृति आई है और उसमें से अधिकांश-मान्यताएँ निरर्थक ही नहीं अनर्थ-मूलक भी बन गई हैं। पर लोग उन्हें परम्परा मान के छाती से चिपकाए बैठे हैं। और तरह-तरह के कष्ट सहते हैं। ज्ञान-यज्ञ का प्रयोजन व्यक्ति की विवेकशीलता को जागृत करना है जो उचित अनुचित का भेद समझ सके और जो अवाञ्छनीय है उसे हटाने तथा औचित्य को स्वीकार करने का साहस जगा सके।

औचित्य न्याय और विवेक से सम्पुटित एक प्रगतिशील विचारधारा का सृजन युग-निर्माण योजना द्वारा किया गया है। अत्यन्त प्रखर प्रकाश से परिपूर्ण व्यक्ति और समाज की हर समस्या का महत्त्वपूर्ण हल प्रस्तुत करने वाला अत्यन्त सस्ता साहित्य प्रचुर मात्रामें प्रकाशित किया जाता है। ज्ञान यज्ञ का एक भाग यह सृजन है जिसे केन्द्र द्वारा देश की हर भाषा में प्रचुर परिणाम में लिखा और छापा जा रहा है। दूसरा भाग उसका प्रसार है। भावनात्मक नव-निर्माण का महत्त्व समझने वाले हर विचारशील व्यक्ति को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। प्रसन्नता की बात है कि ऐसे परमार्थ प्रेमियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है और वे अपने समय तथा साधनों का एक अंश नियमित रूप से लगाने लगे हैं कि घर घर जाकर जन-जन से सम्पर्क स्थापित करें और उनकी मनोभूमि तथा आवश्यकता को देखते हुए नव निर्माण का वह सृजनात्मक साहित्य पढ़ने को दें जो छोटे-छोटे टुकटों, विज्ञप्तियों एवं अखण्ड-ज्योति, युग-निर्माण पत्रिकाओं के रूप में उपलब्ध है, जो पढ़े नहीं हैं उन्हें सुनाने का कार्य करना होता है। चूंकि देश में ८० प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। इसलिए सुनाना भी इस देश में पढ़ने से भी अधिक आवश्यक है।

ज्ञान-यज्ञ के होता उद्गाता वे लोग हैं जिनने जन मानस में विचार परिष्कार के सर्वोपरि परमार्थ का महत्त्व समझ लिया है और उसके लिए कुछ अनुदान नियमित रूप से देते रहने का व्रत धारण कर लिया है। ऐसा

अनुदान न्यूनतम एक घण्टा समय और दस पैस नित्य का होना चाहिये। दस पैसा देने में नियमितता बनी रहे और उसे एक दैनिक अनिवार्य नित्यकर्म की तरह स्मरण रखा जा सके इसके लिए ज्ञान-यज्ञ के धर्मघट (गुल्लकों) पैसे जमा करने के लिए बना दी गई हैं। इन्हें पूजा की वेदी पर स्थापित करना होता है और दस पैस नित्य उसमें डालने पड़ते हैं। ताला कुंजी उसमें रहने से महीने पर जब आवश्यकता पड़े तभी उसे खोला जा सकता है। इस पैसे से वह सारा साहित्य मँगाया जाता रहता है जो विचार क्रान्ति, नैतिक क्रान्ति और समाज क्रान्ति के लिए युग निर्माण योजना के अन्तर्गत मथुरा से निरन्तर प्रस्तुत किया जाता रहता है। इस प्रकार एक घरेलू पुस्तकालय बनता चला जाता है जिसे हर घर की एक मच्छी सम्पत्ति कहनी चाहिये।

एक घंटा समय का अनुदान इस लिये है कि दस पैसा रोज देकर जो साहित्य उपलब्ध किया गया है उसे अपने घर के परिवार के हर सदस्य को नित्य थोड़ा-थोड़ा कर पढ़ाया सुनाया जाया करे तथा पढ़ीसी, मित्र, परिचित, संबन्धी जो भी अपने प्रभाव तथा परिचय क्षेत्र में आता है उन्हें इस साहित्य से परिचित कराने, महत्व, माहात्म्य समझाने, रुचि उत्पन्न करने और पढ़ाने के लिए बार-बार सम्पर्क स्थापित किया जाता रहे। जिनमें थोड़ी सी भी विचारशीलता है उनके साथ किया हुआ परिश्रम सफल भी होता है। जो लोग यह पढ़ने सुनने में रुचि लेने लगते हैं उनमें से अधिकांश को इस प्रखर विचार धारा से प्रभावित होना पड़ता है और वे उस प्रकाश को जीवन में उतारने तथा अपने सम्पर्क क्षेत्र में फैलाने का माहस भी करते हैं। इस प्रकार भावनात्मक नव-निर्माण की विचार क्रान्ति की यह पुण्य प्रक्रिया दिन-दिन आगे बढ़ती जाती है।

एक घंटा समय और दस पैसा नित्य ज्ञान-यज्ञ के लिए नियमित रूप से देने का व्रत लेने वाले भावनाशील लोगों को युग-निर्माण योजना का सदस्य माना जाता है और उन्हीं का संगठन इस प्रकार अभियान के अतिरिक्त शतसूत्री रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों को हाथ में लेकर भावनात्मक नव-निर्माण के पुण्य प्रयोजन को आगे बढ़ाना है। हर सदस्य को कम से कम दस व्यक्तियों तक इस विचारधारा के प्रसार का प्रयत्न करना पड़ता है इसलिए कि दस हजार कर्मठ सदस्य एक लाख को निरन्तर प्रभावित, प्रोत्साहित करते रह सकते हैं। यह प्रक्रिया चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम से बढ़ती हुई चार पाँच छलाँगों में भारत को ही नहीं सारे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले सकती है, ले भी रही है।

झोला पुस्तकालय ज्ञान-यज्ञ का महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहाँ कहीं भी जाया जाय एक झोले में युग निर्माण के ट्रेक्ट पत्रिकाएँ विज्ञप्तियाँ लेकर जाया जाय, और जहाँ उपयुक्त अवसर जान पड़े वहीं अपने मिशन की चर्चा छेड़ दी जाय। जितना परिचय साहित्य के माध्यम से कराया जा सकता हो कराया जाय। लोगों के घरों पर जाकर पुस्तकें देना और फिर जाकर वापस लाना ऐसा क्रम है, जिससे किसी को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। झोला पुस्तकालय अपने नगर में मारे शिक्षित समाज को इस विचार धारा से परिचित और प्रभावित कर सकता है। इतना ही नहीं वह रेल, मोटर के सफर, प्रवास, या जहाँ भी जाया जाय साथ रह सकता है, और इन चिनगारियों को कहीं भी बखेरता रह सकता है। वे अवसर पाकर कहीं भी अनीति एवं अविवेक का उन्मूलन करने में प्रचंड दावानल की भूमिका सम्पादित कर सकती हैं। जहाँ संभव हो चल पुस्तकालय डकेल गाड़ी के रूप में चलाया जा सकता है। उसके द्वारा लोगों को पढ़ने की यह चीजें दी जाती रहें और जिन्हें पसन्द आयें उन्हें बेची भी जा सकती हैं। इस तरह उस कार्य में लग व्यक्ति को थोड़ी आजीविका भी मिल सकती है और वह इस अति उपयोगी कार्य में लगा भी रह सकता है। सेवाभावी लोग अवैतनिक रूप में भी यह चल पुस्तकालय चलाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

ज्ञान-यज्ञ देखने-सुनने में छोटी बात लगती है, पर उसकी संभावनायें उतनी विशाल हैं कि यदि ठीक तरह इस अभियान को चलाया जा सका तो विश्वास है कि लोक-मानस में विवेकशीलता और सत्यवृत्तियों की गहरी स्थापना संभव हो सकेगी और नये युग के अवतरण का स्वप्न साकार किया जा सकेगा।

‘स्वाध्याय में प्रमाद न करें’ पुस्तिका से

व्यक्ति और समाज का समग्र निर्माण कर सकने वाली शिक्षा पद्धति

क्र० ६७

शिक्षा का उद्देश्य मात्र काम चलाऊ व्यवहार, गणित आदि सीखना एवं रोटी कमाने की क्षमता उत्पन्न करना भर नहीं है वरन् उससे बहुत ऊँचा और गहरा है। व्यक्तित्व का निर्माण, प्रतिभाओं का विकास एवम समाज को ऊँचा उठा सकने की क्षमताओं का परिष्कार-शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य यह तीन हैं। ऐसी समग्र शिक्षा की व्यवस्था बनाकर ही व्यक्ति और समाज को प्रशिक्षण का समुचित लाभ होता है।

प्राचीन काल में शिक्षा सूत्र बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के मन शास्त्र के निष्णान्त एवं व्यक्तित्व गढ़ सकने की क्षमता सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ में थे। पाठशालाओं, गुरुकुलों, आचार्य पीठों और विश्वविद्यालयों का संचालन ऐसे ही महामानव करते थे। फल स्वरूप यह भारतवर्ष देवभूमि कहलाता था। यहाँ के तेतीस कोटि निवासी, तेतीस कोटि देवताओं की तरह समस्त विश्व में प्रख्यात थे। यह शिक्षा पद्धति का ही चमत्कार था। आधुनिक काल में भी प्रगति शील राष्ट्रों ने अपनी समर्थता, सुयोग्य नागरिकों द्वारा ही उपलब्ध की और उस उपलब्धि के लिये उन्होंने सोद्देश्य शिक्षा को ही प्रधान माध्यम बनाया। हिटलर ने विश्व विजय के स्वप्न देखे और उस प्रयोजन की पूर्ति के लिये सारे राष्ट्र को दो दशाब्दियों में ढाल दिया। जर्मन नागरिकों के मन में उत्साह और महत्वकांक्षाएँ हिलोरें ले रही थीं। और जब द्वितीय युद्ध हुआ तो आरम्भ में उनमें जो शौर्य और कौशल दिखाया उससे मारी दुनिया कांपने लगी। पीछे मित्र राष्ट्रोंकी सम्मिलित शक्ति और व्यूह रचनाके बागे हार माननी पड़ी यह दूमरी बात है पर इससे उस निष्कर्ष में कोई अन्तर नहीं आता जिसके अनुसार किसी भी देश के नागरिकों को शिक्षा पद्धतिके आधार पर किसी भी स्तर का बनाया जा सकता है। आधुनिक चीन जैसा भी कुछ है, पिछले बीस वर्ष की शिक्षा प्रणाली के फलस्वरूप है। रूस की दृढ़ता उन नागरिकों पर अवलम्बित है जिनका मनोबल वहाँ की शिक्षा प्रणाली ने उभारा और संभाला है। जापान स्पेन, इजरायल यूगोस्लेविया आदि थोड़े ही दिनों में बहुत ऊँचे बढ़ चले देशों की प्रगति का मूल कारण उन देशों की शिक्षा पद्धति में उन तत्वों का समावेश ही है जो नागरिकों के चरित्रबल, मनोबल, तथा ऊँचे दृष्टि कोण का परिष्कार कर सकने में समर्थ हैं। व्यक्तियों की प्रतिभा निखारने और समाज को समर्थता प्रदान करने में सोद्देश्य शिक्षा पद्धति में बढ़कर और कोई माध्यम हो ही नहीं सकता।

दुर्भाग्यवश अपने देश में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। स्कूल कालेज तो बहुत खुले पर उनके सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य न होने के कारण उन बेकार और असन्तुष्ट शिक्षाविदों की संख्या बढ़ी जो अशिक्षित रहने की अपेक्षा प्रस्तुत मुशिक्षा को घाटे का सौदा अनुभव करते हैं। ईश्वर ही जाने हमारे राष्ट्र के कर्णधार इस देश की आवश्यकता के अनुसार कोई शिक्षण तन्त्र दे भी सकेंगे या नहीं। इसके लिए जिस मौलिक शिक्षण और साहसिक चिन्तन की आवश्यकता है, वह न हो तो पढ़ने-लिखने की लकीर भर पिटनी रहेगी जो शिक्षा पर लगने वाले श्रम और धन का सदुपयोग न हो सकेगा।

सरकार क्या करेगी, कब करेगी? इसकी प्रतीक्षा में बैठे रहने और केवल आलोचना, शिक्षायत्न करने से कुछ काम चलने का नहीं है। हमें अपने स्वल्प माधनों से—जन स्तर पर वर्तमान शिक्षा में जो कमी है उसकी पूर्ति का प्रयत्न करना चाहिए। जन स्तर पर किये गये प्रयत्नों की शक्ति नगण्य नहीं है। बिना सरकारी महायत्न के भी संसार में बड़े-बड़े आन्दोलन जन्मे, पनपे और सफल हुए हैं। आपका स्वराज्य आन्दोलन गैर सरकारी—जन स्तर पर चलाया गया था और उसने सरकार को झुकने बदलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त अगणित आन्दोलन समय-समय पर गैर सरकारी स्तर पर जन्मे और सफल हुए हैं। हमें शिक्षा में जो कमी है उसे पूरा करने के लिये इसी प्रकार का अभियान जन सहयोग से आरम्भ करना चाहिए।

इसका छोटा सा आरम्भ इन्हीं दिनों किया गया है। व्यक्ति सरकार और समाज के नव निर्माण का अत्यन्त प्रखर साहित्य युग-निर्माण योजना के अन्तर्गत छप रहा है इसमें चुने हुए भागों को पाठ्यक्रम के रूपमें निर्धारित किया गया है। और सुकरात की प्रश्न-प्रणाली से शिक्षार्थियों के अन्तःकरण में गहराई तक उन विचार धारा को उतार देने का कार्य-क्रम बनाया गया है। युग-निर्माण शाखायें, जगह-जगह ऐसी रात्रि पाठशालाएँ, प्रौढ़ पाठशालायें खोलेंगी जिनमें अशिक्षितों को साक्षर बनाने की भी व्यवस्था रहेगी पर साथ ही जिस भावनात्मक नव-निर्माण की इस देश के नागरिकों को नितान्त आवश्यकता है उसे शिक्षित अशिक्षित सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायगा। इसके लिए सक्षिप्त पाठ्य पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। पढ़ाने की शैली अपनी वैसी ही होगी जैसी प्राचीन काल में भारतीय ऋषियों की थी। अथवा सुकरात, अरस्तू आदि सभी तत्वदर्शी प्रश्नोत्तर क्रम से पढ़ाया करते थे। इस पद्धति से पाठ्य क्रम छोटा भले ही हो पर उससे शिक्षार्थी सीखने, समझने और हृदयंगम करने में पूर्णतया सफल होता है। इस शिक्षण को सेवाभावी अवैतनिक कार्यकर्ता जगह-जगह चलायेंगे। छः छः महीने के पाठ्य क्रम रहेंगे। वर्ष में दो बार परीक्षायें हुआ करेंगी और उनमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अति आकर्षक प्रमाण पत्र दीक्षान्त समारोह के साथ दिए जायें करेंगे। बसन्त पंचमी और गुरुपूर्णिमा यह दो युग निर्माण सम्मेलन हर शाखा में सम्पन्न होंगे और उसी दिन से उपरोक्त पाठ्य-क्रम का समापन तथा शुभारम्भ हुआ करेगा। यह बहुत ही सरल तथा आरम्भिक पाठ्य-क्रम है।

जहाँ सुविधा होगी वहाँ पूरे समय के विद्यालय चलाये जायेंगे। उसका आधार गायत्री तपोभूमि से संचालित वर्तमान युग-निर्माण विद्यालय के आधार पर होगा। व्यक्ति समाज निर्माण की शिक्षा पद्धति और उसे छात्रों को हृदयंगम कराने तथा व्यवस्था चलाने का सर्वापूर्ण शिक्षण यहाँ चलाया जाता है। यहाँ से निकले विद्यार्थी एक प्रकार से ट्रेन्ड अध्यापक सिद्ध होते हैं। और अपने-अपने स्थानों पर रात्रि पाठशाला में तथा पूरे समय के विद्यालय चलाने में समर्थ होते हैं। अभी तो छात्र आते हैं, जरूरत समझी गई तो प्रौढ़ों को भी इस प्रकार की तीन महीने की ट्रेनिंग लेने के लिए बुलाया जा सकेगा—ताकि वे अपने स्थानों पर पूरे समय के विद्यालय चला सकें।

युग-निर्माण विद्यालय में ऐसे शिल्प भी सिखाये जाते हैं जो सुशिक्षितों को भर पेट रोटी दे सकने में समर्थ हैं। जापान गृह उद्योगों के बल पर ही इतना सम्पन्न और सुविकसित बना है। बिजली की शक्ति से चल सकने वाले और थोड़ी पूँजी से चल सकने वाले उद्योगों की अभिवृद्धि से ही अपने देश के शिक्षितों की बेकारी दूर होगी। लाखों छात्र जो हर साल पढ़कर निकलते हैं उन सबको नौकरी मिलना असम्भव है। कृषि के लिए भूमि वर्तमान किसानों के लिए ही अपर्याप्त है ऐसी दशा में गृह उद्योग ही एक मात्र अवलम्बन रह जाते हैं जो बिजली से चलने के कारण अधिक शारीरिक श्रम खर्च न करावें और उत्पादन भी अधिक कर सकें तथा आजीविका भी अधिक दे सकें।

इन दिनों बिजली का फिटिंग, बिजली की मशीनों की मरम्मत, रेडियो ट्रांजिस्टर का निर्माण तथा सुधार प्रेस उद्योग, रबड़ की मुहरें, प्लास्टिक की वस्तुएँ, मोजे बनियान, साबुन बनाना, फिनायल, सुगन्धित तेल, वार्निश, पेन्ट, मोमबत्ती, स्याहियाँ आदि का रासायनिक निर्माण, तरह-तरह के खिलौने बनाना आदि उद्योग सिखाये जाते हैं। अगले ही दिनों गोबर गैस, पेन्ट, मधुमक्खी पालन, बिस्कुट डबल रोटी बनाना, घरेलू शाक उत्पादन, हैन्डपम्प का निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तन, विविध प्रकार के प्लेश पाखाने, रेशमी तथा सूती कपड़े, निवाड़, कम्बल, दरी, आदि बुनना, नये उद्योग भी इसी वर्तमान प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जायेंगे। यह शिल्प, शिक्षा सहित जीवन निर्माण करने की कला में सम्मिलित की जाने वाली है इनमें से जहाँ जो उद्योग उपयुक्त हो वहाँ चलाया जा सकता है और पूरे समय के विद्यालय की व्यवस्था की जा सकती है।

रात्रि पाठशालाओं तथा पूरे समय के विद्यालयों में अपनी शिक्षा प्रचार योजना आरम्भ हो रही है। उसके अगले कदम इतने व्यापक बढ़ेंगे कि गैर सरकारी स्तर पर जन सहयोग से हम नव निर्माण की सर्वतोमुखी आवश्यकता प्रस्तुत शिक्षा पद्धति द्वारा सम्पन्न कर सकें। प्रारम्भ की रूपरेखा ऊपर है इसका विस्तार कितने बड़े परिणाम में होगा, उसे अगला समय भली प्रकार सिद्ध कर देगा।

“विचारों की उत्कृष्टता प्रगति का मूलमंत्र” पुस्तिका से

कला लोकरंजन ही नहीं, भावनाओं का परिष्कार भी करें

क्र० ६८

भावनाओं के विकास और परिष्कार में कला का अति महत्वपूर्ण उपयोग है। संगीत, गायन, वाद्य, अभिनय, नृत्य, चित्र साहित्य आदि कला पक्ष भावनाओं को उभरने में बहुत सहायक होते हैं। इन दिनों इस पक्ष का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। कामुकता भड़काने और लम्पटता को प्रोत्साहित करने में आज के कलाकार, कला प्रेमी और संचालक बुरी तरह जुटे हुए हैं। फलस्वरूप जन-मानस में आदर्शवादी उमंगें उठना बन्द हो गई हैं और लोगों के मन मांसल रूप-विन्यास-श्रृंखार, यौन आकर्षण की अधोगामी चेतनाओं को अपना आकांक्षा केन्द्र बनाकर शारीरिक और मानसिक स्तर पर दिन-दिन अधिक पतनोन्मुख होते चले जा रहे हैं। कला का यह प्रत्यक्ष दुरुपयोग ही है। इसे सर-स्वती माता को वेश्या के स्तर पर ला खड़ा करने जैसी दृष्टता ही कहा जायगा।

कला की शक्ति महान् है वह मानवीय अन्तःकरण को भाव विभोर कर सकने और उसमें प्रस्तुत उच्च आस्थाओं एवं मान्यताओं को ऊर्ध्वगामी बना सकने में समर्थ है। प्राचीन काल में कला का उपयोग लोक मानस में उत्कृष्टता का संचार करने वाली कोमल भावनाओं को तरंगित करने के लिए ही किया जाता था। कला भक्ति-रस के इर्द-गिर्द घूमती थी। ईश्वर प्रेम, भगवान को आत्म समर्पण की हिलोरें—उत्कृष्टता के पुंज परब्रह्म के साथ व्यक्ति की अन्तरात्मा को सद्भाव सम्पन्न बनाने के लिये ही अग्रसर करती थी। आत्म विज्ञान वेत्ता मनीषियों ने इसी प्रयोजन के लिये भक्ति रस का विशाल कलेवर खड़ा किया और उसके साथ कला के समस्त अंग प्रत्यंगों को जोड़ा। मूर्तिकला, चित्रकला, कीर्तन, प्रभुस्तवन, वंदना, नृत्य, कथा, साहित्य आदि प्राचीन काल के सारे कला प्रयास भक्तिरस का अभिवर्धन करने के लिये नियोजित थे। इससे अन्तःकरण गुदगुदाने की भावनात्मक अभिव्यंजना का आनन्द भी मिलता था और आस्थाओं एवं मान्यताओं भी ऊर्ध्वगामी बनती थीं। वास्तव में इस प्रकार के सोद्देश्य कला प्रयासों को ही सार्थक कहा जा सकता है।

नारद ने लेकर मीरा तक प्रायः सभी सन्तों ने स्वान्तःमुखाय एवं लोक मंगल के लिए कला का उपयोग किया। यही उचित भी है। कला को व्यभिचारिणी बना कर उससे फूहड़ मनोरंजन और कुत्साओं को भड़काने का प्रयोजन पूरा किया जाय तो इससे मनुष्य के उठने में नहीं गिरने में ही सहायता मिलेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए युग निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण कदम कला को परिष्कृत स्वरूप देने और उसके माध्यम से लोक मानस की उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की ओर उन्मुख करने के लिए उठाया जा रहा है।

कामुकता भड़काने वाले कुम्बि पूर्ण चित्रों से बाजार पटा पड़ा है और वे ही घरों में लगे हैं। इनको हटाकर उनके स्थान पर इतिहास की आदर्शवादी घटनाओं के चित्र तथा आदर्श वाक्यों के रंगीन पोस्टर छापे गये हैं, जिन्हें घरों की सुसज्जा के लिये प्रयुक्त किया जा सके। पुस्तकों के रूप में चित्रावलियों की सीरीज आरम्भ की गई है जो अवाञ्छनीयता के विरुद्ध घृणा एवं सत्प्रवृत्तियों की ओर आस्था मोड़नेमें योगदान दे सकें। चित्र प्रदर्शनियोंकी विशालकाय योजना है और इस प्रयोजन के लिये बड़े साइज के चित्रों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया जा रहा है। प्रकाश चित्रों की व्यापक श्रृङ्खला चलाने के लिए 'मेजिक लालटेन' 'एण्डिस्क्रीप', प्रोजेक्टर आदि प्रकाश यन्त्रों के माध्यम से प्रेरणाप्रद चित्रों को गांव-गांव, गली-गली, प्रदर्शित करने की योजना बनी है।

सङ्गीत, नाट्य, अभिनय का प्रभाव सबसे अधिक है माँप जैसा दृष्ट जीव सङ्गीत की लहरों पर लहराने लगता है, फिर मानवीय अन्तःकरण को उस माध्यम से लहरा देना और उस तरङ्गित हृदय को उत्कृष्टता की दिशा में

मोड़ देना कुछ भी कठिन नहीं होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए प्रेरणाप्रद गीत लिखाये जा रहे हैं, और उन्हें व्यापक बनाने के लिए सङ्गीत विद्यालय की स्थापना की जा रही है, जिसमें सीमित तर्जों पर भावपूर्ण गीत गाये जा सकने और वाद्य यन्त्रों को बजाये जाना का अभ्यास सुगमता पूर्वक स्वल्प काल में किया जा सके। इन गीतों और ध्वनियों को लोकप्रिय बनाने के लिये ग्रामोफोन के रिकार्ड बनाने का काम हाथ में लिया गया है। लाउडस्पीकरों के मध्यम से इन्हें स्वल्प काल में देश व्यापी बनाने और जन-जन को गुन-गुनाने की स्थिति तक उस प्रचार के पहुंचाये जाने की आशा है। कविता सम्मेलनों की एक अलगही योजना है जिसके अन्तर्गत ऊँचे कवि भले ही स्वयं अपनी कविता पाठ करने न आवें पर उनकी प्रेरक भावनाओं को बहुत ही आकर्षक ढंग से सुनाकर जनता को प्रेरणापद मनोरंजन का लाभ दिया जाय। जगह-जगह संगीत सम्मेलन भी इसी प्रयोजन के लिये होते रहेंगे।

सङ्गीत, नृत्य, अभिनय और नाट्य का इस युग में यंत्रीकरण सिनेमा के रूप में हुआ है। विज्ञान ने कला के इस पक्ष को सस्ता और सर्व सुलभ बनाया है। शहरों और कस्बों में नित्य नये सिनेमा घर खुलते जा रहे हैं और लाखों दर्शक उन्हें रोज देखते हैं। पर खेद इस बात का है कि अपने देश में इस अति महत्वपूर्ण कलामंच का उपयोग जनता की पशु प्रवृत्तियों के भड़काने में किया जा रहा है। अधिकांश फिल्मों का मुकता भड़काने वाली तथा उच्छ्रंखलता सिखाने वाली ही बनती है। यदि फिल्म उद्योग का उद्देश्य लोक-शिक्षण रहा होता तो हजार वर्ष की गुलामी से उठे इस देश के पिछड़े लोक मानस को परिष्कृत करने के लिये फिल्म उद्योग अति महत्वपूर्ण भूमिका सम्पादन कर सकता था। पर जिनने पशु प्रवृत्तियों के उभारने के सस्ते तरीके अपना कर अपनी जेबें भर लेने की ठान ठानी हो, उनसे कोई क्या कहे ? और कहने का क्या परिणाम निकले ?

एक उपाय यह था कि आदर्शवादी फिल्म उद्योग का गठन किया जाय। लोक शिक्षण का प्रयोजन पूरा करने वाले फिल्म बनें तो उनको विचारशील जनता जरूर पसन्द करेगी और वे अवश्य सफल होंगे। पर यह उद्योग बहुत मंहगा हो गया है, उसमें लगाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत है। आशा तो है कि सन्मार्गगामी प्रतिभायें और मानवता के काम आने वाली पूंजी इस प्रयोजन के लिए आगे आयेंगी और अगले दिनों आदर्शवादी फिल्म उद्योग स्थापित होकर वर्तमान कूड़े-कवाड़े को पीछे धकेल देने में समर्थ होगा। पर अभी युग निर्माण योजना जिन स्वल्प साधनों से चल रही है उसे ध्यान में रखते हुए सुलभ नाट्य मंच को विकसित करने का काम हाथ में लिया गया है। रासलीला, रामलीला, नौटंकी, स्वांग आदि अभी भी जिन्दा हैं, और देहातों-कस्बों ही नहीं शहरों में भी उनकी आवभगत की जाती है। इन्हें आधुनिक साधनों से सुरचिपूर्ण करके अधिक कलापूर्ण बनाकर ऐसे नाट्य दल खड़े किये जा सकते हैं जो लोक-रंजन के साथ-साथ नैतिक क्रान्ति, बौद्धिक क्रान्ति और सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकें और मानवता के विकास एवं परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकें। सिनेमा के वर्तमान स्वरूप को हटाना और इसके स्थान पर आदर्शवादी फिल्मों प्रस्तुत करना इस समय अपने लिए संभव नहीं पर उपरोक्त नाट्यमन्त्र को स्वल्प पूंजी में विकसित करके और उसके प्रसार का क्षेत्र व्यापक बनाकर लोक रंजन को नई दिशा देने में अभी भी अपनी वर्तमान क्षमता से बहुत कुछ किया जा सकता है। सो वही किया भी जा रहा है। युग निर्माण योजना का कला मंच इन दिनों इसी प्रकार का सृजनात्मक प्रयत्न अति उत्साह के साथ आरम्भ कर रहा है।

ऊपर की पंक्तियों में युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा आरम्भ किये गये कलाकारिता के—थोड़े से सत्प्रयत्नों की संक्षिप्त सी चर्चा है। यह इसलिए की गई है कि इस क्षेत्र का महत्व समझने वाले और अभिरुचि रखने वाले लोग दिशा प्राप्त करें और अपने अपने साधनों से कला को मानव जाति के भावनात्मक उत्कर्ष के लिए नियोजित करने को साहसपूर्ण कदम उठावें। एक कार्य यह भी है कि मथुरा से संचालित कला प्रयत्नों की साधन हीनता को दूर करने के लिए अपना योगदान प्रदान करके उसे भी इस योग्य बनायें कि उस संगठित प्रयत्न का लाभ अधिक परिणाम में उठा सकना जन साधारण के लिये संभव हो सके।

‘कला लोक रंजन ही नहीं’, भावनाओं का परिष्कार भी करें’ पुस्तिका से

रचनात्मक कार्यक्रमों से ही देश समर्थ बनेगा

क्र० ६६

—

अधिक प्रभाव उन घटनाओं का पड़ता है जो आँख के आगे से गुजरती हैं और अपना दृश्य एवं प्रत्यक्ष प्रभाव मस्तिष्क पर छोड़ती हैं। यों मनन, चिन्तन एवं समझने समझाने से भी विचारों का परिष्कार होता है पर सर्व साधारण की बौद्धिक क्षमता इतनी संवेदनशील नहीं होती कि अपने आपको विवेकशीलता के आधार पर उचित को ग्रहण करने और अनुचित को त्यागने के लिए तैयार हो जाय। इसलिए लेखनी और वाणी के माध्यम से किये जाने वाले लोक शिक्षण में ऐसे रचनात्मक कार्यों की एक कड़ी भी जोड़नी पड़ती है जो उपयोगिता की ओर लोक-रुचि के जोड़ने में प्रत्यक्ष मार्ग दर्शन कर सके। कोई संगठन या व्यक्ति आरम्भ में रचनात्मक कार्यों को सर्व-साधारण के सामने प्रस्तुत करते और उनका महत्त्व समझाते हैं। यह शुभारम्भ आगे चल कर जनता का अपना प्रिय विषय बन जाता है और फिर वे प्रवृत्तियाँ स्वयंमेव अग्रसर होने लगती हैं और लोग स्वयं उत्साहपूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने लगते हैं। आरम्भ में ही लोकसेवी संगठनों या कार्यकर्ताओं को उनका शुभारम्भ करने की व्यवस्था करनी पड़ती है। रचनात्मक कार्यक्रमों का यही प्रयोजन है।

युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम प्रख्यात हैं। समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए हममें से हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमता और परिस्थिति के अनुरूप कुछ न कुछ प्रयत्न करने चाहिये। देश सभी का है, उसके उत्थान-पतन में सभी का लाभ हानि है। हर नागरिक पर देशभक्ति की पवित्र जिम्मेदारियाँ हैं और उन्हें अपना निजी काम छोड़कर भी पूरा किया जाना चाहिए। सरकार के भरोसे सब बात छोड़ बैठने से काम न चलेगा। हम सभी को अपने इस परम पवित्र कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए हम कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करने के लिए अपने समय, श्रम एवं धन का एक अंश लगाया करें। विभिन्न परिस्थितियों और योग्यताओं के व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य अपने ढंग से कर सकते हैं। उनकी विस्तृत चर्चा "शत सूत्री योजना" में प्रस्तुत की गई है, उनमें से ही कुछ की चर्चा नीचे की पंक्तियों में की जा रही है।

अपने देश में शिक्षा २० प्रतिशत है, ८० फीसदी बिना पढ़े हैं। प्रगति के लिये शिक्षा अति आवश्यक है। इसलिए निरक्षरता को दूर भगाया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल कालेजों में आधे-चौथाई अल्प वयस्क बालकों के पढ़ाने का ही इन्तजाम है, शेष बालकों तथा वर्तमान प्रौढ़ों और महिलाओं की साक्षरता भी आवश्यक है। इन्हीं तीस वर्षों में संसार के भविष्य का निर्माण होना है, इसलिए वर्तमान निरक्षरों की उपेक्षा इस आशा पर नहीं की जा सकती कि स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के बड़े होकर सब कार्य संभाल लेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की जन स्तर पर व्यापक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसके लिए शिक्षित लोग विद्या-ऋण चुकाने के लिए जगह-जगह प्रौढ़ पाठशालायें, रात्रि पाठशालायें खोलें, जिसमें दिन भर व्यस्त रहने वाले लोग अवकाश के समय शिक्षा प्राप्त कर सकें। महिलाओं के लिये दिन के तीसरे पहर की पाठशालायें चले। किसान मजदूरों के बच्चे जो दिन भर काम में लगे रहते हैं रात्रि पाठशालायें में ही पढ़ सकते हैं। सेवा भावी शिक्षित व्यक्ति ऐसी पाठशालायें आसानी से चला सकते हैं।

वेकारी दूर करने के लिए कुटीर उद्योगों का शिक्षण, प्रचलन और उत्पन्न माल को खपाने वाले तन्त्र खड़े किये जाने चाहिए। जापान ने कुटीर उद्योगों को बिजली से चलाने की व्यवस्था बना कर बड़े कारखानों से अधिक सस्ता उत्पादन किया है और हर नागरिक को काम दिया है हमें भी इस स्तर के प्रचलन करने चाहिये तथा उद्योग शालायें एवं संगठित उत्पादन विक्रय व्यवस्थायें बनानी चाहिए ताकि शिक्षितों और अशिक्षितों की वेकारी दूर हो और आर्थिक स्थिति सुधरे।

अन्न, शाक, फल, वृक्ष एवं पुष्प अपने देश में यह सभी कम उत्पन्न होते हैं। पौष्टिक खाद्य मिलने की समस्या जटिल होते जाने से दिन-दिन दुर्बलता और अस्वस्थता बढ़ रही है। इसके लिए घरों में शाक वाटिका लगाने

[१०५]

फूल उगाने का आम रिवाज चलाया जाय। फूलों के बगीचे लगाए जायें, कृषि में अधिक श्रम साधन लगा कर अधिक अन्न उत्पादन पर ध्यान दिया जाये, खाली जगहों पर जलाऊ लकड़ी के वृक्ष लगाये जायें और गोबर जैसी बहुमूल्य खाद को ईंधन बनने से बचाया जाय। किसानों को शाक उत्पादन के लाभ तथा उपाय बताये जायें। जूठन न छोड़ने, बड़ी दावतें न करने, तथा सप्ताह में एक समय आहार न करने की परिपाटी चला कर भी खाद्य-समस्या सुलझाई जा सकती है और विदेशों से अन्न मँगाने की लज्जा से बचा जा सकता है।

स्वास्थ्य संरक्षण एवं मनोबल बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव व्यायामशालायें खुलनी चाहिये। कसरत, ड्रिल, खेल-कूद के साथ-साथ लाठी, तलवार, बन्दूक आदि चलाना सिखाने की भी व्यवस्था उनमें रहे। स्वास्थ्य, गोष्ठियाँ तथा परामर्श तथा प्राकृतिक जीवन एवं प्राकृतिक चिकित्सा का प्रबंध भी इन स्वास्थ्य केन्द्रों में रहा करे। खेलकूद प्रतियोगिताएँ तथा अच्छे स्वास्थ्य वालों को पुरस्कार देने के सार्वजनिक आयोजनों की योजनाएँ बनाई जायें।

लोक-शिक्षण के लिए सभा, सम्मेलन, विचार-विनिमय, कला, प्रवचन आदि की व्यवस्थाएँ समय-समय पर होती रहें। वाद-विवाद प्रतियोगितायें, कविता-सम्मेलन, संगीत-सम्मेलन आदि के द्वारा विचारोत्तेजक साधन जुटाये जायें। भारतीय समाज के पर्व और त्यौहार इस दृष्टि से बहुत ही उपयोगी तथा प्रेरणाप्रद हैं। सोलह संस्कारों के माध्यम से परिवारों का शिक्षण हो सकता है। अपनी सत्यनारायण कथा इस दृष्टि से बहुत सारगर्भित है। विवाह दिन और जन्म दिन मनाने के लिए रिवाज चल पड़े तो जीवनोद्देश्य की पूर्ति तथा पारिवारिक जीवन की सफलता के लिये लोगों को निरन्तर स्वच्छ मार्ग दर्शन मिलता रहे। उपरोक्त या अन्य प्रकार के जन-सम्मेलनों के आयोजनों की इन दिनों भारी आवश्यकता है जो विचार क्रान्ति की आवश्यकता पूर्ण कर सकने में समर्थ हों। गायत्री यज्ञों के साथ जुड़े हुए युग-निर्माण सम्मेलन उसी शृंखला में जोड़े जा सकते हैं। सत्कर्म करने वाले आदर्शवादियों का सार्वजनिक अभिनन्दन तथा महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने की बात भी उसी क्षेत्र में आती है।

सेवादलों का संगठन कई उद्देश्यों से आवश्यक है। बढ़ती हुई गुण्डागर्दी से निबटने और सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए साहसी युवकों का संगठित दल बहुत काम कर सकता है। गन्दगी की अपनी आदत ने गाँव नगरों को बुरी तरह अस्वस्थ बना रखा है। यह सेवा दल लोगों को साथ लेकर सफाई अभियान चलायें। स्वच्छता के महत्व समझायें और गन्दगी फैलाने वालों को रोकें। सामूहिक श्रमदान संगठित करके ग्राम, नगरों में रास्ते एवं तालाब साफ रखने, कुँए, स्कूल आदि बनाने का बहुत काम बिना कुछ खर्च के ही हो सकता है। सहकारी भण्डारों द्वारा उपयोग की वस्तुयें सस्ती और सही मिल सकती हैं। इस तरह की सत्प्रवृत्तियों का संचालन करने के लिए सेवा भावी सज्जनों के संगठित प्रयासों की सर्वत्र बड़ी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति की जाय।


पुस्तकालयों, वाचनालयों की इस देश में भारी आवश्यकता है। इन्हें सच्चे देव-मन्दिर या ज्ञान-मन्दिर चाहिये। कूड़े-कबाड़ की तरह आज छपता-बिकता तो बहुत साहित्य है पर व्यक्ति तथा समाज निर्माण करने वाला साहित्य ढूँढ़े नहीं मिलता, न उसके पढ़ने की लोगों में रुचि ही है जब कि इसी साहित्य के प्रचार एवं अवगाहन पर समाज का भविष्य निर्भर है। गरीब देश के लोग अभी बौद्धिक भूख बुझा सकने योग्य साहित्य खरीद भी नहीं सकते। यह भारी आवश्यकताएँ ऐसे पुस्तकालय पूरा कर सकते हैं जिनमें केवल प्रेरणाप्रद चुनी हुई पुस्तकें ही रहने का नियम हो, घर-घर पुस्तकें पहुँचाने तथा वापस लाने का प्रबंध हो जहाँ अशिक्षितों को सुनाने की भी व्यवस्था हो। ऐसे पुस्तकालयों की शृंखला गली-गली, गाँव-गाँव फैलाई जाने की आवश्यकता है।

ऊपर केवल थोड़े से रचनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। ऐसे १०८ कार्यक्रम अपनी शत-सूत्री योजना के अन्तर्गत आते हैं। उनमें से जहाँ जैसी सुविधा हो वहाँ उस स्तर के कार्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिये, ताकि लोगों को उन सत्प्रवृत्तियों का महत्व समझने और अपनाते का अवसर मिले। ध्वंस सरल है, निर्माण कठिन। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये संघर्ष करना सरल था। अब केवल आलोचना निन्दा से कुछ काम न चलेगा। देश की सर्वतोमुखी प्रगति के लिये हमारा ध्यान रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर जाना चाहिये और उन्हें पूरे उत्साह, साहस तथा त्याग-बलिदान की भावना से चलाया जाना चाहिये।

‘हमारी शत-सूत्रीय युग-निर्माण योजना’ पुस्तिका से।

अनीति असुरता के विरुद्ध प्रबुद्ध संघर्ष किया जायगा।

क्र० १००



कोमल और सौम्य तत्वों को इशारे से समझाकर विवेक एवं तर्क द्वारा औचित्य सुझाकर सन्मार्ग गामी बनाया जा सकता है। पर कठोर और दुष्ट तत्वों को बदलने के लिये लोहे को आग में तपा कर पिटाई करने वाली लुहार की नीति ही अपनानी पड़ती है। दुर्योधन को समझाने-बुझाने में जब श्रीकृष्ण जी सफल न हों मके तब उसे अर्जुन के बाणों द्वारा रास्ते पर लाने का प्रबन्ध करना पड़ा। हिंसक पशुनम्रता और औचित्य की भाषा नहीं समझते, उन्हें तो शस्त्र ही काबू में ला सकते हैं। भगवान को बार-बार धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेना पड़ता है, साथ ही वे असुरता के उन्मूलन का रुद्र कृत्य भी करते हैं।

व्यक्तिगत जीवनमें देवशक्ति का अवतरण निस्संदेह एक सृजनात्मक कृत्य है, उसके लिए सद्गुणों के अभिवर्धन की साधना निरन्तर करनी पड़ती है पर साथ ही अन्तरंग में छिपे हुए दोष दुर्गुणों से जूझना भी पड़ता है। यदि इन कुसंस्कारों का उन्मूलन न किया जाय तो सद्गुण पनप ही न सकेंगे। और सारी शक्ति इन कषाय-कल्मषों में ही नष्ट होती रहेगी। आलस्य, प्रमाद, आवेश, असंयम आदि दुर्गुणों के विरुद्ध कड़ा मोर्चा खड़ा करना पड़ता है और पग-पग पर उनसे जूझने के लिये तत्पर रहना पड़ता है। 'गीता' का रहस्यवाद अंतरंग के इन्हीं शत्रुओं को कौरव मानकर अर्जुन रूपी जीव को इनसे लड़ मरने के लिये प्रोत्साहित करना है। जिसने अपने से लड़कर विजय पाई वस्तुतः उसे ही सच्चा विजेता कहा जायेगा।

सामूहिक जीवन में समय-समय पर अनेक अनाचार उत्पन्न होते रहते हैं और उन्हें रोकने के लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी स्तर पर प्रबल प्रयत्न करने पड़ते हैं। पुलिस, जेल, अदालत, कानून, सेना आदि के माध्यम से सरकारी दंड संहिता अनाचार को रोकने का यथा संभव प्रयत्न करती है। जन-स्तर पर भी अवांछनीय और असामाजिक तत्वों का प्रतिरोध अवश्य होता है। यदि यह रोक धाम न हो, उद्दंडता और दुष्टता का प्रतिरोध न किया जाय तो वह देखते-देखते आकाश-पाताल तक चढ़ दौड़े और अपने सर्व भक्षी मुख में शालीनता और शान्ति को देखते-देखते निगल जायें।

इन दिनों नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों का इतना अधिक बाहुल्य हो गया है कि शान्ति और सुव्यवस्था के लिये एक प्रकार से संकट ही उत्पन्न हो गया है। छल, असत्य, बनावट और विश्वास-घात का ऐसा प्रचलन हो गया है कि किसी व्यक्ति पर सहज ही विश्वास करना खतरे से खाली नहीं रहा। विचारों की दृष्टि से मनुष्य बहुत ही संकीर्ण, स्वार्थी, ओछा और कमीना होता चला जाता है। पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं। आदर्शवादिता और उत्कृष्टता अब कहने-सुनने भर की बात रह गई है। व्यवहार में कोई बिरला ही उसे काम में लाता हो। सामाजिक कुरीतियों का तो कहना ही क्या? विवाहोन्माद, मृत्यु-भोज, ऊँच-नीच, नारी-तिरस्कार, बाल-विवाह, वृद्ध विवाह आदि न जाने कितने प्रकार की कुरीतियाँ अपने समाज में घुसी बैठी हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों ही बना रहने दिया तो हम संसार के सभ्य देशों में पिछड़े हुये और उपहासास्पद ही न माने जायेंगे वरन् अपनी दुर्बलताओं के शिकार होकर आप अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे।

अगले दिनों इस बातकी आवश्यकता पड़ेगी कि व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रमें संव्याप्त अगणित दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध व्यापक परिमाण में संघर्ष आरम्भ किया जाय। इस लिए हर नागरिक को अनाचार के विरुद्ध आरम्भ किये गये धर्म-युद्ध में भाग लेने के लिये आह्वान करना होगा। किसी समय तलवार चलाने वाले और सिर काटने में अग्रणी लोगों को योद्धा कहा जाता था, अब माप दंड बदल गया। चारों ओर संव्याप्त आतंक और अनाचार के विरुद्ध संघर्ष में जो जितना साहस दिखा सके और चोट खा सके उसे उतना ही बड़ा बहादुर माना जायेगा। उस

बहादुरी के ऊपर ही शोषण-विहीन समाज की स्थापना संभव हो सकेगी। दुर्बुद्धि से, कुत्सा और कुण्ठा से लड़ सकने में जो लोग समर्थ होंगे उन्हीं का पुरुषार्थ पीड़ित मानवता को त्राण दे सकने का यश संचित कर सकेगा।

भारतीय समाज को बेईमान और गरीब बनने के लिए विवश करने वाले सत्यानाशी विवाहोन्माद-असुर से पूरी शक्ति के साथ जूझना पड़ेगा। अभी प्रचार, विरोध, प्रतिज्ञापत्र आदि के हल्के कदम उठाये गये हैं, आगे चलकर असहयोग, सहयोग, सत्याग्रह और घिराव जैसे बड़े कदम उठाकर इस कुप्रथा को गर्हित और वर्जित बनने के लिए, घृणित और दुष्ट समझे जाने के लिए विवश करेंगे। अगले दिनों ऐसा प्रबल लोकमत तैयार करेंगे जिसमें विवाहों के नाम पर प्रचलित उद्धतपन को जीवित रह सकना असम्भव हो जाय। पूर्ण सादगी और स्वल्प खर्च के विवाहों का प्रचलन होने तक अपना संघर्ष चलता रहेगा। हम तब तक न चैन लेंगे और न लेने देंगे जब तक कि इस अनैतिक एवं अवांछनीय प्रथा का देश में से काला मुँह न हो जाय।

मृतक भोज के नाम पर घृणित दावतें खाने की निष्ठुरता, पशु बलि की नृशंसता, ऊँच-नीच के नाम पर मानवीय अधिकारों का अपहरण, नारी को पद-दलित और उत्पीड़ित करने की क्रूरता हमारे समाज पर लगे हुए ऐसे कलंक हैं जिनका समर्थन कोई भी विवेकशील और सहृदय व्यक्ति कर ही नहीं सकता। मूढ़ परम्पराओं ने इन कुरीतियों को धार्मिकता के साथ जोड़ दिया है, इस स्थिति को कब तक सहन किया जाता रहेगा? इस मूढ़ता के विरुद्ध प्रचार मोर्चों से आगे बढ़कर हमें कई और ऐसे सक्रिय कदम उठाने पड़ेंगे जिन्हें भले ही अशान्ति उत्पन्न करने वाले कहा जाय परन्तु रकेंगे तभी जब मानवता के मूलभूत आधारों को स्वीकार करने का तत्पर हो जायें, हम लोगों से कहेंगे कि घृणा फैलाने वाले और झगड़ा लू कलहाने का खतरा मोल लेकर भी वे अनौति से हर मोर्चे पर जूझने के लिये कमर कस लें—भले ही इस संदर्भ में उन्हें कोई भी खतरा क्यों न उठाना पड़े।

वैयक्तिक दोष दुर्गुणों से लड़ने और जीवन को स्वच्छ, पवित्र, निर्मल बनाने के लिए अगर कुसंस्कारों से लड़ना पड़ता है तो वह लड़ाई लड़ी ही जानी चाहिये। परिवार में कुछ सदस्यों को दास-दासी की तरह और कुछ को राजारानी की तरह रहने को यदि परम्परा का पालन माना जाता है तो उसे बदल कर ऐसी परिवारों स्थापित करनी पड़ेगी जिनमें सबको न्यायानुकूल अधिकार लाभ तथा श्रम सहयोग करने की व्यवस्था रहे। आर्थिक क्षेत्र में बेईमानी को प्रश्रय न मिले। व्यक्तिगत व्यवहार में छल करने और धोखेबाजी की गुंजायश न रहे। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए प्रबल लोकमत तैयार करना पड़ेगा और अवांछनीय तत्त्वोंके उग्र प्रतिरोधको इतना सक्रिय बनाना पड़ेगा कि अपराध, उद्वेगिता और गुण्डागर्दी करने की हिम्मत करना किसी के लिये भी सम्भव न रहे। हराम की कमाई खाने वाले, भ्रष्टाचारी बेईमान लोगों के विरुद्ध इतनी तीव्र प्रतिक्रिया उठानी होगी जिसके कारण उन्हें सड़क पर चलना और मुँह दिखाना कठिन हो जाय। जिधर से वे निकलें उधर से ही धिक्कार की आवाजें उन्हें सुननी पड़ें। समाज में उनका उठना-बैठना बन्द हो जाय और नाई, धोबी, दर्जी कोई उनके साथ किसी प्रकार का सहयोग करने के लिये तैयार न हों।

सार्वजनिक संस्थाओंमें स्वार्थपरता और नेतागिरी लूटने के लिये जिन दुरात्माओंने अड्डा जमा लिया है उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाय। धर्म और अध्यात्म का लबादा ओढ़कर जो रंग सियार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं उनकी असलियत चौराहे पर नङ्गी खड़ी कर दी जाय ताकि लोग उन्हें भरपूर धिक्कारें। भोले लोगों को अनेक हाथों लुटने से बचाना एक ऊँची और श्रेष्ठ सेवा होती है। ५६ लाख भिखमंगे नाना प्रकार के ढोंग बनाकर जिस तरह ठगी और हरामखोरी करने में जुटे हुये हैं, आखिर उसे कब तक सहन किया जाता रहेगा। स्वच्छ शासन प्रदान करने के लिये राजनैतिक नेता और विधायकों, शासकों और अफसरों को यह सोचने के लिये बाध्य किया जायगा कि वे अपने निजी लाभ के लिये नहीं, लोक-मंगल के लिये ही शासनतंत्र का उपयोग करें।

इस प्रकार संघर्ष की बहुमुखी प्रचंड प्रक्रिया अगले दिनों युग निर्माण योजना आरम्भ करेगी। उसके साधन जैसे-जैसे विकसित होते जायेंगे, संघ-शक्ति जितनी मात्रा में उसके हाथ लगेगी उसी अनुपात से वह शान्त, अहिंसक, सज्जनोचित सांस्कृतिक कार्य के अथक सम्पादन में जुटेगी और पग-पग पर अनौचित्य के अन्याय के साथ लड़ा जाने वाला यह धर्म-युद्ध तभी समाप्त होगा जब दानवता के आदर्शों की विजय पताका सारे विश्व में फहराने लगेगी।

‘सज्जनता की राह’ पुस्तिका से।

युग निर्माण योजना एवं सन्निप्त परिचय

गायत्री तपोभूमि (वृन्दावन रोड) मथुरा के विशाल आश्रम भवन में, “युगनिर्माण योजना का केन्द्रीय कार्यालय अवस्थित है। उपासना की दृष्टि से गायत्री माता का मन्दिर, अखण्ड अग्नि एवं नित्य हवन की यज्ञशाला, समस्त तीर्थों का जल-रज एवं हस्तलिखित गायत्री मंत्रों का संग्रह के अतिरिक्त यहाँ नित्य गायत्री अनुष्ठान जैसी कर्मकाण्डात्मक प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। धर्म-प्रसार की दृष्टि से यहाँ अनेक सत्प्रवृत्तियों को विश्वव्यापी बनाने के प्रयत्न होते रहते हैं। सेवा भावी, निस्पृह और सुयोग्य कार्यकर्त्ताओं के द्वारा ही उन प्रवृत्तियों का संचालन होता है।

मनुष्य जाति का भावात्मक स्तर आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता से ओतप्रोत बनाने और समाज को समर्थ, सुगठित, समृद्ध और समुन्नत बनाने के लिए बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रान्ति की मशाल जलाये रखने के लिए “युग निर्माण योजना” की प्रतिष्ठापना इसी आश्रम से आरम्भ की गई है और मानव में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण को लक्ष्य में रखा गया है।

प्रस्तुत उद्देश्य को पूरा करने के लिये भौतिक कार्यक्रमों से अधिक आध्यात्मिक शक्ति, सामर्थ्य को प्रयुक्त किया जा रहा है। योजना के प्रस्तुतकर्त्ता ने शुभारम्भ में पूर्ण २४ लक्ष जप के २४ गायत्री महापुरश्चरण २४ वर्ष में सम्पन्न किये। उससे कार्यक्रम का पूर्वार्थ सम्पन्न हुआ। उत्तरार्थ पूरा करने के लिये अति उग्र तपश्चर्या हिमालय के एकान्त में की जा रही है। और विश्वास किया गया है कि युग-परिवर्तन जैसे महान प्रयोजन के लिये प्रत्यक्ष कार्यक्रम ही पर्याप्त नहीं, उसके लिये दैवीशक्ति का प्रयोग भी संज्ञाया जाना चाहिये। इस दृष्टि से “गायत्री-परिवार” द्वारा इन दिनों हर रोज २४ लक्ष गायत्री जप और २४ हजार आहुतियाँ नित्य क्रम है। संचालन का “अखण्ड-दीपक” पर अविच्छिन्न उपासना का क्रम भी नियमित रूप से चल रहा है। इस संदर्भ में देश भर में लगभग १००० विशाल गायत्री यज्ञ सम्पन्न कराये जा चुके हैं।

भारतीय धर्म के समस्त आर्ष-ग्रन्थों का अनुवाद, सम्पादन एवं प्रस्तुतीकरण इस संस्था के संचालन में सम्पन्न करके समस्त विश्व में भारतीय धर्म और संस्कृति के गहन ज्ञान का परिचय कराया है। चारों वेद, १०८ उपनिषद्, छहों दर्शन, २० स्मृतियाँ, १८ पुराण, ब्राह्मण, आरण्यक, सूत्र ग्रन्थ, योग-वशिष्ट, २४ गीताएँ आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सर्वसाधारण के लिए मुलभ किये हैं।

योजना के अन्तर्गत इन दिनों छै मासिक पत्रिकाएँ निकलती हैं। “हिन्दी अखण्ड-ज्योति” — “हिन्दी युग-निर्माण योजना” गुजराती युग-निर्माण योजना” मराठी युग निर्माण योजना” और “उड़िया युग निर्माण योजना”, तथा अंग्रेजी युग-निर्माण योजना, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद नीति, धर्म, सदाचार, जीवन कला एवं नवनिर्माण की प्रखर प्रेरण से इन पत्रिकाओं का पन्ना-पन्ना जगमगाता रहता है। पृष्ठ संख्या सभी की ६० है। सभी पत्रिकाओं का चन्दा ७-७ रु० है। अगले वर्ष चार अन्य भाषायों में यह प्रकाशन और आरम्भ होने वाला है।

स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज निर्माण के लिये व्यक्ति तथा समाज की असंख्य समस्याओं पर प्रकाश डालने वाली अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण पच्छिम-पच्छिम पैसे वाली २०० पुस्तिकाएँ (ट्रैक्ट) तथा ४०-४० पैसे वाली १०० जीवनीयाँ प्रकाशित की गई हैं। अन्य १०० धार्मिक पुस्तकें भी इस समय प्रकाशन में हैं। इस साहित्य का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद छपा जा रहा है। योजना का अपना एक अच्छा प्रेस है।

व्यक्ति और समाज की उन्नतियों को सुवज्जाने वाली १०० विज्ञप्तियाँ वितरण करने के लिए छपी गई हैं जो १० × ७। साइज में दोनों ओर छपी हैं, और प्रस्तुत विषयों को बहुत ही हृदयग्राही रूप में समझाती और प्रभावित करती हैं। १००० विज्ञप्तियों का मूल्य १२) रु० है। १००० लेने वाले वितरण कर्त्ता का नाम भी लाल स्याही में इसी मूल्य में छाप दिया जाता है। अब तक करीब ५० लाख विज्ञप्तियाँ वितरित हो चुकी हैं। इन्हें सब भाषाओं में छपा जा रहा है। यह विज्ञप्ति-वितरण विचार-क्रान्ति की— दृष्टि से एक बहुत ही उपयुक्त माध्यम सिद्ध हुआ है।

आश्रम में एक उपयुक्त पुस्तकालय, वाचनालय तथा चिकित्सालय भी है जिनसे स्थानीय तथा बाहर के लोग लाभ उठाते हैं। आसन, प्राणायाम, फौजीडिल, लाठी, वाद्यशिक्षा, बैण्डवाजा बजाना आदि का प्रशिक्षण भी यहाँ चलता रहता है।

“युगनिर्माण विद्यालय” के एक वर्षीय पाठ्यक्रम में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है तार्किक वे सुयोग्य, सद्गुण-सम्पन्न नागरिक बन सकें और लोक मंगल के सत्प्रयत्नों में योगदान देकर

सामाजिक पुनरुत्थान में सहयोगी हो सकें। विद्यालय में छात्रों को स्वास्त्वमी बनाने वाले अनेक शिल्प भी सिखाये जाते हैं, यथा-बिजली का फिटिंग, बिजली के यन्त्रों की मरम्मत, रेडियो ट्रांजिस्टरोरों का निर्माण तथा सुधार, प्लास्टिक की वस्तुएँ बनाना, मोजे बनाना, मोमबत्ती, अनेक प्रकार की स्पाहियाँ, तेल, रंग, पेष्ट, बानिचों खिलौने बनाना तुरन्त वस्त्र धोना (डाईक्लीनिंग) प्रेस व्यवसाय, रबड़ की मुहरें, शाक-वाटिका, घर में काम आने वाले उपकरणों की मरम्मत, आदि-आदि। शिक्षा निःशुल्क है।

कला माध्यम से नवनिर्माण की विचारधारा का प्रसार करने के लिए सुगम सङ्गीत, बाद्य, नृत्य, अभिनय, नाटक तथा प्रकाश चित्र-वैज्ञिक लालटन, स्लाइड प्रोजेक्टर आदि यन्त्र-माध्यमों से ऐसा शिक्षण दिया जाता है जिससे जनमानस को उच्च भावनाओं से सरबोर किया जा सके। शिक्षण सत्र छै-छै महीने के होते हैं।

“युगनिर्माण योजना” की लगभग ४ हजार शाखाएँ और एक लाख सदस्य तथा दस लाख सहयोगी हैं। सभी शाखाओं में नवनिर्माण की विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए वाचनालय तथा चल-पुस्तकालय चलाये जाते हैं जिससे प्रतिदिन लगभग ५० लाख व्यक्ति प्रकाश ग्रहण करते, प्रभावित होते और अपनी गति-विधियों को आदर्शवादिता की ओर मोड़ते हैं।

शाखाओं में पुरुषों के लिए रात्रि पाठशाळाएँ और महिलाओं के लिए अपरान्ट्र शालाएँ चलती हैं, जिनमें विचार-क्रांति, नैतिक क्रान्ति एवं सामाजिक क्रांति की, व्यक्ति एवं समाज की असंख्य समस्याओं को सुलझाने की तथा युग-परिवर्तन के लिए अभीष्ट कार्य-क्रमों को गतिशील करने की शिक्षा दी जाती है। छै-छै महीने पर इस प्रशिक्षण की परीक्षा लेने तथा समापन समारोह करके प्रमाण पत्र देने का भी क्रम रहता है। ऐसे उत्सव आयोजन वसंत पंचमी और गुरुगणिमा पर हर शाखा सम्पन्न करती है।

शाखाएँ सदस्यों के जन्म-दिन मनाने, विवाह-दिन मनाने, षोडश संस्कार कराने तथा सामूहिकरूप से पर्व-त्यौहार मनाने की, बड़ी प्रेरक लोक शिक्षण प्रक्रिया चलाती हैं। गीताकथा, रामायण कथा, सत्यनारायण कथा आदि के माध्यम से जन-जीवन को समुन्नत बनाने वाला प्रकाश फैलाया जाता है। धार्मिकता को प्रगतिशीलता में मोड़ने का यह प्रयोग आशातीत सफलता प्राप्त कर रहा है। यह प्रयोग प्रचारकों की आजीविका व्यवस्था भी हल करता है।

गायत्री यज्ञों के साथ जुड़े हुये युग-निर्माण सम्मेलनों के विराट् आयोजनों की देश भर में योजना बद्ध तैयारी की जाती है। लगभग १०० बड़े आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं, जिनमें जनता की उपस्थित आशातीत रहती है छोटे-मोटे आयोजन तो हजारों की संख्या में हर वर्ष सम्पन्न होते हैं। जन-जागृति एवं नवनिर्माण की प्रवृत्तियों को गतिशील करने की दृष्टि से इन आयोजनों की भूमिका आश्चर्य जनक सिद्ध होती है। सन् १९५८ में मथुरा में हुआ ‘सहस्र कुण्डी गायत्री यज्ञ’ धार्मिक क्षेत्र में अविस्मरणीय है, जिसमें ४ लाख से अधिक कर्मठ सदस्य नवनिर्माण के लिये प्रबल प्रयत्न करने का संकल्प लेकर गये थे।


मथुरा केन्द्रीय कार्यालय में नवनिर्माण के कार्य कर्ताओं को प्रवचन, संगठन, रचनात्मक एवं संघर्षात्मक कार्यक्रमों की समग्र शिक्षा देने के लिये—समय-समय पर शिविरों की व्यवस्था की जाती रहती है। सन् १९७० में तो ३५ शिविर हुये जिनमें २० हजार कार्यकर्ता शिक्षण प्राप्त करने आये। ऐसे छोटे-बड़े शिक्षण शिविर, शाखाएँ भी आयोजित करती रहती हैं।

योजना के शतसूत्री कार्यक्रमों में अपनी योग्यता और स्थिति के अनुरूप हर कार्यकर्ता को लोक-मंगल के लिये कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके भी रचनात्मक प्रयत्नों का परिमाण इतना बन पड़ता है जिसे व्यक्ति और समाज के उज्ज्वल भविष्य की सम्भावना के पूर्ण साकार होने की विश्वास पूर्वक आशा की जा सकती है।

ऊँच-नीच परक जाति-भेद, तर-नारी की असमानता, विवाहों में उन्माद जैसा अपव्यय और दहेज, मृतक भोज, जुआ, नशा, चोरी, बेईमानी, विलासिता, क्रूरता, उच्छृङ्खलता, नास्तिकता, आलस, क्रोध आदि दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध आन्दोलन ही नहीं एक प्रकार से संघर्ष को अधिक तीव्र और प्रभावी बनाने के लिये युग-निर्माण सेना गठित किये जाने की तैयारी है, मानवीय चरित्र और सामाजिक उत्कृष्टता की दृष्टि से इस प्रकार के संघर्ष की आज अनिवार्य आवश्यकता भी है।

व्यक्ति और समाज का आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता के आधार पर पुनर्निर्माण करने के इस महान अभियान में सभी सद्भाव सम्पन्न सज्जनों का सहयोग अपेक्षित है। १००

: युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय :



ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त करें :
http://hindi.awgp.org/about_us

- **विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता** : विचारों को परिष्कृत और ऊँचा उठाने में समर्थ 3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान की शुरुआत की ।
- **वेद, पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार** : जिन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद, षड् दर्शन, 20 स्मृतियाँ एवं 18 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वाँ पञ्चा पुराण की रचना भी की ।
- **3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक** : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, समाज को सभ्य और समग्र विश्वराष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने में समर्थ हजारों पुस्तकें लिखकर समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया ।
- **युग-निर्माण योजना के सूत्रधार** : जिन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी ।
- **वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता** : जिन्होंने धर्म और विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला 'ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पुरक है" ।
- **'२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' के उद्घोषक** : जिन्होंने '२१ वीं सदी : उज्ज्वल भविष्य' का नारा दिया तथा युग विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया ।
- **स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी** : जिन्होंने महात्मा गाँधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी "श्रीराम मत" के रूप में प्रख्यात हुए ।
- **गायत्री के सिद्ध साधक** : जिन्होंने गायत्री और यज्ञ को रुढ़ियों और पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का आधार तथा सद्बुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया ।
- **तपस्वी** : जिन्होंने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षों में सम्पन्न किया । प्रकृति प्रकोप को शांत कर अनिष्टों को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया ।
- **अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक** : जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोड़ों लोगों को आत्मियता के सूत्र में बाँधकर विश्व व्यापी 'युग निर्माण परिवार' - 'गायत्री परिवार' का गठन किया ।
- **समाज सुधारक** : जिन्होंने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पाँति प्रथा तथा परंपरागत रुढ़ियों की समाप्ति हेतु अद्भूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया ।
- **ऋषि परम्परा के उद्धारक** : जिन्होंने इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनर्स्थापना की । लुप्तप्राय संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया ।
- **अवतारी चेतना** : जिन्होंने "धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण" की अवतारी घोषणा को अपना जीवन लक्ष्य बनाया और चेतना का ऐसा प्रवाह चलाया कि करोड़ों व्यक्ति उस ओर चल पड़े ।

गायत्री परिवार जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार, समाज, राष्ट्र युग निर्माण करने वाले व्यक्तियों का संघ है। **वसुधैवकुटुम्बकम्** की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दूरदर्शी युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में उभरा है।

Free Download Complete Work Of Yugrishi Pt. Shriram Sharma Acharya, Founder of All World Gayatri Pariwar Books, Magazines, Articles, Stories, Poems, Great Personalities and many more at

www.vicharkrantibooks.org | www.awgp.org